VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

जून 2025

मासिक समसामयिकी

8468022022 | 9019066066 www.visionias.in

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी
हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

ENGLISH MEDIUM
1 July | 5 PM

हिन्दी माध्यम
5 July | 5 PM

- द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, लाइवमिंट, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, योजना, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, इंडिया ईयर बुक, RSTV आदि का समग्र कवरेज।
- मुख्य परीक्षा हेतु विशिष्ट लक्ष्योन्मुखी सामग्री।
- मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से एक वर्ष की समसामयिक घटनाओं की खंड–वार बुकलेटस (ऑनलाइन स्टूडेंटस के लिये मेटेरियल केवल सॉप्ट कॉपी में ही उपलब्ध)
- लाइव और ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाएं जो दूरस्थ अभ्यार्थियों के लिए सहायक होंगी जो क्लास टाइमिंग मे लचीलापन चाहते हैं।

मुख्य परीक्षा
2025 के लिए 1 वर्ष का
समसामयिक घटनाक्रम
केवल 60 घंटे में

UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2024 में चयनित सभी उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई

10 in Top 10 Selections in CSE 2024 (from various programs of VISIONIAS)

हिन्दी माध्यम में 30+ चयन

137 AIR अंकिता कांति	182 AIR रवि राज	412 AIR जितेंद्र कुमावत	438 AIR ममता	448 AIR सुख राम	483 AIR ईश्वर लाल गुर्जर	509 AIR अमित कुमार यादव
554 AIR विमलोक तिवारी	564 AIR गौरव छिम्वाल	618 AIR राम निवास सियाग	622 AIR आलोक रंजन	651 AIR अनुराग रंजन वत्स	689 AIR खेतदान चारण	718 AIR रजनीश पटेल
731 AIR तेशुकान्त	760 AIR अश्वनी दुबे	795 AIR कर्मवीर नरवाडिया	865 AIR आनंद कुमार मीणा	873 AIR सिद्धार्थ कुमार मीणा	890 AIR सुषमा सागर	893 AIR अरुण मालवीय
895 AIR अजय कुमार	899 AIR रितिक आर्य	911 AIR अरुण कुमार	921 AIR ममता जोगी	925 AIR विजेंद्र कुमार मीणा	953 AIR राजकेश मीणा	998 AIR इकबाल अहमद

विषय सूची

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance).....4

1.1. आपातकाल के 50 साल.....4

1.2. व्यक्तित्व अधिकार.....6

1.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां.....7

1.3.1. नार्को परीक्षणों की संवैधानिक वैधता.....7

1.3.2. भारतीय गुणवत्ता परिषद.....8

1.3.3. ECINET ऐप.....9

1.3.4. आदि कर्मयोगी कार्यक्रम.....9

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations).....11

2.1. भारत और शंघाई सहयोग संगठन.....11

2.2. चीन के नेतृत्व वाला त्रिपक्षीय गठजोड़.....13

2.3. इजरायल-अमेरिका-ईरान संघर्ष.....14

2.4. ग्रुप ऑफ सेवन (G-7).....16

2.5. विश्व व्यापार संगठन (WTO) में सुधार.....18

2.6. पश्चिम अफ्रीकी देशों का आर्थिक समुदाय.....20

2.7. संक्षिप्त सुर्ख़ियां.....21

2.7.1. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद.....21

2.7.2. संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद.....22

2.7.3. संयुक्त राज्य अमेरिका ने गावी, द वैक्सीन अलायंस के वित्त-पोषण पर रोक लगाई.....22

2.7.4. अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन.....23

2.7.5. भारत-किर्गिस्तान द्विपक्षीय निवेश संधि.....24

2.7.6. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मरीन एड्स टू नेविगेशन.....25

2.7.7. जंगेजुर कॉरिडोर.....25

2.7.8. ई-पासपोर्ट.....26

3. अर्थव्यवस्था (Economy).....27

3.1. ग्रामीण भारत: भारत के उपभोक्ता बाजार का नया इंजन27

3.2. भारत में क्विक कॉमर्स.....29

3.3. विमानन सुरक्षा.....30

3.4. परिसंपत्ति मुद्रीकरण.....32

3.5. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश.....35

3.6. सतत विकास के लिए वित्त-पोषण.....38

3.6.1. सतत विकास रिपोर्ट (2025).....41

3.7. अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT).....42

3.8. संक्षिप्त सुर्ख़ियां.....44

3.8.1. डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म.....44

3.8.2. लघु वित्त बैंकों (SFBs) के लिए प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण (PSL) मानदंड.....44

3.8.3. सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड.....45

3.8.4. स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत.....46

3.8.5. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रकों से प्राप्त उत्पादन के मूल्य पर रिपोर्ट (2011-12 से 2023-24).....47

3.8.6. संशोधित ब्याज छूट योजना.....48

3.8.7. अंतर्राष्ट्रीय अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान.....49

3.8.8. राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड.....50

3.8.9. नैनो उर्वरक.....51

4. सुरक्षा (Security).....52

4.1. पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान AMCA.....52

4.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां.....53

4.2.1. सिल्वर नोटिस.....53

4.2.2. राजस्थान के पोखरण में 'रुद्रास्त्र' का सफल परीक्षण54

4.2.3. सुर्ख़ियों में रहे अभ्यास.....55

5. पर्यावरण (Environment).....56

5.1. कृषि वानिकी.....56

5.2. अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन 2025.....57

5.2.1. आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) वित्तपोषण.....59

5.3. समुद्री आपदाएं.....62

समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) की भूमिका.....63

5.4. भीड़ आपदा प्रबंधन.....64

5.5. भारत पूर्वानुमान प्रणाली.....66

5.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियां.....67

5.6.1. रसायन, अपशिष्ट और प्रदूषण पर अंतर-सरकारी साइंस-पॉलिसी पैनल की स्थापना की गई.....67

5.6.2. जैविक खतरों पर ILO कन्वेंशन.....68

5.6.3. स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग, 2025.....69

5.6.4. 'एशिया में जलवायु की स्थिति 2024' रिपोर्ट.....70

5.6.5. ग्रीन इंडिया मिशन....70
5.6.6. ग्लोबल ड्रॉट आउटलुक 2025 जारी किया गया 71
5.6.7. ओशन डार्कनिंग से वैश्विक समुद्री पारिस्थितिकी-तंत्र को गंभीर खतरा....72
5.6.8. ब्लू नेशनली डिटरमाइंड कंट्रिब्यूशंस (NDCs) चैलेंज 72
5.6.9. तीसरा 'संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन' (UNOC-3) 73
5.6.10. राजस्थान में नए रामसर स्थल....73
5.6.11. ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य....74
5.6.12. IBAT एलायंस....74
5.6.13. इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस....75
5.6.14. राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा कार्यक्रम के तहत संशोधित दिशा-निर्देश....76
5.6.15. एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स (ETI), 2025....77
5.6.16. थर्स्टवेव....77
5.6.17. सलखान फॉसिल पार्क को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया....78
5.6.18. हाल के ज्वालामुखी विस्फोट....78
6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues)....80
6.1. सांस्कृतिक विनियोग....80
6.2. टियर-2 इन्फ्लुएंसर्स डिजिटल इंडिया में सांस्कृतिक पूंजी को पुनर्परिभाषित कर रहे हैं....81
6.3. QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सुधार....83
6.4. मैनोस्फीयर....85
6.5. सशस्त्र बलों में महिलाएं....87
6.6. वैश्विक तंबाकू महामारी 2025....88
6.7. ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025....90
6.8. संक्षिप्त सुर्ख़ियां....92
6.8.1. WHO की सामाजिक जुड़ाव पर रिपोर्ट....92
6.8.2. परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स (PGI) 2.0....93
6.8.3. UNFPA स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, 2025....94
6.8.4. ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग (GEM) रिपोर्ट, 2024 94
6.8.5. जेंडर बजटिंग नॉलेज हब' पोर्टल....94
7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology)..... 96
7.1. एक्सिओम-4 मिशन....96
7.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां....98
7.2.1. विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर पहल....98
7.2.2. क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इंडेक्स....98
7.2.3. क्वांटम एंटेंगलमेंट आधारित कम्युनिकेशन में सफलता प्राप्त हुई....99
7.2.4. फाइबर ऑप्टिक ड्रोन....100
7.2.5. डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस 100
7.2.6. तियानवेन-2 प्रोब....101
7.2.7. भारत की पहली जीन-एडिटेड भेड़ तैयार की गई. 102
7.2.8. HIV की रोकथाम के लिए नई दवा को मंजूरी..... 103
7.2.9. वजन कम करने वाली दवाएं....104
8. संस्कृति (Culture)....105
8.1. आईएनएस कौंडिन्य और टंकाई विधि....105
8.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां....107
8.2.1. प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950....107
8.2.2. कुंभकोणम वेत्रिलाई और थोवलाई माणिक्का मालाई 107
8.2.3. विश्व टेस्ट चैंपियनशिप....108
9. नीतिशास्त्र (Ethics)....109
9.1. महात्मा गांधी और श्री नारायण गुरु के जीवन मूल्य.... 109
9.2. एकात्म मानववाद....110
10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)..... 112
10.1 भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना....112
11. सुर्ख़ियों में रहे स्थल (Places in News)..... 114
12. सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व (Personalities in News)..... 115

नोट:

प्रिय अभ्यर्थियों,

करेंट अफेयर्स को पढ़ने के पश्चात् दी गयी जानकारी या सूचना को याद करना और लंबे समय तक स्मरण में रखना आर्टिकल्स को समझने जितना ही महत्वपूर्ण है। मासिक समसामयिकी मैगज़ीन से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, हमने निम्नलिखित नई विशेषताओं को इसमें शामिल किया है:

	विभिन्न अवधारणाओं और विषयों की आसानी से पहचान तथा उन्हें स्मरण में बनाए रखने के लिए मैगज़ीन में बॉक्स, तालिकाओं आदि में विभिन्न रंगों का उपयोग किया गया है।
QUIZ	पढ़ी गई जानकारी का मूल्यांकन करने और उसे याद रखने के लिए प्रश्नों का अभ्यास बहुत जरूरी है। इसके लिए हम मैगज़ीन में प्रत्येक खंड के अंत में स्मार्ट क्विज़ को शामिल करते हैं।
	विषय को आसानी से समझने और सूचनाओं को याद रखने के लिए विभिन्न प्रकार के इंफोग्राफिक्स को भी जोड़ा गया है। इससे उत्तर लेखन में भी सूचना के प्रभावी प्रस्तुतीकरण में मदद मिलेगी।
NEWS	सुर्ख़ियों में रहे स्थानों और व्यक्तियों को मानचित्र, तालिकाओं और चित्रों के माध्यम से वस्तुनिष्ठ तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इससे तथ्यात्मक जानकारी को आसानी से स्मरण रखने में मदद मिलेगी।

फाउंडेशन कोर्स
सामान्य अध्ययन

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2026

इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम

- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
- अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
- योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
- नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
- प्री फाउंडेशन कक्षाएं
- सीसैट कक्षाएं
- PT 365 कक्षाएं
- MAINS 365 कक्षाएं
- PT टेस्ट सीरीज
- मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
- निबंध टेस्ट सीरीज
- सीसैट टेस्ट सीरीज
- निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
- करेंट अफेयर्स मैगजीन

नोट: ऑनलाइन छात्र हमारे पाठ्यक्रम की लाइव वीडियो कक्षाएं अपने घर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। छात्र लाइव चैट विकल्प के माध्यम से कक्षा के दौरान अपने संदेह और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। वे अपने संदेह और प्रश्न नोट भी कर सकते हैं और दिल्ली केंद्र में हमारे कक्षा सलाहकार को बता सकते हैं और हम फोन/मेल के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर देंगे।

Scan the QR CODE to download VISION IAS app

DELHI : 7 अगस्त, 2 PM

JAIPUR : 20 जुलाई

JODHPUR : 10 अगस्त

Lakshya

MAINS MENTORING PROGRAM 2025

30 Days Expert Intervention

A Strategic Revision, Practice, and Mentoring Program for UPSC Prelims Examination

15 JULY 2025

- Highly experienced and qualified team of Mentors for continuous support and guidance
- A structured plan of revision for GS Prelims, CSAT, and Current Affairs
- Effective Utilization of learning resources, including PYQs, Quick Revision Modules (QRMs), and PT-365

Lakshya

PRELIMS & MAINS INTEGRATED MENTORING PROGRAM

Lakshya Prelims & Mains Integrated Mentoring Program 2026

(A Strategic Revision, Practice, and Mentoring Program for UPSC Prelims and Mains Examination 2026)

VisionIAS introduces the Lakshya Prelims & Mains Integrated Mentoring Programme 2026, offering unified guidance for UPSC aspirants across both stages, ensuring comprehensive support and strategic preparation for success

2026 | 13 MONTHS | 31 JULY

Highlights of the Program

- Coverage of the entire UPSC Prelims and Mains Syllabus
- Highly experienced and qualified team of senior mentors
- Development of Advanced answer writing skills
- Special emphasis to Essay & Ethics

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

1.1. आपातकाल के 50 साल (50 years of Emergency)

सुर्ख़ियों में क्यों?

25 जून, 1975 को भारत में **राष्ट्रीय आपातकाल** की घोषणा की गई थी, जो 21 मार्च, 1977 तक प्रभावी रहा था। इस वर्ष (2025) इस घटना को **50 साल** पूरे हुए हैं।

1975 में आपातकाल क्यों लगाया गया था?

- **सामाजिक अशांति:** उस समय देश में सरकार के खिलाफ व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन, हड़तालें और आंदोलन हो रहे थे। इनमें **जयप्रकाश नारायण** के नेतृत्व में हुआ **जेपी आंदोलन** विशेष था। इस आंदोलन ने **इंदिरा गांधी** की सरकार पर गंभीर सवाल उठाए थे। इन सब के चलते सरकार ने दावा किया कि देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपातकाल लगाना जरूरी है।

क्या आप जानते हैं?

> भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक तीन बार लगाया जा चुका है- **1962 (चीन का आक्रमण), 1971 (पाकिस्तान युद्ध)** तथा **1975 (आंतरिक अशांति)।**

- **1971 के युद्ध के बाद आर्थिक संकट:** युद्ध के बाद देश गंभीर आर्थिक समस्याओं, जैसे- **महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक ठहराव** से जूझ रहा था। वैश्विक तेल संकट ने इस स्थिति को और बिगाड़ दिया।
- **राजनीतिक कारण:** इलाहाबाद हाईकोर्ट ने **'उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण'** वाद में इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया। साथ ही, उन पर चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप भी लगा था। न्यायालय के इस फैसले और बढ़ती राजनीतिक अशांति के चलते इंदिरा गांधी ने सत्ता को अपने हाथ में रखने के उद्देश्य से आपातकाल की घोषणा कर दी।

आपातकाल के दौरान हुए प्रमुख संविधान संशोधन

- **38वां संशोधन (1975):** इस संशोधन ने **राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा को न्यायिक समीक्षा से बाहर** कर दिया। इसमें उपबंध किया गया कि अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत राष्ट्रपति का निर्णय **'अंतिम एवं निर्णायक'** होगा।
- **39वां संशोधन (1975):** इसने **राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और लोक सभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों** को तय करने के तरीके में बदलाव किया।
  - अब ये विवाद संसद द्वारा निर्धारित किसी **प्राधिकरण** द्वारा तय किए जाने थे। इसका अर्थ था कि **इन पदों को न्यायपालिका के न्यायिक दायरे से प्रभावी ढंग से बाहर** कर दिया गया।
- **42वां संशोधन (1976):** इसे **'लघु संविधान'** भी कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा संविधान में कई बड़े महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे:
  - **अनुच्छेद 31C** के तहत **राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों के ऊपर प्राथमिकता** दी गई।
  - **सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट्स** की शक्तियों को कई तरह से कम किया गया:
    - **संविधान में अनुच्छेद 32A** जोड़ा गया, जिसने **सुप्रीम कोर्ट** को राज्य के कानूनों की संवैधानिक वैधता पर विचार करने की शक्ति से वंचित कर दिया। (हालांकि, इसे 43वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया था)
    - **अनुच्छेद 131A और 226A** के तहत **हाई कोर्ट्स** को केंद्र सरकार के कानूनों की समीक्षा से वंचित किया गया था।
  - **लोक सभा** का कार्यकाल **5 साल से बढ़ाकर 6 साल** कर दिया गया था।
  - इसने संसद को **संविधान में संशोधन** करने की लगभग असीमित शक्ति दे दी। इसके लिए **अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5** शामिल किए गए थे।

आपातकाल के दौरान, नागरिकों की स्वतंत्रता और **मौलिक अधिकारों** को निलंबित कर दिया गया था उदाहरण के लिए- **ADM जबलपुर वाद।** मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी गई थी। **आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम (MISA)** जैसे कानूनों के तहत बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गई थी।

आपातकाल के बाद सुधार

- **शाह आयोग:** मई 1977 में **शाह आयोग** का गठन किया गया था। इस आयोग का मुख्य कार्य आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों की जांच करना था। इनमें जबरन बंध्याकरण, सरकारी कर्मचारियों को ज़बरदस्ती रिटायर करना, न्यायालय व संसद पर विविध निषेध आदि सत्ता दुरुपयोग शामिल थे।

- **आंतरिक आपातकाल के बाद 44वां संविधान संशोधन अधिनियम (1978):**
  - **अनुच्छेद 352 में संशोधन (आपातकाल की घोषणा से संबंधित):**
    - आपातकाल लगाने के पुराने आधार **"आंतरिक अशांति"** को बदलकर व्यापक व स्पष्ट शब्द **"सशस्त्र विद्रोह"** किया गया। यह बदलाव इसलिए किया गया, ताकि "आंतरिक अशांति" जैसी अस्पष्ट अर्थ वाली शब्दावली का भविष्य में गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सके।
    - भविष्य में जल्दबाजी में लिए गए फैसलों पर रोक लगाने के लिए कुछ सुरक्षा उपाय शामिल किए गए। अब राष्ट्रपति के लिए आपातकाल की उद्घोषणा करने से पहले **केंद्रीय मंत्रिमंडल से लिखित में सहमति** लेना जरूरी कर दिया गया।
    - आपातकाल की घोषणा को **एक माह के भीतर विशेष बहुमत द्वारा संसद से अनुमोदन प्राप्त** करना अनिवार्य कर दिया गया।
  - **मौलिक अधिकार: अनुच्छेद 359** का दायरा सीमित किया गया। इसका अर्थ यह था कि आपातकाल के दौरान भी नागरिकों के **अपराधों के लिए दोषसिद्धि से संरक्षण का अधिकार (अनुच्छेद 20) तथा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 21)** आपातकाल के दौरान लागू रहेंगे अर्थात् इन्हें निलंबित नहीं किया जा सकेगा।
    - **संपत्ति के अधिकार** को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर **अनुच्छेद 300A** के तहत एक सामान्य **संवैधानिक अधिकार** बना दिया गया।
  - **अनुच्छेद 257A का निरसन:** यह अनुच्छेद केंद्र सरकार को किसी भी राज्य में कानून-व्यवस्था की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए **केंद्र के किसी भी सशस्त्र बल** या अन्य बल को तैनात करने की अनुमति देता था। इस अनुच्छेद को हटा दिया गया।
  - **लोक सभा का कार्यकाल:** अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन करके **लोक सभा का कार्यकाल** 6 साल से घटाकर वापस **5 साल** कर दिया गया।
  - **न्यायिक समीक्षा की बहाली:** इस संशोधन ने **न्यायपालिका** की उस शक्ति को वापस बहाल कर दिया, जिसके माध्यम से वह **राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति** से संबंधित चुनाव विवादों की **न्यायिक समीक्षा** कर सकती थी।

राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) के बारे में

- **आधार:** राष्ट्रीय आपातकाल केवल निम्नलिखित **तीन स्थितियों** में ही घोषित किया जा सकता है:
  - **युद्ध (War);**
  - **बाहरी आक्रमण (External aggression); तथा**
  - **सशस्त्र विद्रोह (Armed rebellion)।**
- **उद्घोषणा:** राष्ट्रपति आपातकाल तब उद्घोषित कर सकते हैं, जब **कैबिनेट की लिखित सिफारिश** उन्हें प्राप्त हो जाती है।
- **संसदीय स्वीकृति:** आपातकाल की घोषणा को **एक माह** के भीतर संसद के **दोनों सदनों** (लोक सभा और राज्य सभा) से अनुमोदन मिलना जरूरी है।
  - यदि इस दौरान लोक सभा भंग हो जाती है, तो **नई लोक सभा के गठित होने के 30 दिनों के भीतर इसे अनुमोदन** मिलना अनिवार्य है। इस बीच, राज्य सभा का अनुमोदन जरूरी हो जाता है।
- **आवश्यक बहुमत:** आपातकाल की उद्घोषणा के संकल्प को **विशेष बहुमत यानी सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत** से पारित होना आवश्यक है।
- **अवधि:** आपातकाल एक बार में अधिकतम **6 महीने तक जारी** रह सकता है। हर 6 महीने में पुनः संसद की मंजूरी से इसे **अनिश्चितकाल तक बढ़ाया** जा सकता है।
- **रद्द करना:** आपातकाल को **राष्ट्रपति कभी भी समाप्त** कर सकता है। यदि **लोक सभा में आपातकाल के विरोध में प्रस्ताव पारित** हो जाए, तो उसे हटाना अनिवार्य है। यह शक्ति राज्य सभा को प्राप्त नहीं है।

राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के प्रभाव

- **केंद्र-राज्य संबंधों पर:**
  - केंद्र सरकार **किसी भी विषय पर राज्यों को निर्देश** दे सकती है।
  - **अनुच्छेद 250** के तहत संसद **राज्य सूची के विषयों पर भी कानून** बना सकती है।
  - राष्ट्रपति **राज्यों और केंद्र के बीच राजस्व वितरण में बदलाव** कर सकता है।
- **लोक सभा और विधान सभाओं के कार्यकाल पर:**
  - संसद कानून बनाकर **लोक सभा और राज्य विधान सभाओं का कार्यकाल हर बार 1 वर्ष तक बढ़ा** सकती है।
  - हालांकि, यह अवधि **आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने से आगे नहीं बढ़ाई** जा सकती।

- **मौलिक अधिकारों पर:**
  - **अनुच्छेद 358 के तहत: अनुच्छेद 19 (स्वतंत्रता का अधिकार)** स्वतः निलंबित हो जाता है। हालांकि, यह प्रावधान केवल **युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण लगे आपातकाल** के दौरान ही लागू होता है। यह बदलाव **44वें संविधान संशोधन** द्वारा किया गया था।
  - **अनुच्छेद 359 के तहत:** राष्ट्रपति के आदेश द्वारा **अन्य मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर) को निलंबित** किया जा सकता है।

निष्कर्ष

आपातकाल से मिली सीख आज भी बहुत प्रासंगिक है। राष्ट्रीय हित या स्थिरता के नाम पर **सत्ता के दुरुपयोग** का खतरा हमेशा बना रहता है, जिससे **असंतोष की अभिव्यक्ति को दबाया** जा सकता है और **संवैधानिक अधिकारों का हनन** किया जा सकता है। यह घटना हमें यह याद दिलाती है कि **लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए सतर्कता** बनाए रखना जरूरी है, ताकि **संवैधानिक सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रताएं** बनी रहें।

1.2. व्यक्तित्व अधिकार (Personality Rights)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले के माध्यम से **सद्गुरु जग्गी वासुदेव** के व्यक्तित्व अधिकारों को **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)** के जरिए वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स द्वारा दुरुपयोग से सुरक्षित किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस दौरान हाईकोर्ट ने AI टूल्स के दुरुपयोग से किसी व्यक्ति की **आवाज और चेहरे के हाव-भाव की हूबहू नकल करने वाले डीपफेक** पर चिंता जताई। इन टूल्स का किसी **व्यक्ति के व्यक्तित्व अधिकारों का हनन** करने के लिए उपयोग किया जा रहा है।
  - इससे न केवल **किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और निजता को खतरा** होता है, बल्कि सार्वजनिक हस्तियों के तो **आर्थिक हितों पर भी असर** पड़ता है। ऐसा इस कारण क्योंकि, उनका चेहरा और नाम अक्सर किसी **उत्पाद या उद्देश्य को प्रचारित करने के लिए उपयोग** किया जाता है।

व्यक्तित्व अधिकारों के बारे में

- व्यक्तित्व अधिकार किसी व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत गुणों जैसे **नाम, छवि, आवाज़, शक्ल-सूरत, और विशिष्ट हाव-भाव या लक्षणों** के अनधिकृत उपयोग को नियंत्रित करने के अधिकार होते हैं।
  - इन अधिकारों में **वाणिज्यिक और गैर-वाणिज्यिक** दोनों पहलू शामिल हैं।
- **भारत में किसी भी कानून में व्यक्तित्व अधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं** किया गया है।
- **व्यक्तित्व अधिकारों के घटक:**
  - **पब्लिसिटी का अधिकार (Right of Publicity):** यह किसी व्यक्ति की छवि आदि को बिना उसकी अनुमति या संविदात्मक मुआवजे के व्यावसायिक रूप से दुरुपयोग होने से बचाने के अधिकार से संबंधित है।
    - यह अधिकार **ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999 और कॉपीराइट अधिनियम, 1957** जैसे कानूनों द्वारा आंशिक व अप्रत्यक्ष रूप से शासित होता है।
  - **निजता का अधिकार (Right to Privacy):** इसमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बिना उसकी अनुमति के सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित न करने का अधिकार शामिल है।
    - निजता का अधिकार मोटे तौर पर **संविधान के अनुच्छेद 21 और न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) मामले (2017) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले** के तहत शासित होता है।
- **भारत में मरणोपरांत व्यक्तित्व अधिकार:** भारत में मरणोपरांत व्यक्तित्व अधिकारों को स्पष्ट रूप से किसी कानून में मान्यता नहीं दी गई है।
  - **प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम[1], 1950** इस अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध कुछ गणमान्य व्यक्तियों (जैसे महात्मा गांधी, प्रधान मंत्री आदि) के नामों और प्रतीकों के अनधिकृत उपयोग पर रोक लगाता है।
  - **दीपा जयकुमार बनाम ए. एल. विजय मामला (2019):** मद्रास हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही उसके व्यक्तित्व अधिकार, प्रतिष्ठा या निजता भी समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व अधिकार उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को विरासत में नहीं मिल सकते हैं।

[1] Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act

भारत में व्यक्तित्व अधिकारों पर महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

- **ICC डेवलपमेंट (इंटरनेशनल) लिमिटेड बनाम अरवी एंटरप्राइजेज, 2003 (दिल्ली हाईकोर्ट):** इस वाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति से उसके **राइट टू पब्लिसिटी** को छीनने का कोई भी प्रयास **अनुच्छेद 19 और 21 का उल्लंघन** होगा।
- **अरुण जेटली बनाम नेटवर्क सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और अन्य मामला (2011):** दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि इंटरनेट पर किसी व्यक्ति की लोकप्रियता या प्रसिद्धि उसकी वास्तविक लोकप्रियता या प्रसिद्धि से अलग नहीं होगी।
- **रजनीकांत बनाम वर्षा प्रोडक्शंस (मद्रास हाईकोर्ट, 2015):** न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी सेलिब्रिटी के नाम, छवि या शैली का उसकी सहमति के बिना उपयोग करना उसके **व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन** है।

निष्कर्ष

विशिष्ट कानून का अभाव और बौद्धिक संपदा कानूनों के तहत अपर्याप्त सुरक्षा, व्यक्तित्व अधिकारों के प्रवर्तन में एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। AI द्वारा निर्मित फेक कंटेंट की सक्रिय निगरानी और रोकथाम के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा और सरकारी एजेंसियों का सशक्तीकरण समय की मांग है।

1.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

1.3.1. नार्को परीक्षणों की संवैधानिक वैधता (Constitutional Validity of Narco Tests)

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने पटना उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें **सभी आरोपियों और गवाहों पर नार्को-टेस्ट की अनुमति** दी गई थी।

- यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा **सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य (2010)** मामले में की गई टिप्पणियों पर आधारित था, जिसमें **नार्को-एनालिसिस और पॉलीग्राफ जैसे टेस्ट्स की संवैधानिक वैधता** पर विचार किया गया था।

नार्को-एनालिसिस टेस्ट के बारे में

- यह **पूछताछ का एक तरीका** है जिसमें किसी अपराध के **संदिग्ध को नियंत्रित परिस्थितियों में एक साइकोएक्टिव दवा** दी जाती है, ताकि उसकी सोचने-समझने की शक्ति या अपने भले-बुरे का निर्णय करने की क्षमता को दबाया जा सके।
- **सोडियम पेंटोथॉल** नामक यह दवा आम तौर पर सर्जरी में सामान्य एनेस्थीसिया देने के लिए उच्च मात्रा में दी जाती है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुख्य बिंदु

- **अनैच्छिक नार्को-टेस्ट संविधान का उल्लंघन करता है**:
  - ऐसे टेस्ट संविधान के **अनुच्छेद 20(3)** (किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता) और **अनुच्छेद 21** (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार) का उल्लंघन करता है।
  - किसी भी परिस्थिति में **बलपूर्वक नार्को-टेस्ट कराना पूरी तरह से गैर-कानूनी** है।
  - **अनैच्छिक टेस्ट से प्राप्त कोई भी जानकारी अदालत में स्वीकार्य नहीं** होती।
- **स्वैच्छिक नार्को-टेस्ट, सजा देने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता**:
  - **भले ही ऐसे टेस्ट स्वैच्छिक रूप** से और सभी सुरक्षा उपायों के तहत किए गए हों, इसके बावजूद इस तरह की रिपोर्ट को प्रत्यक्ष रूप से साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता।
    - ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे टेस्ट के दौरान व्यक्ति के जवाब **चेतन अवस्था में नहीं** दिए गए होते हैं।
  - हालांकि, यदि टेस्ट से कोई **नई जानकारी प्राप्त होती है**, तो उसे **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872** के तहत स्वीकार किया जा सकता है।
  - यह तथ्य **सेल्वी वाद** के अलावा **विनोभाई बनाम केरल राज्य** और **मनोज कुमार सोनी बनाम मध्य प्रदेश राज्य** जैसे मामलों में भी दोहराई गई।
- **स्वैच्छिक रूप से नार्को-टेस्ट कराने का सीमित अधिकार**:
  - आरोपी को नार्को-एनालिसिस टेस्ट कराने का **आत्यंतिक (पूर्ण) अधिकार नहीं** है।
  - लेकिन, आरोपी **अभियोजन के उचित चरण** के दौरान **स्वेच्छा से नार्को टेस्ट कराने का विकल्प** चुन सकता है, जैसे- **साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधिकार का प्रयोग करते समय**।

1.3.2. भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council of India: QCI)

भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री ने **नई दिल्ली स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर** में **भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) के नए एकीकृत मुख्यालय** का उद्घाटन किया।

भारतीय गुणवत्ता परिषद के बारे में

- **स्थापना:** इस परिषद की स्थापना **1996 में** एक **राष्ट्रीय प्रत्यायन संस्था** के रूप में की गई।
- **मिशन:** भारत में राष्ट्रव्यापी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के अभियान का नेतृत्व करना।
- **गैर-लाभकारी संगठन (NPO):** यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक **गैर-लाभकारी संगठन है**।
- QCI **सार्वजनिक-निजी भागीदारी** के माध्यम से एक **स्वतंत्र स्वायत्त संगठन** के रूप में कार्य करती है।
- **PPP मॉडल:** इसे **भारत सरकार तथा तीन प्रमुख उद्योग संघों - एसोचैम, CII, और फिक्की (FICCI) - का समर्थन** प्राप्त है।
    - **गुणवत्ता और QCI से जुड़े सभी मामलों के लिए** केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) **नोडल विभाग** के रूप में कार्य करता है।
- **अध्यक्ष:** QCI के अध्यक्ष की नियुक्ति उद्योग जगत द्वारा सरकार को की गई सिफारिशों के आधार पर **प्रधानमंत्री द्वारा** की जाती है।
- **स्वच्छ भारत मिशन (SBM) में भूमिका:** स्वच्छता (सैनिटेशन) और सफाई (क्लीनलीनेस) मापदंडों पर शहरों का आकलन और रैंकिंग करने के लिए **स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे** के कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करती है।
- **विश्व प्रत्यायन दिवस[2] 9 जून को मनाया जाता** है। यह **इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन को-ऑपरेशन (ILAC) और इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम (IAF)** द्वारा प्रत्यायन के महत्व को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक पहल है।

[2] World Accreditation Day

1.3.3. ECINET ऐप (ECINET app)

हाल ही में, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने **केरल, गुजरात, पंजाब और पश्चिम बंगाल की पांच विधान सभा सीटों** पर हुए उपचुनावों के दौरान नए **ECINET डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म** का उपयोग किया।

ECINET ऐप के बारे में

- यह **वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म** है जो ECI के **40** से अधिक मौजूदा मोबाइल और वेब एप्लीकेशंस को एकीकृत और पुनर्गठित करेगा।
  - **निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961** के तहत, पीठासीन अधिकारियों को मतदान समाप्त होने पर मतदान केंद्र पर उपस्थित राजनीतिक दलों द्वारा नामित बूथ स्तर के एजेंटों को **फॉर्म 17C प्रदान करना अनिवार्य** होता है।
- **मुख्य विशेषताएं:**
  - **लगभग रियल टाइम में मतदान प्रतिशत को अपडेट करने की सुविधा**: प्रत्येक मतदान केंद्र का पीठासीन अधिकारी अब **मतदान के दिन हर दो घंटे में** ECINET ऐप पर सीधे मतदान प्रतिशत से जुड़े डेटा दर्ज करेगा, ताकि **वोटिंग ट्रेंड को अपडेट करने** में लगने वाले समय को कम किया जा सके।
  - **सटीक डेटा सुनिश्चित करना**: इस नई पहल के तहत, **यह सुनिश्चित करने के लिए कि डेटा यथासंभव सटीक हो**, ECINET पर डेटा केवल अधिकृत ECI अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाएगा।
  - **इंडेक्स कार्ड को तेजी से जारी करना**: इंडेक्स कार्ड के अधिकतर कॉलम स्वतः भर दिए जाते हैं, जिससे अब इसे चुनाव परिणाम घोषित होने के 72 घंटों के भीतर प्रकाशित किया जा सकता है, जबकि पहले इसमें हफ्तों या महीनों का समय लगता था।
    - **इंडेक्स कार्ड** मतदान के बाद जारी की जाने वाली **गैर-सांविधिक** प्रकृति की रिपोर्ट है जो सभी हितधारकों (शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं) के लिए निर्वाचन क्षेत्र-स्तरीय विस्तृत चुनावी डेटा प्रदान करती है।

फॉर्म 17C के बारे में

- इसका पहला भाग निम्नलिखित जानकारी प्रदान करता है:
  - मतदान केंद्र पर पंजीकृत कुल मतदाताओं की संख्या,
  - मतदाता पंजी (फॉर्म 17A) में दर्ज कुल मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या,
  - मतदान न करने का निर्णय लेने वाले मतदाताओं की संख्या,
  - जिन मतदाताओं को मतदान की अनुमति नहीं दी गई, उनकी संख्या।
- इसका दूसरा भाग **उम्मीदवारों के नाम और उन्हें प्राप्त कुल मतों जैसी जानकारी** प्रदान करता है।

1.3.4. आदि कर्मयोगी कार्यक्रम (Adi Karmyogi Programme)

केंद्रीय **जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 'आदि कर्मयोगी' कार्यक्रम का शुभारंभ** किया।

'आदि कर्मयोगी' कार्यक्रम के बारे में

- **लक्ष्य:** ऐसे प्रेरित **अधिकारियों और चेंजमेकर्स का एक समूह तैयार करना,** जो जमीनी स्तर पर परिवर्तन लाने के लिए समर्पित हों।
- **उद्देश्य**: राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरों पर प्रशिक्षकों और **मास्टर-ट्रेनर्स** का एक बैच बनाकर लगभग **20 लाख फील्ड-स्तरीय हितधारकों की क्षमता का निर्माण** करना।

- यह कार्यक्रम **फील्ड-स्तरीय अधिकारियों की सोच और प्रेरणा में मूलभूत परिवर्तन लाने का प्रयास** करता है, जिसमें नागरिक-केंद्रित सोच और सेवाओं की प्रभावी डिलीवरी पर जोर दिया गया है।
- **लक्ष्य:** 1 लाख जनजातीय गांवों और बस्तियों तक पहुँचना।

भारत में प्रशासनिक सुधारों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए।

वीकली फोकस #121

शासन की नई परिभाषा: प्रशासनिक सुधारों की ओर भारत के बढ़ते कदम

QUIZ
SMART QUIZ

विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **राजव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

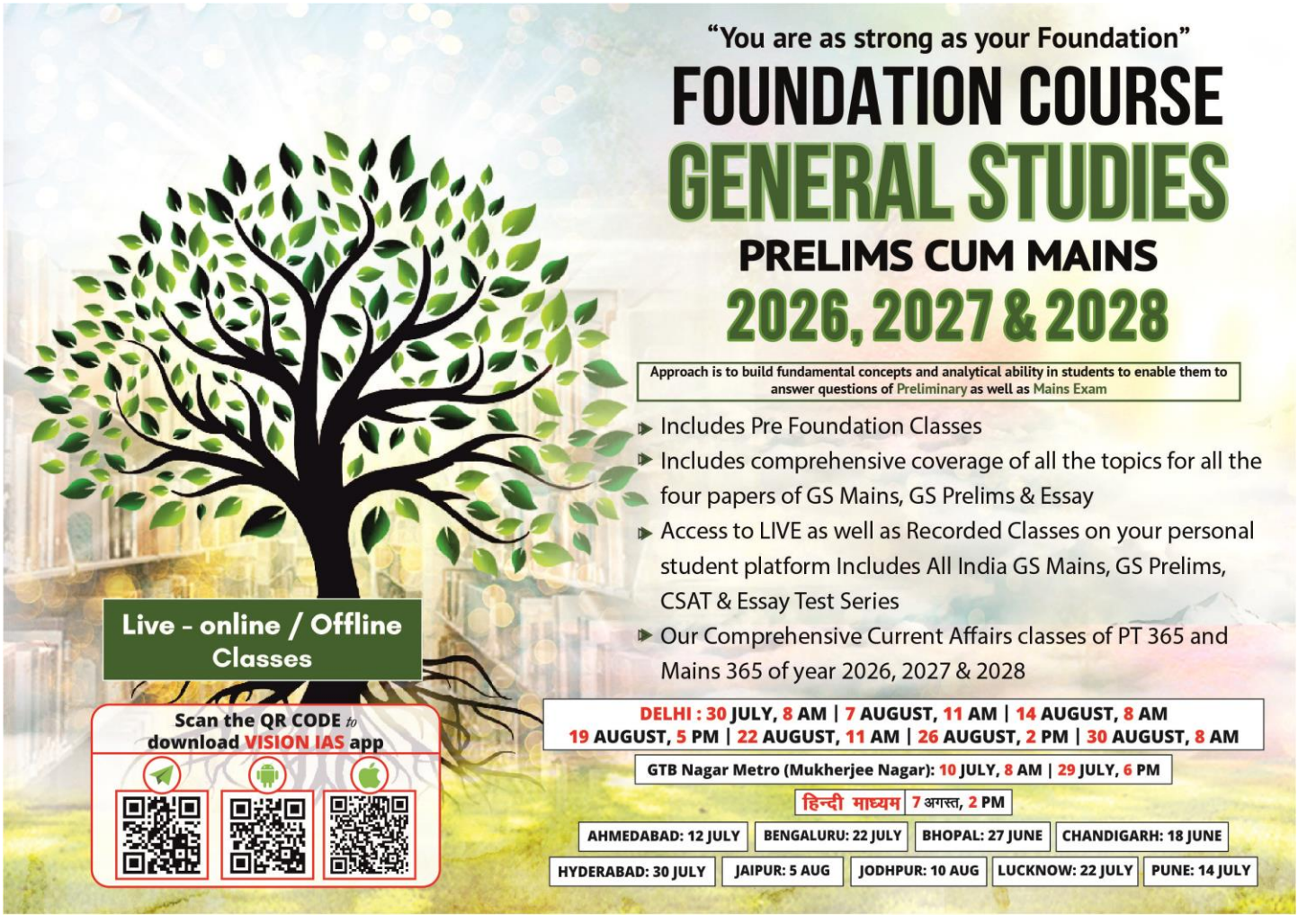

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

2.1. भारत और शंघाई सहयोग संगठन {India and Shanghai Cooperation Organization (SCO)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत ने **चीन के किंगदाओ में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के रक्षा मंत्रियों की बैठक में संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने से इनकार** कर दिया।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत के इनकार के कारण यह बैठक बिना किसी **संयुक्त वक्तव्य** के ही समाप्त हो गई।
  - **SCO चार्टर** के अनुसार, इस समूह में फैसले वोटिंग से नहीं बल्कि **आपसी सहमति** से लिए जाते हैं। इसलिए, यदि **किसी सदस्य देश ने किसी निर्णय पर आपत्ति नहीं जताई है, तो उस निर्णय को स्वीकृत** माना जाता है।
- भारत को **SCO में 2005 में ऑब्जर्वर (पर्यवेक्षक)** का दर्जा मिला था और **2017 में इसे पूर्ण सदस्यता** दी गई थी।

भारत ने संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने से इनकार क्यों किया?

- **आतंकवाद पर दोहरा मापदंड:** दस्तावेज में हाल ही में हुए पहलगाम हमले का कोई ज़िक्र नहीं था, जबकि बलूचिस्तान में हुई उग्रवादी गतिविधियों को शामिल किया गया था।
  - भारत ने ज़ोर दिया कि SCO को **सीमा-पार आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों की आलोचना करने में हिचकिचाना नहीं** चाहिए।
- **मुख्य सिद्धांतों पर कोई समझौता नहीं:** भारत हमेशा से मानता आया है कि **शांति** और **आतंकवाद** साथ-साथ नहीं रह सकते, और यह सिद्धांत **बहुपक्षीय मंचों पर भी किसी भी हाल में बदलने योग्य नहीं** है।

SCO फ्रेमवर्क के तहत भारत के लिए रणनीतिक अवसर

- **मध्य एशिया से जुड़ाव/ भू-राजनीतिक पहुंच:** SCO मंच का इस्तेमाल मध्य एशियाई गणराज्यों (CARs) के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है।
  - यह मंच **कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति** को मजबूत करने में मदद करेगा।
- **आर्थिक और ऊर्जा सहयोग:** उदाहरण के लिए- 2022 में **कजाकिस्तान ने खदानों से यूरेनियम** का सबसे बड़ा हिस्सा (विश्व आपूर्ति का 43%) उत्पादित किया था।
- **क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देना:** उदाहरण के लिए- **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC)।**
- **पाकिस्तान और चीन के साथ संवाद:** SCO द्विपक्षीय तनावों के बावजूद संवाद बनाए रखने के लिए एक **राजनयिक माध्यम** के रूप में कार्य करता है।

SCO को लेकर भारत की चिंताएं

- **चीन का बहुपक्षीय प्रभाव:** चीन इस समूह को अपने नेतृत्व वाला एक ऐसा बहुपक्षीय मंच बनाना चाहता है जो उसके क्षेत्रीय भू-आर्थिक और रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाए।
  - **उदाहरण:** BRI (बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव) को क्षेत्र में प्रमुखता दिलाने में मदद करना।
- **संगठन के विस्तार को लेकर दुविधा:** हाल ही में **बेलारूस** SCO में शामिल हुआ है। इससे SCO की वैश्विक पहचान तो बढ़ी है, लेकिन इसका क्षेत्रीय फोकस कमजोर हो सकता है।
  - SCO की स्थापना केवल **मध्य एशिया पर ध्यान केंद्रित** करने के लिए हुई थी। ज्यादा विस्तार होने से सदस्य देश अन्य सहयोग मंचों की तलाश कर सकते हैं।
- **SCO की प्रभावशीलता:** SCO के फैसलों में **जरूरी कार्यकारी गारंटी** का अभाव है। इसी वजह से यह संगठन, **गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM)** की तरह, केवल **विचार रखने और मतों की घोषणाएं करने का मंच बनकर** रह गया है।
- **पश्चिम-विरोधी छवि:** SCO को कभी-कभी एक **पश्चिम-विरोधी समूह** के रूप में भी देखा जाता है, खासकर जब **चीन, रूस और ईरान के पश्चिम** के साथ भू-राजनीतिक तनाव चल रहे हों।

SCO में भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता और बहुपक्षीय सहयोग के बीच कैसे संतुलन बनाता है?

- **चीनी हितों पर रणनीतिक राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता:** 2023 के SCO शिखर सम्मेलन (पाकिस्तान) में भारत ने उस पैराग्राफ पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, जिसमें चीन की **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)** का समर्थन था।
  - इससे यह भी पता चलता है कि भारत इस समूह में **पाकिस्तान-चीन धुरी एजेंडे** से कैसे निपट रहा है।
- **सिद्धांतों के साथ चयनात्मक भागीदारी:** उदाहरण के लिए- SCO का **रीजनल एंटी-टेररिस्ट स्ट्रक्चर (RATS),** सदस्य देशों के बीच आतंकवाद विरोधी प्रयासों का समन्वय करता है।
- **विकासोन्मुखी मंच को बढ़ावा देना:** उदाहरण के लिए- पारंपरिक चिकित्सा और स्टार्ट-अप्स व नवाचार पर सहयोग के लिए SCO का उप-समूह।
  - इससे यह सुनिश्चित होगा कि SCO को एक **पश्चिम-विरोधी मंच के रूप में न देखा जाए।**
- **रूस के साथ करीबी संबंधों का लाभ उठाना:** उदाहरण के लिए- भारत और रूस, SCO के मुख्य एजेंडा पर मिलकर काम करते हैं।

शंघाई सहयोग संगठन (SCO)

HQ
बीजिंग, चीन

उत्पत्ति: यह संगठन **1996** में **"शंघाई फाइव"** व्यवस्था से शुरू हुआ था। इसे औपचारिक रूप से **2001** में शंघाई शिखर सम्मेलन में **रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान** द्वारा स्थापित किया गया था।

मुख्य उद्देश्य:
- सदस्य देशों के बीच **विश्वास, मित्रता और अच्छे पड़ोसी संबंधों को मजबूत** करना।
- क्षेत्र में **शांति, सुरक्षा और स्थिरता** को सुनिश्चित करना एवं बनाए रखना।
- एक नवीन **लोकतांत्रिक, निष्पक्ष और तर्कसंगत** अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा देना।

सदस्यता (10 सदस्य देश):
- **देश:** चीन, रूस, कज़ाखस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान (2023) और बेलारूस (2024)।
- इसमें **3 पर्यवेक्षक देश और 6 डायलॉग पार्टनर्स** भी शामिल हैं।

संरचना:
- **राष्ट्राध्यक्षों की परिषद (Council of Heads of States):** सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था।
- **सरकार प्रमुखों की परिषद (Council of Heads of Governments):** दूसरा सर्वोच्च निकाय।
- **दो स्थायी निकाय:**
  - सचिवालय (बीजिंग, चीन में); तथा
  - क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (RATS) (ताशकंद, उज्बेकिस्तान में)।

अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे **पर्यवेक्षक का दर्जा** दिया है।

वैश्विक बहुपक्षीय व्यवस्था को नया आकार देने में SCO की भूमिका

- **SCO का वैश्विक विस्तार:** यह यूरेशिया के लगभग 80% भूभाग को कवर करता है और दुनिया की लगभग 42% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है।
- **बढ़ता आर्थिक प्रभाव:** सदस्य देश वैश्विक GDP में लगभग 25% का योगदान करते हैं।
- **पश्चिमी वर्चस्व को चुनौती:** SCO उन **बहुपक्षीय मंचों का एक विकल्प** बनकर उभर रहा है, जिन्हें पश्चिमी देशों ने अपने हित साधने के लिए बनाया था।
- **सुरक्षा की कमी को पूरा करना:** 2021 में नाटो गठबंधन (जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था) के हटने के बाद अफगानिस्तान में जो सुरक्षा शून्यता उत्पन्न हुई है, SCO उस पर काम कर रहा है।
  - काबुल के साथ क्षेत्रीय सहयोग बनाए रखने के लिए **SCO ने 2005 में अफगानिस्तान संपर्क समूह (ACG)** का गठन किया था।

निष्कर्ष

भारत SCO को क्षेत्रीय जुड़ाव के लिए, खासकर मध्य एशिया में एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में देखता है, लेकिन इसके चीन-केंद्रित झुकाव को लेकर सतर्क रहता है। भारत का संतुलित दृष्टिकोण उसे अपने मूल सिद्धांतों से समझौता किए बिना सार्थक भागीदारी करने की अनुमति देता है।

2.2. चीन के नेतृत्व वाला त्रिपक्षीय गठजोड़ (China-Led Trilateral Nexus)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में **चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने छठे 'चीन-दक्षिण एशिया सहयोग मंच' के दौरान अपनी पहली त्रिपक्षीय बैठक** आयोजित की।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस बैठक का उद्देश्य **क्षेत्रीय सहयोग और कनेक्टिविटी** को बढ़ावा देना था, जिसमें चीन दोनों देशों के बीच संवाद को सुगम बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहा था।
- यह चीन द्वारा भारत के पड़ोस में शुरू की गई **दूसरी त्रिपक्षीय वार्ता** है। इससे पहले **चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान** के विदेश मंत्रियों के बीच भी इसी तरह की बैठक हुई थी।
    - **तीनों देशों ने निम्नलिखित पर कार्य करने पर सहमति प्रकट की-**
        - बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) में आपसी सहयोग को और आगे तक ले जाना;
        - चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) का अफगानिस्तान तक विस्तार करना; तथा
        - क्षेत्रीय आपसी संपर्क के नेटवर्क को मजबूत करना।
- इसके अलावा, कई विश्लेषण **चीन, तुर्किये और पाकिस्तान के बीच उभरते रणनीतिक गठजोड़ की ओर भी इशारा** कर रहे हैं, जैसा कि पहलगाम संकट के दौरान उनकी समन्वित प्रतिक्रियाओं से स्पष्ट होता है।
- ये गतिविधियां इस क्षेत्र में **भारत के पारंपरिक प्रभाव** को चुनौती देती हैं। चीन का उद्देश्य **अफगानिस्तान से लेकर बंगाल की खाड़ी तक एक रणनीतिक व सामरिक प्रभाव क्षेत्र** बनाना है।

इन त्रिपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने वाले कारक

- **ऐतिहासिक पहलू:** पाकिस्तान और चीन दोनों के भारत के साथ लंबे समय से सीमा विवाद रहे हैं। 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद चीन व पाकिस्तान की रणनीतिक साझेदारी काफी गहरी हो गई थी।
- **चीन की आक्रामक क्षेत्रीय नीति:** दक्षिण एशिया में अपना भू-राजनीतिक प्रभाव बढ़ाकर **क्षेत्रीय वर्चस्व स्थापित** करना और **हिंद महासागर के व्यापार मार्गों तक पहुंच** हासिल करना।
- **भारत के खिलाफ रणनीतिक संतुलन स्थापित करना:** बांग्लादेश जैसे देश भारत के क्षेत्रीय प्रभाव को कमतर करने और अधिक रणनीतिक स्वायत्तता हासिल करने के लिए चीन के साथ संबंधों का लाभ उठाते हैं।
- **अवसंरचना कूटनीति:** चीन भारत के पड़ोसी देशों को **तीव्र गति से और बड़े पैमाने पर अवसंरचना के विकास के लिए धन उपलब्ध** करा रहा है।

दक्षिण एशिया में चीन का बढ़ता प्रभाव

- **पाकिस्तान:** उदाहरण के लिए – पाकिस्तान अपने अधिकांश रक्षा आयात के लिए चीन पर निर्भर है।
- **मालदीव:** उदाहरण के लिए- चीन-मालदीव फ्रेंडशिप ब्रिज और आवास परियोजनाएं।
- **नेपाल:** उदाहरण के लिए– पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और प्रस्तावित ट्रांस-हिमालयन कनेक्टिविटी परियोजनाएं।
- **श्रीलंका:** उदाहरण के लिए– चीन ने हंबनटोटा बंदरगाह का निर्माण किया है और उसे 99 साल के लिए लीज पर लिया है।
- **बांग्लादेश:** उदाहरण के लिए– चीन बांग्लादेश के लिए रक्षा सामग्री का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है।

भारत के लिए चीन के बढ़ते प्रभाव से जुड़ी चिंताएं/ निहितार्थ

- **भू-रणनीतिक घेराबंदी:** चीन ने **'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स'** रणनीति के तहत कई सामरिक बंदरगाहों पर पहले ही अपनी मौजूदगी स्थापित कर ली है। उदाहरण के लिए– **हंबनटोटा बंदरगाह (श्रीलंका)।**
    - यदि बांग्लादेश की जमीन का **विद्रोही गतिविधियों को बढ़ावा देकर** पूर्वोत्तर भारत को अस्थिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।
- **समानांतर क्षेत्रीय सहयोग:** चीन द्वारा बनाए गए **वैकल्पिक क्षेत्रीय मंचों** के कारण भारत-नेतृत्व वाले मंच जैसे **बिम्सटेक (BIMSTEC) का महत्त्व कम** हो सकता है।
    - **बिम्सटेक/ BIMSTEC- बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल।**
- **क्षेत्रीय प्रभाव में कमी:** उदाहरण के लिए- बांग्लादेश ने **तीस्ता नदी परियोजना में चीन को शामिल** करने में रुचि व्यक्त की है, जो लंबे समय से भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का विषय रही है।
- **भारत की कनेक्टिविटी संबंधी पहलों पर प्रभाव:** BRI परियोजनाओं को बढ़ावा मिलने से भारत की पहलें, जैसे **BBIN (बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल) और भारत–मध्य पूर्व –यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC),** नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती हैं।

भारत द्वारा अपनाई जाने वाली रणनीति

- **रणनीतिक साझेदारियों के माध्यम से संतुलन:** भारत को दक्षिण एशिया में **चीनी प्रभाव को संतुलित** करने के लिए जापान, अमेरिका जैसे समान विचारधारा वाले देशों के साथ सहयोग बढ़ाना चाहिए। उदाहरण के लिए, क्वाड (QUAD)।
- **विकास परियोजनाओं का क्रियान्वयन:** विदेश मंत्रालय को एक विशेष सेल स्थापित करनी चाहिए, जिसके माध्यम से पड़ोसी देशों के साथ परियोजनाओं और पहलों के लिए समन्वय किया जा सके।
- **डेवलपमेंट फंड: बिम्सटेक** जैसे क्षेत्रीय मंचों के अधीन कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक क्षेत्रीय विकास कोष स्थापित करने की संभावना पर विचार करना चाहिए।
- **द्विपक्षीय और बहुपक्षीय/ क्षेत्रीय फ्रेमवर्क्स:** बहुपक्षीय और क्षेत्रीय फ्रेमवर्क्स की नियमित समीक्षा करनी चाहिए, ताकि इन्हें बदलती क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुसार ढाला जा सके।
  - भारत को अपनी **"एक्ट ईस्ट पॉलिसी"** से बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करना चाहिए।
- **RIC के माध्यम से जुड़ाव:** हाल ही में, चीन और रूस ने **RIC (रूस-भारत-चीन) को फिर से सक्रिय** करने में रुचि दिखाई है। इसे 1990 के दशक के अंत में **रूस** ने शुरू किया था, लेकिन **2020 के गलवान घाटी संघर्ष जैसे कारकों के कारण यह निष्क्रिय** अवस्था में है।

निष्कर्ष

चीन–पाकिस्तान–बांग्लादेश की त्रिपक्षीय बैठक **दक्षिण एशिया की भू-राजनीति में एक अहम घटनाक्रम** है। भारत के लिए जरूरी है कि वह अपनी विदेश नीति को **सक्रिय, समावेशी और संतुलित** बनाए। इसमें भारत को उसके **आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव** से मदद मिल सकेगी। साथ ही, भारत अपने हितों की रक्षा कर सकेगा और पड़ोस में अपना प्रभाव को बनाए रख सकेगा।

2.3. इजरायल-अमेरिका-ईरान संघर्ष (Israel-US-Iran Conflict)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, इजरायल डिफेंस फोर्सेज (IDF) ने **"ऑपरेशन राइजिंग लायन"** की शुरुआत की। इसके तहत ईरान के परमाणु ढांचे और बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता पर एक बड़ा हमला किया गया।

संघर्ष की प्रमुख घटनाएं

- **इजरायल के हमले:** यह हमला **IAEA के शासी बोर्ड (35 सदस्य देशों)** के उस मतदान के बाद हुआ, जिसमें ईरान को **1974 के समझौते का उल्लंघनकर्ता** घोषित किया गया था। उल्लेखनीय है कि यह 2006 के बाद ऐसा पहला निष्कर्ष था।
  - इजरायल ने ईरान के हमले के खिलाफ अपनी नई हवाई रक्षा प्रणाली **'बराक मागेन'** या **'लाइटनिंग शील्ड'** को सक्रिय किया।
- **ईरान की प्रतिक्रिया:** ईरान ने इजरायल के खिलाफ **'ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3'** शुरू किया।
- **अमेरिका की भागीदारी:** अमेरिका ने **"ऑपरेशन मिडनाइट हैमर"** शुरू किया, जिसमें ईरान के 3 परमाणु प्रतिष्ठानों—**नतांज** (ईरान का मुख्य यूरेनियम संवर्धन केंद्र), **इस्फ़हान और फोर्डो** पर सटीक हवाई हमले किए गए।
  - अमेरिका ने **GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर (MOP)** का इस्तेमाल किया। यह एक **सटीक-निर्देशित पारंपरिक बम** है, जो **सतह के नीचे 200 फीट** तक प्रवेश कर सकता है और फिर विस्फोट करता है।
- **भारत की प्रतिक्रिया:**
  - भारत ने दोनों पक्षों से अपील की कि **वे कोई उकसाने वाला कदम न उठाएं और फिर से वार्ता की राह पर लौटें।**
  - भारत ने **ईरान-इजरायल संघर्ष पर शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की चर्चाओं** में हिस्सा लेने से परहेज किया, जिनमें **इजरायली सैन्य हमलों की निंदा** की गई थी।

'बराक मागेन' या 'लाइटनिंग शील्ड' के बारे में

- यह **बराक एमएक्स (Barak MX) मिसाइल रक्षा प्रणाली का एक विशेष संस्करण** है। इसे नौसेना के जहाजों को विभिन्न हवाई खतरों जैसे **ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल** से बचाने के लिए बनाया गया है।
- यह इजरायल की मौजूदा प्रणालियों **आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो और भविष्य की लेज़र प्रणाली 'आयरन बीम'** की संपूरक है।

ईरान-इजरायल-अमेरिका संघर्ष के प्रभाव

वैश्विक प्रभाव

- **परमाणु तनाव में वृद्धि:** अग्रिम सैन्य कार्रवाई परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए बनाए गए वैश्विक मानकों की साख को कमजोर करती है। ये मानक परमाणु अप्रसार संधि (NPT) के तहत स्थापित किए गए थे।
  - ईरान ने **IAEA** (अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी) के साथ सहयोग को निलंबित कर दिया है और NPT से बाहर निकलने की योजना बना रहा है। इससे यह संकेत मिलता है कि **वह खुलकर परमाणु हथियार बनाने की दिशा में बढ़** सकता है।
- **व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा के लिए खतरा:** ईरान की संसद ने **होर्मुज जलडमरूमध्य** को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे वैश्विक स्तर **कच्चे तेल और LNG की कीमतें बढ़** सकती हैं तथा **शिपिंग बीमा व माल ढुलाई की लागत में वृद्धि** हो सकती है।
  - एक अनुमान के अनुसार इस जलडमरूमध्य से **विश्व के 35% तेल और 20% LNG का व्यापार** होता है।
- **समुद्र के नीचे बिछी केबल अवसंरचना में बाधा:** कई हाई-कैपेसिटी रूट जैसे- **यूरोप-इंडिया गेटवे (EIG), फ्लैग/ FLAG (फाइबर ऑप्टिक लिंक अराउंड द ग्लोब)** आदि ऐसे समुद्री मार्गों से गुजरते हैं, जो इजरायल-ईरान संघर्ष वाले समुद्री क्षेत्रों जैसे **लाल सागर, गल्फ ऑफ ओमान, और होर्मुज जलडमरूमध्य** के पास अवस्थित हैं।
  - उदाहरण के लिए- वर्ष 2024 में क्षेत्रीय संघर्ष बढ़ने पर **लाल सागर में तीन बड़ी केबल क्षतिग्रस्त** हो गई थी। इससे **अफ्रीका, खाड़ी देशों और दक्षिण एशिया** में इंटरनेट की गति एवं कनेक्टिविटी में बाधाएं आने लगी थीं।

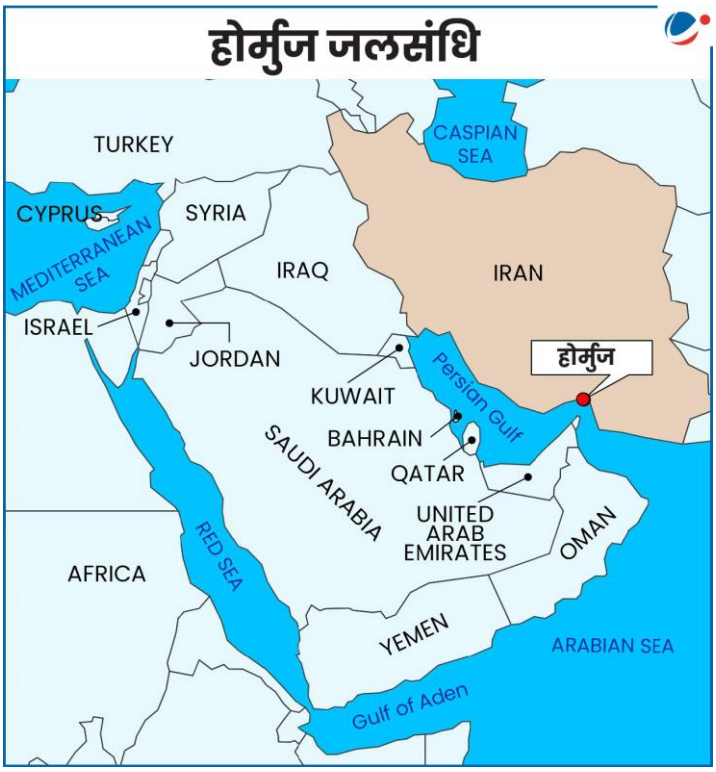

- **शक्ति शून्यता (Power Vacuum):** ईरान के कमजोर पड़ने से **सीरिया, इराक और लेबनान** में उसका प्रभाव कम होने लगेगा, जिससे भविष्य में इन देशों में नवीन संघर्षात्मक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो सकती है।
  - उदाहरण के लिए- ईरान ने अपने सहयोगियों की मदद से **"एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस"** नामक अनौपचारिक समूह के ज़रिए क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाया था।

भारत पर प्रभाव

- **द्विपक्षीय व्यापार में गिरावट:**
  - **ईरान:** अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण भारत ने **ईरान से तेल आयात** रोक दिया। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार, जो 2017 में **14 बिलियन डॉलर** था, वह 2024 में घटकर **1.4 बिलियन डॉलर** रह गया था।
  - इजरायल के साथ भारत का व्यापार **2022 में 11 बिलियन डॉलर** था, किंतु खाड़ी क्षेत्र में तनाव में वृद्धि के कारण यह **2024 में घटकर 3.75 बिलियन डॉलर** का रह गया।
- **भू-राजनीतिक निहितार्थ:** भारत के **इजरायल और ईरान दोनों के साथ घनिष्ठ संबंध** हैं, इसलिए भारत को अपने हितों के मध्य बहुत सोच-समझकर संतुलन बनाना पड़ता है।
  - उदाहरण के लिए- इजरायल **रक्षा और तकनीक** के क्षेत्र में अहम साझेदार है, जबकि ईरान **ऊर्जा सुरक्षा और यूरेशिया** तक पहुंच के लिए महत्वपूर्ण है।
- **अवसंरचना और कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर असर:** अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरेशिया के साथ व्यापार तथा कनेक्टिविटी के लिए भारत की **चाबहार बंदरगाह, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा** जैसी परियोजनाएं प्रभावित होंगी।
  - उदाहरण के लिए- इजरायल के **हाइफ़ा बंदरगाह** पर ईरान के मिसाइल हमलों ने **भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे** में उसकी भूमिका को बाधित कर दिया है।
- **भू-राजनीतिक पुनर्संरचना:** यदि ईरान का पतन होता है, तो पश्चिम एशिया **बहुध्रुवीय (multipolar)** से बदलकर **अमेरिका के नेतृत्व वाले एकध्रुवीय (unipolar)** ढांचे में जा सकता है। इससे भारत जैसे गैर-पश्चिमी देशों का इस क्षेत्र में महत्त्व कम हो जाएगा।

- **विदेश में भारतीयों की सुरक्षा:** बढ़ते तनाव के कारण इजरायल में लगभग 28,000 और ईरान में 10,765 भारतीयों को उच्च जोखिम का सामना करना पड़ रहा है।
  - भारत ने ईरान और इजरायल के संघर्ष क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए **ऑपरेशन सिंधु** शुरू किया है।

निष्कर्ष

भारत-इजरायल संबंधों में **ईरान के साथ संबंधों को संतुलित करना, बहुत जटिल है।** यह संतुलन **भारत की रणनीतिक स्वायत्तता** और दोनों देशों के मध्य प्रतिकूल संबंधों के बावजूद उनके साथ समानांतर संबंध बनाए रखने की आवश्यकता को दर्शाता है। ईरान और इजरायल दोनों के साथ घनिष्ठ संबंध होने के कारण, **भारत के पास यह अवसर है कि वह दोनों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाए,** खासकर तब जब उनका टकराव जारी है और आगे चलकर बड़े भू-राजनीतिक तनाव की आशंका बढ़ रही है।

2.4. ग्रुप ऑफ सेवन (G-7) (Group of Seven: G-7)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने **कनाडा के कनानस्किस** में आयोजित **51वें G-7 शिखर सम्मेलन (2025)** में एक **आउटरीच देश** के रूप में भाग लिया।

अन्य संबंधित तथ्य

- शिखर सम्मेलन के दौरान **भारत और कनाडा ने अपने संबंधों को फिर से प्रगाढ़ करने का फैसला किया।**
  - दोनों देशों ने **अपने-अपने उच्चायुक्तों को जल्द वापस भेजने पर सहमति जताई।**
  - भारत और कनाडा ने **अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड अग्रीमेंट (EPTA)** पर दोबारा वार्ता शुरू करने का फैसला किया। इससे आगे चलकर **व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA)** का रास्ता खुल सकता है।
- **51वें G-7 शिखर सम्मेलन (2025) की मुख्य घोषणाएं:**
  - **कनानस्किस वाइल्डफायर चार्टर: "होल ऑफ सोसाइटी" दृष्टिकोण** को अपनाया गया है। इसमें **पारंपरिक ज्ञान, संधारणीय वन प्रबंधन और जन-जागरूकता अभियान** शामिल हैं। **भारत ने इस चार्टर का समर्थन** किया है।
  - **G-7 क्रिटिकल मिनरल्स एक्शन प्लान:** क्रिटिकल मिनरल्स की आपूर्ति श्रृंखला को संधारणीय और भरोसेमंद बनाने के लिए एक साझा योजना बनाई गई।
  - **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर प्रमुख पहल: G-7 GovAI ग्रैंड चैलेंज** की शुरुआत की गई तथा एक साझा **G-7 AI नेटवर्क (GAIN)** स्थापित करने का निर्णय लिया गया।

ग्रुप ऑफ सेवन (G-7) के बारे में:

- **शुरुआत: G-7 की स्थापना 1975** में हुई थी। इसका उद्देश्य तत्कालीन ऊर्जा संकट के चलते आर्थिक और वित्तीय सहयोग बढ़ाना था।
- **स्वरूप:** यह एक **अनौपचारिक समूह** है। इसमें **विकसित और लोकतांत्रिक देश** शामिल हैं। इसके सदस्य हैं: **फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम (UK), जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा।**
  - **रूस 1998 से 2014** तक इस समूह का हिस्सा था। उस समय इसे **G-8** कहा जाता था।
  - **मार्च 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा** करने के कारण इसे समूह से निलंबित कर दिया गया था।
- **उद्देश्य और एजेंडा:** G-7 **हर साल** बैठक करता है। बैठक में महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों जैसे- वैश्विक आर्थिक गवर्नेंस, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति और अन्य महत्वपूर्ण वैश्विक विषयों पर चर्चा की जाती है।

G-7 की वर्तमान समय में प्रासंगिकता

- **वैश्विक सुरक्षा और संघर्षों पर प्रतिक्रिया:**
  - **यूक्रेन संकट:** G-7 देशों ने आपस में मिलकर रूस पर प्रतिबंध लगाए और रूस की फ्रीज की हुई परिसंपत्तियों से यूक्रेन को आर्थिक सहायता प्रदान की।
  - **चीन नीति:** 2025 में **G-7 ने ताइवान पर चीन के दबाव की निंदा** की और विशेष रूप से **'वन चाइना पॉलिसी' (जिसमें केवल पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता दी जाती है) को संदर्भित नहीं** किया।
    - साथ ही, G-7 ने **पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट (PGII)** लॉन्च की। इसका उद्देश्य चीन की **बेल्ट एंड रोड पहल** को प्रतिसंतुलित करना है।
- **अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के एजेंडा को प्रभावित करता है:** जैसे- संयुक्त राष्ट्र (UN), अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), विश्व बैंक आदि।

- **टैक्स गवर्नेंस (कर नीति):** भारत G-7 और OECD/G-20 **के बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग (BEPS) पर आधारित इंक्लूसिव फ्रेमवर्क** का समर्थन किया है। **इसका उद्देश्य** वैश्विक कर नियमों को न्यायपूर्ण और स्थिर बनाना तथा लाभ स्थानांतरण तथा **कंपनियों के बीच अनुचित टैक्स प्रतिस्पर्धा** को रोकना है।
- **मनी लॉन्ड्रिंग (धन-शोधन) के खिलाफ कदम: वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF)** की स्थापना G-7 ने **1989** में की गई थी। इसका उद्देश्य **मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ** ठोस उपाय विकसित करना और इन उपायों के प्रवर्तन की निगरानी करना है।

- **सतत और डिजिटल गवर्नेंस:** उदाहरण के लिए- **ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (GPAI)** और **हिरोशिमा AI प्रोसेस** जैसे प्रयासों के माध्यम से G-7 नैतिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पारदर्शिता, डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा को बढ़ावा दे रहा है।
  - इसके अलावा **G-7 क्लाइमेट क्लब 2050 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन** के लक्ष्य को पाने के लिए वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित कर रहा है।
- **ग्लोबल साउथ के साथ संलग्नता:** G-7 ने **भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील** जैसे गैर-सदस्य देशों से संवाद कर ग्लोबल साउथ के साथ अपनी साझेदारी मजबूत की है।
- **लोकतंत्रों का समूह":** G-7 एक ऐसा समूह है, जो **नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, मानवाधिकारों, और लोकतांत्रिक मूल्यों** का समर्थन करता है।
  - **उदाहरण के लिए:** यह चीन और रूस जैसे सत्तावादी देशों के प्रभाव को संतुलित करने के लिए एक साझे प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है।

G-7 के समक्ष मौजूद प्रमुख चुनौतियां

- **अर्थव्यवस्था में गिरावट:** 1980 के दशक में G-7 की **वैश्विक GDP में लगभग 70% हिस्सेदारी** थी, लेकिन 2021 तक यह **घटकर लगभग 44%** रह गई है। अब उभरती अर्थव्यवस्थाएं **(जैसे कि चीन, भारत आदि)** विकास का नेतृत्व कर रही हैं।
- **आम सहमति-आधारित निर्णय प्रक्रिया:** इस प्रक्रिया में निर्णय लेने में काफी कठिनाई होती है, जिससे निर्णायक कार्रवाई में बाधा आती है। उदाहरण के तौर पर 51वें G-7 ने यूक्रेन युद्ध पर ठोस वक्तव्य जारी नहीं किया, क्योंकि अमेरिका ने इसका विरोध किया था।
- **कानूनी प्राधिकार का अभाव:** G-7 एक अनौपचारिक मंच है। इसके पास **स्थायी सचिवालय या बाध्यकारी कानूनी ढांचा नहीं** है। इस कारण इसके निर्णयों का पालन करना अनिवार्य नहीं है। इससे सामूहिक कार्रवाई की क्षमता सीमित हो जाती है।
  - उदाहरण के लिए- 2025 का **कनानस्किस वाइल्डफायर चार्टर** स्वैच्छिक अनुपालन पर निर्भर करता है।
- **ग्लोबल साउथ का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व: भारत, ब्राजील, इंडोनेशिया और नाइजीरिया** जैसी प्रमुख उभरती शक्तियां तथा **अफ्रीकन यूनियन (AU)** जैसे समूह **G-7** में शामिल **नहीं** हैं।
- **वैकल्पिक समूहों से प्रतिस्पर्धा: ब्रिक्स प्लस** जैसे समूह **G-7 का एक विकल्प प्रदान** करते हैं, जिनका प्रतिनिधित्व ज्यादा व्यापक है।

G-7 में भारत के रणनीतिक हित

- **पश्चिम और ग्लोबल साउथ के बीच रणनीतिक संतुलन:** भारत स्वयं को विकसित पश्चिमी देशों (G-7) तथा विकासशील देशों (ग्लोबल साउथ) के बीच एक सेतु के रूप में प्रस्तुत करता है।
- **आर्थिक और तकनीकी सहयोग:** उदाहरण के लिए, भारत G-7 की **PGII (पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट)** जैसी पहलों का समर्थक रहा है। PGII का उद्देश्य विकासशील देशों में अवसंरचना में निवेश करना है।
- **लोकतंत्र और रणनीतिक प्रभाव:** भारत का लोकतांत्रिक ढांचा और आर्थिक वृद्धि (भारत अब दुनिया की **चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था** है) उसे G-7 चर्चाओं में एक प्रभावशाली देश बनाते हैं।
- **द्विपक्षीय वार्ताओं का मंच:** उदाहरण के लिए- भारतीय प्रधान मंत्री ने कनाडा के प्रधान मंत्री से भेंट कर बिगड़ते संबंधों को सुधारने की कोशिश की।

निष्कर्ष

G-7 देशों को अपनी सोच अधिक समावेशी बनानी चाहिए तथा ऐसा एजेंडा तय करना चाहिए, जो आज की वैश्विक परिस्थितियों के अनुकूल हो। यह भारत के लिए एक **अवसर** है, जिसमें वह अधिक **न्यायपूर्ण और समावेशी निर्णय प्रक्रिया** का समर्थन कर सकता है, और **ग्लोबल साउथ** और **विकसित देशों** के बीच एक **सेतु** की भूमिका निभा सकता है।

2.5. विश्व व्यापार संगठन (WTO) में सुधार {World Trade Organization (WTO) Reforms}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत ने **2026 में कैमरून** में होने वाले **14वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन** से पहले **पेरिस** में हुई एक **उच्च स्तरीय लघु-मंत्रिस्तरीय बैठक** के दौरान विश्व व्यापार संगठन (WTO) में सुधारों की मांग की।

WTO के बारे में

- **शुरुआत:** WTO की स्थापना **1995 में मार्राकेश समझौते** के बाद हुई थी।
  - इसने ***जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड (GATT)*** का स्थान लिया है।
  - **1986 से 1994 तक चली उरुग्वे दौर की वार्ताओं** के परिणामस्वरूप **WTO का गठन** हुआ।
- **मुख्य कार्य:** व्यापार समझौतों का प्रशासन, व्यापार वार्ता के लिए मंच, व्यापार विवादों का निपटारा, राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की समीक्षा करना, विकासशील देशों की व्यापारिक क्षमता बढ़ाना आदि।
- **सदस्य:** WTO के **166 सदस्य** हैं। इनकी वैश्विक व्यापार में 98% की हिस्सेदारी है। भारत **1995** से इस संगठन का सदस्य है।
- **निर्णय प्रक्रिया: सर्वसम्मति** के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं।
- **मंत्रिस्तरीय सम्मेलन:** यह **निर्णय लेने वाली सर्वोच्च स्तर की संस्था** है, जिसकी **हर दो साल** में बैठक होती है।
- **मुख्यालय:** जेनेवा (स्विट्जरलैंड)।

WTO के प्रमुख समझौते

श्रेणी	वस्तुएं	सेवाएं	बौद्धिक संपदा
समझौता	**प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता (GATT)**	**सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता**	**बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधी पहलुओं पर समझौता (TRIPS)**
विषय	वस्तुओं के लिए प्रशुल्क और कुछ कृषि वस्तुओं हेतु **प्रशुल्क एवं कोटा पर बाध्यकारी प्रतिबद्धताएं।**	**अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार की जाने वाली सभी सेवाओं** को शामिल करता है। उदाहरण के लिए- बैंकिंग, दूरसंचार, पर्यटन, व्यावसायिक सेवाएं, आदि।	**कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेतक, औद्योगिक डिजाइन, पेटेंट,** आदि को शामिल करता है।
अतिरिक्त जानकारी/ मार्गदर्शक सिद्धांत	• **कृषि पर समझौता** • **सैनिटरी और फाइटोसैनेटरी उपायों पर समझौता** • **एंटी-डंपिंग समझौता** • **व्यापार-संबंधी निवेश उपाय (TRIMs)**	• **सर्वाधिक-तरजीही राष्ट्र (MFN) व्यवहार:** गैर-भेदभाव के सिद्धांत के पक्ष में। • **बाज़ार पहुंच और राष्ट्रीय व्यवहार** पर प्रतिबद्धताएं	• **राष्ट्रीय व्यवहार** (अपने स्वयं के नागरिकों और विदेशियों के साथ समान व्यवहार करना)। • **MFN व्यवहार**

WTO के लिए भारत के सुधार एजेंडा के प्रमुख बिंदुओं पर एक नजर

- **भारत का त्रि-स्तरीय सुधार एजेंडा-**
  - **बाजार तक पहुंच को प्रतिबंधित करने वाली गैर-प्रशुल्क बाधाओं (NTBs)[3] से निपटना:** इसमें आयात लाइसेंसिंग की शर्तें, तकनीकी मानक, जटिल सीमा शुल्क प्रक्रियाओं जैसे बाधाएं शामिल हैं।
  - **गैर-बाजार अर्थव्यवस्थाओं के कारण उत्पन्न विकृतियों का समाधान:** उदाहरण के लिए- चीन जैसी अर्थव्यवस्थाओं में सरकार द्वारा उद्योगों को दिया जाने वाला समर्थन बाजार प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करता है। साथ ही, इसकी घरेलू कंपनियों को बहुत अधिक लाभ पहुंचाता है। WTO के मौजूदा नियम इन मामलों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
  - **WTO के विवाद निपटान तंत्र को फिर से सक्रिय करना:** यह तंत्र 2016 से ठप पड़ा है, क्योंकि अमेरिका अपीलीय निकाय में नई नियुक्तियों का विरोध करता रहा है।

[3] Non-Tariff Barriers

- हालांकि, भारत **मल्टी-पार्टी इंटरिम अपील आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट (MPIA)** पर संदेह कर रहा है।
- **अन्य प्रमुख प्राथमिकताएं**
  - **JSIs (जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव्स) या प्लुरिलेट्रल समझौते:** ये ऐसे समझौते हैं, जिनमें कुछ देश मिलकर किसी विशेष मुद्दे पर वार्ता करते हैं। इससे उन देशों के साथ अनुचित व्यवहार हो सकता है, जो वार्ता का हिस्सा नहीं हैं।
    - कुछ देश चाहते हैं कि JSIs को WTO के **व्यापक बहुपक्षीय ढांचे** में शामिल किया जाए, लेकिन भारत इसका विरोध करता है, क्योंकि इससे **WTO की एकता और बहुपक्षीय प्रणाली कमजोर** हो सकती है।
    - **उदाहरण के लिए:** भारत ने **चीन के नेतृत्व वाली वार्ता "इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट"** में शामिल होने से इनकार कर दिया।
- **सार्वजनिक खाद्यान्न भंडारण कार्यक्रमों के लिए स्थायी समाधान:** 2013 में एक अस्थायी **"पीस क्लॉज"** के तहत विकासशील देशों को उनकी सार्वजनिक भंडारण योजनाओं के अंतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी को WTO के विवाद निपटान तंत्र में कानूनी चुनौती से सुरक्षा प्रदान की गई थी।
- **अति एवं विवेकहीन मत्स्यन को लेकर चिंता:** मात्स्यिकी पर समझौता *(2022)* अभी तक लागू नहीं हो पाया है, क्योंकि इसे प्रभावी बनाने के लिए **WTO के दो-तिहाई सदस्यों की स्वीकृति नहीं** मिली है।
  - भारत इस समझौते का हिस्सा **नहीं** है, जिससे **निम्नलिखित चिंताएं उत्पन्न होती हैं-**
    - **25 वर्ष की संक्रमण अवधि:** यह विकासशील देशों को **'विशेष और विभेदित व्यवहार' (SDT)'** के तहत दी गई है।
    - **'प्रदूषक द्वारा भुगतान सिद्धांत' और 'सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां':** जिन देशों ने पहले भारी मात्रा में सब्सिडी दी है और बड़े पैमाने पर औद्योगिक स्तर पर मत्स्यन में संलिप्त हैं, उन देशों पर सब्सिडी रोकने की ज्यादा जिम्मेदारी है।

शब्दावली को जानें

- **विशेष और विभेदक व्यवहार (SDT):** इसके तहत विकासशील देशों की संरचनात्मक कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें कुछ **अप्रतिबंधित या गैर-परक्राम्य (Non-negotiable) अधिकार, लचीलापन, और प्राथमिकता आधारित लाभ** प्रदान किया जाता है।
  - WTO में **सदस्य देशों** को यह विशेष व्यवहार (SDT) प्राप्त करने के लिए **अपनी विकासशील स्थिति की स्व-घोषणा** खुद करनी होती है।

WTO में विद्यमान कुछ और विवादित मुद्दे:

- **'विकासशील देश' के दर्जे के लिए कोई तय मानदंड नहीं: भारत, SDT (विशेष और विभेदित व्यवहार) में किसी भी प्रकार के बदलाव का विरोध** करता है, जबकि अमेरिका जैसे देश चीन जैसे देश को विकासशील देश मानने का विरोध करते हैं।
- **नए उभरते मुद्दे**:
  - **विनियामक बदलाव:** जैसे- यूरोपीय संघ के **कार्बन सीमा समायोजन तंत्र**[4] नीति का असर कम-आय और मध्यम-आय वाले देशों पर ज्यादा पड़ेगा। इससे नियमों का पालन करना और महंगा व मुश्किल हो जाएगा।
  - **भू-राजनीतिक बदलाव और संरक्षणवादी रुख:** उदाहरण के लिए- अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ युद्ध।
  - **नई अवधारणाएं:** जैसे डेटा गोपनीयता, सीमा-पार डेटा का प्रवाह, डिजिटल सेवाओं पर कर, जलवायु परिवर्तन आदि। इन पर वैश्विक सहयोग की जरूरत है।

आगे की राह

- **निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में विकासशील देशों की भागीदारी सुनिश्चित** करना चाहिए। साथ ही, सांस्कृतिक सब्सिडी, बौद्धिक संपदा जैसे मुद्दों पर उनकी चिंताओं का समाधान करना चाहिए।
- **गैर-प्रशुल्क बाधाओं (NTBs)** पर निगरानी और रिपोर्टिंग सिस्टम को मजबूत करना चाहिए, ताकि पारदर्शिता बढ़े और दुरुपयोग कम हो।
- बहुपक्षीय समझौतों के कारण होने वाले विखंडन को रोकने के लिए **स्पष्ट नियम विकसित** करने चाहिए। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ये नियम **बहुपक्षीय प्रणाली को कमजोर न** करें।
- **वैकल्पिक अंतरिम विवाद समाधान मॉडल्स तैयार** करने चाहिए।
- राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों और औद्योगिक सब्सिडी से उत्पन्न होने वाले **व्यापार विकृतियों को दूर** करना चाहिए, ताकि सभी को बराबरी का अवसर मिले।
- पेरिस समझौते के **"साझा लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व" जैसे सिद्धांतों को अपनाना** चाहिए, जिससे विकासशील देशों पर अनुचित व्यापार नियमों का दबाव न पड़े।

[4] Carbon Border Adjustment Mechanism

निष्कर्ष

WTO ने अब तक नियमों पर आधारित प्रणाली के ज़रिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने और नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाई है। हालांकि, आज इसकी प्रभावशीलता के समक्ष कई चुनौतियां हैं, जैसे- **गैर-प्रशुल्क बाधाएं, व्यापार में असंतुलन, विवाद निपटान प्रणाली का ठप हो जाना** आदि। भारत द्वारा सुधारों की मांग करना केवल उसकी नहीं, बल्कि कई विकासशील और अल्पविकसित देशों की आकांक्षाओं को दर्शाता है। ये सभी एक **न्यायपूर्ण, पारदर्शी और समावेशी** वैश्विक व्यापार प्रणाली चाहते हैं।

2.6. पश्चिम अफ्रीकी देशों का आर्थिक समुदाय (Economic Community of West African States: ECOWAS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ECOWAS ने इस साल अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाई।

ECOWAS के बारे में

- **स्थापना:** ECOWAS की स्थापना **28 मई 1975** में की गई थी। **15 देशों ने लागोस संधि पर हस्ताक्षर** करके इसकी शुरुआत की थी।
- **मुख्यालय:** अबूजा (नाइजीरिया)
- **क्षेत्रीय समूह:** ECOWAS में जून 2025 तक **12 पश्चिम अफ्रीकी देश** शामिल हैं।
  - इसके सदस्य देशों में **बेनिन, काबो वर्डे, कोटे डी आइवर, गैम्बिया, घाना, गिनी, गिनी-बिसाऊ, लाइबेरिया, नाइजीरिया, सेनेगल, सिएरा लियोन और टोगो** शामिल हैं।
- **उद्देश्य:** ECOWAS का मुख्य उद्देश्य **पश्चिम अफ्रीका में आर्थिक संघ की स्थापना के लिए सहयोग और एकीकरण को बढ़ावा देना है, जिससे:**
  - इसके लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो,
  - आर्थिक स्थिरता बनाए रखी जा सके,
  - सदस्य देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ किया जा सके, और
  - अफ्रीकी महाद्वीप की प्रगति और विकास में योगदान दिया जा सके।
    - ECOWAS ने **1990** में अपना **मुक्त व्यापार क्षेत्र** स्थापित किया था और **जनवरी 2015** में एक **साझी बाह्य प्रशुल्क व्यवस्था** अपनाई थी।

भारत-ECOWAS संबंध

- **राजनयिक संबंध:** भारत **2004** में ECOWAS का **पर्यवेक्षक** बना था।
  - ECOWAS **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद** की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन करता है।
- **दक्षिण-दक्षिण सहयोग:** भारत पश्चिमी अफ्रीका के क्षेत्रीय विकास का समर्थन करता है। उदाहरण के लिए- नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग के लिए **ECOWAS सेंटर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंसी और भारत के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)** के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) हुआ है।
- **आर्थिक सहयोग:** 2006 में भारत ने **'फोकस अफ्रीका कार्यक्रम'** को पूरक बनाने के लिए इस समूह को **250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट (LoC)** दिया था।
  - भारत ने **वर्ष 2002-03** से एक एकीकृत कार्यक्रम **'फोकस अफ्रीका'** शुरू किया था। इसका उद्देश्य **द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के क्षेत्रों की पहचान** करके भारत एवं अफ्रीका के बीच अंतर्क्रिया में वृद्धि करना था।

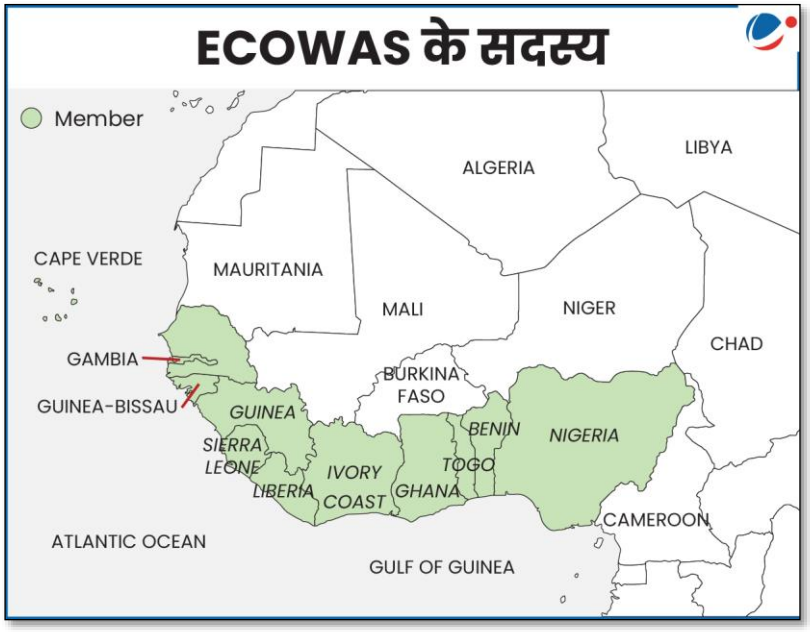

निष्कर्ष

ECOWAS अपने छठे दशक में प्रवेश कर रहा है, जहां वह एक ऐतिहासिक मोड़ पर है। एकीकरण, शांति स्थापना और मानव विकास में इसकी उपलब्धियां सराहनीय हैं, लेकिन आंतरिक विभाजन, राजनीतिक अस्थिरता और नागरिकों से जुड़ाव की कमी इसकी भावी प्रासंगिकता को चुनौती दे रहे हैं।

2.7. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

2.7.1. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UN Security Council: UNSC)

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के अस्थायी सदस्य के रूप में 5 देशों का चुनाव किया गया है।

- ये देश हैं: **बहरीन, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लातविया और लाइबेरिया**।

UNSC के बारे में

- **स्थापना**: इसकी स्थापना **1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के माध्यम से** हुई है। यह **संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक** है।
- **उद्देश्य:** अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना।
- **सदस्य: 5 स्थायी** सदस्य (P5) और **10 अस्थायी** सदस्य (इन्फोग्राफिक देखिए)।

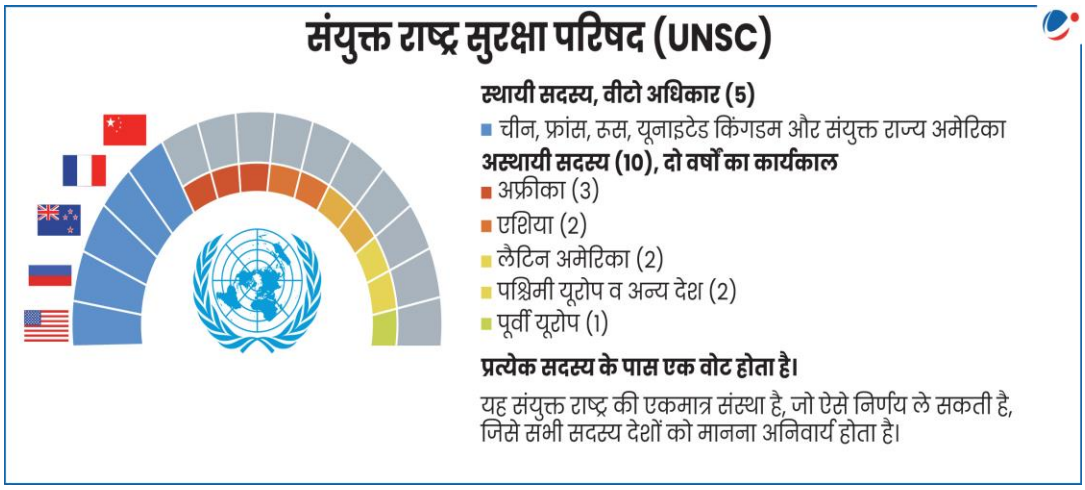

UNSC में सुधार के प्रस्ताव (2024)

- **प्रस्तावित करने वाले: G4 राष्ट्र** – भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान।
- **सुधार की आवश्यकता क्यों है?**
  - स्थायी सदस्यों द्वारा वीटो शक्ति का दुरुपयोग,
  - सभी क्षेत्रों का समान प्रतिनिधित्व नहीं मिला है,
  - **UNSC की मौजूदा स्थायी सदस्यता प्रणाली** वर्तमान विश्व की वास्तविकताओं को नहीं दर्शाती है।
- **प्रस्तावित सुधारों के प्रमुख प्रावधान:**
  - **सदस्यता का विस्तार:** 11 स्थायी और 14–15 अस्थायी सदस्य,
  - **सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व:** 6 नए स्थायी सीटें अफ्रीका, एशिया-प्रशांत, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन, तथा पश्चिमी यूरोप/अन्य देशों के बीच वितरित की जाएँगी।
  - **नए स्थायी सदस्यों को प्रारंभ में वीटो शक्ति नहीं:** इस प्रावधान की समीक्षा सुधारों के लागू के 15 वर्ष बाद की जाएगी।

अन्य संबंधित सुर्ख़ियां

पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष और आतंकवाद-रोधी समिति (CTC) का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया।

तालिबान प्रतिबंध समिति के बारे में

- **उत्पत्ति:** इसे **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 1988 (2011)** द्वारा स्थापित किया गया था।
- **मुख्य कार्य:**यह अफगानिस्तान की शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले तालिबान संगठन से जुड़े **व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों और संस्थाओं की संपत्ति की ज़ब्ती, उन पर यात्रा प्रतिबंध और हथियार की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध** लगाती है।

आतंकवाद-रोधी समिति के बारे में

- **उत्पत्ति:** इसे 2001 में **9/11 आतंकी हमले के बाद संकल्प 1373** का उपयोग करके अपनाया गया था।
- **सदस्यता:** इस समिति में **सुरक्षा परिषद के सभी 15 सदस्य देश शामिल** होते हैं।
- **मुख्य कार्य:** आतंकवाद से निपटने के लिए देशों के प्रयासों की निगरानी करना, यह सुनिश्चित करना कि वे आतंकवाद को वित्तपोषण करने को आपराधिक कृत्य घोषित करें, आतंकवादियों से जुड़े फंड को फ्रीज़ करें, अन्य देशों के साथ खुफिया जानकारी साझा करें, आदि।

2.7.2. संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (UN Economic and Social Council: ECOSOC)

भारत को **2026-28 कार्यकाल** के लिए **संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC)** का सदस्य चुना गया।

- ECOSOC की **सदस्यता** 5 क्षेत्रीय समूहों को समान भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर आवंटित की जाती है। ये क्षेत्रीय समूह हैं- अफ्रीका, एशिया-प्रशांत, पूर्वी यूरोपीय, लैटिन अमेरिकी और कैरिबियन, तथा पश्चिमी यूरोपीय एवं अन्य देश।
- भारत को **एशिया-प्रशांत देशों की श्रेणी में लेबनान, तुर्कमेनिस्तान व चीन के साथ चुना** गया है। एशिया-प्रशांत देशों को **चार सदस्यता** आवंटित की गई है।

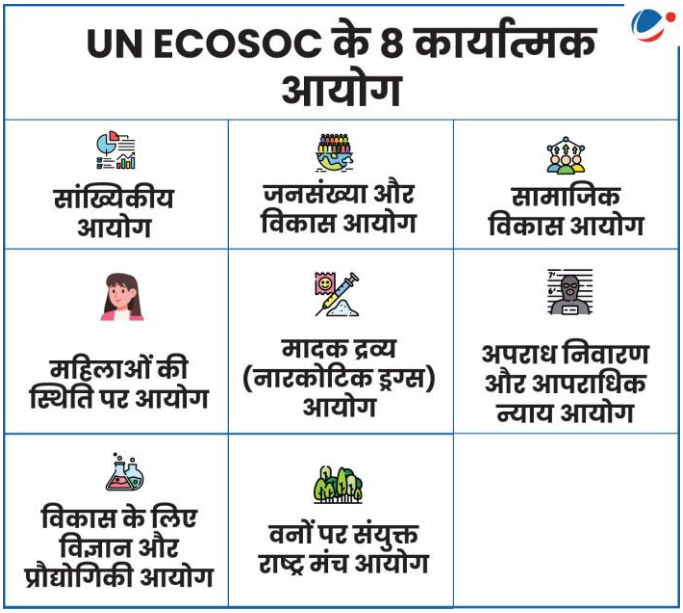

संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) के बारे में

- **मुख्यालय:** न्यूयॉर्क (संयुक्त राज्य अमेरिका)।
- **स्थापना:** संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत **ECOSOC की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र के छह मुख्य अंगों में से एक** के रूप में की गई थी।
- **सदस्य संख्या:** इसमें **कुल 54 सदस्य** होते हैं। इनमें से प्रत्येक वर्ष **18 सदस्यों को महासभा द्वारा तीन वर्ष की अवधि** के लिए चुना जाता है। **प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट** होता है।
- **ECOSOC के प्रमुख कार्य**
  - सतत विकास के तीन आयामों (आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय) को आगे बढ़ाना।
- **समन्वय:** यह परिषद संयुक्त राष्ट्र के **निकायों और विशेष एजेंसियों के कार्यों का समन्वय** करती है।
- **नीतिगत सिफारिशें:** यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली और सदस्य देशों को नीतिगत सिफारिशें जारी करती है।

2.7.3. संयुक्त राज्य अमेरिका ने गावी, द वैक्सीन अलायंस के वित्त-पोषण पर रोक लगाई (US Pulls Funding from Gavi, The Vaccine Alliance)

अमेरिका ने गावी (Gavi) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) पर यह आरोप लगाया है कि वे टीकों की सुरक्षा पर उठने वाले वैध सवालों एवं असहमति को दबा रहे हैं।

- इससे पहले अमेरिका लंबे समय से गावी का सबसे बड़ा समर्थक था।

अमेरिका की वैश्विक गठबंधनों से स्वयं को अलग करने की बढ़ती प्रवृत्ति

- पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका ने कई प्रमुख वैश्विक संगठनों और संस्थानों से स्वयं को अलग कर लिया है। जैसे- संयुक्त राज्य अमेरिका **WHO**, पेरिस जलवायु समझौते, **संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद,** संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (UNRWA) आदि से बाहर हो गया है।
- एक वैश्विक महाशक्ति होने के नाते, अमेरिका के ऐसे फैसलों का **अंतर्राष्ट्रीय गवर्नेंस पर व्यापक प्रभाव** पड़ता है।

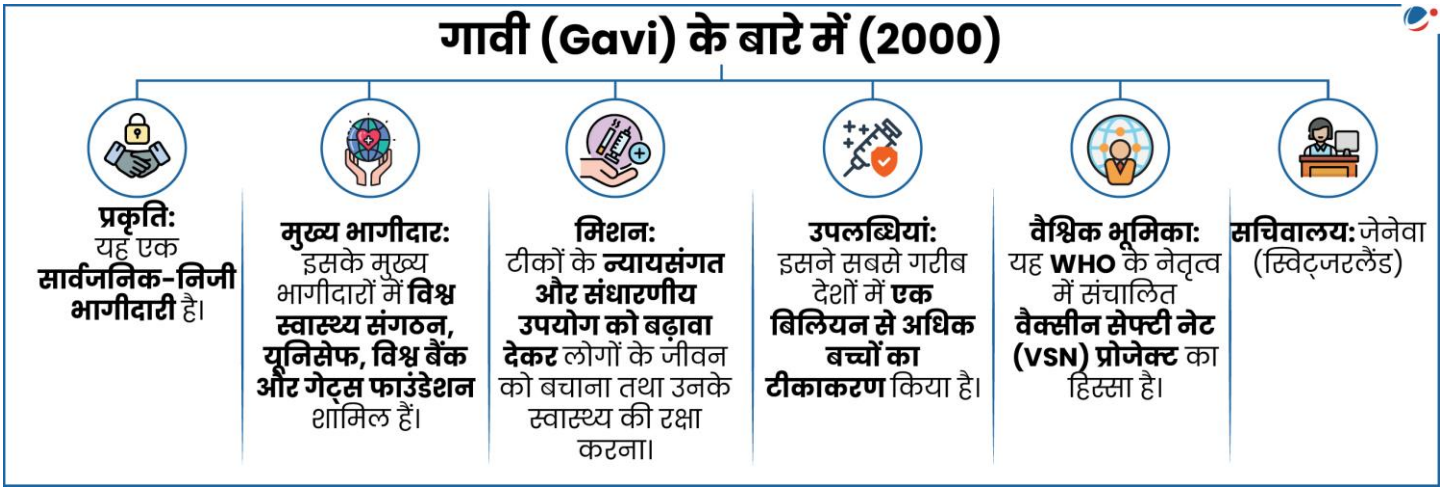

अमेरिका द्वारा वैश्विक गठबंधनों से स्वयं को अलग करने की बढ़ती प्रवृत्ति के प्रभाव

- **बहुपक्षवाद/ नियम-आधारित व्यवस्था का कमजोर होना:** उदाहरण के लिए- अमेरिका के हटने के बाद इजरायल ने भी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से भागीदारी खत्म कर दी है।
- **जलवायु परिवर्तन कार्यवाहियों पर प्रभाव:** 2024 अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है और **संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक** है।
- **स्वास्थ्य के लिए धन की कमी:** अमेरिका के बाहर निकलने से संस्थानों में धन की कमी हो सकती है। उदाहरण के लिए- **2024 में अमेरिका ने WHO के कुल फंड का लगभग 15%** वित्त-पोषित किया था।
- **अन्य:** अमेरिका के हटने से वैश्विक नेतृत्व में खालीपन पैदा होता है, जिसे चीन भर सकता है। इससे **भारत की वैश्विक संगठनों में प्रभावशीलता कम** हो सकती है।

2.7.4. अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन (International Organisation for Mediation: IOMed)

चीन ने **अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) और परमानेंट कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन** जैसी पारंपरिक संस्थाओं के वैश्विक विकल्प के रूप में औपचारिक रूप से **IOMed** की स्थापना की।

IOMed के बारे में

- **उद्देश्य:** अंतरराष्ट्रीय विवादों के समाधान हेतु मध्यस्थता करना।
- **सदस्य:** इंडोनेशिया, पाकिस्तान और बेलारूस सहित **30 से अधिक देशों ने** संस्थापक सदस्य के रूप में भाग लिया।
  - **अधिकतर संस्थापक सदस्य एशिया, अफ्रीका और कैरेबियन क्षेत्र** से हैं, जो इस नई संस्था के गैर-पश्चिमी दृष्टिकोण को दर्शाते हैं।
- **कार्यक्षेत्र:**
  - राष्ट्रों के बीच के विवाद समाधान,
  - किसी राष्ट्र और दूसरे देश के नागरिकों के बीच विवाद का समाधान,
  - अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक विवाद का समाधान।

2.7.5. भारत-किर्गिस्तान द्विपक्षीय निवेश संधि {India-Kyrgyzstan Bilateral Investment Treaty (BIT)}

जून 2019 में हस्ताक्षरित भारत-किर्गिस्तान द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) **5 जून, 2025 से लागू** हो गई है।

- नई द्विपक्षीय निवेश संधि ने वर्ष **2000 में लागू हुई संधि की जगह** ली है। इस तरह यह नई संधि **दोनों देशों के बीच निवेश की सुरक्षा की निरंतरता** सुनिश्चित करेगी।

भारत-किर्गिस्तान द्विपक्षीय निवेश संधि के बारे में

- यह संधि **दोनों देशों के निवेशकों के अधिकारों और दोनों देशों की अपनी-अपनी संप्रभु विनियामक शक्तियों के बीच संतुलन** सुनिश्चित करती है। साथ ही, यह **मजबूत और पारदर्शी निवेश परिवेश** के निर्माण के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।
- **द्विपक्षीय निवेश संधि के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर**
  - **परिसंपत्ति की परिभाषा:** इसमें **उद्यम-आधारित परिभाषा** को अपनाया गया है। साथ ही, इसमें **किन परिसंपत्तियों को शामिल किया जाएगा और किन्हें बाहर** रखा जाएगा, उन्हें भी परिभाषित किया गया है। इसके अलावा, इसमें निवेश की प्रकृति भी स्पष्ट की गई है – जैसे **पूंजी प्रतिबद्धता, लाभ की अपेक्षा, जोखिम वहन करना,** आदि।
  - **नीतिगत दायरे से बाहर रखना: स्थानीय सरकार, सरकारी खरीद, कराधान, अनिवार्य लाइसेंस** आदि को संधि के दायरे से बाहर रखा गया है, ताकि दोनों देशों द्वारा नीति-निर्माण की स्वतंत्रता बनी रहे।
  - **सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र (MFN) खंड को हटा दिया गया है:** पहले यह प्रावधान निवेशकों को होस्ट देश की अन्य देशों के साथ संधियों की अनुकूल शर्तें चुनने की अनुमति देता था।
    - इस प्रावधान के हटाए जाने से सभी निवेशकों के साथ समान और व्यवस्थित व्यवहार किया जाएगा।
  - **संधि में सामान्य एवं सुरक्षा अपवाद भी शामिल किए गए हैं:** इन अपवादों के ज़रिए संधि में शामिल देशों को नीति निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।
    - **संधि के सामान्य अपवाद के उदाहरण हैं:** पर्यावरण की सुरक्षा, जनस्वास्थ्य एवं सेफ्टी सुनिश्चित करना आदि।
  - **संशोधित विवाद समाधान तंत्र:** निवेशकों को पहले **स्थानीय विवाद निपटान तंत्रों का उपयोग** करना होगा। इनसे संतुष्ट नहीं होने पर ही वे **अंतर्राष्ट्रीय पंचाट** (Arbitration) का रुख कर सकते हैं। इससे **वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा** मिलेगा।

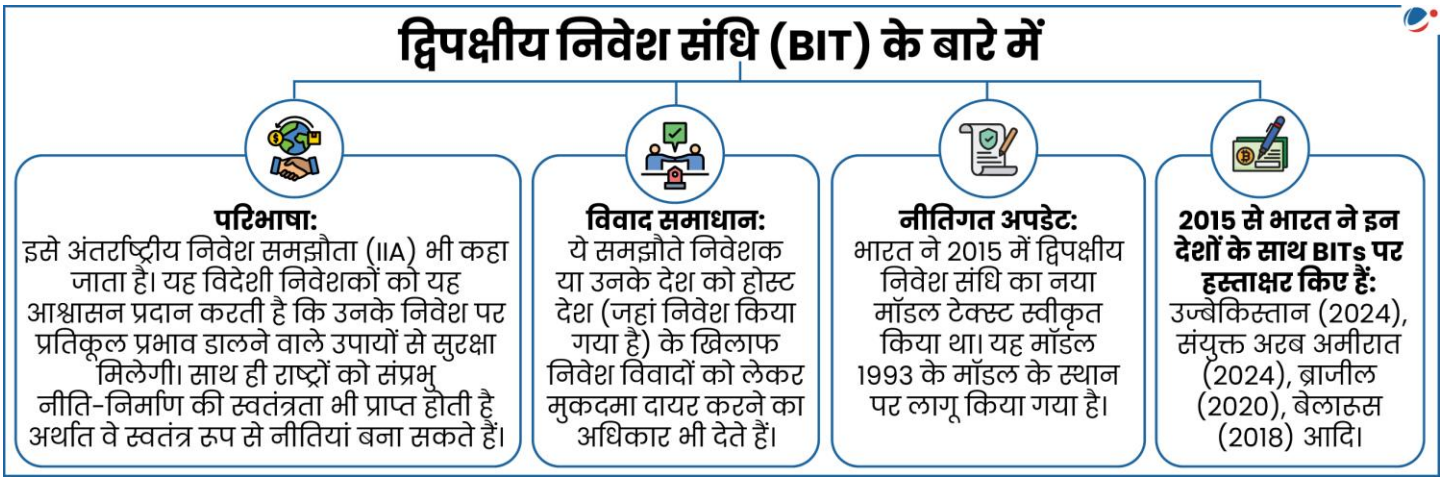

नोट: *भारत की द्विपक्षीय निवेश संधि के बारे में के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, मार्च 2025 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 2.1 देखें।*

2.7.6. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मरीन एड्स टू नेविगेशन (International Organization for Marine Aids to Navigation: IALA)

भारत ने **IALA के उपाध्यक्ष के रूप में, फ्रांस के नीस में आयोजित IALA परिषद के दूसरे सत्र में सक्रिय रूप से भाग** लिया।

- भारत दिसंबर 2025 में **तीसरी IALA महासभा** और 2027 में **21वें IALA** सम्मेलन की मेजबानी भी करेगा। दोनों ही **मुंबई (महाराष्ट्र) में आयोजित** किए जाएंगे।

IALA के बारे में

- **स्थापना:** 1957 में **IALA की स्थापना** इंटरनेशनल **एसोसिएशन ऑफ मरीन एड्स टू नेविगेशन एंड लाइटहाउस अथॉरिटीज (IALA)** के रूप में हुई।
  - **2024 में:** यह संस्था आधिकारिक तौर पर एक **गैर-सरकारी संगठन (NGO) से एक अंतर-सरकारी संगठन (IGO)** में बदल गई।
- **उद्देश्य:** विश्वभर के नेविगेशन ऑथोरिटीज, विनिर्माताओं, सलाहकारों, वैज्ञानिक संस्थानों और प्रशिक्षण संस्थानों को एक फोरम प्रदान करना ताकि वे अपने अनुभवों और उपलब्धियों का आदान-प्रदान और तुलनात्मक अध्ययन कर सकें।
- **कार्य**:
  - वैश्विक समुद्री नौवहन-प्रणालियों के संचालन का समन्वय करना,
  - समुद्री सुरक्षा पहलों को बढ़ावा देना,
  - सदस्य देशों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और उद्योग से जुड़े हितधारकों के साथ सहयोग करके समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी नई चुनौतियों का समाधान करना।

2.7.7. जंगेज़ुर कॉरिडोर (Zangezur Corridor)

तुर्किये ने आर्मेनिया और अजरबैजान से जंगेज़ुर कॉरिडोर खोलने की दिशा में कदम उठाने का आग्रह किया।

- **आर्मेनिया और अजरबैजान** 1917 से नागोर्नो-काराबाख (आर्टाख/Artsakh) क्षेत्र को लेकर संघर्षरत हैं। यह क्षेत्र **अंतरराष्ट्रीय रूप से अज़रबैजान का हिस्सा** माना जाता है, लेकिन यहां मुख्यतः **आर्मीनियाई नृजातीय समुदाय** निवास करते हैं।

जंगेज़ुर कॉरिडोर के बारे में

- **अवस्थिति**: यह आर्मेनिया के स्यूनिक प्रांत से होकर गुजरने वाला प्रस्तावित **43 किलोमीटर लंबा** परिवहन मार्ग है।
- **उद्देश्य:**
  - कैस्पियन सागर में स्थित अजरबैजान के **बाकू बंदरगाह** को **नखचिवन स्वायत्त क्षेत्र** से जोड़ना और फिर आगे तुर्किये तक पहुंच बनाना है।
    - नखचिवन, **अज़रबैजान का पश्चिमी एन्क्लेव है** और आर्मेनिया इस क्षेत्र को अज़रबैजान से अलग करता है।
- **भारत की चिंताएँ:**
  - यह जंगेज़ुर कॉरिडोर चाबहार बंदरगाह और **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण गलियारा (INSTC) में भारत के निवेश** को प्रभावित कर सकता है।
  - साथ ही यह कॉरिडोर उस क्षेत्र में **भारत के प्रभाव को भी कम कर सकता है** क्योंकि यह एक प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है।

2.7.8. ई-पासपोर्ट (E-Passport)

भारत के **विदेश मंत्रालय ने ई-पासपोर्ट और पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0** को शुरू किया है।

ई-पासपोर्ट के बारे में

- ई-पासपोर्ट वास्तव में **पेपर और इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट का मिश्रित रूप** है। इसमें एक **रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID)** चिप और एक **एंटीना** पासपोर्ट के कवर में इनले के रूप में लगाया गया होता है।
- इसमें **पासपोर्ट धारक की व्यक्तिगत जानकारी और बायोमेट्रिक डेटा** दर्ज होता है।
  - इसकी सुरक्षा प्रणाली का आधार **पब्लिक-की इन्फ्रास्ट्रक्चर (PKI)** तकनीक है।
- ई-पासपोर्ट जाली पासपोर्ट जैसी **जालसाजी और धोखाधड़ी गतिविधियों से पासपोर्ट की सुरक्षा** करता है और **सीमा पर भारत के पासपोर्ट की प्रामाणिकता** सुनिश्चित करता है।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अंतर्राष्ट्रीय संबंध** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

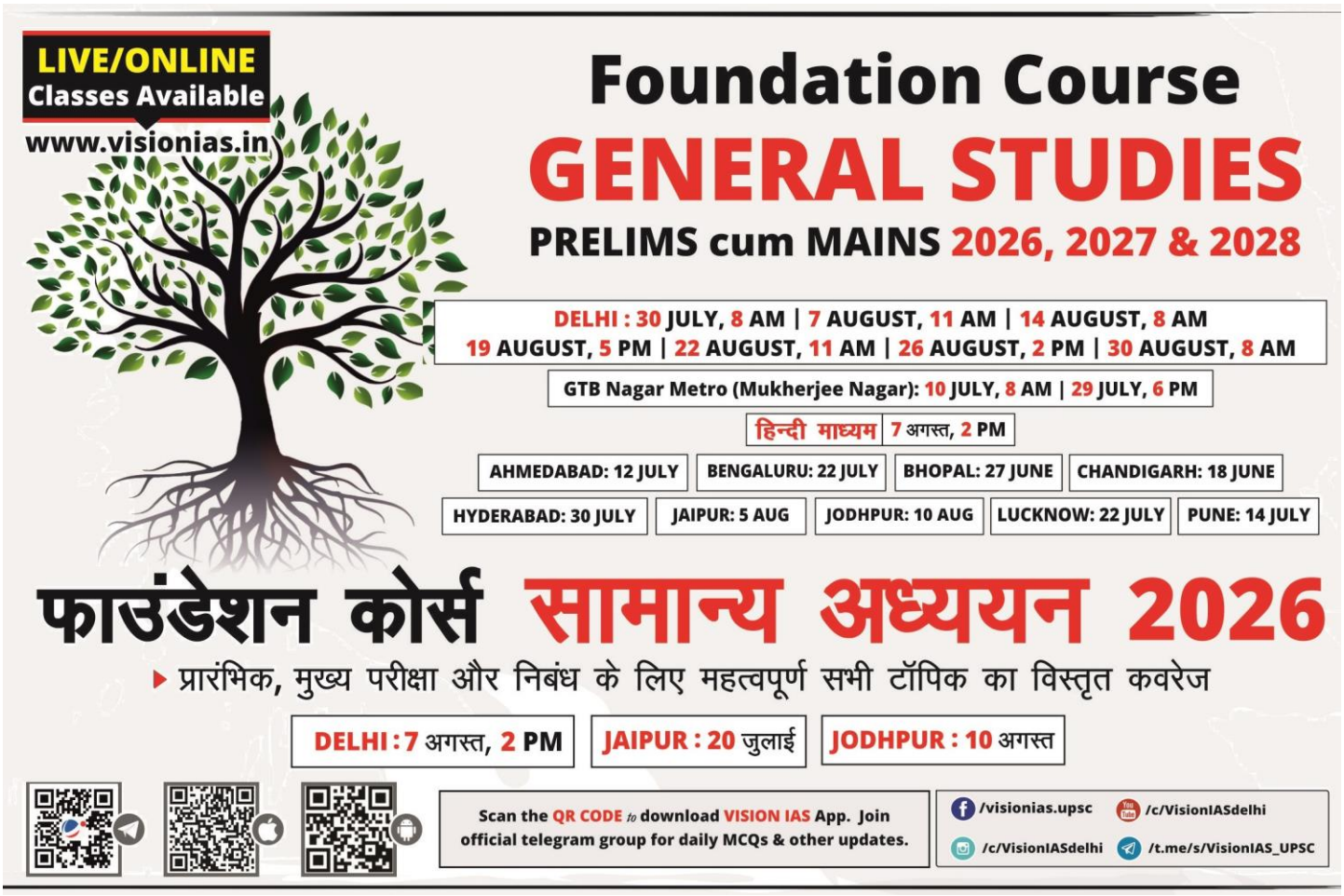

3. अर्थव्यवस्था (Economy)

3.1. ग्रामीण भारत: भारत के उपभोक्ता बाजार का नया इंजन (Rural India: The New Engine of India's Consumer Market)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ग्रामीण उपभोक्ता बाजार में मजबूत संवृद्धि को देखते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री ने फिनटेक कंपनियों से आग्रह किया है कि उन्हें **ग्रामीण भारत** को केवल सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में नहीं, बल्कि **'नए बाजार सृजित'** करने के एक अवसर के रूप में भी देखना चाहिए।

ग्रामीण भारत: भारत के उपभोक्ता बाजार का नया इंजन

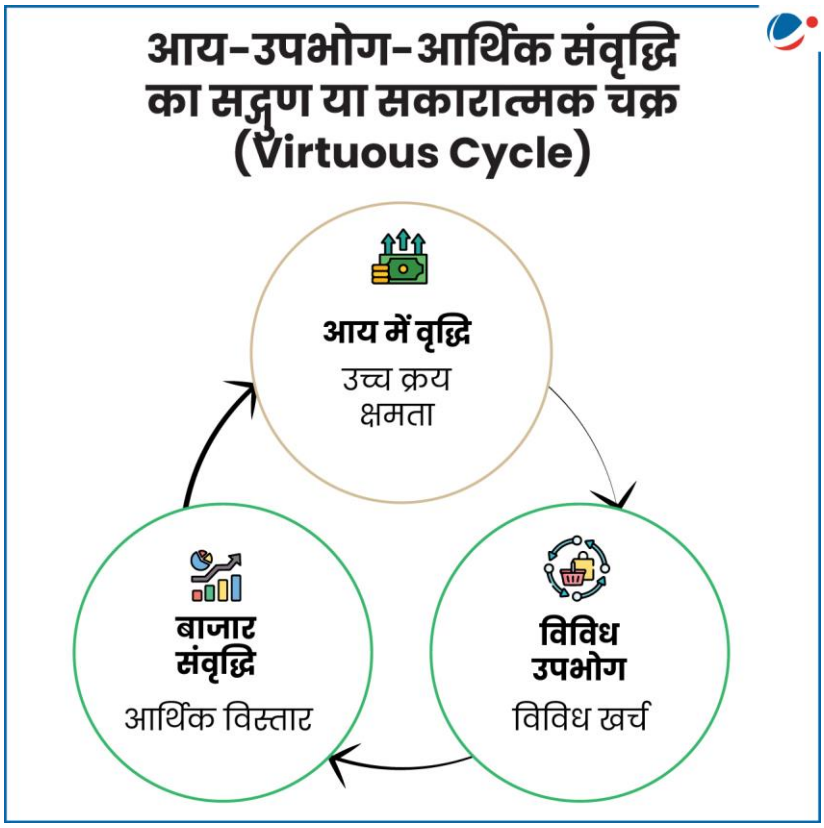

- **बढ़ते ग्रामीण बाजार: ग्रामीण उपभोक्ता मांग** शहरी मांग की तुलना में तीव्र गति से बढ़ रही है। उदाहरण के लिए- ग्रामीण भारत में **फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG)** क्षेत्र (डाबर आदि) की वृद्धि शहरों की तुलना में तीव्र हुई है।
  - **घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) 2023-24** के अनुसार, 2023-24 में ग्रामीण भारत में अनुमानित औसत **मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (MPCE)** 2022-23 की तुलना में **9.2% बढ़ा** था। यह **शहरी क्षेत्रों के 8.3% की तुलना में अधिक** है।
  - यह इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत मुख्य रूप से **घरेलू उपभोग-आधारित अर्थव्यवस्था** है। ध्यातव्य है कि भारत की **GDP का लगभग 2/3 हिस्सा घरेलू और सरकारी उपभोग** से आता है।
- **ग्रामीण-शहरी उपभोग विषमता में गिरावट:** 2022-23 में शहरी और ग्रामीण **MPCE** का अंतर **71.2%** था, जो 2023-24 में घटकर **69.7%** रह गया।
- **उपभोग पैटर्न का शहरीकरण: ग्रामीण और अर्ध-शहरी बाजार** अब शहरी उपभोग पैटर्न की नकल करने लगे हैं।
  - उदाहरण के लिए- देशभर में औसत मासिक खर्च में गैर-खाद्य मदें प्रमुख हो गई हैं। इन गैर-खाद्य मदों में **संचार, शिक्षा और चिकित्सा सेवाओं आदि पर खर्च** शामिल है।

ग्रामीण उपभोक्ता बाजार की संवृद्धि के लिए जिम्मेदार कारक

- **खर्च करने योग्य आय में वृद्धि:** खेती के अलावा **आय के अन्य स्रोतों में वृद्धि** (जैसे- मनरेगा, ग्रामीण उद्यमिता, विप्रेषण आदि) ग्रामीण आय को अधिक **लोचशील एवं विवेकपूर्ण** बना रही है।
- **ग्रामीण गरीबी में कमी:** SBI की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, 2011-12 में जहां ग्रामीण गरीबी **25.7%** थी, वहीं 2023-24 में यह पहली बार घटकर **5% से नीचे** आ गई।
- **सरकारी पहलों की भूमिका:** प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) और प्रधान मंत्री-किसान जैसी लक्षित सरकारी पहलों ने ग्रामीण भारत में तरलता को प्रोत्साहन देकर वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा दिया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोग व्यय में वृद्धि हुई है।
- **अवसंरचना विकास:** भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी के विकास ने बाजार तक पहुंच बेहतर की है। इस वजह से डिजिटल भुगतान, ई-कॉमर्स और ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच आसान हुई है।

- **भौतिक कनेक्टिविटी:** यह आपूर्ति श्रृंखलाओं और लोगों एवं वस्तुओं की आवाजाही को सुगम बनाने में मदद करती है। उदाहरण के लिए- प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना आदि।
- **डिजिटल कनेक्टिविटी:** इसने सूचना तक पहुंच की विषमता को कम किया है। 2015 और 2021 के बीच ग्रामीण इंटरनेट सब्सक्रिप्शन में उल्लेखनीय 200% की वृद्धि देखी गई है, जो शहरी क्षेत्रों (158%) की तुलना में अधिक है। उदाहरण के लिए- भारत नेट पहल।

- **वित्तीय समावेशन:** ग्रामीण भारत में वित्तीय सेवाओं का विस्तार उपभोक्ता बाजार के विकास की एक मुख्य वजह रहा है। इससे परिवारों को अधिक खर्च करने की आर्थिक स्वतंत्रता मिली है।
  - **उदाहरण के लिए-** UPI, पीएम-जन धन योजना (खोले गए खातों में से 67% ग्रामीण या अर्ध-शहरी क्षेत्रों में और 55% महिलाओं के नाम पर हैं) आदि।

ग्रामीण उपभोग में वर्तमान वृद्धि से जुड़ी चिंताएं

- **गांवों के बीच असमानता:** ग्रामीण आय में वृद्धि समान रूप से नहीं हो रही है। ग्रामीण भारत में सामाजिक-आर्थिक असमानता बनी हुई है और एक नया **"समृद्ध ग्रामीण वर्ग"** उभर रहा है, जो विलासिता की वस्तुओं पर अधिक खर्च कर रहा है।
  - **उदाहरण के लिए-** ग्रामीण उपभोक्ताओं के शीर्ष 5% लोग सबसे गरीब लोगों द्वारा औसतन उपभोग की जाने वाली वस्तुओं पर **छह गुना से अधिक** खर्च कर रहे हैं।
- **अवसंरचना की कमी:** आज भी ग्रामीण भारत लास्ट माइल कनेक्टिविटी की कमी, लॉजिस्टिक्स संबंधी समस्याओं, खंडित आपूर्ति श्रृंखलाओं और असमान इंटरनेट पहुंच जैसे मुद्दों से जूझ रहा है।
  - **अपर्याप्त कोल्ड चेन और भंडारण:** इसकी वजह से जल्दी खराब होने वाले सामान या दवाओं के लिए सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित नहीं हो पाती।
- **डिजिटल डिवाइड:** ग्रामीण क्षेत्रों में **डिजिटल साक्षरता कम** है, भाषा संबंधी समस्याएं मौजूद हैं, विश्वास की कमी और साइबर सुरक्षा को लेकर डर बना रहता है। ये सब ई-कॉमर्स और डिजिटल भुगतान के व्यापक उपयोग में बाधा पैदा करते हैं।
- **जलवायु संबंधी सुभेद्यता: चरम मौसमी घटनाएं** ग्रामीण आय में गिरावट का कारण बन सकती हैं। इससे ग्रामीण उपभोग पर नकारात्मक असर पड़ने का खतरा लगातार बना रहता है। उदाहरण के लिए- अनियमित मानसून कृषि और उससे जुड़ी आय को प्रभावित करता है।

क्या करने की आवश्यकता है?

- **सरकार द्वारा:**
  - **गांवों के बीच आय से जुड़ी असमानता को कम** करने के लिए सरकार को आकांक्षी जिलों में लक्षित निवेश के माध्यम से फोकस करना चाहिए।
  - **ग्रामीण कौशल विकास** (जैसे- पी.एम. कौशल विकास योजना) और **उद्यमिता** (जैसे- दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) से जुड़ी योजनाओं के **अभिसरण पर फोकस** करना चाहिए। ऐसा मुख्यतः महिलाओं एवं युवाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए करना चाहिए।
  - **मल्टी-मॉडल ग्रामीण अवसंरचना** जैसे- सड़कें, इंटरनेट, वेयरहाउसिंग आदि सुविधाएं स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए।
- **निजी क्षेत्रक द्वारा:**
  - कंपनियों को अपनी **विपणन प्रथाओं और उत्पादों को ग्रामीण संस्कृति एवं भाषाई विविधता के अनुकूल** बनाने की कोशिश करनी चाहिए।
  - **ग्रामीण सूक्ष्म-उद्यमिता को बढ़ावा** देना। उदाहरण के लिए- HUL के **'प्रोजेक्ट शक्ति'** में 1.6 लाख महिला उद्यमी शामिल हैं।
  - ग्रामीण उपभोक्ताओं से जुड़ने के लिए **IVR, स्थानीय AI चैटबॉट्स या व्हाट्सएप कॉमर्स जैसी कम लागत वाली तकनीक** का इस्तेमाल करना चाहिए।

निष्कर्ष

ग्रामीण भारत को अब केवल सामाजिक उत्तरदायित्व के संकीर्ण दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। अब यह भारत की **उपभोक्ता-आधारित विकास गति का प्रमुख इंजन** बनने की दिशा में अग्रसर है। हालांकि, इसे बनाए रखने और इसकी संवृद्धि के लिए अभी भी **निरंतर अवसंरचना में निवेश, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता बढ़ाने, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में विश्वास सृजित करने तथा समावेशी आय वृद्धि को बढ़ावा** देने की आवश्यकता है।

3.2. भारत में क्विक कॉमर्स (Quick Commerce in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कंसल्टिंग फर्म **कर्नी (Kearney)** की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत का **क्विक कॉमर्स क्षेत्रक** आने वाले समय में तीव्र गति से वृद्धि करेगा, हालांकि यह उपभोक्ताओं के व्यवहार में भी बदलाव ला सकता है।

क्विक कॉमर्स क्या है?

- यह उपभोक्ताओं के घर तक वस्तुओं और सेवाओं की तत्काल या बहुत तेज डिलीवरी है। आर्डर के बाद लगभग **एक घंटा या उससे कम समय में** ही वस्तुओं की डिलीवरी कर दी जाती है।
  - पुराने ई-कॉमर्स में डिलीवरी में आमतौर पर **3-4 दिन** लगते हैं।
- **लाभ**: सेवाएं 24×7 उपलब्ध होती हैं, बिचौलियों की भूमिका कम हो गई है, उपभोक्ता के आस-पास से ही वस्तुएं प्राप्त की जाती हैं जिससे मार्केटिंग और आपूर्ति श्रृंखला काफी दक्ष हो जाती है।

क्विक कॉमर्स की स्थिति

- **वृद्धि दर:** भारत में क्विक कॉमर्स में प्रति वर्ष 75-100% की वृद्धि दर्ज की जाएगी (बर्नस्टीन रिपोर्ट)।
- **बाजार का आकार: वर्ष** 2025 तक 5 अरब अमेरिकी डॉलर और 2029 तक 9.94 अरब अमेरिकी डॉलर पहुंचने का अनुमान है।
- **प्रमुख कंपनियां**: ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी का इंस्टामार्ट।

क्विक कॉमर्स की वृद्धि के कारक

- **इंटरनेट और स्मार्टफोन लगभग सभी के पास पहुंचना**: उपभोक्ता कभी भी, कहीं से भी मोबाइल ऐप से खरीद के लिए आर्डर डाल सकते हैं।
  - **कोविड-19 महामारी** के दौरान डिलीवरी एजेंट से फिजिकल कॉन्टैक्ट किए बिना वस्तुओं की डिलीवरी से क्विक **कॉमर्स को** अपनाने की प्रक्रिया तेज हुई है।
- **सोशल मीडिया की बढ़ती लोकप्रियता**: उदाहरण के लिए: ब्रांड्स अब इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के माध्यम से अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंच रहे हैं।
- **उपभोक्ताओं के व्यवहार में बदलाव**: युवा पीढ़ी तकनीक-प्रेमी है। वह सुविधा, किफायती व तेज गति से डिलीवरी के कारण ऑनलाइन खरीदारी को प्राथमिकता देती है।
- **प्रौद्योगिकी में प्रगति**: **नए एल्गोरिदम** उपभोक्ताओं की पसंद का पूर्वानुमान कर लेता है, इसलिए मांग के अनुसार वस्तुओं की तुरंत आपूर्ति संभव हो गई है।
  - **ऑटोमेशन और रोबोटिक्स**: ऑर्डर की रियल-टाइम ट्रैकिंग और ऑटोमेटेड वेयरहाउस ने पूरी आपूर्ति श्रृंखला प्रक्रिया को तेज और सटीक बना दिया है।
- **सरकार की पहलें**:
  - **UPI, भारत नेट, रूपे** ने भुगतान प्रणाली को सरल और सुविधाजनक बना दिया है।
  - **ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC)** ने क्विक कॉमर्स की पहुंच का विस्तार किया है।

क्या आप जानते हैं?

> **डार्क स्टोर** एक ऐसा खुदरा आउटलेट या गोदाम होता है जिसे विशेष रूप से ऑनलाइन ऑर्डरों की प्रोसेसिंग और वितरण के लिए तैयार किया जाता है। यह पारंपरिक दुकानों की तरह आम ग्राहकों के लिए खुला नहीं होता, बल्कि केवल डिजिटल माध्यम से प्राप्त ऑर्डरों को पूरा करने हेतु कार्य करता है।

क्विक कॉमर्स के अनपेक्षित दुष्परिणाम

- **तात्कालिक संतुष्टि की प्रवृत्ति**: कोई **सामान तुरंत प्राप्त करने की इच्छा** के कारण लोग अधिक बार और **बिना सोच-विचार के खरीदारी** करते हैं।
- क्विक कॉमर्स वेबसाइट्स **कूकीज़ के माध्यम से उपभोक्ताओं के व्यवहार को ट्रैक** कर उन्हें बार-बार अधिक खरीदारी के लिए प्रेरित करती हैं।
- **गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं मिलना**: उदाहरण के लिए- '**10 मिनट में डिलीवरी**' जैसे क्लेम डिलीवरी कर्मियों की सुरक्षा और सड़क दुर्घटना से जुड़े नैतिक सवाल पैदा करते हैं।
- **पर्यावरण पर प्रभाव**: डिलीवरी के लिए बाइक के बढ़ते उपयोग से सड़क पर भीड़ बढ़ती है जिससे **ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन** भी बढ़ता है।
- **सेहत पर प्रभाव**: ऑनलाइन किराना सामानों की ताजगी पर संदेह बना रहता है। जैसे दूध, अंडों की खराब हैंडलिंग से सेहत पर गंभीर असर पड़ सकता है।
  - **खुदरा व्यवसाय और किराना स्टोर पर प्रभाव**: मॉल, सुपर मार्केट और छोटे स्टोर्स में ग्राहकों की संख्या घटी है। शहरी क्षेत्रों में बिक्री और प्रॉफिट मार्जिन में भी गिरावट आई है।

संतुलन कैसे स्थापित करें?

- **सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ देना**: डिलीवरी कर्मियों के लिए सख्त सुरक्षा मानक बनाए जाने चाहिए; उनका बीमा कराया जाना चाहिए, दुर्घटना की स्थिति में त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, आदि।
- **सुरक्षित सेहत के लिए बेहतर स्वच्छता मानक**: उदाहरण के लिए- FSSAI ने हाल ही में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को फूड सेफ्टी प्रोटोकॉल सख्त करने का निर्देश दिया, और निर्देशों का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।
- **स्थानीय उद्योगों से सहयोग और समन्वय**: स्थानीय व किराना स्टोर्स के साथ साझेदारी से स्टॉक की उपलब्धता और डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर हो सकता है।
- **विनियामक उपाय**: क्विक कॉमर्स की बढ़ती लोकप्रियता के साथ सरकार को चाहिए कि वह **प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, एकाधिकार को रोकना और उपभोक्ता हितों की रक्षा** करना। **जैसे:** उपभोक्ताओं के डेटा और डिलीवरी कर्मियों के श्रमिक अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- **पर्यावरण अनुकूल उपाय**: वस्तुओं की डिलीवरी करने में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए, शॉर्ट डिस्टेंस डिलीवरी के लिए **ड्रोन का उपयोग** करना चाहिए, और आस-पास स्थित उपभोक्ताओं को एक ही साथ **वस्तुओं की डिलीवरी** सुनिश्चित करनी चाहिए।
    - **शहरी यातायात में कमी**: मोबाइल वेयर हाउस, कलेक्शन पॉइंट्स आदि से ट्रैफिक पर बोझ कम किया जा सकता है।

निष्कर्ष

जहाँ क्विक कॉमर्स ने उपभोक्ताओं की सुविधा को बढ़ाया है, वहीं इसने **निरंतर बदलते उपभोक्तावाद**, **गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा** और **पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव जैसी चुनौतियों** को भी जन्म दिया है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि ऐसे उपाय किए जाएं, जो गिग वर्कर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करें और उपभोक्ताओं को **भावावेश एवं एक बार में पूरा खर्च कर लेने की प्रवृत्ति** से बचने के लिए जागरूक किया जाए।

नोट: *उपभोक्ता व्यवहार पर सोशल मीडिया के प्रभाव के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, अप्रैल 2025 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 9.1 देखें।*

3.3. विमानन सुरक्षा (Aviation Safety)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (AAIB)**[5] ने अहमदाबाद की दुखद **विमान दुर्घटना** की जांच की **प्रारंभिक रिपोर्ट** सौंप दी है।

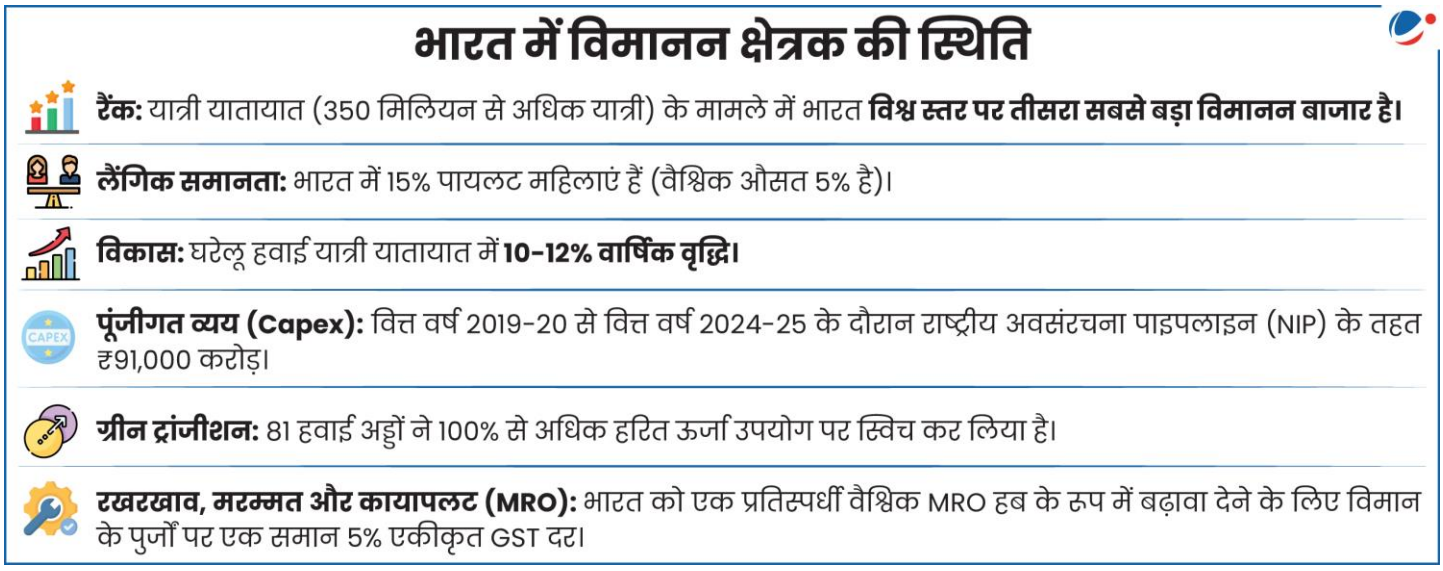

अन्य संबंधित तथ्य

- जांच रिपोर्ट में पायलट द्वारा की गई **"मेडे कॉल (MAYDAY)"** के समय की जानकारी दी गई।
    - **"मेडे कॉल"** वास्तव में **प्राण-घातक खतरे की आपात** कॉल होती है और तत्काल सहायता उपलब्ध कराना आवश्यकता होता है।
    - विमानन क्षेत्रक में आपातकालीन संचार के लिए **121.5 MHz और 243 MHz** फ्रीक्वेंसी निर्धारित की गई हैं।

[5] Aircraft Accident Investigation Bureau

- **ब्लैक बॉक्स** बरामद किए गए और उनका डेटा **AAIB लैब** से डाउनलोड किया गया।
  - **ब्लैक बॉक्स में दो प्रमुख रिकॉर्डिंग डिवाइसेज** होते हैं:
    - **फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर**, जो गति, ऊंचाई, इंजन का प्रदर्शन जैसे मापदंड रिकॉर्ड करता है।
    - **कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर**।
  - यह **चमकीले नारंगी रंग का होता** है ताकि आसानी से दिखाई दे सके। इसे स्टील या टाइटेनियम जैसी मजबूत सामग्री से बनाया जाता है।

भारत में विमानन सेवा की सुरक्षा हेतु संस्थागत व्यवस्था

- **नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA)[6]**
  - यह नागरिक विमानन के क्षेत्र में विनियामक संस्था है। यह **सुरक्षा संबंधी मुद्दों** से मुख्यतः संबंधित है।
  - **जिम्मेदारी**: भारत में और भारत से जाने वाली उड़ानों या भारत में आने वाली उड़ानों के लिए **हवाई परिवहन सेवाओं का विनियमन** करता है। यह नागरिक हवाई नियमों, हवाई सुरक्षा और विमान की एयरवर्दीनेस (उड़ान लायक स्थिति) का अनुपालन सुनिश्चित करता है।
  - यह संस्था ICAO (अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन) के साथ समन्वय भी करता है।
- **भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (AERA)[7]**
  - **AERA अधिनियम, 2008** के तहत 2009 में स्थापित।
  - **उद्देश्य**: हवाई अड्डों पर दी जाने वाली सेवाओं के लिए शुल्क तय करना, प्रमुख हवाई अड्डों की सेवा-गुणवत्ता पर निगरानी रखना।
- **नागरिक विमानन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS)[8]**
  - 1978 में **DGCA के तहत एक प्रकोष्ठ के रूप में स्थापित** किया गया। 1987 में नागरिक विमानन मंत्रालय के तहत स्वतंत्र विभाग बना दिया गया।
  - **प्रमुख दायित्व**: यह **अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन (ICAO)[9]** के **शिकागो कन्वेंशन** के परिशिष्ट 17 के अनुरूप विमानन सुरक्षा मानक तय करता है।
    - **परिशिष्ट 17** का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन को गैर-कानूनी हस्तक्षेप से सुरक्षित रखना है।
- **वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (AAIB)**
  - इसकी स्थापना 2012 में नागरिक विमानन मंत्रालय के तहत संलग्न कार्यालय के रूप में की गई।
  - यह **विमान (दुर्घटनाओं एवं घटनाओं की जांच) नियम 2017** के तहत न्यायालय या केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा जांच और प्रशासनिक कार्य को सुगम बनाता है।
  - **प्राधिकार:** यह किसी भी एजेंसी/ संगठन से सभी आवश्यक साक्ष्यों की तत्काल और बिना किसी बाधा के प्राप्त कर सकता है, और इसके लिए न्यायिक संस्थाओं या अन्य सरकारी प्राधिकरणों से पूर्व सहमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है।
  - **जांच सीमा**:
    - **2250 किलोग्राम से अधिक कुल भार** वाले **विमान** या **टर्बोजेट** की दुर्घटनाओं की जांच AAIB करता है।
    - **2250 किलोग्राम या उससे कम** भार वाले विमानों की गंभीर घटनाओं की जांच DGCA करता है।

अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन (ICAO) के बारे में

- **स्थापना:** 1944 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन कन्वेंशन (शिकागो कन्वेंशन) द्वारा।
- **परिचय:** यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। यह देशों को विमानन क्षेत्र में एक साथ सहयोग करने और अपने-अपने वायु क्षेत्र को के लिए साझा करने में मदद करती है ताकि एक-दूसरे को लाभ मिल सके।
- **सदस्य:** 193 (भारत इसका सदस्य है)
- **कार्य**: पारस्परिक रूप से मान्यता प्राप्त तकनीकी मानकों और वैश्विक योजनाओं के विकास में देशों की सरकारों की सहायता करना।

[6] Directorate General of Civil Aviation

[7] Airports Economic Regulatory Authority of India

[8] Bureau of Civil Aviation Security

[9] International Civil Aviation Organization

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा विमानन सुरक्षा के मुद्दे और सिफारिशें

विषय	चुनौतियां	सिफारिशें
बजटीय आवंटन संतुलित नहीं होना	DGCA को 30 करोड़ रुपये (**विमानन पूंजीगत बजट का 50%**) ही मिलता है, जिससे सुरक्षा अवसंरचना और दुर्घटना जांच की इसकी क्षमताएं प्रभावित होती है।	**विमानन संस्थाओं के बीच संतुलित तरीके** से बजटीय आवंटन होना चाहिए ताकि सुरक्षा उपाय और जांच क्षमताओं की कमियों को दूर किया जा सके।
मानव संसाधन की कमी	DGCA, BCAS और AAI में क्रमशः 53.8%, 34.7% और 17% पद रिक्त हैं।	भर्ती प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए और दीर्घकालिक मानव संसाधन योजना अपनानी चाहिए ताकि रिक्तियों को भरा जा सके।
उड़ान योजना का विस्तार	वर्ष 2024-25 के बजट में उड़ान योजना का **बजटीय आवंटन 32% घटा दिया गया।** पहाड़ी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में इस योजना का विस्तार किया गया है जिसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा आवश्यक है। इसके लिए और बजटीय आवंटन की जरूरत है।	संशोधित UDAN योजना के तहत सुरक्षा अवसंरचना को मजबूत करने हेतु **निधि की आवश्यकता का आकलन** करना चाहिए।
विनियामकीय निगरानी प्रणाली	**राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर निगरानी के लिए सामान्य बजटीय आवंटन पर अत्यधिक निर्भरता** है और सतत फंडिंग व्यवस्था की कमी है।	**एकीकृत सुरक्षा तंत्र स्थापित** करना चाहिए जिससे DGCA, BCAS और अन्य एजेंसियों के बीच सहयोग हो और सतत वित्त पोषण सुनिश्चित हो सके।
नेविगेशन प्रणाली	धुंध की वजह दृश्यता कम हो जाती है जिससे उड़ानों में बाधाएं उत्पन्न होती हैं।	**इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (ILS)** की स्थापना शीघ्र सभी हवाई अड्डों पर की जाए।
विमान-केबिन का सुरक्षा मानक में कमियां	विमानों में बैठने वाली सीटें जल्दी ख़राब हो जाती हैं, साथ ही विमानों में पुरानी तकनीकें का समयपूर्व खराबी और कई एयरलाइनों में तकनीकी पुरातनता से जुड़ी चिंताएं।	एविएशन इंटीरियर क्वालिटी कमीशन की स्थापना करनी चाहिए जो सभी विमानन कंपनियों में एर्गोनोमिक, सुरक्षा, सततता और पहुंच मानकों को लागू करे।

निष्कर्ष

भारत ने अपनी विमानन सुरक्षा प्रणाली को ICAO के वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाया है, जिसे ICAO की सुरक्षा ऑडिट में सराहा भी गया है। **एशिया-प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन (2024)** में **दिल्ली घोषणा-पत्र** को अपनाना भारत की **ओपन स्काई नीति और वैश्विक कनेक्टिविटी** के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हालिया विमान दुर्घटनाओं की पूरी पारदर्शिता और गहराई से जांच की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके और भारत के विमानन क्षेत्रक सुरक्षित एवं सशक्त बनाया जा सके।

3.4. परिसंपत्ति मुद्रीकरण (Asset Monetization)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने देश में सड़क अवसंरचना के विकास के लिए **परिसंपत्तियों की मुद्रीकरण** के माध्यम से उसका मूल्य प्राप्त करने और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देने की रणनीति तैयार की है।

अन्य संबंधित तथ्य:

- यह रणनीति पूंजी जुटाने हेतु एक व्यवस्थित फ्रेमवर्क है, जिसमें **टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (ToT), इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (InvITs)** और **सिक्योरिटाइजेशन** जैसे मॉडल्स को शामिल किया गया है।

- इन माध्यमों से NHAI ने **राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन** के तहत अब तक राष्ट्रीय राजमार्गों के 6,100 किलोमीटर से अधिक हिस्से के लिए **1.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि** जुटाई है।

परिसंपत्ति मुद्रीकरण क्या है?

- यह पूरी तरह उपयोग नहीं की गई सार्वजनिक (सरकारी) परिसंपत्तियों के **आर्थिक मूल्य की प्राप्ति के द्वारा राजस्व स्रोत उत्पन्न करने की नई या वैकल्पिक प्रक्रिया** है। इसे **'पूंजी पुनर्चक्रण'** यानी **कैपिटल रीसाइक्लिंग** भी कहा जाता है। यह जरूरी नहीं है कि इस प्रक्रिया से **परिसंपत्ति का विनिवेश** हो।

परिसंपत्ति मुद्रीकरण की आवश्यकता क्यों है?

- **निवेश की कमी को पूरा करना:** अवसंरचना विकास के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होती है। सीमित राजकोषीय संसाधन होने के कारण, मुद्रीकरण वास्तव में **गैर-कर राजस्व स्रोत जुटाने में मदद** करती है।
- **सार्वजनिक क्षेत्र की अक्षमताओं को दूर करना:** निजी क्षेत्र की भागीदारी से प्रबंधकीय और परिचालन दक्षता में सुधार होता है।
- **ब्राउनफील्ड परिसंपत्तियों से मूल्य प्राप्त करना:** ये पहले से विकसित परिसंपत्तियां होती हैं जिनमें स्थिर राजस्व उत्पन्न होता है। यह विशेषता निवेशकों को आकर्षित करती हैं।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना:** उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, लॉजिस्टिक्स और विशाल वैश्विक बाजार के रूप में विदेशी निवेश आकर्षित करती है। यह वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ भारत के एकीकरण को भी बढ़ावा देती है।

भारत में परिसंपत्ति मुद्रीकरण के प्रमुख मॉडल्स

- **टोल, ऑपरेट और ट्रांसफर (ToT):** इस मॉडल में परिसंपत्ति का प्रबंधन व टोल संग्रह का अधिकार देकर निजी निवेश आकर्षित किया जाता है। निजी निवेशक यानी कन्सेशनेर शुरुआत में सरकार को एकमुश्त राशि देता है और परियोजना के संचालन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी लेता है।
- **डिज़ाइन-बिल्ड-फाइनेंस-ऑपरेट-ट्रांसफर (DBFOT):** इसमें कन्सेशनेर परियोजना का डिज़ाइन, निर्माण, वित्त-पोषण और संचालन करता है तथा तय समय के बाद उस परियोजना को सरकार को सौंप देता है।
- **इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (InvITs):** यह एक सामूहिक निवेश विकल्प है जो यूनिट्स जारी करके निवेशकों से धन जुटाता है। यह उन्हें स्थिर एवं पूर्वानुमानित निरंतर नकदी, विविध स्रोतों से आय और कर छूट प्रदान करता है। इसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा विनियमित किया जाता है।
- **रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (REITs):** यह म्यूचुअल फंड के समान सामूहिक निवेश के स्रोत हैं। हालांकि REITs जुटाए गए धन को रियल एस्टेट में निवेश करते हैं।
- **परियोजना आधारित वित्तपोषण:** इसमें टोल प्लाजा जैसी परियोजनाओं से प्राप्त उपयोगकर्ता शुल्क को गिरवी रखकर दीर्घकालिक ऋण लिया जाता है।
- **दीर्घकालिक पट्टा:** इसमें पट्टेदार को निश्चित समय के लिए परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार दिया जाता है, जिसके बदले में वह एक बार में या कई चरणों में भुगतान करता है।
- **मुद्रीकरण के लिए परिसंपत्तियां:** इनमें खनन परिसंपत्तियां, रियल एस्टेट लेनदेन, और रेलवे स्टेशन पुनर्विकास, हवाई अड्डा जैसी परियोजनाएं शामिल होती हैं।

भारत में परिसंपत्ति मुद्रीकरण हेतु प्रमुख पहलें

- **राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP)[10]:** इस योजना के तहत 2022 से 2025 तक के चार वर्षों में सार्वजनिक अवसंरचना परिसंपत्तियों को लीज पर देकर लगभग 6 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है।
- **राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (NLMC)[11]:** यह शत-प्रतिशत सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है। इसका गठन केंद्र सरकार के सार्वजनिक उद्यमों (CPSEs) की गैर-प्रमुख (नॉन-कोर) परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करने के लिए किया गया है। इसका प्रशासनिक नियंत्रण भारत सरकार के **सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE)** के अधीन है।
- **परिसंपत्ति मुद्रीकरण डैशबोर्ड:** यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो मुद्रीकरण की प्रगति पर नज़र रखता है और निवेशकों को परिसंपत्ति के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

भारत में परिसंपत्ति मुद्रीकरण: बाधाएं बनाम रणनीतिक उपाय

विषय (क्षेत्र)	परिसंपत्ति मुद्रीकरण में बाधाएं	आवश्यक रणनीतिक हस्तक्षेप
पारदर्शिता और शासन	• परिसंपत्तियों के आवंटन में कुछ विशेष कॉरपोरेट्स को प्राथमिकता, **राजनीतिक प्रभाव और पक्षपात की आशंका** बनी रहती है। • सभी जानकारी समय से पहले उपलब्ध नहीं होने के कारण **निवेशकों में अनिश्चितता** पैदा करती है।	• भविष्य की मुद्रीकरण **परियोजनाओं के बारे में जानकारियों को सार्वजनिक** करना चाहिए जिससे निवेशकों को सामने स्थिति स्पष्ट हो, वे निवेश पर रिटर्न का अनुमान लगा सेक और उनका भरोसा बना रहे। • **पारदर्शी निविदा प्रक्रिया** अपनानी चाहिए।
क्षेत्रक विशेष की समस्याएं	• मुद्रीकरण योजना मुख्यत: राजमार्गों और बंदरगाहों में ही सक्रियता दिखा रही है, जबकि शहरी अवसंरचना, रेलवे उपेक्षित हैं। उदाहरण के लिए: हाल ही में सरकार की कोर ग्रुप ने **रेलवे को "खराब मुद्रीकरण " श्रेणी** में वर्गीकृत कर दिया।	• **मुद्रीकरण का विस्तार और समूहीकरण**: कम निवेश वाले क्षेत्रकों की लघु परिसंपत्तियों को जोड़कर व्यावसायिक रूप से लाभकारी और निवेश के लिए आकर्षक बनाया जाए।
परिसंपत्ति के मूल्य का पता लगाना और प्रतिस्पर्धी बोली	• नीलामी की प्रक्रिया सही नहीं होने की स्थिति में **परिसंपत्ति का कम मूल्य** आंका जा सकता है। • अधिक पूंजी की आवश्यकता के कारण नीलामी में कम भागीदारी देखी जाती है जिससे **निजी एकाधिकार की स्थिति** उत्पन्न हो सकती है।	• जोखिम-रहित मॉडल अपनाएं {जैसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा **टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (TOT)** अपनाया गया)। • InvITs जैसे इनोवेटिव मॉडल के माध्यम से प्रतिस्पर्धा बढ़ानी चाहिए।
राज्य-स्तरीय तत्परता	• राज्य अवसंरचना क्षेत्रकों में निजी क्षेत्र की भागीदारी नगण्य है और परिसंपत्तियों की मुद्रीकरण करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की कमी है।	• राज्य परिसंपत्तियों की क्षमताओं का उपयोग करना चाहिए; जैसे टोल रोड, टर्मिनल आदि के माध्यम से राज्य राजमार्गों का उपयोग। • पूंजीगत व्यय योजना के तहत **50 वर्षों के लिए ब्याज-मुक्त ऋण देना एक सकारात्मक कदम** है।
उपभोक्ता एवं जनहित	• निजी कंपनियों द्वारा परिसंपत्ति के अधिक दोहन से **मूल्य वृद्धि की आशंका** बनी रहती है।	• **"स्वामित्व नहीं, मुद्रीकरण का अधिकार"** मॉडल अपनाया जाए। • अनुबंध के दायित्वों और सेवा मानकों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए।

[10] National Monetization Pipeline

[11] National Land Monetization Corporation

कई संस्थाओं के शामिल होने से समस्या	• अलग-अलग मंत्रालयों की भागीदारी से समन्वय में समस्या उत्पन्न होती है और केंद्रीकृत योजना नहीं बन पाती है।	• एक अलग **अवसंरचना मंत्रालय** गठित करना चाहिए, जो नीति आयोग के सहयोग से केंद्र और राज्य की प्राथमिकताओं में समन्वय सुनिश्चित करेगा।
विनियामकीय व्यवस्था में अनिश्चितता	• कुछ क्षेत्रकों (जैसे दूरसंचार) में **मुद्रीकरण और विनिवेश के बीच अंतर करने में अस्पष्टता** बनी रहती है।	• क्षेत्रक-विशेष के लिए **अलग-अलग मुद्रीकरण दिशानिर्देश** जारी करना चाहिए। • स्वतंत्र मूल्यांकन और अनुबंध की निगरानी तंत्र को लागू करना चाहिए।
राजकोषीय प्रबंधन में उपयोग और जन-विश्वास	• विनिवेश से प्राप्त धन का 'राजकोषीय घाटा कम करने के लिए उपयोग की नीति' से दीर्घकालिक राजस्व सृजन की तुलना में अल्पकालिक लाभ को प्राथमिकता मिल जाती है। यह रणनीति वर्तमान में घाटा कम तो करती है, लेकिन भविष्य में इन परिसंपत्तियों से मिलने वाले लाभांश और समय-समय पर मिलने वाली आय के अवसर को खो देती है।	• सार्वजनिक उपक्रमों के पुनर्गठन में फंड का उपयोग करना चाहिए और स्थायी रूप से गैर-कर राजस्व सृजन के लिए पट्टे/किराये पर देने के मॉडल पर विचार करना चाहिए।
निगरानी और प्रदर्शन की ट्रैकिंग	• मुद्रीकरण के बाद उचित निगरानी नहीं होने से अक्षमताएँ उत्पन्न होती हैं।	• राजस्व, दक्षता और अनुपालन की निगरानी के लिए मुख्य प्रदर्शन संकेतक (KPIs)[12] को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए।

निष्कर्ष

परिसंपत्ति मुद्रीकरण रणनीति केवल एक वित्तीय कदम नहीं है, बल्कि यह आर्थिक विकास और सतत विकास के व्यापक लक्ष्यों के साथ जुड़ा एक परिवर्तनकारी पद्धति है। यह सरकार की कम उपयोग की गई परिसंपत्तियों के मूल्य को सामने लाकर, नई परियोजनाओं में पुनर्निवेश की सुविधा प्रदान करती है। इसके माध्यम से एक सशक्त और मजबूत अवसंरचना नेटवर्क तैयार किया जा सकता है, जो आने वाले वर्षों में भारत की विकास यात्रा को समर्थन प्रदान करेगा।

3.5. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment: FDI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

जून 2025 में जारी **RBI बुलेटिन** के अनुसार, **वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में 96% की गिरावट** दर्ज की गई है, हालांकि **सकल FDI में वृद्धि** हुई।

क्या आप जानते हैं?

> भारत में लगभग **90% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) अब ऑटोमेटिक रूट** के तहत आता है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) क्या है?

- FDI वास्तव में किसी अनिवासी व्यक्ति द्वारा **किसी गैर-सूचीबद्ध भारतीय कंपनी में इक्विटी लिखतों के माध्यम** से निवेश है, या किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी की 'फुली डाइल्यूटेड आधार पर **पोस्ट-इश्यू पेड-अप कैपिटल** के **10% या उससे अधिक की इक्विटी हिस्सेदारी** में निवेश है।
- **FDI से संबंधित प्रशासनिक एवं विनियामक प्रावधान:** समेकित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति (2020); विदेशी विनिमय प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 आदि जारी किए गए हैं।
- **FDI के प्रकार:**
  - **सकल FDI:** यह विदेशी इकाइयों द्वारा भारत की उत्पादक परिसंपत्तियों में कुल प्रत्यक्ष निवेश है।

[12] Key Performance Indicators

- **निवल FDI**: **भारत में हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश** में से **भारत से बाहर जाने वाली FDI** घटाने के बाद बचा हुआ निवेश है।
  - **भारत से बाहर जाने वाली FDI में** भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में निवेश + विदेशी कंपनियों द्वारा भारत से लाभ को वापस अपने देश भेजना शामिल है।

- **भारत में FDI का तरीका**
  - **स्वचालित मार्ग**: ऐसे निवेश के लिए सरकार या RBI की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है।
    - **स्वचालित मार्ग से भारत में 100% FDI की अनुमति वाले क्षेत्रक :** कृषि एवं पशुपालन, कोयला और लिग्नाइट, तेल और गैस की खोज, हवाई अड्डे (ग्रीनफील्ड और मौजूदा), औद्योगिक पार्क, दूरसंचार सेवाएं, ट्रेडिंग (व्यापार) ।
  - **सरकारी अनुमोदन मार्ग**: ऐसी FDI के लिए सरकार की मंजूरी आवश्यक है। ऐसे निवेश को सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करना होता है।
- **भारत में FDI के लिए निषिद्ध क्षेत्र:** लॉटरी व्यवसाय (सरकारी/निजी/ऑनलाइन), ऑनलाइन लॉटरी, गैंबलिंग और बेटिंग (जैसे—कैसीनो), चिट फंड, निधि कंपनियां, तथा वे क्षेत्रक जो निजी क्षेत्र के लिए खुले नहीं हैं: **परमाणु ऊर्जा, रेलवे परिचालन।**

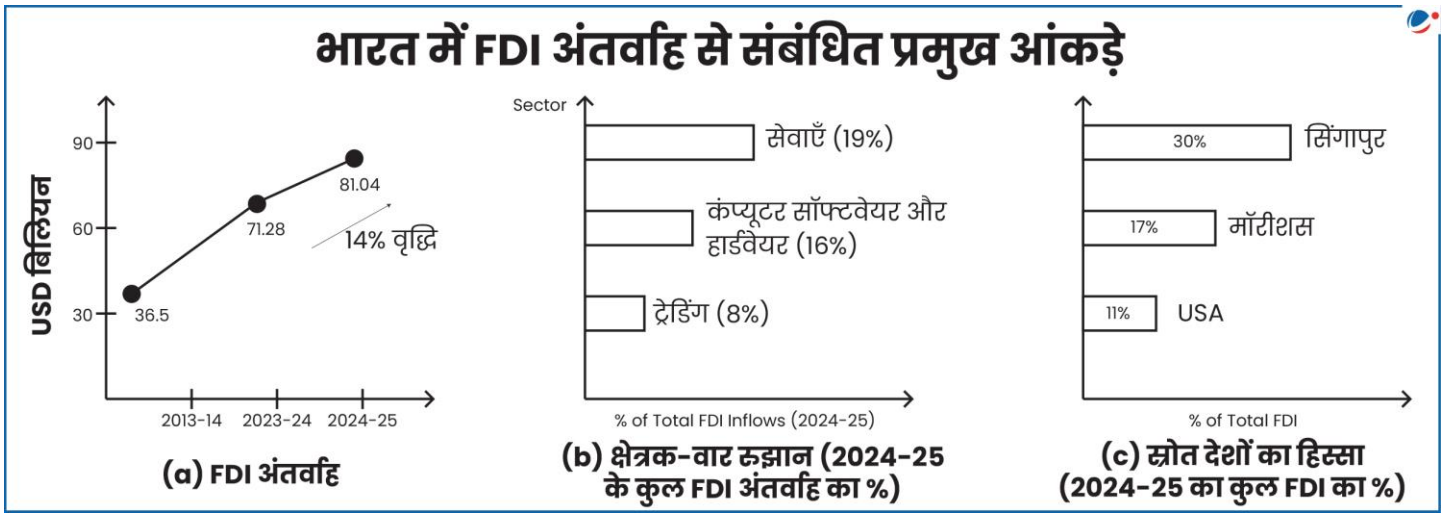

देश में FDI में वृद्धि का महत्त्व:

- **पूंजी निवेश**: FDI एक प्रमुख **गैर-ऋण वित्तीय स्रोत** है जो लंबे समय के लिए और सतत पूंजी प्रदान करता है। इसके साथ **प्रौद्योगिकियां** आती हैं, रणनीतिक क्षेत्रों का विकास संभव होता है, आदि।
  - **उदाहरण के लिए**: भारत ने अधिक **ग्रीनफील्ड निवेश आकर्षित** किए हैं, जिससे 2024 में अनुमानित पूंजीगत व्यय लगभग 25% बढ़कर 110 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया (अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट, 2025)।
- **विनिमय दर की स्थिरता**: मई 2025 तक भारत के पास जितना विदेशी मुद्रा भंडार था, उससे 11 से अधिक महीनों का आयात किया जा सकता है और 96% बाह्य ऋण को चुकाया जा सकता है (आरबीआई बुलेटिन, जून 2025)।
- **संधारणीय वित्तपोषण**: उदाहरण के लिए, भारत **'वेरा रजिस्ट्री'** में कार्बन क्रेडिट जारी करने वाला सबसे बड़ा देश है। (अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट, 2025)
- **प्रतिस्पर्धा और नवाचार को समर्थन**: FDI अपने साथ नए बाजार प्रतिभागियों, सर्वश्रेष्ठ कार्य-प्रणालियों, प्रबंधकीय और तकनीकी विशेषज्ञता लाती है तथा रोजगार सृजन में सहायक होती है।

भारत में निवल FDI में गिरावट के कारण

- **भारत से बाह्य (आउटवर्ड) निवेश में वृद्धि**: केंद्रीय वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा (अप्रैल 2025) के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत से अन्य देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़कर **12.5 अरब डॉलर** हो गया।

- **उदारीकृत नीति**: उदाहरण के लिए, 2022 की **उदारीकृत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश** (ODI)[13] दिशा-निर्देश भारतीय संस्थाओं और व्यक्तियों को विदेशी संस्थाओं में अधिक आसानी से और कम प्रतिबंधों के साथ निवेश की अनुमति देते हैं।
- **विदेशी निवेशकों द्वारा निवेश और रिटर्न वापस अपने देश में भेजने में वृद्धि**: भारतीय रिजर्व बैंक ने इस परिघटना को भारत के परिपक्व होते बाजार का संकेत माना है, जहाँ विदेशी निवेशक आसानी से निवेश कर सकते हैं और फिर इस निवेश को वापस अपने देश भेज सकते हैं।
- **FDI के लिए अन्य जोखिम**:
  - **वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता**: विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आयात प्रशुल्क (टैरिफ) में वृद्धि से व्यापार युद्ध में वृद्धि हुई है।
    - **विश्व भर में FDI में 2024 में विगत वर्ष की तुलना में 11% की गिरावट** दर्ज की गई है। (अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट, 2025)
  - **निवेश चक्र का परिपक्व होना**: कई पुराने FD निवेश अब परिपक्वता के चरण में हैं, जहाँ विदेशी कंपनियां अपने विकास और लाभ के लक्ष्य पूरे होने के बाद आंशिक रूप से निवेश वापस ले जा रही हैं।
  - **कमजोर वैश्विक मांग के कारण निर्यात में कमी** : S&P **ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स** के अनुसार, अप्रैल 2025 में निर्यात में 2012 के बाद की सबसे तीव्र गिरावट दर्ज की गई।

भारत में FDI को बढ़ावा देने हेतु उठाए गए कदम

- **अर्थव्यवस्था के अलग-अलग क्षेत्रकों में सुधार:** रक्षा, बीमा, पेट्रोलियम और गैस, दूरसंचार, अंतरिक्ष जैसे अलग-अलग क्षेत्रकों में प्रत्यक्ष विदेश निवेश नीति में सुधार किए गए।
  - **उदाहरण के लिए**: केंद्रीय बजट 2025 में घोषणा की गई कि बीमा क्षेत्रक में **FDI** की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% कर दी जाएगी बशर्ते कि कोई **कंपनी पूरा बीमा प्रीमियम भारत में निवेश करती है।**
- **निवेशक अनुकूल व्यवस्था**: **जन विश्वास (उपबंधों में संशोधन) अधिनियम, 2023** के माध्यम से 19 मंत्रालयों/विभागों के 42 केंद्रीय अधिनियमों में से **183 प्रावधानों को गैर-आपराधिक प्रकृति का** बना दिया गया है।
- **निवेश संवर्धन समझौते: उदाहरण के लिए**: भारत ने किर्गिस्तान (2019), संयुक्त अरब अमीरात (2024) और उज्बेकिस्तान (2024) के साथ **द्विपक्षीय निवेश संधियाँ** तथा यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA)[14] के साथ **'व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता'** (TEPA)[15]' संपन्न किए हैं।
- **प्रतिस्पर्धात्मक सहकारी संघवाद: व्यवसाय सुधार कार्य योजना** (BRAP)[16] 2024 और **'विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स की सुगमता (LEADS)**[17] 2024 राज्यों को FDI समेत निवेश आकर्षित करने हेतु स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती हैं।
  - केंद्रीय बजट 2025 में राज्यों के लिए **निवेश अनुकूलता सूचकांक**[18] की घोषणा की गई।
- **संस्थागत तंत्र में सुधार:** निवेश प्रस्तावों को शीघ्रता से मंजूरी देने के लिए भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों में **परियोजना विकास प्रकोष्ठ** (PDCs)[19] की स्थापना की गई है।
- **सरकारी योजनाएं:** मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, पीएम गतिशक्ति, राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर कार्यक्रम, **उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI)** योजना आदि चलाई जा रही है।

आगे की राह

- **नीतिगत सुधारों को अपनाना**: कर प्रणाली में स्थिरता लाने के साथ-साथ विनियामक और न्यायिक सुधारों से व्यवसाय सुगमता बढ़ेगी, जिससे FDI में वृद्धि होगी।

---

[13] Overseas Direct Investment

[14] European Free Trade Association

[15] Trade and Economic Partnership Agreement

[16] Business Reforms Action Plan

[17] Logistics Ease Across Different States

[18] Investment Friendliness Index

[19] Project Development Cells

  - **उदाहरण के लिए**: **वियतनाम** विशेष रूप से निवेश और बाजार उदारीकरण की प्रक्रिया के लिए दिशा-निर्देश देने हेतु **10 वर्षीय आर्थिक योजनाओं** को लागू करता है।
- **डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना**: डिजिटल अर्थव्यवस्था में निवेश से संबंधित एकरूप और विकासोन्मुखी नियमों को दिशा देने हेतु बहुपक्षीय संवाद को आगे बढ़ाना चाहिए।
  - डिजिटल अर्थव्यवस्था वैश्विक FDI का एक प्रमुख संचालक रही है, जिसमें **2024 में निवेश 14% बढ़ा**। (अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट, 2025)
- **निवेश को प्रोत्साहन**: पूंजी आकर्षित करने और उसे सही दिशा देने के लिए कर में छूट, अनुदान, और सब्सिडी जैसे वित्तीय प्रोत्साहनों का उपयोग किया जा सकता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग**: इनमें अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में सुधार (जैसे-हाइब्रिड पूंजी के माध्यम से ऋण देना), वैश्विक खतरों से निपटने हेतु बहुपक्षीय सहयोग, न्यायसंगत निवेश को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं।

निष्कर्ष

निवल FDI में हालिया गिरावट को निवेशकों द्वारा अपने निवेश के स्थानांतरण का अस्थायी परिणाम माना जा रहा है। यह अर्थव्यवस्था में किसी दीर्घकालिक समस्या का संकेत नहीं है। दक्षिण एशिया में सबसे अधिक FDI प्राप्तकर्ता देश के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए भारत को ऐसे स्मार्ट पूंजी निवेश पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो दीर्घकालिक, समावेशी और सतत विकास के अनुरूप हों।

3.6. सतत विकास के लिए वित्त-पोषण (Financing for Sustainable Development)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **विकास के लिए वित्त-पोषण पर चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (FFD4)** में अंतिम निष्कर्ष दस्तावेज़ **"कम्प्रोमिसो डी सेविले" (सेविले प्रतिबद्धता)** को अपनाया गया। इसका उद्देश्य **विकासशील देशों में सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति के दिशा में विद्यमान वित्त-पोषण की कमी को दूर** करना है।

अन्य संबंधित तथ्य

- सम्मेलन में **सेविले प्रतिबद्धता को सर्वसम्मति** से अपनाया गया है। इसका उद्देश्य **विकासशील देशों में सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति के लिए आवश्यक वित्त-पोषण में प्रत्येक वर्ष 4 ट्रिलियन डॉलर की कमी को दूर** करना है।
  - सेविले प्रतिबद्धता पहले से मौजूद फ्रेमवर्क्स पर आधारित (इन्फोग्राफिक देखें) है।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस प्रक्रिया से पूरी तरह से बाहर होने** का निर्णय लिया है।
- इस अवसर पर भारत के वित्त मंत्री ने सतत विकास के लिए निजी निवेश को बढ़ावा देने हेतु एक **सात-सूत्रीय रणनीति** पेश की।
  - इस सात-सूत्रीय रणनीति में बहुपक्षीय बैंकों को मजबूत करना, क्रेडिट रेटिंग की पद्धतियों में सुधार करना, घरेलू वित्तीय बाजारों का विकास करना, जमीनी स्तर पर पूंजी उपलब्ध कराना, मिश्रित वित्त-पोषण को बढ़ाना आदि शामिल हैं।

सतत विकास के लिए वित्त-पोषण की आवश्यकता क्यों है?

- **SDGs वित्त-पोषण में कमी:** SDGs की आकांक्षाओं और उनके लिए उपलब्ध वित्त-पोषण के बीच का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि यह अंतर हर साल **4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुंच गया है।
- **जलवायु वित्त में निवेश:** OECD, 2025 के अनुसार यदि देशों द्वारा **राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (NDCs)** को और सशक्त बनाया जाए, तो **ऊर्जा क्षेत्रक में निवेश 2022 से 2030 के बीच 40% तक बढ़ने की संभावना है।**
- **संपत्ति असमानता:** उदाहरण के लिए- ऑक्सफैम, 2024 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की **सबसे अमीर 1% आबादी** के पास **शेष 95% वैश्विक आबादी** से भी अधिक संपत्ति है।
- **कर असमानता:** ऑक्सफैम, 2025 रिपोर्ट के अनुसार, 2015 से अब तक **सबसे अमीर 1% की संपत्ति 33.9 ट्रिलियन डॉलर** बढ़ी है जो **22 बार वार्षिक गरीबी समाप्त** करने के लिए पर्याप्त है। इसके बावजूद अरबपति वास्तविक करों में केवल लगभग **0.3%** का भुगतान करते हैं।
- **ऋण जाल:** सतत विकास के लिए वित्त-पोषण (FSDR) रिपोर्ट, 2023 के अनुसार **40% से अधिक चरम गरीब लोग** उन देशों में रहते हैं, जो **गंभीर ऋण संकट** से जूझ रहे हैं।

सतत विकास के लिए वित्त-पोषण में बाधाएं:

- **घटता राजकोषीय व्यय:** UNCTAD के अनुसार, **46 विकासशील देश** (लगभग **3.4 बिलियन लोग) ब्याज भुगतान पर स्वास्थ्य या शिक्षा से अधिक खर्च** कर रहे हैं।
- **विशेष आहरण अधिकार (SDR) का असमान आवंटन:** उदाहरण के लिए- FSDR रिपोर्ट, 2023 के अनुसार, कुल SDR आवंटन में से **विकसित देशों को 66%, अफ्रीका को केवल 5.2%, और अल्प विकसित देशों को मात्र 2.5%** प्राप्त होता है।
  - SDR **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)** द्वारा बनाई गई एक **अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति** है। यह कोई **मुद्रा नहीं** है। इसका मूल्य **पांच मुद्राओं के एक बास्केट** पर आधारित है।
- **भू-आर्थिक विखंडन:** वैश्विक स्तर पर **वैश्वीकरण की जगह भू-आर्थिक खंडन** ले रहा है।
  - उदाहरण के लिए- आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार **2020 से 2024** के बीच **24,000 से अधिक नए व्यापार एवं निवेश प्रतिबंध** लगाए गए थे।
- **अवैध वित्तीय प्रवाह:** यह SDGs के वित्त-पोषण और कोविड-19 जैसे वैश्विक आघातों से उबरने के लिए संसाधनों की उपलब्धता को **कम कर** देता है। इस वजह से घरेलू स्तर पर संसाधन जुटाने की क्षमता कम हो जाती है।
- **लैंगिक अंतराल:** उदाहरण के लिए- **विनिर्माण क्षेत्रक में कुल रोजगार में महिलाओं की 40% से भी कम** हिस्सेदारी है। इसके अलावा, महिलाएं ज्यादातर उन क्षेत्रकों में काम करती हैं, जहां **मुनाफा, तकनीकी उपयोग और वेतन भी कम** होता है।

उठाए गए कदम

सेविले प्रतिबद्धता **तीन प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है:** सतत विकास के लिए निवेश को प्रोत्साहित करना; ऋण संकट का समाधान करना और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार करना। **सेविले प्रतिबद्धता के तहत निम्नलिखित नई वित्तीय व्यवस्थाएं घोषित की गई हैं:**

- **ऋण संकट का समाधान करने के लिए:**
  - **विकास के लिए ऋण-विनिमय (Debt-for-Development Swap) कार्यक्रम:** यह किसी सरकार और उसके ऋणदाताओं के बीच एक समझौता होता है। इसके तहत सरकार द्वारा किसी विकास लक्ष्य पर धन खर्च करने के बदले में ऋण को रद्द या कम किया जाता है।
    - **उदाहरण के लिए-** इटली, अफ्रीकी देशों के 230 मिलियन यूरो के ऋण दायित्वों को विकास परियोजनाओं में निवेश के रूप में बदलेगा।
  - **डेट "पॉज क्लॉज़" अलायन्स:** इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऋण समझौतों में ऐसी सुविधाएं जोड़ी जाएं, जिससे **संकट के समय ऋण भुगतान को कुछ समय के लिए रोका** जा सके।
  - **डेट स्वैप्स फॉर डेवलपमेंट हब (स्पेन और विश्व बैंक द्वारा संचालित):** इसका उद्देश्य **ऋण विनिमय को बढ़ाना और ऋण भुगतान बोझ को कम** करने के लिए सहयोग में वृद्धि करना है।

- **ऋण पर सेविले फोरम:** इसका मुख्य उद्देश्य विविध देशों को उनके **ऋण प्रबंधन और पुनर्गठन (restructuring) के तरीकों पर एक-दूसरे से सीखने एवं अपने प्रयासों में समन्वय** स्थापित करने में सहायता करना है। इसमें एक **संयुक्त राष्ट्र एजेंसी सचिवालय** के रूप में कार्य करेगी, और **स्पेन इसका समर्थन** करेगा।

- **विकास प्रभाव वाले निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए:**
  - **मिश्रित वित्त-पोषण का विस्तार:** उदाहरण के लिए- **SCALED नामक एक मिश्रित वित्त-पोषण प्लेटफॉर्म** लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य इस पद्धति के माध्यम से बड़े पैमाने पर वित्तीय साधन विकसित करना है।
  - **मिश्रित वित्त-पोषण** एक ऐसी वित्तीय पद्धति है, जिसमें **सरकारी, दानदाताओं और निजी पूंजी को मिलाकर सतत विकास पहलों को वित्त-पोषित** किया जाता है।
  - **उच्च नेट वर्थ वाले व्यक्तियों पर प्रभावी कर प्रणाली (ब्राजील और स्पेन द्वारा नेतृत्व):** इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि **उच्च नेट वर्थ वाले व्यक्ति उचित कर का भुगतान** करें।
  - **कोएलिशन फॉर ग्लोबल सॉलिडैरिटी लेवी (फ्रांस, केन्या और बारबाडोस के नेतृत्व में):** इसका उद्देश्य जलवायु कार्रवाई एवं सतत विकास के लिए धन जुटाने हेतु **प्रीमियम-क्लास फ्लाइट्स एवं प्राइवेट जेट्स पर कर** लगाना है।
- **राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर वित्तीय ढांचे में सुधार के लिए**
  - **स्थानीय मुद्रा ऋण को बढ़ाना:** उदाहरण के लिए- **FX EDGE टूलबॉक्स** (इंटर-अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक) और **डेल्टा लिक्विडिटी प्लेटफॉर्म** (यूरोपीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक)। इन दोनों का उद्देश्य **स्थानीय मुद्राओं में ऋण प्रदान** करना है, जिससे **मुद्रा संबंधी जोखिम कम** हो सके।
  - **यूनाइटेड किंगडम और ब्रिजटाउन पहल के नेतृत्व वाला एक गठबंधन:** इसका उद्देश्य **आपदा प्रबंधन के लिए पूर्व-व्यवस्थित वित्त-पोषण को 2035 तक कुल वित्त के 2% से बढ़ाकर 20%** तक करना है।

निष्कर्ष

निजी निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाना, सार्वजनिक विकास बैंकों को मजबूत करना और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार करना SDGs के साथ वित्त को संरेखित करने के लिए आवश्यक हैं। प्रमुख सुधारों में राजकोषीय प्रोत्साहन, दीर्घकालिक वित्त-पोषण और वर्तमान वैश्विक जरूरतों को दर्शाने के लिए WTO नियमों एवं निवेश संधियों को अपडेट करना शामिल है।

3.6.1. सतत विकास रिपोर्ट (2025) {Sustainable Development Report (2025)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

सतत विकास रिपोर्ट (2025) में पहली बार **भारत 167 देशों में से 99वें स्थान पर आकर SDG सूचकांक के शीर्ष 100 में शामिल** हो गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **भारत का प्रदर्शन:** भारत ने 2021 के **120वें स्थान से सुधार करते हुए 2025 में 99वां स्थान** हासिल किया। भारत का स्कोर **100 में से 67 है।**
- **वैश्विक रैंकिंग:** सूचकांक में शीर्ष स्थान **फिनलैंड (87 का स्कोर)** का है, उसके बाद **स्वीडन और डेनमार्क** का स्थान हैं।
- **पड़ोसी देशों से तुलना:** सूचकांक में **भूटान 74वें (70.5), नेपाल 85वें (68.6) और मालदीव 53वें** स्थान पर है तथा **श्रीलंका 93वें** स्थान पर है। **बांग्लादेश और पाकिस्तान** का स्थान क्रमशः 114वां व 140वां है।
- **नया संकेतक: 6 से 23 माह के बच्चों में न्यूनतम आहार विविधता को SDG 2 (शून्य भुखमरी)** के तहत डेटासेट में शामिल किया गया है।
- SDR, 2025 के अनुसार, **2030 तक 17 में से कोई भी वैश्विक लक्ष्य (SDG) पूरी तरह से हासिल** होने की राह पर नहीं है।

SDG सूचकांक के बारे में

- SDG सूचकांक **2016** से हर साल सतत विकास रिपोर्ट के हिस्से के रूप में **संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क (UNSDSN)** द्वारा जारी किया जा रहा है।
- UNSDSN की स्थापना **2012** में हुई थी। यह **संयुक्त राष्ट्र महासचिव के तत्वावधान** में काम करता है।
    - यह **अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और राष्ट्रीय सरकारों के साथ साझेदारी में वैश्विक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तरों** पर SDG उपलब्धियों को अधिकतम करने पर काम करता है।
- SDG सूचकांक **2015** में सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा अपनाए गए **17 SDGs को प्राप्त करने की दिशा में समग्र प्रगति का मापन** करता है।
- सूचकांक में **स्कोर 0 से 100 के पैमाने** पर प्रस्तुत किया जाता है। **100 का स्कोर सभी लक्ष्यों की पूर्ण प्राप्ति** को दर्शाता है।

भारत के प्रदर्शन के प्रमुख संकेतक (2025 SDR के अनुसार)	
SDG-1 (निर्धनता का उन्मूलन)	• कुल आबादी का **5.5%** हिस्सा ऐसा है, जो प्रतिदिन **$3.65 से कम** पर जीवन यापन कर रहा है।
SDG-2 (शून्य भुखमरी)	• कुपोषण का प्रसार- **13.7%**
SDG-3 (उत्तम स्वास्थ्य और कल्याण)	• मातृ मृत्यु अनुपात (प्रति 100,000 जीवित जन्म पर) **80.5** है।
SDG-4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा)	• निवल प्राथमिक नामांकन दर- **99.9%**
SDG-5 (लैंगिक समानता)	• महिला-पुरुष श्रम बल भागीदारी दर का अनुपात - **43%** • संसद में महिलाओं द्वारा धारित सीटें - **14%**
SDG-6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता)	• न्यूनतम बुनियादी पेयजल सेवाओं का उपयोग करने वाली आबादी- **93%**
SDG-7 (किफायती और स्वच्छ ऊर्जा)	• बिजली तक पहुंच वाली जनसंख्या- **99%** • खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन और प्रौद्योगिकी तक पहुंच वाली जनसंख्या- **74%**
SDG-9 (उद्योग, नवाचार और अवसंरचना)	• सभी मौसमों में उपयोग योग्य सड़कों तक पहुंच वाली ग्रामीण जनसंख्या- **99%** • इंटरनेट का उपयोग करने वाली आबादी- **56%**
SDG-10 (असमानता कम करना)	• भारत में गिनी गुणांक **34.8**

3.7. अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT) {Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT) योजना को शुरू हुए एक दशक पूरा हो गया है।

अमृत (AMRUT) के बारे में

- **मंत्रालय:** आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
- **प्रकार:** केंद्र प्रायोजित योजना
- **विवरण:** इस योजना की **शुरुआत चुनिंदा 500 शहरों और कस्बों** में की गई थी। इसका उद्देश्य जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, हरित स्थल और पार्क, और गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन के क्षेत्रों में अवसंरचना का विकास करना है।
- 2021 में **अमृत का विलय AMRUT 2.0** में कर लिया गया, जिसमें शहरी परिवहन घटक को इसके दायरे से बाहर रखा गया।

अमृत 2.0 (AMRUT 2.0) के बारे में

- AMRUT 2.0 केवल जल और सीवरेज पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य वैधानिक शहरों के सभी घरों को नल का जल उपलब्ध कराना और 500 AMRUT शहरों में सीवरेज प्रबंधन को बेहतर बनाना है।
- **प्रमुख घटक:**
  - **पेयजल सर्वेक्षण:** यह शहरों में जल आपूर्ति, पुन: उपयोग, सीवरेज और जल निकाय संरक्षण के लिए सेवा स्तर मापदंडों का मूल्यांकन करने वाली एक प्रतियोगिता आधारित मूल्यांकन प्रक्रिया है।
  - **व्यवहार परिवर्तन संबंधी संचार:** इसका उद्देश्य जल संरक्षण को बढ़ावा देना और जल उपयोग दक्षता में सुधार करना है।
  - **प्रौद्योगिकी उप-मिशन:** इसमें विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन की गई पायलट परियोजनाओं के माध्यम से स्टार्ट-अप्स विचारों और निजी उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाता है।

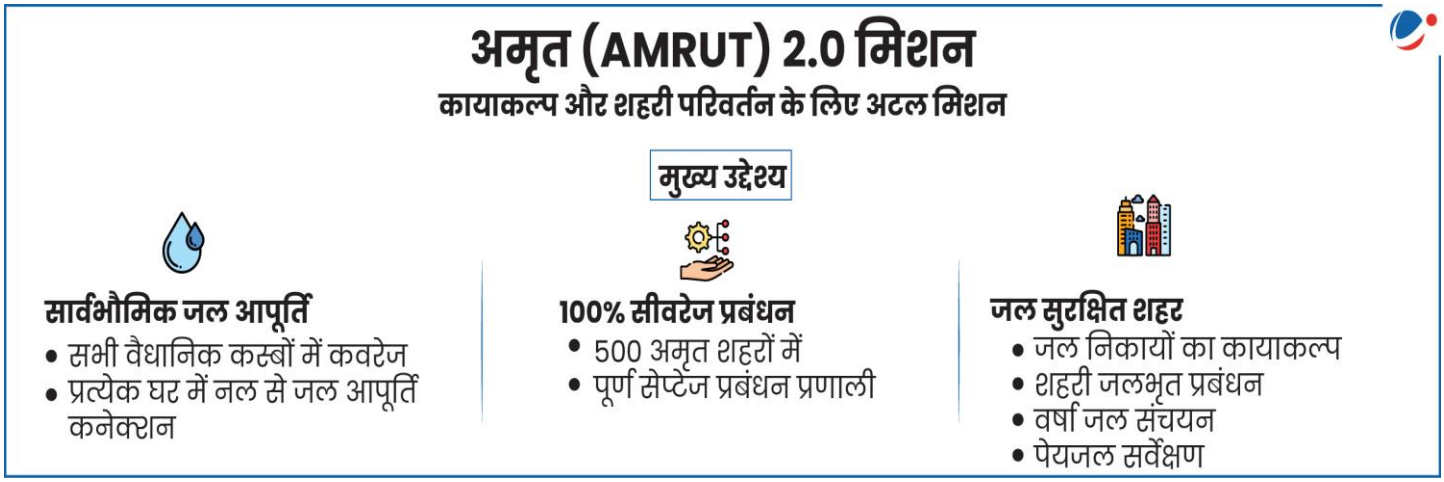

- **अन्य विशेषताएं:**
  - **सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) परियोजनाएं:** जिन शहरों की **आबादी एक मिलियन से अधिक** है, यह उनके लिए अनिवार्य है।
  - **परिणाम-आधारित फंडिंग:** इसके तहत शहरों को निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक **रोडमैप** प्रस्तुत करना होगा।
  - **सामुदायिक भागीदारी:** विशेष रूप से **महिलाओं के स्वयं-सहायता समूहों** पर जोर दिया गया है।
  - **जल की चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना:** यह कार्य उपचारित सीवेज के पुनर्चक्रण/ पुन: उपयोग, जल निकायों के कायाकल्प और जल संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करके किया जा रहा है।
- **निगरानी:**
  - **राष्ट्रीय स्तर पर:** आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) के सचिव की अध्यक्षता में एक शीर्ष समिति निगरानी करती है।
  - **राज्य स्तर पर:**राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में **राज्य उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (SHPSC)** निगरानी करती है।

AMRUT के तहत प्रमुख उपलब्धियां:

- **जल और सीवर कनेक्शन:** पिछले 10 वर्षों में, AMRUT और AMRUT 2.0 के तहत 2.03 करोड़ नल कनेक्शन और 1.50 करोड़ सीवर कनेक्शन प्रदान किए गए।
- **LED स्ट्रीटलाइट्स:** 99 लाख LED स्ट्रीटलाइट्स लगाई गईं, जिससे 666 करोड़ kWh बिजली की बचत हुई और सालाना 46 लाख टन CO_2 उत्सर्जन कम हुआ।
- **हरित स्थान और पार्क:**
  - 6,800 एकड़ से अधिक हरित स्थान विकसित किए गए।
  - लगभग 3,000 पार्क बनाए गए।

AMRUT के क्रियान्वयन में सीमाएं

- **स्वास्थ्य परिणामों में कमी**: भारत में **जल, स्वच्छता और साफ-सफाई** की गंभीर समस्याएं हैं, जिससे हर साल लगभग 2 लाख लोगों की मौत हो जाती है।
- **पर्यावरणीय चिंताओं की अनदेखी**: AMRUT 1.0 का उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना था, लेकिन वायु की गुणवत्ता और खराब होने से 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) की शुरुआत करनी पड़ी।
- **कार्यान्वयन में देरी**: बिहार और असम जैसे कुछ राज्यों ने नियमित फंड मिलने के बावजूद PPP मॉडल का पूरा उपयोग नहीं किया है। इस वजह से कई परियोजनाएं अटकी पड़ी हैं।
- **सीमित कवरेज और दायरा:** AMRUT की शुरुआत केवल 500 शहरों में हुई थी, जिससे कई छोटे शहर इस योजना से बाहर रह गए।
- **अन्य योजनाओं के साथ ओवरलैप:** AMRUT का स्मार्ट सिटी और स्वच्छ भारत मिशनों से कुछ हद तक ओवरलैप होता है, जिससे फंडिंग बंट जाती है और प्रयासों का दोहराव होता है।

निष्कर्ष

एक दशक पूरा कर चुके AMRUT ने शहरी बुनियादी ढांचे, विशेषकर जल और स्वच्छता के क्षेत्र में सुधार किया है। इससे ज्यादा बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए एक समग्र और जन-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, नगरीय निकायों (ULBs) की क्षमता बढ़ानी चाहिए। इसके अलावा, छोटे शहरों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए, एवं जलवायु-संवेदनशील व प्रकृति-आधारित समाधानों को एकीकृत करके सतत शहरी विकास को बढ़ावा देना चाहिए।

3.8. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

3.8.1. डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (Digital Payment Intelligence Platform: DPIP)

DPIP को **भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)** की निगरानी और मार्गदर्शन में **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)** के रूप में विकसित किया जाएगा।

- DPI का तात्पर्य **उन आधारभूत डिजिटल प्रणालियों** से है, जो सभी के लिए सुलभ, सुरक्षित और अंतर्संचालनीय हैं। ये जरूरी सार्वजनिक सेवाओं का आधार बनती हैं।
  उदाहरण के लिए: **आधार, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI)** आदि।

डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DPIP) के बारे में

- इसका उद्देश्य उन्नत तकनीकों का उपयोग करके **वास्तविक इंटेलिजेंस साझा करके और उसे समेकित करके धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन को मजबूत** करना है।
- यह **बैंकों के बीच समन्वय को बढ़ाकर** मौजूदा धोखाधड़ी पहचान प्रणाली को भी मजबूत करेगा।
- **श्री ए.पी. होता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन** किया गया है, जो DPIP की स्थापना से जुड़े विविध पहलुओं की जांच करेगी।
- **रिजर्व बैंक इनोवेशन हब (RBIH)** को 5 से 10 बैंकों की सलाह से DPIP का एक प्रोटोटाइप (मॉडल) तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है।
  - इसमें **निजी और सरकारी दोनों प्रकार के बैंकों से सलाह** ली जाएगी।

- **DPIP की आवश्यकता क्यों है?**
  - **RBI की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, बैंकिंग सेक्टर में धोखाधड़ी के मामलों** में काफी वृद्धि हुई है।
  - वित्त वर्ष 2024-25 में **36,014 करोड़ रुपये मूल्य के धोखाधड़ी के मामले** दर्ज किए गए थे, जबकि **वित्त वर्ष 2023-24 में यह आंकड़ा 12,230 करोड़ रुपये** था।

3.8.2. लघु वित्त बैंकों (SFBs) के लिए प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण (PSL) मानदंड {Priority Sector Lending (PSL) Norms For Small Finance Banks (SFBs)}

PSL से जुड़े ये **नए नियम** भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949** की **धारा 22(1)** के तहत जारी किए गए हैं।

SFBs के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग (PSL) संबंधी नियमों में किए गए मुख्य बदलाव

पुराने नियम	नए नियम (वित्त वर्ष 2025-26 से प्रभावी)
• SFBs को अपने **एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट (ANBC)** का **75%** हिस्सा PSL क्षेत्रक को ऋण के तौर पर देना **अनिवार्य** था। ○ **40%: कृषि, सूक्ष्म उद्यम** आदि जैसे PSL क्षेत्रक के लिए **अनिवार्य।** ○ **35%:** यह **फ्लेक्सिबल** ऋण आवंटन जैसा था। इस हिस्से का उपयोग SFBs उन PSL क्षेत्रकों को ऋण देने के लिए कर सकते थे, जहां उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हो।	• **कुल PSL को घटाकर अब ANBC का 60%** कर दिया गया है। ○ **40%:** इसे कृषि, सूक्ष्म उद्यम आदि जैसे PSL क्षेत्रक के लिए अब भी **अनिवार्य** रखा गया है। ○ **20%: फ्लेक्सिबल** (अब इसका उपयोग गैर-PSL सुरक्षित ऋणों के लिए किया जा सकता है)

प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग यानी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को ऋण (PSL) के बारे में

- **स्थापना:** PSL की शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी।
- **अवधारणा:** RBI द्वारा प्रारंभ किया गया **PSL फ्रेमवर्क** बैंकों को बाध्य करता है कि वे अपने **एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट (ANBC)** का एक निर्धारित प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को ऋण के रूप में प्रदान करें।
  - **ANBC में क्या शामिल होता है:** नेट बैंक क्रेडिट (NBC), गैर-वैधानिक तरलता अनुपात यानी नॉन-SLR बॉण्ड में बैंकों का निवेश, आदि।
- **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक की श्रेणियां:** कृषि; सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME); निर्यात ऋण; शिक्षा; आवास; सामाजिक अवसंरचना; नवीकरणीय ऊर्जा; आदि।
- **PSL के मानदंड किन पर लागू हैं:** क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) सहित सभी वाणिज्यिक बैंक (PSBs), स्मॉल फाइनेंस बैंक (SFB), लोकल एरिया बैंक (LAB) और **वेतनभोगी बैंकों को छोड़कर** प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (UCB)।

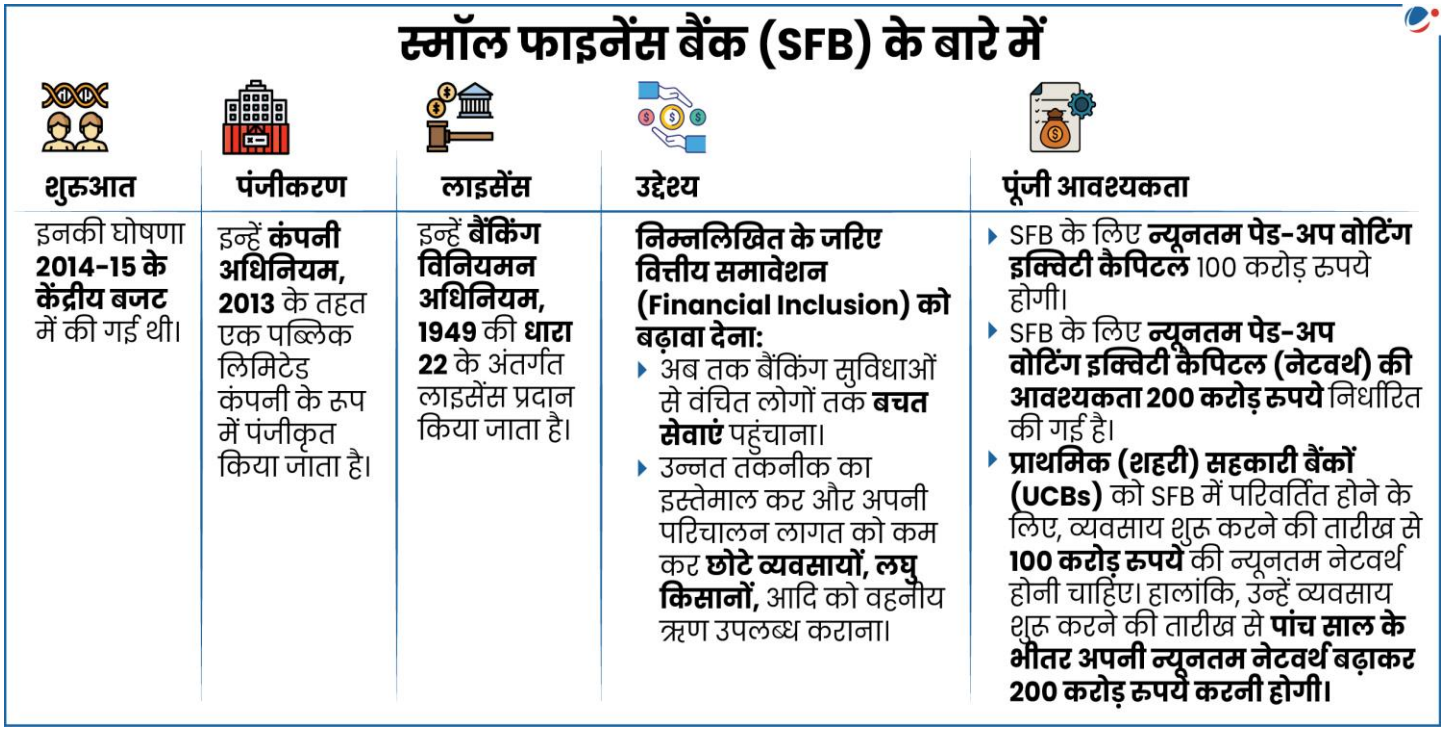

नोट: *प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को ऋण के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, मार्च 2025 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 3.4. देखें।*

3.8.3. सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड (Sagarmala Finance Corporation Limited: SMFCL)

सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड (SMFCL), **सामुद्रिक क्षेत्रक में भारत की पहली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC)** है।

- इसे पहले **सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड** के नाम से जाना जाता था। SMFCL **मिनीरत्न-श्रेणी-I में सूचीबद्ध केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम** (CPSE) है।
- अब यह **भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पास NBFC के रूप में औपचारिक रूप से पंजीकृत** कंपनी बन गई है।
- यह पत्तन प्राधिकरणों और शिपिंग कंपनियों जैसे अलग-अलग **हितधारकों को उनकी जरूरत के अनुरूप वित्तीय सहायता प्रदान** करेगी।
  - साथ ही, यह कंपनी **जहाज निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, क्रूज़ पर्यटन और सामुद्रिक मामलों में शिक्षा** जैसे रणनीतिक क्षेत्रों को भी समर्थन प्रदान करेगी।

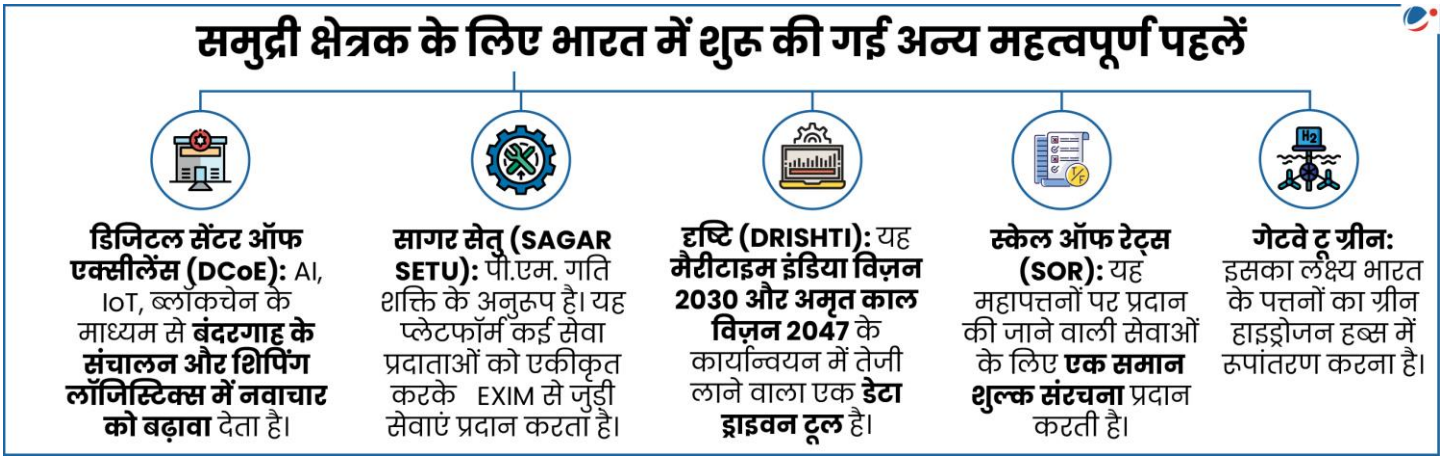

3.8.4. स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत {Indigenous Polar Research Vessel (PRV)}

भारत अपने पहले स्वदेशी 'ध्रुवीय अनुसंधान पोत (PRV)' का निर्माण करेगा।

- ध्रुवीय अनुसंधान पोत (PRV) के निर्माण के लिए **गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE) और नॉर्वे की कोंगसबर्ग ओस्लो के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU)** पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत के लिए पोत निर्माण क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।
    - **कोलकाता स्थित GRSE रक्षा मंत्रालय के तहत युद्धपोत बनाने वाली मिनी रत्न श्रेणी-I की प्रमुख कंपनी** है।

ध्रुवीय अनुसंधान पोत (PRV) के बारे में

- **परिचय:** ये पोत **उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए एक प्लेटफॉर्म** के रूप में कार्य करते हैं।
- **उद्देश्य:** ये पोत नवीनतम वैज्ञानिक उपकरणों से लैस होते हैं। इससे महासागरों की गहराइयों में खोज और समुद्री पारिस्थितिकी-तंत्र के अध्ययन में मदद मिलती है।

भारत के लिए स्वदेशी PRV का महत्व

- **स्वदेशी आवश्यकताओं को पूरा करेगा:** यह पोत **गोवा स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र (NCOPR)** की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। यह संस्थान इस पोत का अनुसंधान कार्यों के लिए उपयोग करेगा।
- **वर्तमान वैज्ञानिक अभियानों में सहायक:** इस अनुसंधान पोत से **अंटार्कटिका में स्थित मैत्री (1989) और भारती (2011) शोध स्टेशनों तथा आर्कटिक में स्थित हिमाद्रि (2008) शोध स्टेशन** में भारत के वैज्ञानिक अभियानों को मदद मिलेगी।
- **भौगोलिक-राजनीतिक और भौगोलिक-आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप:** यह **ध्रुवीय क्षेत्रों में भारत की उपस्थिति बढ़ाने और हितों को साधने में सहायक** सिद्ध होगा।
- **वर्तमान समुद्री विज़न का पूरक:**
    - यह पोत भारत के **सागर/ SAGAR** यानी **'क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास'** विज़न के अनुरूप है। यह विज़न भारत की **विशाल तटरेखा, रणनीतिक अवस्थिति और समुद्री विरासत का लाभ** उठाता है। और यह पोत भारत के **महासागर/ MAHASAGAR** यानी **"सभी क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए परस्पर और समग्र उन्नति" (Mutual and Holistic Advancement for Security Across the Regions)** विज़न को भी प्राप्त करने में मदद करेगा।
    - यह पोत **सागरमाला 2.0** के लक्ष्यों को भी प्राप्त करने में मदद करेगा।
        - **सागरमाला 2.0** पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत **"समुद्री अमृत काल विज़न 2047" (MAKV)** की एक प्रमुख योजना है।
        - इस विज़न का लक्ष्य **2047 तक भारत को विश्व के शीर्ष पाँच पोत-निर्माता** देशों में शामिल करना है।
- **अन्य उद्देश्य:** इस पोत से जलवायु अनुसंधान, समुद्र विज्ञान का अध्ययन, और ध्रुवीय क्षेत्रों में लॉजिस्टिक्स की आपूर्ति में भी मदद मिलेगी।

3.8.5. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रकों से प्राप्त उत्पादन के मूल्य पर रिपोर्ट (2011-12 से 2023-24) {Report on Value of Output from Agriculture And Allied Sectors (2011 12 TO 2023-24)}

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें **पिछले 10 वर्षों में भारत के कृषि क्षेत्रक के प्रदर्शन का विस्तृत विवरण** दिया गया है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **कृषि और संबद्ध क्षेत्रकों का सकल उत्पादन मूल्य (GVO):** वर्ष 2011-12 से 2023-24 के बीच (स्थिर कीमतों पर) इसमें लगातार **54.6% की वृद्धि** हुई है। साथ ही, **सकल मूल्य वर्धन (GVA) में (वर्तमान कीमतों पर) लगभग 225% की बढ़ोतरी** हुई है।
- **फसल क्षेत्रक (Crop Sector):** वर्ष 2023-24 में कुल कृषि GVO में **सबसे बड़ा योगदान फसलों (लगभग 54.1%)** का रहा।
  - **उत्तर प्रदेश** सबसे बड़ा **अनाज उत्पादक** राज्य है।
  - वर्ष 2023-24 में सभी अनाजों के GVO में **केवल धान और गेहूं** का योगदान लगभग **85%** रहा है।
- **फूलों की खेती (Floriculture):** वर्ष 2011-12 की तुलना में 2023-24 में इसका GVO **लगभग दोगुना होकर 28.1 हजार करोड़** रुपये पहुंच गया था।
- **कंडीमेंट्स (चटनी, सॉस आदि) और मसाले:**
  - **मध्य प्रदेश** सबसे बड़ा योगदानकर्ता **(19.2%)** है।
  - इसके बाद **कर्नाटक (16.6%)** और **गुजरात (15.5%)** हैं।
- **मात्स्यिकी और जलीय कृषि (Fishing & Aquaculture):** इनका कुल योगदान 2011-12 में **4.2%** था, जो 2023-24 में बढ़कर **7.0%** हो गया।
  - 2011-12 से 2023-24 के बीच **मीठे पानी की मछलियों (inland fish)** की हिस्सेदारी **घटकर 50.2%** हो गई है, जबकि **समुद्री मछलियों (marine fish)** की हिस्सेदारी में **वृद्धि** हुई है।

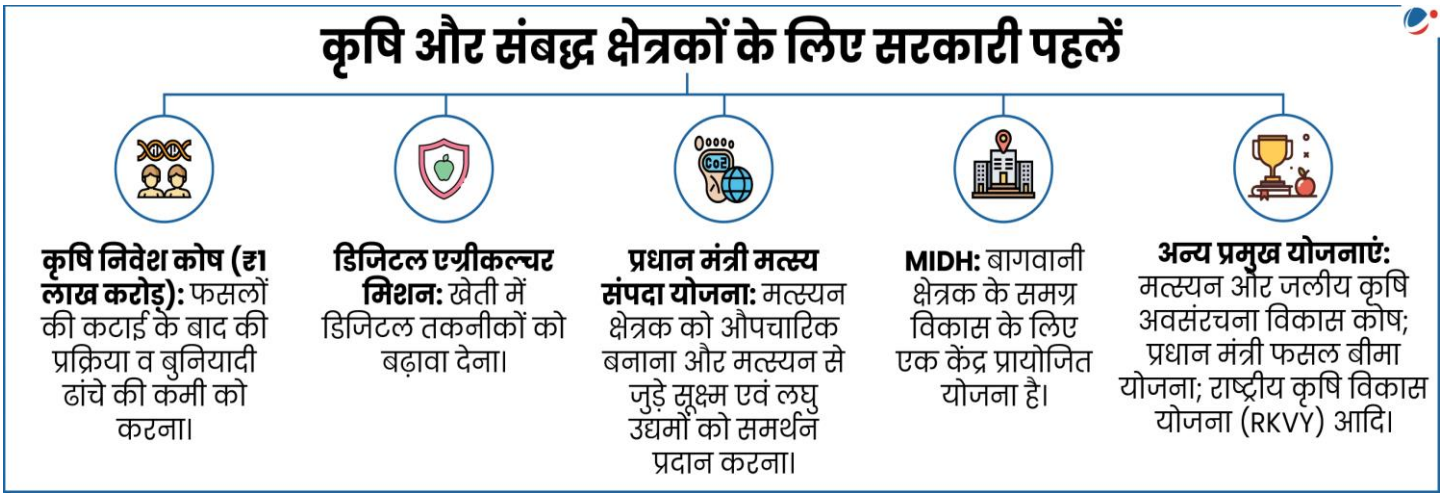

कृषि और संबद्ध क्षेत्रकों का महत्व

- **GDP में योगदान:** आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 में कृषि और संबद्ध गतिविधियों का देश की कुल GDP में लगभग **16%** का योगदान था।
- **रोजगार का साधन:** यह क्षेत्रक देश की लगभग **46.1% आबादी** को आजीविका प्रदान करता है।
- **मुख्य चुनौतियां:**
  - प्रति इकाई भूमि **कम उत्पादन क्षमता;**
  - **किसानों की आय** का कम स्तर;
  - **जल स्रोतों का अत्यधिक दोहन;**
  - **जलवायु परिवर्तन** और चरम मौसम की घटनाएं जैसे- सूखा, बाढ़, आदि।

3.8.6. संशोधित ब्याज छूट योजना (Modified Interest Subvention Scheme: MISS)

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए **संशोधित ब्याज छूट योजना (MISS)** के तहत **ब्याज छूट (IS) घटक** को जारी रखने को मंजूरी दी है। साथ ही, आवश्यक धनराशि को भी स्वीकृति दी गई है।

संशोधित ब्याज छूट योजना के बारे में

- **योजना का प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक की योजना
- **मंत्रालय:** कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
- **उद्देश्य:** किसानों के लिए **किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)** के माध्यम से **कम ब्याज दर पर अल्पकालिक ऋण** की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- **कार्यान्वयन करने वाली संस्था:** भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)।
- **योजना के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर**
  - **ब्याज अनुदान योजना (ISS) का प्रकार (2006-07):** यह **7% ब्याज** पर KCC ऋण प्रदान करता है।
  - किसानों को **किसान क्रेडिट कार्ड** के माध्यम से **3 लाख रुपये तक का अल्पकालिक ऋण 7% की रियायती ब्याज दर** पर उपलब्ध कराया जाता है। योजना के तहत पात्र **ऋण-दाता संस्थानों को 1.5% की ब्याज** छूट दी जाती है।
  - ऋणों को समय पर चुकाने वाले किसानों को **3% तक का 'प्रॉम्प्ट री-पेमेंट इंसेंटिव' यानी 'त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन'** के रूप में अतिरिक्त लाभ भी मिलता है। इससे **प्रभावी ब्याज दर** कम होकर **4%** हो जाती है।
  - केवल **पशुपालन या मत्स्य पालन हेतु लिए गए ऋणों पर ब्याज छूट का लाभ 2 लाख रुपये तक के ऋण** पर ही मिलता है।

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के बारे में

- **उद्देश्य:** किसानों को कृषि इनपुट खरीदने और उत्पादन की अन्य आवश्यकताओं के लिए ऋण प्रदान करना।
  - KCC योजना की शुरुआत 1998 में की गई थी। **2019 में योजना का विस्तार करके पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी क्षेत्रकों को भी** इसमें शामिल किया गया।
- **पात्रता:** अपनी जमीन पर खेती करने वाले कृषक, काश्तकार (टेनेंट) किसान, मौखिक पट्टेदार, बटाईदार (शेयरक्रॉपर), स्वयं सहायता समूह/संयुक्त देयता समूह।
- **जिन कार्यों के लिए ऋण लिए जा सकते हैं**: खेती और फसल कटाई के बाद की गतिविधियां, विपणन हेतु ऋण, घरेलू उपभोग की आवश्यकताएं, कृषि उपकरणों की खरीद के लिए कार्यशील पूंजी, कृषि-सहायक गतिविधियां (पशुपालन, डेयरी, मात्स्यिकी और अन्य कृषि-विस्तार कार्य) के लिए निवेश ऋण।
- **ऋण सीमा की गणना: फसल चक्र** और उद्देश्य के आधार पर।
- **कार्ड जारी करने वाले संस्थान:** सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंक, प्राथमिक कृषि साख समितियां (PACS) जो राज्य सहकारी बैंकों (SCBs) से जुड़ी हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs), ग्रामीण सहकारी बैंक।
- **KCC की अवधि**: 5 वर्ष, तथा इसका समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है।
- **किसान ऋण पोर्टल (KRP)** ने पारदर्शिता और कार्यकुशलता में वृद्धि की है।

3.8.7. अंतर्राष्ट्रीय अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान (International Crops Research Institute for The Semi-Arid Tropics: ICRISAT)

ICRISAT ने **"ICRISAT-साउथ-साउथ सहयोग के लिए उत्कृष्टता केंद्र (ISSCA)"** का शुभारंभ किया।

- यह पहल **ICRISAT** और **'विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (RIS)'** के सहयोग से शुरू की गई है।
- साथ ही, ICRISAT ने **दक्षिण/ DAKSHIN (डेवलपमेंट एंड नॉलेज शेयरिंग इनिशिएटिव) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU)** पर हस्ताक्षर किए।
  - **DAKSHIN** क्षमता निर्माण और विकास साझेदारी के माध्यम से **साउथ-साउथ सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत की पहल है।**
  - **RIS** नई दिल्ली स्थित एक स्वायत्त नीति अनुसंधान संस्थान है।

ISSCA के बारे में

- यह वैश्विक दक्षिण के देशों के बीच कृषि नवाचार, सहयोग और ज्ञान के आदान-प्रदान को गति देने के लिए समर्पित एक अग्रणी संस्थान है।
- यह भारत की **DAKSHIN पहल** (वैश्विक दक्षिण के देशों के बीच विकास और ज्ञान साझा करने के लिए सरकार समर्थित कार्यक्रम) के साथ भी निकटता से जुड़ा है।

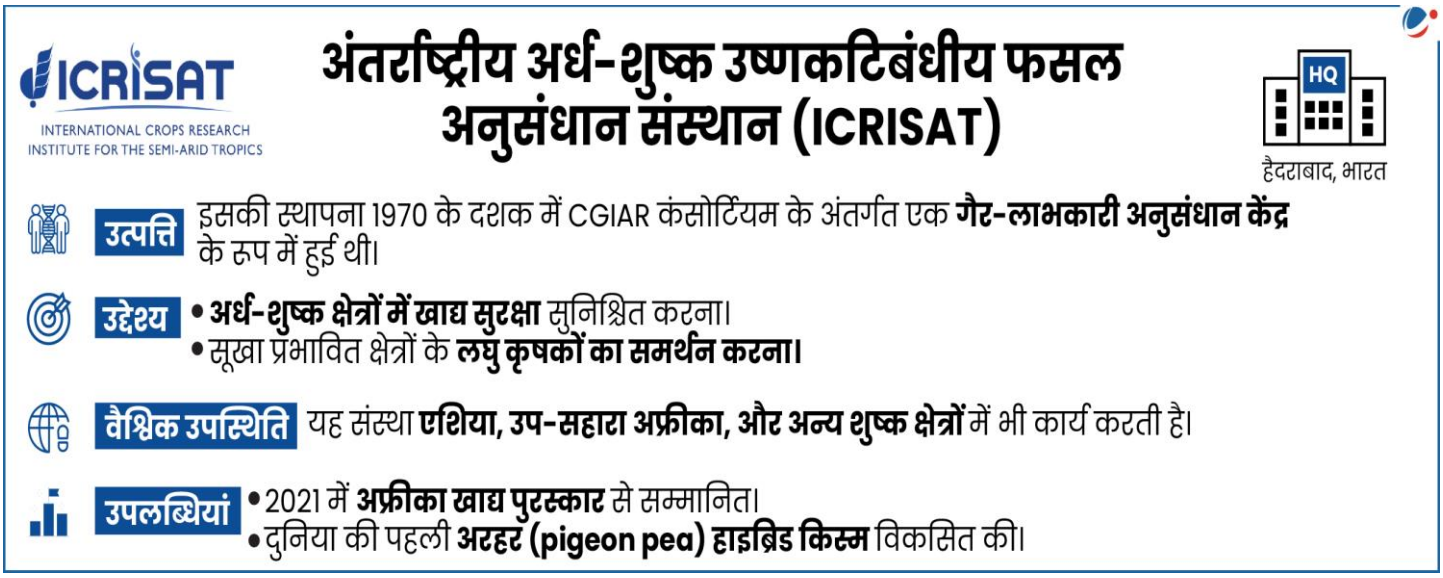

3.8.8. राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड (National Turmeric Board)

राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की अधिसूचना अक्टूबर 2023 में जारी की गई थी और **इसका उद्घाटन जनवरी 2025** में हुआ था।

राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के बारे में

- **उद्देश्य:** हल्दी से जुड़े मामलों में दिशा-निर्देश देना, विकास प्रयासों को मजबूत करना, और हल्दी क्षेत्रक के विकास व संवृद्धि के लिए स्पाइसेज बोर्ड व अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय करना।
- **मंत्रालय:** वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
- **संरचना:**
  - **अध्यक्ष**: केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त।
  - **सदस्य:** आयुष मंत्रालय; केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों, जैसे- औषध विभाग, कृषि और किसान कल्याण विभाग, वाणिज्य और उद्योग विभाग के प्रतिनिधि;
    - तीन राज्यों से (रोटेशन आधार पर) राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी तथा अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि।
    - अनुसंधान में शामिल चयनित राष्ट्रीय/ राज्य संस्थान और हल्दी किसानों व निर्यातकों के प्रतिनिधि।
  - वाणिज्य विभाग द्वारा नियुक्त एक **सचिव।**
- **भूमिका:**
  - अनुसंधान एवं विकास (R&D) को बढ़ावा देना,
  - निर्यात के लिए मूल्य संवर्धन करना,
  - हल्दी के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना,
  - हल्दी की उपज में सुधार करना, और
  - बाजारों का विस्तार करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला का विस्तार करना।

भारत में हल्दी का उत्पादन

- भारत **विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक** देश है।
- देश के 20 से अधिक राज्यों में हल्दी की लगभग **30 किस्में** उगाई जाती हैं।
- **उत्पादन:** वैश्विक हल्दी उत्पादन का **70% हिस्सा भारत उत्पादित** करता है।
  - **तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश** मिलकर घरेलू उत्पादन का **63.4%** उत्पादित करते हैं।
- **निर्यात:** हल्दी के वैश्विक व्यापार में **भारत की 62% से अधिक की हिस्सेदारी** है।
  - भारत के लिए प्रमुख निर्यात बाजार **बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका और मलेशिया** हैं।
- **भारत में GI टैग वाली हल्दी: सांगली हल्दी और वाईगाँव हल्दी** (महाराष्ट्र); **इरोड मंजल/ हल्दी** (तमिलनाडु); **लाकाडोंग हल्दी** (मेघालय) आदि।

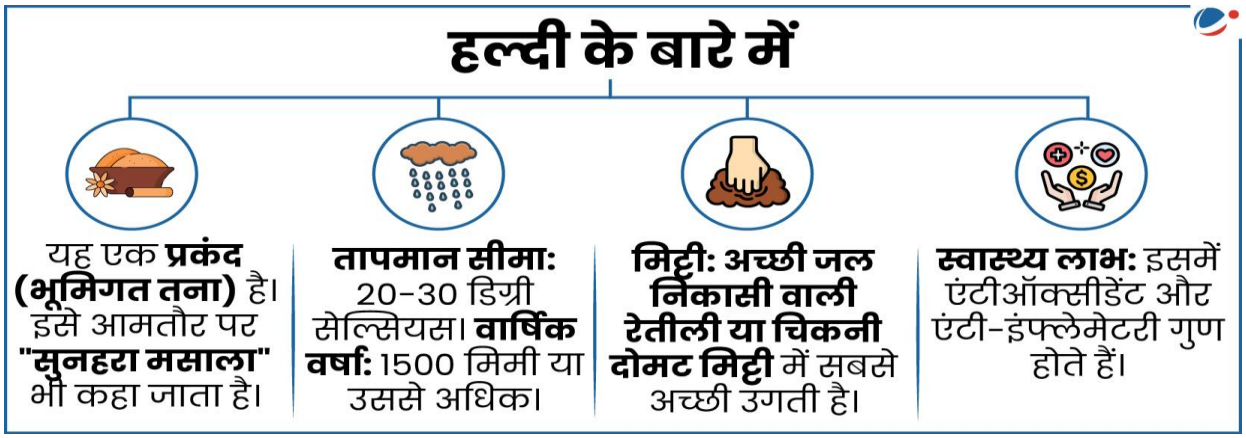

3.8.9. नैनो उर्वरक (Nano Fertilizers)

इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को-ऑपरेटिव लिमिटेड (IFFCO) ब्राजील में अपना **पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र** स्थापित करेगा।

- इफ्को ने 2021 में दुनिया का पहला **'नैनो लिक्विड यूरिया'** उर्वरक लॉन्च किया था और फिर बाद में **2023 में नैनो-DAP लॉन्च** किया।

नैनो उर्वरकों के बारे में

- **नैनो उर्वरक** ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिन्हें **नैनो आकार की सामग्री** (100 नैनोमीटर या उससे कम) में **लपेटा या कोट** किया जाता है।
- इससे **पोषक तत्व धीरे-धीरे और नियंत्रित रूप से मिट्टी** में घुलते हैं।

लाभ

- **संधारणीय कृषि को बढ़ावा देता है:** यह मृदा और जल के प्रदूषण को कम करता है।
- **लागत में किफायती:**
  - पौधों द्वारा **पोषक तत्वों का बेहतर अवशोषण** होता है।
  - **उर्वरकों की बर्बादी कम** होती है।
  - **बार-बार उर्वरक का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं** पड़ती है।

नोट: *कृषि में नैनो प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, मई 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 7.4.1. देखें।*

QUIZ
SMART QUIZ

विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अर्थव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

ऑल इंडिया मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज़

देश के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम के इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम का लाभ उठाएं

- ✓ सामान्य अध्ययन
- ✓ निबंध
- ✓ दर्शनशास्त्र

2025	ENGLISH MEDIUM 27 JULY	हिन्दी माध्यम 27 जुलाई
2026	ENGLISH MEDIUM 27 JULY	हिन्दी माध्यम 27 जुलाई

Scan the QR CODE to download VISION IAS app

ऑप्शनल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज़

- ✓ भूगोल
- ✓ समाजशास्त्र
- ✓ दर्शनशास्त्र
- ✓ हिंदी साहित्य
- ✓ राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध

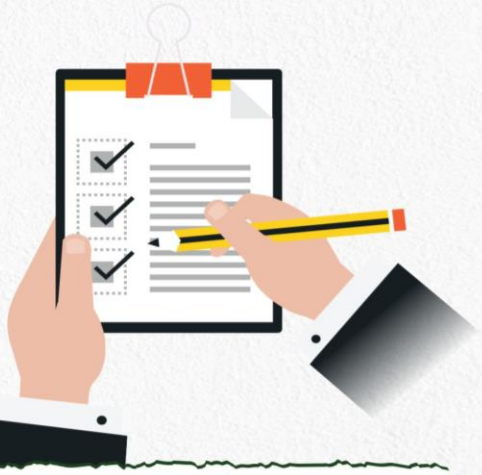

2025	ENGLISH MEDIUM 27 JULY	हिन्दी माध्यम 27 जुलाई
2026	ENGLISH MEDIUM 27 JULY	हिन्दी माध्यम 27 जुलाई

4. सुरक्षा (Security)

4.1. पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान AMCA (Fifth-Generation Fighter Jet AMCA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, रक्षा मंत्री ने निजी कंपनियों के सहयोग से पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट विमान के विकास के लिए एग्जीक्यूशन मॉडल को मंजूरी दी है। इस लड़ाकू जेट विमान का नाम **एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA)** है।

क्या आप जानते हैं?

> **सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता प्रधान मंत्री** करते हैं। यह राष्ट्रीय सुरक्षा निर्णयों के लिए **भारत की सर्वोच्च संस्था** है। इसमें आमतौर पर **गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री सदस्य** के रूप में शामिल होते हैं।

AMCA कार्यक्रम का विवरण: स्वदेशी पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान

- **पृष्ठभूमि:** 2024 में **सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति (CCS) से अनुमोदन प्राप्त** हुआ था।
- **उद्देश्य: स्वदेशी रूप से विकसित पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान** AMCA का निर्माण करना।
- **समय-सीमा:** पहला प्रोटोटाइप **2028-29** तक अपेक्षित है तथा **2034 में इसे भारतीय वायु सेना** में शामिल करने की योजना है।
- **वेरिएंट: GE-F414 इंजन के साथ AMCA Mk1; स्वदेशी इंजन के साथ Mk2** की योजना बनाई गई है।
- **अग्रणी एजेंसी:** DRDO (रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन) के तहत **एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (ADA)।**
- **उद्योगों के साथ टाई-अप:**
  - ADA, **उद्योगों की भागीदारी** के जरिए AMCA कार्यक्रम को लागू करेगा।
    - अब तक, सार्वजनिक क्षेत्र की **हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) लड़ाकू विमानों के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से घरेलू उत्पादन एजेंसी** के रूप में कार्य करती रही है।
  - अब **निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र की कंपनियां** प्रतिस्पर्धी आधार पर स्वतंत्र रूप से, संयुक्त उद्यमों के रूप में, या संघ के रूप में **बोली में हिस्सा** ले सकती हैं।
  - सभी संस्थाएं/ बोली लगाने वाली **भारतीय कंपनियां** होनी चाहिए तथा वे राष्ट्रीय कानूनों एवं विनियमों का अनुपालन करने वाली होनी चाहिए।

पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के बारे में

- लड़ाकू जेट पीढ़ियों की अवधारणा **1990 के दशक** में उभरी थी और इसे पूर्ववर्ती जेट पर पूर्वव्यापी रूप से लागू किया गया है।
  - **पहली पीढ़ी के लड़ाकू जेट** द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरणों में निर्मित किए गए थे। ये शुरुआती जेट पिस्टन वाले इंजन से निर्मित विमानों की तुलना में तेज थे, लेकिन फिर भी **अधिकतर सबसोनिक गति से ही उड़ते थे।**
- हालांकि, प्रत्येक पीढ़ी की **कोई तय परिभाषा नहीं** है, किंतु पीढ़ियों के रूप में यह वर्गीकरण मुख्य रूप से व्यापक तकनीकी प्रगतियों को समझने में मदद करता है।
  - एक नई पीढ़ी तब शुरू होती है, जब **कोई बड़ा नवाचार उन्नयन के माध्यम से पुराने जेट में नहीं जोड़ा** जा सकता।
- **पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट** आज सेवा में सबसे उन्नत हैं। **वे निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करते हैं:**
  - **ट्विन इंजन संचालित:** विशेषकर रात में एक इंजन के विफल होने की स्थिति में **उच्च स्तर की हवाई सुरक्षा** प्रदान करता है।
  - **स्टील्थ क्षमताएं:** इनमें **लो-प्रोबेबिलिटी-ऑफ-इंटरसेप्ट रडार (LPIR)** होता है और शत्रु रडार द्वारा उनका पता लगाना कठिन होता है।
  - **सुपरक्रूज के साथ अतिसक्रिय एयरफ्रेम:** पैंतरेबाजी की उच्च क्षमता और आफ्टरबर्नर के बिना सुपरसोनिक गति से उड़ान भरने की क्षमता होती है।
  - **उन्नत वैमानिकी:** उच्च-तकनीकी इलेक्ट्रॉनिक संचार, लक्ष्यीकरण और नियंत्रण प्रणाली।
  - **एकीकृत कंप्यूटर सिस्टम:** अन्य प्रणालियों के साथ नेटवर्किंग को सक्षम बनाते हैं। इससे पायलटों को पैंतरेबाजी किए बिना 360-डिग्री युद्धक्षेत्र का दृश्य मिलता है।
  - इनका विकास और रखरखाव **अत्यधिक महंगा** है।

- **उदाहरण:** वर्तमान में **केवल संयुक्त राज्य अमेरिका (F-22 और F-35), रूस (सुखोई Su-57) और चीन (चेंगदू J-20)** ने ही **परिचालन योग्य पांचवीं पीढ़ी** के विमान विकसित किए हैं।

- **संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, यूनाइटेड किंगडम, जापान, इटली, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन** जैसे कई देशों ने **छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों** के विकास की घोषणा की है।
  - इनमें **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एकीकरण, हाइपरसोनिक क्षमताएं, मानवरहित क्षमताएं** आदि तकनीकों के उपयोग होने की उम्मीद है।

पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान AMCA का सामरिक महत्त्व

- **भारतीय वायु सेना का आधुनिकीकरण:** यह MiG-29/ मिराज के चरणबद्ध तरीके से बाहर होने के बाद सेना की युद्धक क्षमता में कमी नहीं होने देगा। साथ ही, वायु सेना की घटती स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ (स्वीकृत 42 के मुकाबले 31) को बहाल करने में मदद करेगा।
- **क्षेत्रीय खतरों से निपटने में सक्षम:** चीन के J-20 और पाकिस्तान के J-10C (चीन से प्राप्त) की तैनाती का मुकाबला कर सकता है।
- **तकनीकी संप्रभुता:** विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर निर्भरता कम करता है तथा 'मेक इन इंडिया' के माध्यम से दीर्घकालिक रक्षा स्वायत्तता को बढ़ाता है।
- **आत्मनिर्भर भारत:** यह परियोजना भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और एक मजबूत **घरेलू एयरोस्पेस औद्योगिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बढ़त** प्रदान करेगी।

निष्कर्ष

AMCA कार्यक्रम के सफल निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए एक **बहुआयामी रणनीति** आवश्यक है। सरकार को **भूमि अधिग्रहण मानदंडों में ढील देकर, रक्षा-विशिष्ट औद्योगिक अवसंरचना में निवेश करके, HAL के अनुभव का लाभ उठाकर तथा निजी क्षेत्रक की क्षमता का समर्थन करके** एक सक्षमकारी इकोसिस्टम बनाना चाहिए। इस कार्यक्रम के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाने हेतु निवेश और IPR (बौद्धिक संपदा अधिकार) कानूनों का एक फ्रेमवर्क भी आवश्यक है।

4.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

4.2.1. सिल्वर नोटिस (Silver Notice)

भारत के अनुरोध पर **इंटरपोल** ने **भारत के लिए पहला सिल्वर नोटिस** जारी किया।

- इंटरपोल ने **वीज़ा धोखाधड़ी मामले में वांछित पूर्व फ्रांसीसी दूतावास अधिकारी शुभम शौकीन की वैश्विक परिसंपत्तियों का पता लगाने** के लिए यह नोटिस जारी किया है।

सिल्वर नोटिस के बारे में

- सिल्वर नोटिस, **इंटरपोल की कलर-कोडेड नोटिस प्रणाली में एक नया नोटिस है।**
  - **नोटिस:** इंटरपोल के **कलर कोडेड नोटिस, सदस्य देशों के लिए सहयोग या अलर्ट के लिए जारी किए गए अंतर्राष्ट्रीय अनुरोध** होते हैं। ये सदस्य देशों की पुलिस को गंभीर अपराध से संबंधित जानकारी को साझा करने में मदद करते हैं।
- **उद्देश्य:** भगोड़े अपराधियों और मुख्य आरोपियों की संपत्तियों का पता लगाने और जानकारी एकत्र करने की अनुमति देता है, भले ही वे संपत्तियां अन्य देशों में ही क्यों न हों।
- **विश्व के देशों के बीच सहयोग:** भारत इंटरपोल की इस पायलट परियोजना के पहले चरण में भाग लेने वाले **51 देशों में शामिल** है। यह परियोजना कम से कम नवंबर 2025 तक संचालित होगी।
- **पहला प्रयोग:** पहला सिल्वर नोटिस **जनवरी** में **इटली** की ओर से जारी किया गया था।
- **सीमा:** प्रत्येक देश पायलट चरण के दौरान **अधिकतम 9 सिल्वर नोटिस** का अनुरोध कर सकता है।

इंटरपोल (INTERPOL) के बारे में

- **मुख्यालय:** इसका **मुख्यालय फ्रांस के ल्योन** में स्थित है।
- **उत्पत्ति:** इसका गठन **1923 में वियना में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय पुलिस कांग्रेस में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग (ICPC)** के रूप में किया गया था। **वर्ष 1956** में इसका नाम बदलकर **अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (इंटरपोल)** कर दिया गया।

- **सदस्य: भारत** सहित कुल **196 देश** इसके सदस्य हैं। उल्लेखनीय है कि भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है।
- **राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (NCB):** इसे सदस्य देशों द्वारा **इंटरपोल के साथ संपर्क बनाने के लिए पहुंच बिंदु (point of access)** के रूप में स्थापित किया जाता है।
    - भारत ने **CBI को इंटरपोल का राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (NCB)** घोषित किया है। और CBI ने बेहतर समन्वय के लिए **भारतपोल पोर्टल (Bharatpol portal)** विकसित किया है।
- **शासी निकाय**: महासभा और कार्यकारी समिति।

नोट: *इंटरपोल के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, जनवरी 2025 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 4.1. देखिए।*

4.2.2. राजस्थान के पोखरण में 'रुद्रास्त्र' का सफल परीक्षण (Successful Trial Rudrastra Conducted At Pokhran, Rajasthan)

इस परीक्षण में हाइब्रिड मानवरहित हवाई वाहन (UAV) रुद्रास्त्र ने अपनी **वर्टिकल टेकऑफ़ और लैंडिंग (VTOL) क्षमताओं, विस्तारित उड़ान रेंज, रियल-टाइम निगरानी और 50 किलोमीटर की दूरी पर सटीक लक्ष्य को भेदने की क्षमता का प्रदर्शन किया।**

रुद्रास्त्र के बारे में

- यह **सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड (SDAL)** द्वारा निर्मित एक हाइब्रिड वर्टिकल टेक-ऑफ एंड लैंडिंग (VTOL) UAV है।
- **विशेषताएं:**
    - **इसकी कुल रेंज** (लक्ष्य के ऊपर मंडराने सहित) **170 किलोमीटर** है। यह **लगभग 1.5 घंटे तक उड़ान** भर सकता है।
    - इसमें **सटीक दिशा निर्देशित एंटी-पर्सनेल वारहेड्स** लगे हैं, जिन्हें **मध्यम ऊंचाई** से छोड़ा जा सकता है।
    - यह **लाइव वीडियो भेज** सकता है और **स्वचालित मोड में लॉन्च स्थान पर वापस लौट** सकता है।

नोट: *आंतरिक सुरक्षा में ड्रोन की भूमिका के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, सितंबर 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 4.1. देखें।*

4.2.3. सुर्ख़ियों में रहे अभ्यास (Exercises in News)

खान क्वेस्ट अभ्यास (Exercise Khaan Quest)	भारतीय थल सेना की एक टुकड़ी **22वें बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास 'खान क्वेस्ट'** में भाग लेने के लिए मंगोलिया के उलानबटोर पहुंची है। **खान क्वेस्ट अभ्यास के बारे में** • **शुरुआत**: 2003 में इसकी शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में हुई थी। ○ **पहला बहुपक्षीय खान क्वेस्ट अभ्यास साल 2006** में शुरू हुआ। • **उद्देश्य: संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII** के तहत भारतीय सशस्त्र बलों को शांति स्थापना मिशनों के लिए तैयार करना। ○ **संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII में शांति के समक्ष खतरे, शांति भंग होने की स्थितियां और आक्रामक कार्रवाइयों से निपटने हेतु कार्यवाही का प्रावधान** है।
पासेक्स/ PASSEX	भारत और ब्रिटेन की नौसेनाओं के बीच **संयुक्त नौसैनिक अभ्यास PASSEX** उत्तरी अरब सागर में आयोजित किया गया।

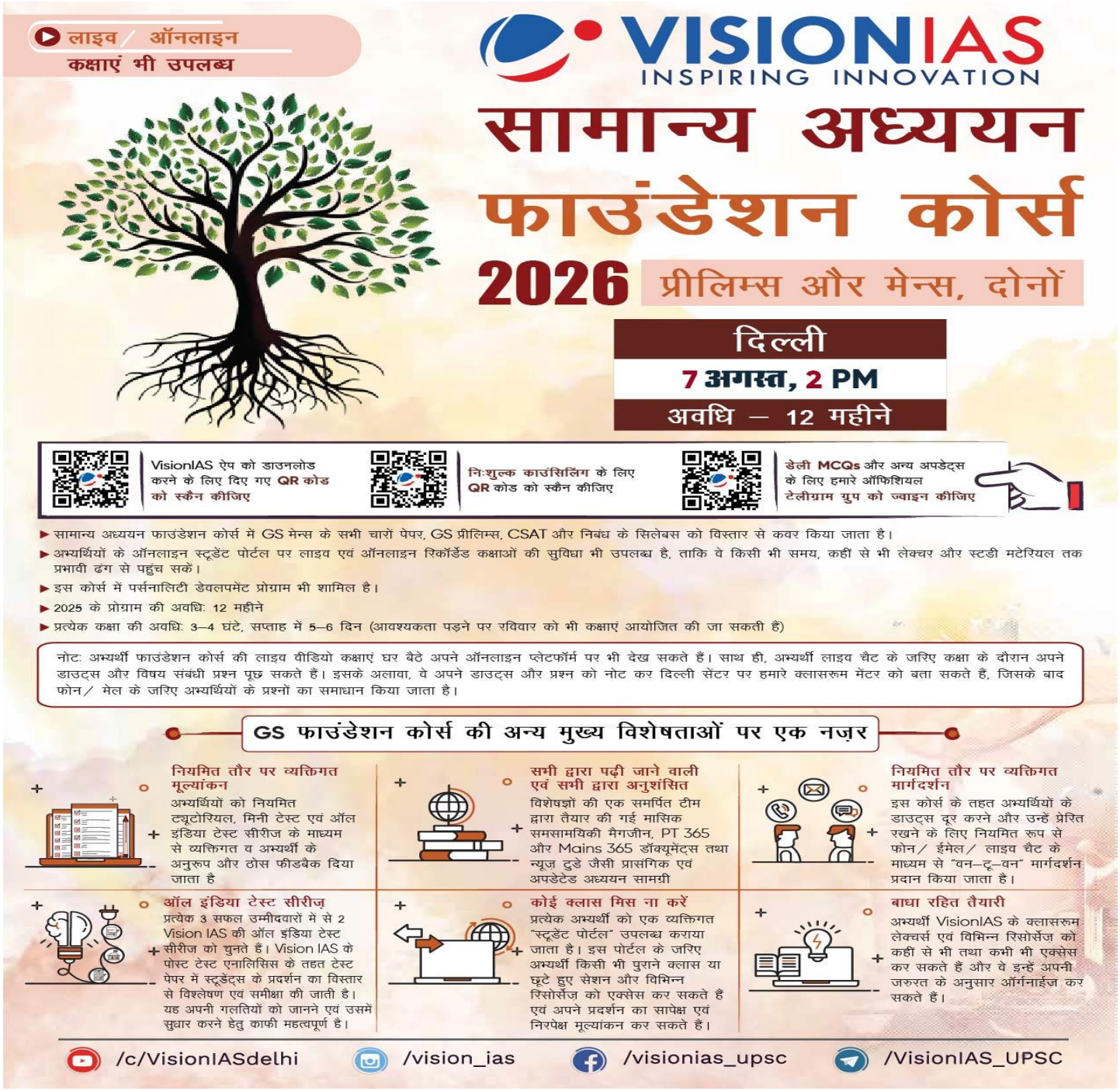

5. पर्यावरण (Environment)

5.1. कृषि वानिकी (Agroforestry)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार ने कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए **कृषि भूमि पर पेड़ों की कटाई के लिए मॉडल नियम 2025 जारी किए हैं।**

अन्य संबंधित तथ्य

- **मॉडल नियमों में शामिल हैं:**
  - कृषि वानिकी के लिए भूमि के पंजीकरण की प्रक्रिया।
  - कृषि वानिकी के अंतर्गत वृक्षों की कटाई।
  - कृषि वानिकी से उत्पादित इमारती लकड़ी का प्रमाणीकरण/ट्रांजिट।

भारत में कृषि वानिकी के बारे में

- राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति-2014 के अनुसार, "कृषि वानिकी एक भूमि उपयोग प्रणाली है जो खेतों और ग्रामीण इलाकों में पेड़ और झाड़ियाँ को एकीकृत करके उत्पादकता, लाभप्रदता, विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की संधारणीयता को बढ़ाती है।"
- 2014 की नीति का **उद्देश्य कृषि भूमि पर इस प्रकार वृक्षारोपण करना है कि यह फसलों और पशुधन दोनों के लिए लाभदायक हो।**
- भारत के कृषि वानिकी वृक्षारोपण **भारत के भौगोलिक भू-क्षेत्र के लगभग 8% भाग पर फैले हुए हैं।**

कृषि वानिकी का महत्त्व (कृषि वानिकी पर EAC-PM वर्किंग पेपर)

- **कृषि विकास: यह कृषि में 4% की सतत वृद्धि** हासिल करने में मदद कर सकता है।
- **विविध प्रभाव:**
  - यह ईंधन के लिए काम आने वाली लकड़ी की आधी मांग को पूरा करता है।
  - कागज और पल्प के लिए कच्चे माल का 60% प्रदान करता है।
  - यह भारत के हरे चारे की आवश्यकताओं (पशुपालन के लिए) का 9 से 11% तक पूरा करता है।
- **खाद्य सुरक्षा:** यह **कृषि उत्पादन को बढ़ाता है (औसतन 51 प्रतिशत)** और फसल की विफलता को रोकता है।
  - **इससे पोषण, स्वास्थ्य, स्थिरीकरण और समुदायों की आय में सुधार** होगा।
- **संधारणीय विकास:**
  - **कार्बन पृथक्करण:** यह प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष **13.7 से 27.2 टन CO_2 का पृथक्करण कर सकता है।**
  - **मृदा स्वास्थ्य:** एग्रोफॉरेस्ट्री मृदा की जैविक कार्बन (SOC)[20] मात्रा को बढ़ाने में सहायक होती है। उदाहरणस्वरूप, केवल गेहूं और मूंग की खेती में SOC 0.62% थी, जबकि जब वही फसलें पॉपलर के पेड़ों के साथ उगाई गई तो SOC बढ़कर 1.14% हो गई। इसके अलावा, एग्रोफॉरेस्ट्री मृदा की लवणता को भी कम करती है।

[20] Soil Organic Carbon

- **जलवायु स्मार्ट कृषि:** यह बाढ़ आदि जैसी चरम मौसमी घटनाओं का सामना कर सकती है।
- **पर्यावरण संबंधी:** इससे प्राकृतिक वनों पर दबाव कम होगा, **पोषक तत्वों का अधिक कुशल पुनर्चक्रण होगा**, **पारिस्थितिकी प्रणालियों का बेहतर संरक्षण होगा** तथा सतही अपवाह, पोषक तत्वों का रिसाव और मृदा अपरदन में कमी आएगी।
- **वन के बाहर वृक्ष:** कृषि वानिकी वन के बाहर वृक्षों की संख्या बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

- **अन्य: इसमें** रोजगार सृजन, आयात में कमी तथा फर्नीचर और निर्माण उद्योग के लिए आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना शामिल है।

कृषि वानिकी के विकास की चुनौतियां

- **नीतिगत खामियां:**
  - किसानों के लिए कृषि वानिकी ट्री मैनुअल के अभाव के कारण चयनित वृक्षों के बारे में **जानकारी का अभाव** है।
  - **जल वानिकी (Aqua forestry) जैसी अनूठी और उच्च तकनीक वाली कृषि वानिकी** प्रणालियों पर कम जोर दिया जाता है।
- **प्रतिबंधात्मक विनियम:** परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया **जटिल** है और **प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों पर कर** लगाए जाते हैं।
- **भारत की नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम (NTPS) का अपर्याप्त उपयोग:** यह एक ऑनलाइन प्रणाली है जो लकड़ी, बांस आदि के अंतर-राज्य/ अन्तः राज्य परिवहन के लिए पास जारी करती है।
  - अब तक **82% आवेदन** केवल तीन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और जम्मू-कश्मीर) से प्राप्त हुए हैं।
- **उच्च किस्म के बीजों की उपलब्धता:** बेहतर पौध सामग्री और इम्प्रूव्ड बीज किस्मों की कमी है।
- **पिछली नीतियों में बाधाएं**: पुरानी नीतियों में केवल कुछ प्रजातियों (जैसे पॉपलर, यूकेलिप्टस, कदम) पर **अत्यधिक जोर** दिया, जो भारत की जलवायु और मिट्टी के अनुकूल नहीं थी। उदाहरण के लिए, **यूकेलिप्टस अत्यधिक जल गहन** वृक्ष है।
- **अन्य:** विपणन अवसंरचना का अभाव, संस्थागत वित्त और बीमा कवरेज की कमी, आदि।

निष्कर्ष

लाभप्रदता, उत्पादन और पर्यावरणीय प्रभाव में संतुलन के लिए कानूनों को सरल बनाने, NTPS के बेहतर उपयोग और अगली पीढ़ी की प्रणालियों को लागू करने की आवश्यकता है।

5.2. अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन 2025 (International Conference on Disaster Resilient Infrastructure 2025)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, फ्रांस में आयोजित 7वें अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन (ICDRI)[21] में भारत के आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन[22] में अफ्रीकी संघ शामिल हुआ।

[21] International Conference on Disaster Resilient Infrastructure

[22] Coalition for Disaster Resilient Infrastructure

अन्य संबंधित तथ्य

- **ICDRI 2025 द्वारा** लघु द्वीपीय विकासशील देश (SIDS)[23] **में तटीय रेसिलिएंस के लिए कार्रवाई का आह्वान** किया गया है।
  - **ICDRI:** यह आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) के तहत एक मंच है। **यह जलवायु अनुकूलन, तटीय लचीलेपन और संधारणीय विकास पर चर्चा और कार्रवाई को आगे बढ़ाता है।**
- इस वर्ष का सम्मेलन यूरोप में आयोजित होने वाला पहला सम्मेलन है। इसकी **सह-मेजबानी ICDRI एवं फ्रांस सरकार** द्वारा की जा रही है।
  - इस सम्मेलन की थीम है: **"शेपिंग अ रेसिलिएंट फ्यूचर फॉर कोस्टल रीजंस"।**

तटीय क्षेत्रों से संबंधित सुभेद्यता

- **मानव जीवन और संपत्ति के लिए जोखिम:** तटीय क्षेत्र पूरी दुनिया में खतरों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं, क्योंकि दुनिया की **60% से अधिक आबादी और दो-तिहाई बड़े शहर** तटीय क्षेत्रों में स्थित है।
  - भारत में लगभग **25 करोड़ लोग समुद्र तट से 50 कि.मी. के दायरे** में रहते हैं।
- **जलवायु परिवर्तन:** अनुमान है कि जलवायु परिवर्तन के कारण तटीय क्षेत्रों में समुद्र जल स्तर में वृद्धि, बाढ़, और तूफानों जैसी आपदाओं की तीव्रता एवं आवृत्ति में वृद्धि होगी।
- **आर्थिक नुकसान:** उदाहरण के लिए, **वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्ट (GAR)[24], 2025 के अनुसार,** चक्रवात फेनी (2019) के कारण ओडिशा में विद्युत से संबंधित लगभग 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अवसंरचना क्षतिग्रस्त हुई थी।
- **पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के लिए खतरा:** उदाहरण के लिए- मैंग्रोव जोखिम सूचकांक के अनुसार, बार बार आने वाले **चक्रवातों और समुद्र के जल स्तर में वृद्धि के कारण, वर्ष 2100 तक दुनिया के आधे मैंग्रोव को गंभीर खतरों** का सामना करना पड़ सकता है।
- **सामाजिक रूप से कमजोर समुदायों पर प्रभाव:** तटीय क्षेत्र में आपदाओं के बढ़ने से तटीय क्षेत्रों में सामाजिक रूप से कमजोर आबादी, जैसे बुजुर्गों, देशज मछुआरे समुदायों, आदि के लिए पहले से मौजूद असमानताओं में और वृद्धि होने की संभावना है।
- **तटीय क्षेत्रों के लिए गंभीर खतरे:**
  - **सुनामी:** उदाहरण के लिए- **2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी ने** 230,000 से अधिक लोगों की जान चली गई और लाखों लोगों को विस्थापित हो गए। साथ ही, इसने भारत सहित 14 देशों के संबंधित तटीय क्षेत्रों को तबाह कर दिया।
  - **चक्रवात:** उदाहरण के लिए- **चक्रवात 'रिमल' (2024) ने भारत और बांग्लादेश** को काफी प्रभावित किया।
  - **तूफानी ज्वार: उदाहरण के लिए-** 2023 में कच्छ और मोरबी जिलों के निचले क्षेत्रों में 2 से 2.5 मीटर ऊँची तूफानी ज्वारीय लहरें आई थी। (IMD)
  - **तटीय अपरदन:** उदाहरण के लिए- MoEFCC के अनुसार, **भारत की 33.6% तटीय रेखा** अपरदन के कारण खतरे में है।

आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) के बारे में

- **शुरुआत:** CDRI की स्थापना भारत द्वारा वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन [25] में की गई थी।
- **परिचय:** यह एक वैश्विक साझेदारी है। इसमें **राष्ट्रीय सरकारें, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, बहुपक्षीय विकास बैंक, और निजी क्षेत्रक शामिल हैं।**
- **उद्देश्य:** सतत विकास सुनिश्चित करते हुए जलवायु और आपदा जोखिमों को सहने में सक्षम (रेसिलिएंस) अवसंरचना **प्रणालियों को बढ़ावा देना।**
- **सदस्य: 56 सदस्य,** सचिवालय **नई दिल्ली** (भारत) में।
- **रिपोर्ट:** ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेसिलिएंस रिपोर्ट।
- **गवर्नेंस:** CDRI की गवर्निंग काउंसिल में दो राष्ट्रीय सरकारों के प्रतिनिधि सह-अध्यक्ष होते हैं, जिनमें से भारत स्थायी सह-अध्यक्ष है।

[23] Small Island Developing States

[24] Global Assessment Report

[25] United Nations Climate Action Summit

- **प्रमुख पहलें**
  - **इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेसिलिएंट आईलैंड स्टेटस (IRIS)[26]:** यह पहल लघु द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS) में रेसिलिएंट, संधारणीय और समावेशी अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।
  - **इंफ्रास्ट्रक्चर रेसिलिएंस एक्सलेरेटर फंड[27]:** यह फंड UNDP और UNDRR के सहयोग से स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर आपदा-रोधी अवसंरचना प्रणाली के विकास को समर्थन देना है।

भारत द्वार तटीय सुभेद्यता के शमन हेतु शुरू की गयी पहलें

- **तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ)[28] अधिसूचना (2019):** इसका उद्देश्य तटीय क्षेत्रों और समुद्री क्षेत्रों का संरक्षण करना तथा मछुआरों और अन्य स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- **एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना (ICZMP)[29]:** यह परियोजना ओडिशा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य संधारणीय प्रथाओं के माध्यम से तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण करना है।
- **तटीय सुभेद्यता सूचकांक (CVI)[30]:** भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (आईएनसीओआईएस) ने विभिन्न मापदंडों के आधार पर विभिन्न तटीय क्षेत्रों की भेद्यता का आकलन और मानचित्रण करने के लिए CVI विकसित किया है।
- **बहु-आपदा सुभेद्यता मानचित्र[31]:** भारतीय राष्ट्रीय समुद्री सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) ने विभिन्न मानकों के आधार पर भारत के तटीय क्षेत्रों की सुभेद्यता का आकलन एवं मानचित्रण करने के लिए यह सूचकांक विकसित किया है।
- **तटीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (CMIS)[32]:** यह एक डेटा संग्रह प्रक्रिया है। इसमें निकटवर्ती समुद्री क्षेत्रों से जानकारी एकत्र की जाती है। यह जानकारी विशेष स्थलों पर तटीय सुरक्षा संरचनाओं के नियोजन, डिज़ाइन और निर्माण में सहायक होती है।
- **जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC)[33]:** इस योजना में राष्ट्रीय जल मिशन जैसी पहलें शामिल हैं, जो संधारणीय जल एवं वानिकी प्रबंधन के माध्यम से तटीय क्षेत्रों की रेसिलिएंस क्षमता को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देती हैं।

निष्कर्ष

तटीय क्षेत्र और द्वीपीय राष्ट्र समुद्र जल स्तर में वृद्धि, चक्रवात, अपरदन और चरम मौसमी घटनाओं जैसी बढ़ती जलवायु आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। भारत, CDRI और अपनी राष्ट्रीय पहलों के माध्यम से रेसिलिएंस एवं समावेशी अवसंरचना निर्माण की दिशा में प्रयासरत है। जलवायु जोखिमों के बढ़ते प्रभावों से निपटने के लिए स्थानीय जरूरतों और नवाचार पर आधारित वैश्विक कार्रवाई आवश्यक है ताकि तटीय समुदायों एवं पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा की जा सके।

5.2.1. आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) वित्तपोषण {Disaster Risk Reduction (DRR) Financing}

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (UNDRR)[34] ने "रेसिलिएंस पे: फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग फॉर अवर फ्यूचर" शीर्षक से **वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्ट (GAR)[35]** जारी की है।

---

[26] Infrastructure for Resilient Island States

[27] Infrastructure Resilience Accelerator Fund

[28] Coastal Regulation Zone

[29] Integrated Coastal Zone Management Project

[30] Coastal Vulnerability Index

[31] Multi-Hazard Vulnerability Maps

[32] Coastal Management Information System

[33] National Action Plan on Climate Change

[34] United Nations Office for Disaster Risk Reduction

[35] Global Assessment Report

अन्य संबंधित तथ्य

- इसके अलावा, हाल ही में भारत ने **आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच (GP2025) की 8वीं बैठक में विश्व की सबसे बड़ी आपदा जोखिम न्यूनीकरण वित्तीय प्रणाली** का प्रदर्शन किया है।
- **GPDRR की स्थापना 2006** में की गई थी। इसका उद्देश्य **सेंडाई फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन पर हुई प्रगति का मूल्यांकन और उस पर चर्चा** करना है।

DRR के लिए मौजूदा वित्त-पोषण तंत्र

संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय कोष	बहुपक्षीय विकास बैंक (MDBs)	राष्ट्रीय स्तर	द्विपक्षीय सहायता और साझेदारियां	अन्य
• उदाहरण के लिए- हरित जलवायु कोष (GCF) DRR को समर्थन प्रदान करता है।	• उदाहरण के लिए- विश्व बैंक का आपदा जोखिम वित्त-पोषण और बीमा (DRFI) कार्यक्रम।	• राष्ट्रीय और स्थानीय बजटों में DRR को शामिल करना। • **जलवायु वित्त-पोषण:** उदाहरण के लिए- राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाएं (NAPs) आदि।	• उदाहरण के लिए- USAID विविध DRR कार्यक्रमों को समर्थन प्रदान करता है।	• निजी क्षेत्रक और मिश्रित वित्त-पोषण (उदाहरण के लिए- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व)।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) क्या है?

- यह ऐसे कदमों को दर्शाता है जो **नई आपदाओं की आशंका को रोकने, मौजूदा जोखिम को कम करने** और **बचे हुए जोखिम** का प्रबंधन करने के लिए उठाए जाते हैं। इसका उद्देश्य **लचीलापन** और **सतत विकास** को मजबूत करना होता है।
  - **उदाहरण:** नई प्रकार की आपदा-रोधी अवसंरचना का निर्माण।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण के वित्त-पोषण की आवश्यकता क्यों है? (GAR 2025)

- **सीमित सहायता:** केवल **2% विकास सहायता** ही आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) पर खर्च होती है।
- **आपदाओं का बढ़ता आर्थिक बोझ:** पिछले दो दशकों में आपदाओं से होने वाली वित्तीय हानि दोगुनी हो गई है।
- **विकासशील देशों की उच्च सुभेद्यता:** 2023 तक **केवल 49% कम विकसित देश (LDCs)** ही **मल्टी-हैज़र्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम** से लैस थे।
- **असंधारणीय आपदा जोखिम प्रबंधन के 3 नकारात्मक चक्रों को तोड़ना आवश्यक है:**
  - **आय में गिरावट, कर्ज में वृद्धि का चक्र:** ऐसा अनुमान है कि जलवायु संबंधी आपदाओं से 2050 तक वैश्विक आय में 19% तक गिरावट आ सकती है। इससे विशेष रूप से कम आय वाले देश सबसे अधिक प्रभावित होंगे।
  - **असंधारणीय जोखिम हस्तांतरण चक्र:** उदाहरण के लिए- भारत में बीमा कवरेज 1% से भी कम है, जिससे आपदा जोखिम साझा करने की क्षमता सीमित होती है।
  - **रिस्पांड-रिपीट:** DRR में **निवेश किया गया प्रत्येक 1 डॉलर भविष्य में आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई (recovery costs) में 15 डॉलर की बचत** करता है।

संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (UNDRR)

UNDRR

HQ जिनेवा स्विट्ज़रलैंड

उत्पत्ति: इसे मूल रूप से **UNISDR** के रूप में **1999 में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण रणनीति (ISDR) के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने** के लिए स्थापित किया गया था।

परिचय: आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) के समन्वय के लिए **संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर यह एक प्रमुख एजेंसी** है।

मिशन: समावेशी सतत विकास और **सेंडाई फ्रेमवर्क (2015-30)** के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए **आपदा जोखिम न्यूनीकरण में वैश्विक प्रयासों में तेजी लाने हेतु नेतृत्व एवं सहायता प्रदान करना।**

- यह एक **15-वर्षीय गैर-बाध्यकारी समझौता** है, जिसमें **7 लक्ष्य** हैं। यह **ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन (2005-15)** का एक बेहतर संस्करण है।
- इसे **2015 में सेंडाई (जापान) में आयोजित तीसरे 'संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) विश्व सम्मेलन'** में अपनाया गया था।

DRR हेतु पर्याप्त वित्त-पोषण जुटाने में प्रमुख चुनौतियां?

- **समर्पित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय तंत्र का अभाव:** DRR वित्तीय प्रणालियों की स्थापना के लिए कोई वैश्विक फ्रेमवर्क नहीं है।
- **वित्तीय निर्णयों में DRR का सीमित एकीकरण**: सरकारें, व्यापार संगठन और वित्तीय संस्थान **जोखिम आधारित सोच को वित्तीय निर्णयों** में शामिल नहीं करते हैं।
  - वित्तीय निर्णयों में प्रासंगिक जोखिम विश्लेषण को शामिल करने के लिए **डेटा और साक्ष्य** कुछ भौगोलिक क्षेत्रों एवं खास प्रकार की आपदाओं के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
- **राजनीतिक रूप से जोखिमपूर्ण मानना**: DRR हेतु वित्त-पोषण को **अनिश्चित घटनाओं** पर खर्च माना जाता है, जिनका **तुरंत लाभ नहीं दिखता है**।
- **अन्य:** इसमें विकासशील देशों में कमजोर संस्थागत क्षमता, राष्ट्रीय DRR रणनीतियों का अभाव आदि शामिल है।

भारत की आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) वित्त-पोषण प्रणाली

- **DRR वित्त-पोषण तंत्र:** भारत में **आपदा वित्त-पोषण** एक **पूर्व-निर्धारित और नियम आधारित व्यवस्था** के अनुसार होता है, जिसमें **राष्ट्रीय से लेकर राज्य और जिला स्तर तक** निधियां भेजी जाती हैं। यह व्यवस्था **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005** द्वारा समर्थित है।
  - इस बदलाव ने सुनिश्चित किया कि **आपदा से जुड़ा वित्त-पोषण अब प्रतिक्रियात्मक नहीं**, बल्कि **सुनियोजित और पूर्वानुमान योग्य** हो गया है।
- **वर्तमान आवंटन: 15वें वित्त आयोग** के तहत DRR हेतु कुल **2.32 लाख करोड़ रुपये (लगभग 28 अरब अमेरिकी डॉलर)** से अधिक का आवंटन किया गया है।
- **भारत के DRR वित्त-पोषण दृष्टिकोण के चार प्रमुख सिद्धांत**
  - **तैयारी, शमन, राहत** और **पुनर्बहाली** के लिए **डेडिकेटेड फाइनेंशियल विंडो।**
  - **प्रभावित लोगों और सुभेद्य समुदायों की ज़रूरतों को प्राथमिकता देना।**
  - **सरकारी के सभी स्तरों - केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय - पर वित्तीय संसाधनों की की उपलब्धता।**
  - **पारदर्शिता, जवाबदेही और परिणामों का मापन**—ये सभी खर्चों को निर्देशित करते हैं।

आगे की राह

- **विनियामक फ्रेमवर्क में सुधार:** उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय सरकारों और नियामकों को **मानक (Standards)** और **वर्गीकरण (Taxonomies)** बनाना चाहिए, जैसे यह परिभाषित करना कि **"सतत और आपदा-रोधी निवेश"** क्या होता है।
- **वित्त पर नजर रखना:** उदाहरण के लिए, **जो बजट आवंटित किया गया है**, उसमें से **जो निवेश वास्तव में उपयोग किया गया है**, उसकी **निगरानी और लेखा-जोखा रखा जाना चाहिए।**
- **अभिनव वित्तीय दृष्टिकोण अपनाना:** उदाहरण के लिए- मिश्रित वित्त, **'डेब्ट-फॉर-रिज़िलिएंस स्वैप्स'**, क्रेडिट रेटिंग में आपदा जोखिमों को एकीकृत करना, ग्रीन बॉण्ड, आपदा बॉण्ड (जो वैश्विक निवेशकों को जोखिम हस्तांतरित करते हैं और पारंपरिक बीमा से परे अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा प्रदान करते हैं), आदि।
- **विभिन्न स्तरों पर वित्त-पोषण को बढ़ावा देना:** उदाहरण के लिए- कम लागत वाली, बार-बार आने वाली आपदाओं को राष्ट्रीय कोष या आकस्मिक क्रेडिट लाइन्स के माध्यम से कवर किया जाना चाहिए। वहीं, दुर्लभ, अधिक गंभीर आपदाओं के लिए बीमा या अन्य जोखिम-हस्तांतरण समाधान अपनाने चाहिए।

निष्कर्ष

आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) में निवेश केवल विकास की आवश्यकता नहीं, बल्कि एक रणनीतिक निवेश है जो सतत भविष्य सुनिश्चित करता है। अगर हमें आपदा और पुनर्प्रतिक्रिया के दुष्चक्र को तोड़ना है, तो वैश्विक समुदाय को प्रतिक्रियात्मक खर्च से हटकर जोखिम आधारित पूर्व नियोजन को अपनाना होगा, ताकि लचीलापन को वित्तीय और नीतिगत निर्णयों के केंद्र में रखा जा सके।

5.3. समुद्री आपदाएं (Maritime Disasters)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO)[36] से हाल की समुद्री घटनाओं की व्यापक जांच और वैश्विक समीक्षा करने का आग्रह किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत के तट के पास जहाजों के डूबने और आग लगने की घटनाओं में वृद्धि के कारण, भारत ने IMO की **मैरीटाइम सेफ्टी कमेटी (MSC)** में कंटेनर की सुरक्षा और कार्गो के सही प्रकटीकरण से जुड़े नियमों को मजबूत करने का अनुरोध किया है।
- भारत ने **अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खतरनाक वस्तु (IMDG)[37] संहिता** के तहत वर्गीकृत लिथियम-आयन बैटरियों और अन्य खतरनाक वस्तुओं की पैकेजिंग, घोषणा, निगरानी के वैश्विक मानकों में सुधार की ओर IMO का ध्यान आकर्षित किया है।

समुद्री आपदाएं

- समुद्री आपदाओं में **जहाज का डूबना, टक्कर, फंस जाना, आग लगना, विस्फोट और तेल का रिसाव जैसी घटनाएं** शामिल हैं।
  - आजकल के नए जोखिमों में **खतरनाक रसायनों**, **परमाणु अपशिष्ट**, **खतरनाक कार्गो**, **पनडुब्बियों**, और **हथियारों** का परिवहन शामिल है।

हाल की समुद्री घटनाएं

- **लाइबेरियाई-ध्वज वाले पोत MSC एल्सा 3 का डूबना (कोच्चि तट):**
  - इस दुर्घटना के बाद, तिरुवनंतपुरम के तट पर बड़ी संख्या में 'नर्डल्स' (छोटे प्लास्टिक के कण) पाए गए।
    - इन्हें **प्राथमिक माइक्रोप्लास्टिक** कहा जाता है। ये 1 से 5 मिमी आकार के होते हैं और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को दूषित कर सकते हैं। ये टूटकर माइक्रो और नैनोप्लास्टिक में बदल जाते हैं और **खाद्य श्रृंखला में प्रवेश** कर सकते हैं।
- **MV वान हाई 503 पर आग लगना (केरल तट):** जहाज के कार्गो में **कैल्शियम कार्बाइड,** प्लास्टिक के पेलेट्स और भारी ईंधन तेल शामिल थे, जिससे पर्यावरण संबंधी गंभीर चिंताएं बढ़ गईं।
- **परिणाम:**
  - **पर्यावरण:** इन घटनाओं से **तेल का रिसाव, प्लास्टिक नर्डल्स, जैव विविधता का नुकसान होना और ब्लास्ट वाटर** संबंधी संदूषण जैसी समुद्री प्रदूषण की समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
  - **स्वास्थ्य:** विषाक्त रसायनों या तेल के संपर्क से सफाई करने वाले कर्मचारियों और स्थानीय लोगों में लंबे समय तक रहने वाली स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।
  - **आर्थिक नुकसान और सुरक्षा:** इसमें तटीय क्षेत्रों का क्षरण, समुद्र तट की सफाई में खर्च, स्थानीय लोगों की आजीविका पर असर, पर्यटन में गिरावट आदि शामिल है।

समुद्री घटनाओं/ आपदाओं के प्रबंधन में चुनौतियां

- **कार्गो की जानकारी में पारदर्शिता का अभाव:** जहाज़ों पर सामान भेजने वाले अक्सर अपनी वस्तुओं की सही जानकारी नहीं देते हैं। इससे अधिकारियों के लिए खतरे का सही से आकलन करना और उनका शमन करना मुश्किल हो जाता है।
- **संवेदनशील वस्तुओं को अकुशल तरीके से संभालना:** खतरनाक या संवेदनशील वस्तुओं या अन्य मटेरियल को लापरवाही से संभालने पर आग लगने और पर्यावरण को नुकसान पहुँचने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा, पैकेजिंग और भंडारण के लिए कोई मानक नियम न होने से यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है।
- **जहाजों के स्वामित्व और प्रबंधन की जटिल संरचना:** कई बार जहाज़ों के मालिक और प्रबंधन अलग-अलग देशों से होते हैं (जैसे- लाइबेरिया का झंडा, जर्मन स्वामित्व, साइप्रस से प्रबंधित)। इस तरह की जटिल संरचना से ज़िम्मेदारी तय करना और जवाबदेही सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाता है।

[36] International Maritime Organization

[37] International Maritime Dangerous Goods

- **वैश्विक प्रतिक्रिया और विनियामक कार्रवाई में देरी:** ऐसी घटनाओं की जांच करने और सुरक्षा नियमों को अपडेट करने के लिए कोई त्वरित वैश्विक व्यवस्था नहीं है। मौजूदा विनियामक सुधार अक्सर किसी घटना के घटित होने के बाद किए जाते हैं, पहले से रोकथाम के लिए कोई प्रणाली नहीं होती है।
- **बीमा संबंधी दावे:** समुद्री बीमा नीतियां जटिल होती हैं, और कवरेज, जिम्मेदारी व खर्च के बंटवारे को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकते हैं।

समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) की भूमिका

- **समुद्र में खतरनाक वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (IMDG Convention)[38]:** इसमें खतरनाक वस्तुओं की मार्किंग, पैकेजिंग, लोडिंग और परिवहन से संबंधित नियम हैं। इसका उद्देश्य जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और दुर्घटनाओं को रोकना है।
- **समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (SOLAS)[39], 1974:** यह जहाजों की सुरक्षा, आग से बचाव, नेविगेशन और संचालन संबंधी आवश्यक मानक तय करता है।
- **तेल प्रदूषण से निपटने की तैयारी, प्रतिक्रिया और सहयोग पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (OPRC)[40] और OPRC-HNS प्रोटोकॉल (2000):** यह सदस्य देशों को तेल रिसाव की स्थिति से निपटने के लिए आकस्मिक योजनाएं बनाने और सहयोग करना अनिवार्य करता है।
- **जहाजों पर हानिकारक एंटी-फाउलिंग सिस्टम के नियंत्रण पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (AFS Convention)[41]:** यह जहाजों के निचले हिस्से पर समुद्री जीवों को चिपकने से रोकने के लिए इस्तेमाल होने वाले हानिकारक पदार्थों के उपयोग को नियंत्रित करता है।
- **बैलास्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन:** इसका उद्देश्य जहाजों के बैलास्ट वाटर के माध्यम से **हानिकारक समुद्री जीवों और रोगजनकों** के प्रसार को रोकना एवं उन्हें नए समुद्री परिवेश में जाने से रोकना है।
- **जहाजों के सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल पुनर्चक्रण के लिए हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन[42]** यह सुनिश्चित करता है कि जहाजों का पुनर्चक्रण मानव स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण के लिए अनावश्यक जोखिम उत्पन्न न करे।

भारत में समुद्री आपदाओं से संबंधित कानूनी तंत्र

- **मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 1958:** यह अधिनियम **समुद्री सुरक्षा**, जहाजों का पंजीकरण, **क्रू यानी चालक दल के कल्याण**, **प्रदूषण की रोकथाम**, और **समुद्री उत्तरदायित्वों** से संबंधित है।
- **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986:** इसका उपयोग समुद्री प्रदूषण, जैसे- तेल रिसाव और खतरनाक पदार्थों के अपवाह के खिलाफ पर्यावरण सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए किया जाता है।
- **राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिकता योजना (NOS-DCP)[43]:** इसका संचालन **भारतीय तटरक्षक बल** करता है। यह समुद्री क्षेत्र में **तेल और खतरनाक रसायनों के रिसाव** से निपटने के लिए **संचालन संबंधी दिशा-निर्देश** प्रदान करता है।
- **एडमिरल्टी (समुद्री दावा की अधिकारिता और निपटारा) अधिनियम [44]2017:** यह अधिनियम समुद्री दुर्घटनाओं और टकरावों से जुड़े **समुद्री दावों** के निपटान के लिए एक **कानूनी ढांचा** प्रदान करता है और ऐसे मामलों में **न्यायालयों की अधिकारिता** को परिभाषित करता है।

आगे की राह

- **रोकथाम रणनीतियां:**
  - **पोत परिवहन संबंधी सख्त विनियमन:** वैश्विक स्तर पर SOLAS कन्वेंशन और MARPOL विनियमों का सख्ती से पालन; मर्चेंट शिपिंग एक्ट के प्रावधानों के अनुसार भारतीय जलक्षेत्र की अधिक प्रभावी निगरानी की जानी चाहिए।
  - **जोखिम मानचित्रण और ज़ोनिंग:** पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे- CRZ, मैंग्रोव) की पहचान करना और आस-पास तेल परिवहन को प्रतिबंधित करना चाहिए।
  - **कार्गो प्रबंधन में प्रौद्योगिकी और पारदर्शिता की भूमिका:** इलेक्ट्रॉनिक कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम, खतरनाक वस्तुओं या पदार्थों की रीयल-टाइम निगरानी और ब्लॉकचेन-आधारित प्रकटीकरण आदि को लागू किया जाना चाहिए।

---

[38] Convention on International Trade in Dangerous Goods at Sea

[39] International Convention for the Safety of Life at Sea

[40] International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation

[41] International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships

[42] The Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships: Hong Kong Convention

[43] National Oil Spill Disaster Contingency Plan

[44] Admiralty (Jurisdiction and Settlement of Maritime Claims) Act

- **IMO विनियमों में सुधार करना:** लाभकारी स्वामित्व का पूर्ण प्रकटीकरण अनिवार्य करना, ध्वज संबंधी देश के दायित्वों में वृद्धि करना और प्रबंधकीय बनाम परिचालन संबंधी नियंत्रण को लेकर जिम्मेदारियों का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए।
- **पता लगाना और अग्रिम चेतावनी:**
  - निगरानी के लिए **तटीय रडार, ड्रोन और इसरो के RISAT जैसे उपग्रहों** का उपयोग किया जाना चाहिए।
  - भारतीय जलक्षेत्र में आवाजाही पर नज़र रखने के लिए जहाजों पर **स्वचालित पहचान प्रणाली (AIS)**[45] को अनिवार्य रूप से लागू करना चाहिए।
- **प्रदूषणकर्ता द्वारा भुगतान का सिद्धांत:** जहाज मालिकों को जवाबदेह ठहराने के लिए भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत दायित्व को लागू करने की आवश्यकता है।
- **अदालत के बाहर समझौते और समुद्री बातचीत एवं मध्यस्थता:** यह समुद्री विवादों के शीघ्र समाधान में मदद करेगा।
- **प्रशिक्षण एवं जागरूकता:** बंदरगाह अधिकारियों और मछुआरों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए।

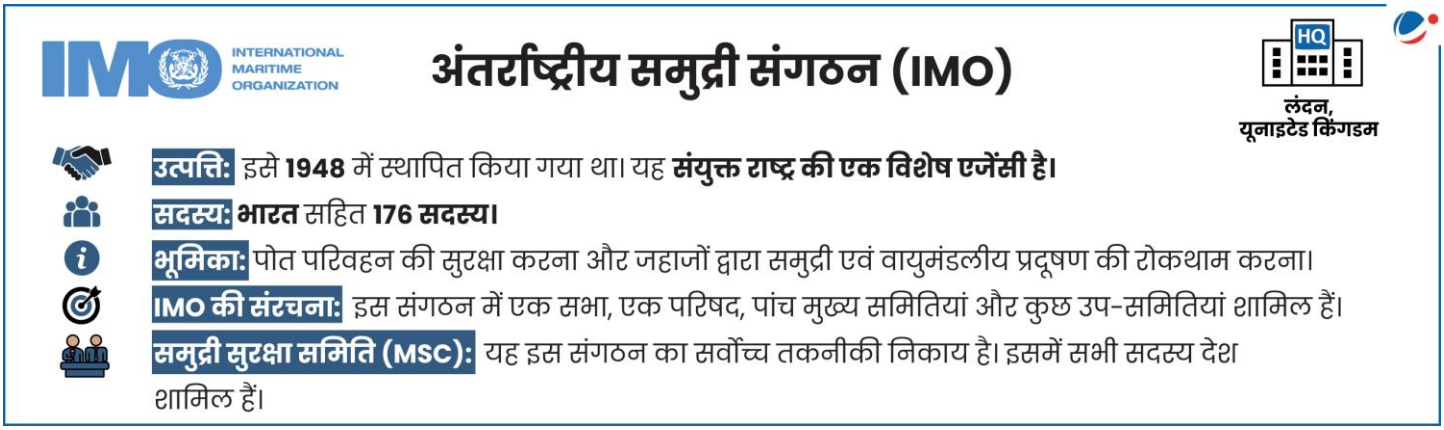

5.4. भीड़ आपदा प्रबंधन (Crowd Disaster Management)

सुर्ख़ियों में क्यों?

RCB की IPL जीत का जश्न मनाने के लिए चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जुटी भारी भीड़ में भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।

क्या आप जानते हैं?

> भीड़-भाड़ वाली आपदाओं में होने वाली मौतों का सबसे आम कारण **कंप्रेसिव एस्फेक्सिया (दबाव के कारण दम घुटना)** होता है।
> - **केवल 6-7 लोगों द्वारा एक ही दिशा में धकेलने से इतना संपीडन बल (Compression force)** उत्पन्न हो सकता है, जो **स्टील को भी मोड़** सकता है।

भगदड़ क्या है?

संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (UNDRR) के अनुसार, भगदड़ तब होती है जब भीड़ में लोग किसी खतरे या जगह की कमी के डर से अचानक एक तरफ भागने लगते हैं।

भीड़ प्रबंधन में असफलता और उसके कारण

- **भीड़ नियंत्रण में असफलता:**
  - **अत्यधिक भीड़:** चिन्नास्वामी स्टेडियम की मौजूदा क्षमता 34,600 लोगों की थी जबकि वहां 2.5 लाख लोग जमा हो गए थे।
  - **संबंधित पक्षों के बीच समन्वय की कमी:** RCB के सोशल मीडिया हैंडल ने पुलिस के साथ ठीक से समन्वय किए बिना स्टेडियम के गेट्स पर निशुल्क पास देने की घोषणा कर दी।
- **भीड़ के व्यवहार को उकसाने वाले कारण:**
  - **घबराहट और संरचनात्मक समस्याएं:** 2017 में मुंबई के एलफिंस्टन रोड स्टेशन पर भारी बारिश के दौरान एक संकरी और फिसलन भरी पैदल चलने की जगह पर पुल गिरने की अफवाह से घबराहट फैल गई थी, जिससे भगदड़ मच गई।
  - **आग/बिजली से संबंधित घटनाएं:** 1995 में हरियाणा की डबवाली फायर ट्रेजेडी में, एक टेंट वाले कार्यक्रम स्थल में आग लगने और बाहर निकलने का रास्ता संकरा होने के कारण भगदड़ मच गई थी।
  - **किसी सेलिब्रिटी की झलक पाने की होड़:** 2024 में हैदराबाद में "पुष्पा 2" के प्रीमियर के दौरान एक सेलिब्रिटी की एक झलक पाने की कोशिश में भगदड़ मच गई थी।

[45] Automatic Identification Systems

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के भीड़ प्रबंधन के लिए दिशा-निर्देश

तैयारी करना

- **जोखिम का आकलन और योजना: फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस (FMEA)** जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके हर संभावित खतरे का आकलन करना चाहिए। इसमें खतरे की गंभीरता, उसके होने की संभावना और उसे पहचानने में होने वाली कठिनाई को मापा जाता है।
  - **उदाहरण:** 2024 के T20 वर्ल्ड कप रोडशो को मुंबई में जिस तरह से सफलतापूर्वक नियंत्रित किया गया, उससे सीख लेनी चाहिए।
- **भीड़ की संख्या से संबंधित नियम:** प्रति वर्ग मीटर में कितने लोग हो सकते हैं, यह तय किया जाना चाहिए और साथ ही यह भी तय होना चाहिए कि किस स्थिति में (जैसे बैरिकेड टूटने पर) लोगों को निकालना शुरू करना है।
  - **उदाहरण:** न्यूयॉर्क में 1,000 से ज़्यादा लोगों वाले कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षित भीड़ नियंत्रण प्रबंधकों को रखना अनिवार्य है।
- **अवसंरचना का विकास:** स्टेडियम, घाट और मंदिरों जैसे स्थानों को फिर से डिज़ाइन किया जाना चाहिए। इनमें कई चौड़े प्रवेश/ निकास मार्ग होने चाहिए, बहुभाषी संकेतक और सार्वजनिक घोषणा प्रणाली [46] होनी चाहिए।
- **सुविधाएं और आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं:** 2025 के महाकुंभ मेले में आग की घटनाओं को रोकने और उनसे निपटने के लिए **आर्टिकुलेटिंग वॉटर टावर्स (AWT)**, वॉटर एम्बुलेंस और बहु-आपदा प्रतिक्रिया वाहन जैसी सुविधाएं उपलब्ध थीं।

प्रतिक्रिया

- **सूचना प्रणाली:** भीड़ को सही दिशा देने और उन्हें देरी, रास्ते में बदलाव या किसी खतरे के बारे में तुरंत सूचित करने के लिए **मोबाइल अपडेट, लाउडस्पीकर, साइनेज और डिजिटल बोर्ड** जैसी सूचना प्रणालियों का उपयोग किया जाना चाहिए।
- **सुरक्षा के उपाय:** सुरक्षा के लिए, सभी महत्वपूर्ण जगहों पर **वॉच टावर** स्थापित किए जाने चाहिए। साथ ही, **वायरलेस संचार नेटवर्क** और **CCTV निगरानी** की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

भारत में भगदड़ रोकने के लिए तकनीक का उपयोग कैसे किया जा सकता है?

- **RFID और IoT से भीड़ की ट्रैकिंग:** ये तकनीकें लोगों की आवाजाही पर नज़र रख सकती हैं। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि किसी भी जगह पर क्षमता से ज़्यादा भीड़ न हो।
  - **उदाहरण:** कुंभ मेला और वैष्णो देवी की तीर्थयात्राओं में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए **RFID टैगिंग** का परीक्षण किया जा चुका है।
- **निगरानी और रियल-टाइम में भीड़ की मॉनिटरिंग**
  - **AI-आधारित CCTV कैमरे और ड्रोन्स: AI- आधारित** CCTV कैमरे और ड्रोन्स भीड़ के घनत्व का विश्लेषण कर सकते हैं। ये संभावित भीड़भाड़ वाले स्थानों और घबराहट में होने वाली हरकतों का पता लगाकर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम को सही मार्गदर्शन दे सकते हैं।
- **उदाहरण:** हज यात्रा में भगदड़ को रोकने के लिए **AI-आधारित भीड़ निगरानी** का उपयोग किया जाता है।
  - **थर्मल इमेजिंग वाले ड्रोन:** थर्मल इमेजिंग वाले ड्रोन ऊपर से बड़ी भीड़ पर नजर रख सकते हैं।
  - **लाइव एरियल फीड:** हवाई निगरानी से मिलने वाली लाइव फीड कमांड सेंटर को तुरंत निर्णय लेने में मदद करती है।
- **AI मॉडल का उपयोग**
  - सभी बड़ी घटनाओं के डेटा को रिकॉर्ड करके **AI मॉडल** को प्रशिक्षित किया जा सकता है। ये मॉडल भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए तैयारी को बेहतर बनाने में मदद करेंगे।
  - **प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स** का उपयोग करके अधिक भीड़ भाड़ का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है और संकट आने से पहले ही अधिकारियों को सचेत किया जा सकता है।

[46] PA system

निष्कर्ष

प्रभावी भीड़ प्रबंधन एक **बहुआयामी जिम्मेदारी** है, जिसके लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाने, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय, सभी संबंधित पक्षों की भागीदारी और आधुनिक तकनीक को अपनाने की जरूरत होती है। भारत में सार्वजनिक समारोहों का आकार और संख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए NDMA के दिशा-निर्देशों, विशेष रूप से जोखिम-आधारित योजना का सख्ती से पालन करना बहुत ज़रूरी है।

5.5. भारत पूर्वानुमान प्रणाली (Bharat Forecast System)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने **भारत पूर्वानुमान प्रणाली** का अनावरण किया है। यह दुनिया की पहली स्वदेशी रूप से विकसित, हाई-रिज़ॉल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणालियों में से एक है।

भारत पूर्वानुमान प्रणाली के बारे में

- **विकासकर्ता:** यह प्रणाली पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के एक स्वायत्त संस्थान, **पुणे** स्थित **भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM)**[47] द्वारा विकसित की गई है।
- **भूमिका:** यह भारत में मौसम के पूर्वानुमान का रिज़ॉल्यूशन 12 कि.मी. से बढ़ाकर 6 कि.मी. करती है, जिससे देश के हर गांव को अधिक सटीक और विशिष्ट पूर्वानुमान मिल पाएगा।
- **डेटा स्रोत:** यह 40 **डॉपलर वेदर रडार** से रियल टाइम का डेटा लेती है, जिससे स्थानीय स्तर पर और तात्कालिक पूर्वानुमानों की सटीकता बढ़ती है।
    - **डॉपलर रडार:** यह एक खास तरह का रडार है जो **डॉप्लर प्रभाव** का इस्तेमाल करके कणों की गति का डेटा इकट्ठा करता है। डॉप्लर प्रभाव वह है जिसमें प्रेक्षक के सापेक्ष गतिमान स्रोत द्वारा उत्सर्जित तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन होता है।

BFS का महत्त्व

- **बेहतर सटीकता और गति:** यह प्रणाली जोखिम वाले क्षेत्रों में 64% अधिक सटीकता देती है और भारी बारिश तथा चक्रवात जैसी चरम घटनाओं के लिए 4-6 घंटे में पूर्वानुमान प्रदान करती है।
    - पुराने मौसम पूर्वानुमान मॉडल को किसी खास क्षेत्र के लिए पूर्वानुमान देने में 12 से 14 घंटे लगते थे।
- **वैश्विक नेतृत्व:** 6 कि.मी. के रिज़ॉल्यूशन के साथ, यह प्रणाली अमेरिका, UK और यूरोपीय संघ जैसे देशों से आगे है, जिनके मॉडल 9-14 कि.मी. के रिज़ॉल्यूशन पर काम करते हैं।
- **आपदा प्रबंधन और कृषि में सहायता:**
    - यह गांव और ब्लॉक स्तर पर विशिष्ट, अल्पावधि हेतु और तात्कालिक पूर्वानुमान **(नाउकास्ट)** प्रदान करता है।
    - यह किसानों, तटीय समुदायों और आपदा प्रबंधन एजेंसियों को फसल की बुवाई, सिंचाई का समय तय करने और समय पर चेतावनी देने में मदद करता है।
- **आर्थिक लाभ:** यह कृषि, बुनियादी ढांचे और जल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में जलवायु-संबंधी नुकसान को कम करने में मदद करता है।
    - यह **हाई-परफोर्मेंस कंप्यूटिंग (HPC)** प्रणाली **'अर्का'** (IITM पुणे) और **'अरुणिका'** (राष्ट्रीय मध्यम-अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, दिल्ली) द्वारा संचालित है, जो तेज़ी से सिमुलेशन (अनुकरण) प्रदान करते हैं।
- **क्षेत्रीय पूर्वानुमान:** यह निम्न और मध्यम आय वाले देशों को प्रभावित करने वाले उष्णकटिबंधीय मौसम संबंधी विक्षोभ, जैसे- मॉनसून, चक्रवात और अत्यधिक बारिश की घटनाओं का सटीक पूर्वानुमान लगाने में मदद करता है।

[47] Indian Institute of Tropical Meteorology

निष्कर्ष

भारत पूर्वानुमान प्रणाली महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अवसंरचना में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता को दर्शाती है। जैसे-जैसे जलवायु संबंधी जोखिम बढ़ रहे हैं, इस तरह की प्रगति रेसिलिएंस और समावेशी विकास सुनिश्चित करने में विज्ञान की भूमिका को उजागर करती है।

नोट: *हाइपरलोकल मौसम पूर्वानुमान के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, अक्टूबर 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 5.2. देखें।*

5.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

5.6.1. रसायन, अपशिष्ट और प्रदूषण पर अंतर-सरकारी साइंस-पॉलिसी पैनल की स्थापना की गई (Intergovernmental Science-Policy Panel on Chemicals, Waste And Pollution Established)

इसकी स्थापना का निर्णय **2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA) द्वारा पारित एक प्रस्ताव** के बाद लिया गया था। इस प्रस्ताव में इस प्रकार की एक **अंतर-सरकारी संस्था** स्थापित करने की मांग की गई थी।

- इस पैनल से जुड़ी वार्ताओं का आयोजन **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)** द्वारा किया गया था, जो अब इस **पैनल का मुख्यालय** भी होगा।
- नया पैनल राष्ट्रों को **रसायनों, अपशिष्ट और प्रदूषण की रोकथाम से संबंधित मुद्दों पर स्वतंत्र व नीति-प्रासंगिक वैज्ञानिक सलाह** भी प्रदान करेगा।
- यह पैनल **जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) और जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी-तंत्र सेवाओं पर विज्ञान-नीति मंच (IPBES)** के साथ विश्व का तीसरा वैज्ञानिक सलाहाकारी मंच है।

पैनल की आवश्यकता क्यों है?

- **त्रिग्रही पृथ्वी संकट (Triple Planetary Crisis) के प्रभाव को कम करने के लिए:** इसमें जलवायु परिवर्तन; प्रकृति और जैव विविधता की हानि तथा प्रदूषण व अपशिष्ट का संकट शामिल है।
- **रसायनों, अपशिष्ट और प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए:**
  - आज की आधुनिक जीवनशैली में उपयोग होने वाले रसायनों की मात्रा बढ़ गई है, जिनसे **अनचाहे और नुकसानदायक प्रभाव** पैदा हो रहे हैं।
  - घरों और शहरों से निकलने वाला ठोस अपशिष्ट **2023 में लगभग 2.1 बिलियन टन** था, जिसके **2050 तक बढ़कर करीब 3.8 बिलियन टन** होने की संभावना है।
  - **पिछले दो दशकों** में नए तरह के प्रदूषण **करीब 66% बढ़** गए हैं।

5.6.2. जैविक खतरों पर ILO कन्वेंशन (ILO Convention on Biological Hazards)

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के सदस्य देशों ने कार्य-परिवेश में जैविक खतरों से निपटने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन को अपनाया।

कन्वेंशन (ILO कन्वेंशन संख्या 192) के बारे में

- इसमें सदस्य देशों से **राष्ट्रीय नीतियां बनाने तथा व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य** पर उपाय अपनाने का आह्वान किया गया है। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - जैविक खतरों से बचाव और सुरक्षा;
  - दुर्घटनाओं और आपात स्थितियों से निपटने के लिए तैयारी एवं प्रतिक्रिया के उपायों का विकास करना आदि।
- **भारत की चिंताएं:**
  - **सभी क्षेत्रकों और उद्यमों के आकार पर समान रूप से यह नियम** लागू करना, चाहे जोखिम का स्तर कुछ भी हो, विकासशील देशों में MSMEs एवं अनौपचारिक उद्यमों पर अतिरिक्त बोझ डाल सकता है।
  - **कन्वेंशन में उपयोग की गई परिभाषाओं को लेकर चिंता** है, क्योंकि वे बहुत व्यापक हैं और कार्यस्थल के बाहर भी लागू हो सकती हैं। इससे अत्यधिक विनियमन की स्थिति पैदा हो सकती है।

जैविक खतरों (बायोहजार्ड) के बारे में

- बायोहजार्ड **जैविक मूल के होते हैं या जैविक वाहकों द्वारा संचारित** होते हैं। जैविक वाहकों में रोगजनक सूक्ष्मजीव (वायरस, बैक्टीरिया, कवक आदि), विषाक्त पदार्थ और बायोएक्टिव पदार्थ शामिल हैं।
  - **स्वास्थ्य देखभाल, कृषि और प्रयोगशाला में काम करने वाले लोगों के बायोहजार्ड से सबसे अधिक जोखिम** होता है।
- **बायोहजार्ड के जोखिमों को बढ़ावा देने वाले उत्तरदायी कारक हैं-** वायुमंडलीय और मौसम की स्थिति में बदलाव, गर्मी से संबंधित जोखिम और रोगाणुरोधी दवाओं का अत्यधिक उपयोग।
- **बायोहजार्ड से बचाव के लिए उठाए गए कदम:** ILO कन्वेंशन 155 और 187 तथा भारत में उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 आदि।

कन्वेंशन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- इस कन्वेंशन में प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था में सम्मानित कार्य सुनिश्चित करने को लेकर **पहली बार मानक निर्धारित करने पर चर्चा** की गई।
  - यह कार्य से संबंधित **मूलभूत सिद्धांतों एवं अधिकारों, उचित पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, और कार्यस्थल सुरक्षा व स्वास्थ्य** जैसे विषयों से जुड़ी है।
  - प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था उन आर्थिक गतिविधियों को संदर्भित करती है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर संपन्न की जाती हैं। ये प्लेटफॉर्म्स आपूर्तिकर्ताओं और उपभोक्ताओं को जोड़ने वाले ऑनलाइन बाज़ार होते हैं, जैसे- उबर, अमेजन आदि।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ने **अनौपचारिक कार्य को कम करने और औपचारिक कार्य को अपनाने को समर्थन देने के लिए एक संकल्प** अपनाया।
  - इस संकल्प में **विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्रक के कामगारों के लिए कार्य-दशाओं में सुधार, सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार और सम्मानित कार्य** सुनिश्चित करने हेतु तत्काल कार्रवाई की सिफारिश की गई है।
- **सामुद्रिक श्रम कन्वेंशन (MLC)[48], 2006 में संशोधन को मंजूरी:**
  - संशोधन के तहत नाविकों (Seafarer) को **"अपने जहाज से बाहर समय व्यतीत करने (shore leave) और स्वदेश वापसी के अधिकार"** देने के प्रावधान किए गए हैं। साथ ही, इसमें नाविकों को **प्रमुख श्रमिक (key workers) के रूप में मान्यता** देने की भी मांग की गई है। इसके अलावा, **जहाज पर होने वाली हिंसा और उत्पीड़न का समाधान** करने के उपबंध भी किए गए हैं।
  - यह कन्वेंशन जहाजों पर सभी नाविकों के लिए **न्यूनतम कार्य-दशाएं मानक और न्यूनतम जीवन स्तर मानक उपलब्ध** कराना सुनिश्चित करता है।
    - यह गुणवत्ता वाले जहाज मालिकों के लिए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में एक आवश्यक कदम भी है।
    - भारत ने **2015 में इस कन्वेंशन की अभिपुष्टि** की थी।

[48] Maritime Labour Conventio

5.6.3. स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग, 2025 (State and Trends of Carbon Pricing 2025)

विश्व बैंक समूह द्वारा "स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग, 2025" रिपोर्ट जारी की गई।

- रिपोर्ट के अनुसार, **ऑपरेशनल कार्बन प्राइसिंग (CP)** साधनों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। यह संख्या **2005 में 5** थी, जो **वर्तमान में बढ़कर 80** हो गई है। **भारत, ब्राजील और तुर्की** इन्हें सक्रिय रूप से विकसित कर रहे हैं।

रिपोर्ट में प्रकाशित मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **कवरेज:** कार्बन प्राइसिंग **वैश्विक ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन का लगभग 28% कवर** करता है। इसमें **43 कार्बन टैक्स और 37 उत्सर्जन व्यापार प्रणालियां (ETSs)** शामिल हैं।
- **राजस्व सृजन:** वैश्विक स्तर पर, 2024 में उत्सर्जन व्यापार प्रणालियों और कार्बन टैक्स से सार्वजनिक बजट के लिए **100 बिलियन अमेरिकी डॉलर** से ज्यादा की कमाई हुई थी।
- **क्षेत्रकवार कवरेज: विद्युत क्षेत्रक** के बाद **उद्योग क्षेत्रक** में सबसे अधिक कवरेज है।
  - **कृषि** और **अपशिष्ट** पर अभी भी काफी हद तक ध्यान **नहीं** दिया गया है।
- **कार्बन क्रेडिट की आपूर्ति बनाम मांग:** वर्ष 2024 में वैश्विक स्तर पर कार्बन क्रेडिट की आपूर्ति मांग से ज़्यादा रही, जिसमें लगभग **1 अरब टन अप्रयुक्त क्रेडिट (unretired credits)** मौजूद थे।

कार्बन प्राइसिंग (CP) के संबंध में प्रमुख प्रावधान

वैश्विक:

- **पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 (COP-21, UNFCCC):** यह अनुच्छेद सहयोगात्मक कार्बन मूल्य निर्धारण पद्धतियों की **अंतर्राष्ट्रीय मान्यता को सुविधाजनक** बनाने के लिए आधार प्रदान करता है।
  - जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) ने **COP-29 (बाकू, अजरबैजान) में अनुच्छेद 6.2 (सहयोगात्मक उपाय) और अनुच्छेद 6.4 (पेरिस समझौते का क्रेडिट तंत्र)** के लिए अंतिम नियमों को अपनाया था।
- **कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM):** यह **आयातित उत्पादों** से होने वाले उत्सर्जन पर सीमा पर **कार्बन मूल्य लागू** करता है। जैसे– **यूरोपीय संघ (EU) का CBAM.**

भारत

- **कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (2023):** यह योजना **दो तरह के तंत्रों** का प्रावधान करती है।
  - **अनुपालन तंत्र:** यह उन बाध्य संस्थाओं के लिए है, जो GHG उत्सर्जन तीव्रता में कमी संबंधी निर्धारित मानदंडों का पालन करके **कार्बन क्रेडिट प्रमाण-पत्र (CCSs)** अर्जित करती हैं।
  - **ऑफसेट तंत्र:** यह उन गैर-बाध्य संस्थाओं के लिए है, जो ऐसी परियोजनाओं को पंजीकृत करवा सकती हैं, जो उत्सर्जन में कमी या उसे समाप्त कर सकती हैं तथा जिनके बदले में वे CCCs अर्जित कर सकती हैं।

5.6.4. 'एशिया में जलवायु की स्थिति 2024' रिपोर्ट (State of The Climate in Asia 2024)

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने 'एशिया में जलवायु की स्थिति 2024' रिपोर्ट[49] जारी की है।

- विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) **संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी** है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **सबसे गर्म वर्ष:** साल 2024 **एशिया का अब तक का सबसे गर्म या दुनिया का दूसरा सबसे गर्म वर्ष रहा**, जिसमें तापमान 1991-2020 के औसत से 1.04°C अधिक दर्ज किया गया।।
- **तापवृद्धि की दर अधिक होना:** एशिया की तापवृद्धि दर वैश्विक औसत से दोगुनी है।
- **ग्लेशियर का पिघलना:** कम बर्फबारी और अत्यधिक गर्मी के कारण **मध्य हिमालय और तियान शान में ग्लेशियर पिघल रहे हैं।**
- **रिकॉर्ड समुद्री तापमान: समुद्री सतही जल में अब तक का सबसे अधिक तापमान** दर्ज किया गया।
  - **समुद्री जल के तापमान में दशकीय वृद्धि दर वैश्विक औसत ताप-वृद्धि दर से लगभग दोगुनी** है।

5.6.5. ग्रीन इंडिया मिशन (National Mission for a Green India)

ग्रीन इंडिया के लिए राष्ट्रीय मिशन {या ग्रीन इंडिया मिशन (GIM)} के संशोधित मिशन डॉक्यूमेंट्स जारी किए गए।

- केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने **17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस** के अवसर पर ग्रीन इंडिया मिशन से संबंधित नए डॉक्यूमेंट्स जारी किए।

ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में

- **शुरुआत:** ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत **2011** में हुई थी। यह **राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC) के आठ मिशनों में शामिल** है।
- **उद्देश्य:**
  - **वन/ गैर-वन क्षेत्रों में वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि करना:** मिशन के तहत 24 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है।
  - **पारिस्थितिकी-तंत्र सेवाओं में सुधार करना:** इसमें वायुमंडल से कार्बन का अवशोषण और भंडारण भी शामिल हैं।
  - **2030 तक 2.5 से 3.0 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) के समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण** करना, आदि।
- **ग्रीन इंडिया मिशन के तीन उप-मिशन निम्नलिखित हैं:**
  - वन क्षेत्र की गुणवत्ता और पारिस्थितिकी-तंत्र सेवाओं में सुधार;
  - वन/ वृक्ष आवरण बढ़ाना और पारिस्थितिकी-तंत्र की पुनर्बहाली; तथा
  - वनों पर निर्भर समुदायों की आय और आय-स्रोतों को बढ़ाना।
- **वित्त-पोषण:** आंशिक वित्त-पोषण मिशन के लिए **आवंटित राशि** से और शेष वित्त-पोषण **'राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (CAMPA)'** से प्राप्त होगा।
- **क्रियान्वयन अवधि:** 10 वर्ष (2021 से 2030 तक)।
- **क्रियान्वयन एजेंसी:** यह मिशन बॉटम-अप मॉडल पर आधारित है। **संयुक्त वन प्रबंधन समितियां (JFMCs)** इस मिशन की प्रमुख क्रियान्वयन एजेंसियां हैं।

[49] State of the Climate in Asia 2024 Report

5.6.6. ग्लोबल ड्रॉट आउटलुक 2025 जारी किया गया (Global Drought Outlook, 2025 Released)

यह रिपोर्ट **आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD)** ने जारी की है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **सूखे की गंभीरता में वृद्धि:** दुनिया का **लगभग 40%** भूमि क्षेत्र सूखे की बार-बार और गंभीर स्थिति का सामना कर रहा है।
  - गंभीर सूखे के कुछ हालिया उदाहरणों में **2022 का यूरोप में पड़ने वाला सूखा, 2021 का कैलिफोर्निया सूखा, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका (विशेष रूप से सोमालिया) में सूखा** शामिल हैं।
- **आर्थिक प्रभाव:** सूखे की औसत अवधि से **आर्थिक हानि हर साल 3% से 7.5% तक बढ़** रही है।
  - **भारत, ऑस्ट्रेलिया** जैसे देशों में जल से जुड़ी समस्याओं के कारण जलविद्युत ऊर्जा संयंत्रों का संचालन बाधित हो सकता है।
  - **अंतर्देशीय नदी परिवहन प्रणाली पर प्रभाव** पड़ता है (जैसे हाल ही में पनामा नहर में सूखे के कारण समस्याएं हुई थी)।
  - फसल की पैदावार में **22% तक की गिरावट** आ सकती है।
- **पारिस्थितिक प्रभाव:**
  - **मृदा की नमी में गिरावट:** 1980 के बाद से, वैश्विक भूमि के **37% हिस्से में मृदा की नमी में उल्लेखनीय गिरावट** देखी गई है।
  - **भूजल स्तर में गिरावट:** पूरी दुनिया में भूजल स्तर नीचे जा रहा है, और **62% निगरानी किए गए जलभृतों (aquifers)** में लगातार गिरावट दर्ज की गई है।
- **अन्य प्रभाव:**
  - विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO), 2021 के अनुसार सभी आपदाओं से होने वाली मौतों में से **34% मौतें सूखे की वजह** से होती हैं। इसके अलावा, सूखा **गरीबी, असमानता और लोगों के पलायन** की समस्याओं को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है।

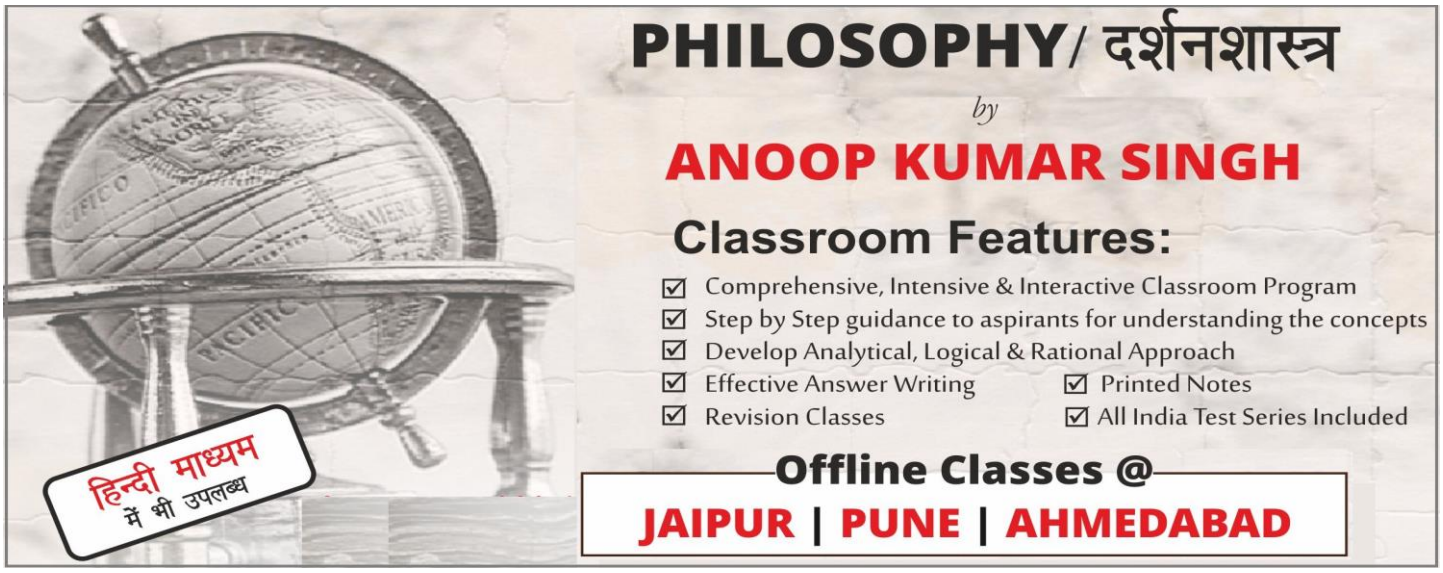

5.6.7. ओशन डार्कनिंग से वैश्विक समुद्री पारिस्थितिकी-तंत्र को गंभीर खतरा (Global Ocean Darkening Threatens Underwater Ecosystems)

यूनाइटेड किंगडम के एक विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के अध्ययन से पता चला है कि **2003 से 2022 के बीच वैश्विक महासागर का 21% हिस्सा ओशन डार्कनिंग से प्रभावित** हो गया है। यह खासकर **आर्कटिक, अंटार्कटिक और गल्फ स्ट्रीम क्षेत्रों** में हुआ है।

ओशन डार्कनिंग क्या है?

- **ग्लोबल ओशन डार्कनिंग या समुद्र के अंधकारमय** का अर्थ है **वैश्विक महासागरों में सूर्य का प्रकाश कम गहराई तक पहुंच** पा रहा है। इससे **फोटिक ज़ोन (सूर्य के प्रकाश से युक्त क्षेत्र) सिकुड़ता** जा रहा है।
  - **फोटिक जोन** समुद्री सतह की एक परत होती है। यह लगभग **200 मीटर गहरी** होती है। इसमें कुल समुद्री जीवन का लगभग **90% हिस्सा** पाया जाता है।
- अध्ययन के अनुसार यह अंधकार संभवतः **फाइटोप्लैंकटन और ज़ूप्लैंकटन (सूक्ष्म समुद्री जीवों) की अधिकता** के कारण पारिस्थितिकीय बदलाव की वजह से हो सकता है।

ओशन डार्कनिंग के लिए जिम्मेदार कारक

- **तटीय महासागरों में:** कृषिगत अपवाह, भारी वर्षा आदि की वजह से तटों के पास पोषक तत्वों, कार्बनिक पदार्थों और तलछट का जमाव हो जाता है जो बहकर समुद्र में चले जाते हैं तथा सूर्य के प्रकाश को निचली परतों में जाने से रोकते हैं।
- **खुले महासागरों में:** समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि से **शैवाल प्रस्फुटन की घटना** और जलवायु परिवर्तन के चलते समुद्री जल के परिसंचरण में हुए बदलाव ने खुले महासागरों में ओशन डार्कनिंग में अहम भूमिका निभाई है।

ओशन डार्कनिंग का प्रभाव

- **समुद्री पारिस्थितिकी और उत्पादकता:** यह सूर्य के प्रकाश पर निर्भर अनेक प्रक्रियाओं जैसे- **प्रकाश संश्लेषण, प्रजनन, विकास** आदि को प्रभावित करता है। साथ ही, इससे महासागरों की **उत्पादकता में भी गिरावट** आती है।
- **मत्स्य उद्योग: ओशन डार्कनिंग** की वजह से **मछलियों का पर्यावास सिकुड़** रहा है, जिससे उनका प्रजनन प्रभावित होता है और मछलियों की संख्या घटती है।
- **जलवायु का विनियमन:** महासागर में **कार्बन का अवशोषण और ऑक्सीजन का उत्पादन** बाधित होता है, जिससे जलवायु विनियमन प्रभावित होता है।

5.6.8. ब्लू नेशनली डिटरमाइंड कंट्रिब्यूशंस (NDCs) चैलेंज {Blue Nationally Determined Contributions (NDC) Challenge}

ब्राज़ील और फ्रांस ने **ब्लू नेशनली डिटरमाइंड कंट्रिब्यूशंस (NDCs) चैलेंज** लॉन्च किया।

- ब्राजील और फ्रांस के अलावा **6** अन्य देश पहले ही इस पहल में शामिल हो चुके हैं। ये 6 देश हैं - **ऑस्ट्रेलिया, फिजी, केन्या, मैक्सिको, पलाऊ और सेशेल्स।** इस प्रकार यह आरंभिक **8 देशों का समूह** बन गया है।

ब्लू NDC चैलेंज के बारे में

- यह सभी देशों से COP-30 से पहले **महासागर को अपने NDCs यानी "राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों" के केंद्र में रखने** का आह्वान करता है।
- **समर्थन:** इस पहल को **ओशन कन्ज़र्वेंसी, द ओशन एंड क्लाइमेट प्लेटफॉर्म तथा वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टिट्यूट थ्रू द ओशन रेसिलिएंस एंड क्लाइमेट अलायन्स** द्वारा समर्थन प्राप्त है।

जलवायु संकट से निपटने में महासागर की भूमिका

- **कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण:** महासागर पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण कार्बन सिंक में से एक हैं। ये **वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का लगभग 30% अवशोषित** करते हैं।
  - **मैंग्रोव और समुद्री घास** जैसे तटीय पर्यावास स्थलीय वनों की तुलना में **चार गुना अधिक दर पर कार्बन को अवशोषित** करते हैं।
- **ताप विनियमन:** यह ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से उत्पन्न अतिरिक्त **गर्मी का लगभग 90% हिस्सा अवशोषित** करते हैं।
- **नवीकरणीय ऊर्जा:** अपतटीय पवन ऊर्जा में **वैश्विक विद्युत की एक तिहाई से अधिक आवश्यकताओं को पूरा** करने की क्षमता है।

5.6.9. तीसरा 'संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन' (UNOC-3) (Third United Nations Ocean Conference: UNOC3)

तीसरा 'संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन (UNOC-3)' **'नीस ओशन एक्शन प्लान' अपनाने के साथ संपन्न** हुआ।

- UNOC-3 का आयोजन **फ्रांस के नीस शहर** में किया गया।
- यह सम्मेलन **फ्रांस और कोस्टा रिका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित** किया गया।

एक्शन प्लान के मुख्य बिंदु

- एक **वैश्विक रोडमैप** अपनाया गया जिसका उद्देश्य **SDG-14 की प्राप्ति को समर्थन** देना है।
  - **SDG 14 का उद्देश्य महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उनका संधारणीय उपयोग** सुनिश्चित करना है।
  - एक्शन प्लान में यह स्वीकार किया गया कि **SDG-14 को सभी सतत विकास लक्ष्यों में सबसे कम वित्तीय सहायता मिल** रही है।
- **प्लास्टिक प्रदूषण की रोकथाम पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौते** तैयार करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।
- महासागरों और उन पर निर्भर तटीय समुदायों पर **जलवायु परिवर्तन और महासागरीय अम्लीकरण के प्रभावों को कम करने** के लिए वैश्विक समन्वित कार्रवाई अपनाने की मांग की गई।

5.6.10. राजस्थान में नए रामसर स्थल (New Ramsar Sites In Rajasthan)

भारत की दो आर्द्रभूमियों को "अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की रामसर सूची" में शामिल किया गया।

- **राजस्थान की खीचन और मेनार आर्द्रभूमियों को विश्व पर्यावरण दिवस 2025** के अवसर पर रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया। इसके साथ ही, **भारत में रामसर साइट्स की कुल संख्या बढ़कर 91** हो गई है।
- **विश्व पर्यावरण दिवस 1973 से प्रत्येक वर्ष 5 जून** को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के नेतृत्व में मनाया जाता है। वर्ष 2025 के **विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है; 'बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन'।**
- दो नई आर्द्रभूमियों के शामिल होने के साथ ही राजस्थान में रामसर साइट्स की कुल संख्या **चार** हो गई हैं। राजस्थान की दो अन्य रामसर साइट्स हैं- **सांभर साल्ट लेक और भरतपुर स्थित केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान।**

दो नई रामसर साइट्स के बारे में	
खीचन आर्द्रभूमि	• **अवस्थिति:** उत्तरी थार रेगिस्तान, फलोदी जिला (राजस्थान) • इसमें दो जल निकाय, **रातड़ी नदी और विजयसागर तालाब,** नदी-तटीय पर्यावास एवं झाड़ीदार भूमि शामिल हैं। • इस स्थल पर शीतकाल में बड़ी संख्या में प्रवासी **डेमोइसेल क्रेन (एंथ्रोपोइड्स वर्ग)** आते हैं।
मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स	• **अवस्थिति:** मेनार और खेरोदा गांव, **उदयपुर जिला** (राजस्थान)। • यह तीन तालाबों **(ब्रह्म तालाब, धांड तालाब और खेरोदा तालाब) से बना ताजे जल का मानसूनी आर्द्रभूमि परिसर** है।

	• यहां पाए जाने वाली कुछ प्रमुख पक्षी प्रजातियों में **क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्वेत पुट्ठे वाला गिद्ध (जिप्स बेंगालेंसिस) और लॉन्ग बिल्ड वल्चर (जिप्स इंडिकस)** हैं। • यहां **70 से अधिक पादप प्रजातियां** पाई जाती हैं। इनमें **ब्रह्म तालाब** के आसपास **आम के पेड़ (मैंगीफेरा इंडिका)** शामिल हैं। इस पेड़ पर बड़ी संख्या में **इंडियन फ्लाइंग फॉक्स (टेरोपस जाइगेंटस)** प्रजाति रहती है।

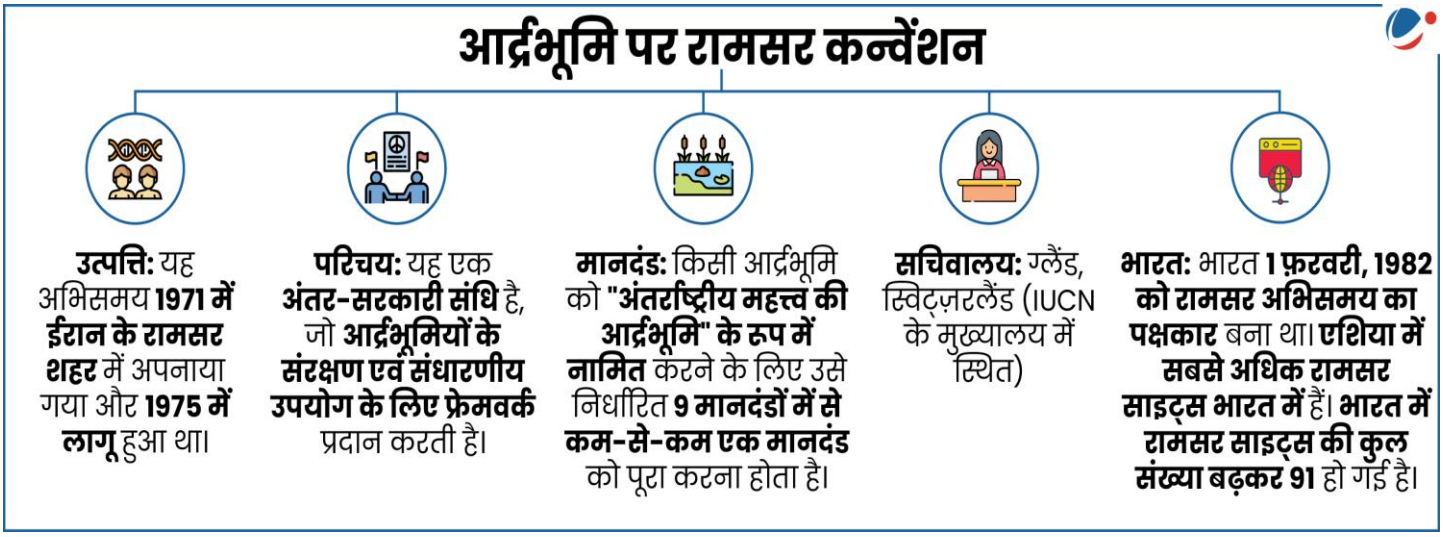

5.6.11. ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य (Greater Flamingo Sanctuary)

तमिलनाडु ने धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य को अधिसूचित किया है। इसका उद्देश्य हजारों प्रवासी आर्द्रभूमि पक्षियों के लिए सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के साथ एक महत्वपूर्ण विश्राम स्थल संरक्षित करना है।

ग्रेटर फ्लेमिंगो (फोनीकोप्टेरस रोजेस) के बारे में

- **IUCN स्थिति:** लीस्ट कंसर्न
- **वितरण:** अफ्रीका, पश्चिमी एशिया (भारत), और दक्षिणी यूरोप
- **पर्यावास:** यह प्रजाति उथली लवणीय या क्षारीय आर्द्रभूमि में प्रजनन करती है।
- **विशेषताएं:** जब ग्रेटर फ्लेमिंगो का प्रजनन का मौसम नहीं होता, तब यह पक्षी दूर तक यात्रा करता है। हालांकि, यह **फिलोपेट्रिक** है, यानी बार-बार उसी स्थान पर लौटता है या उसके आस-पास ही रहता है जहां इसे प्रजनन करना होता है।
- **गुजरात के विशाल कच्छ के रण** में **कच्छ मरुस्थलीय वन्यजीव अभयारण्य एक अनोखा संरक्षित क्षेत्र है**, जो **दक्षिण एशिया में ग्रेटर फ्लेमिंगो का एकमात्र प्रजनन स्थल** है। यह स्थल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर **"फ्लेमिंगो सिटी"** के रूप में प्रसिद्ध है।

5.6.12. IBAT एलायंस (IBAT Alliance)

IBAT एलायंस ने **2023 से 2024 तक जैव विविधता डेटा में अपना निवेश दोगुना** कर दिया है।

- यह बढ़ा हुआ निवेश तीन प्रमुख वैश्विक जैव विविधता डेटासेट का समर्थन करेगा।
  - **संरक्षित क्षेत्रों का विश्व डेटाबेस,**
  - **IUCN रेड लिस्ट,**
  - **प्रमुख जैव विविधता क्षेत्रों का वैश्विक डेटाबेस**

IBAT एलायंस के बारे में

- **मुख्यालय:** यूनाइटेड किंगडम
- **स्थापना:** 2008
- यह दुनिया के **चार सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली संरक्षण संगठनों का एक गठबंधन** है।

- **ये चार संगठन है:** बर्डलाइफ इंटरनेशनल; कंजर्वेशन इंटरनेशनल; प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ; संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र (UNEP-WCMC)।
- **मिशन:** संगठनों को **जैव विविधता से संबंधित जोखिमों पर कार्य करने में मदद** करने के लिए डेटा, उपकरण और मार्गदर्शन प्रदान करना।

5.6.13. इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (International Big Cat Alliance: IBCA)

IBCA की पहली सभा नई दिल्ली में आयोजित की गई। **केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने इस सभा की अध्यक्षता** की। साथ ही, **IBCA के महानिदेशक** की नियुक्ति भी की गई।

- यह सभा IBCA की **सर्वोच्च निर्णय-निर्माणकारी संस्था** है। इसकी प्रत्येक **दो वर्षों में कम-से-कम एक बार बैठक** आयोजित होती है।

IBCA के बारे में

- यह **कई देशों और कई एजेंसियों का एक समूह (गठबंधन)** है। इसमें **95** ऐसे देश शामिल हैं- जहां **बड़ी बिल्ली प्रजातियां पाई** जाती हैं, और कुछ ऐसे देश भी हैं, जो **बड़ी बिल्लियों के संरक्षण में रुचि** रखते हैं।
  - इन बड़ी बिल्लियों में **बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा** शामिल हैं। (टेबल देखें)
- **उत्पत्ति:** IBCA को भारत के प्रधान मंत्री ने **2023 में लॉन्च** किया था। इसे **'प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने' के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम** के दौरान लॉन्च किया गया था।
- **मुख्य उद्देश्य:** बड़ी बिल्लियों के संरक्षण हेतु **सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने के लिए एक समर्पित मंच की स्थापना करके सहयोग एवं समन्वय को बढ़ावा** देना।
- **संस्थापक सदस्य (16 देश):** आर्मेनिया, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, मिस्र, इथियोपिया, इक्वाडोर, भारत, केन्या, मलेशिया, मंगोलिया, नेपाल, नाइजीरिया, पेरू, सूरीनाम और युगांडा।
  - भारत इसका **मेजबान** देश है और यहां इसका **सचिवालय** भी है।

बिग कैट्स की सातों प्रजातियों की संरक्षण स्थिति

बिग कैट्स प्रजातियां	IUCN स्थिति	CITES दर्जा	वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972
बाघ (पैंथेरा टाइग्रिस)	एंडेंजर्ड	परिशिष्ट-I	अनुसूची-I
शेर (पैंथेरा लियो)	वल्नरेबल	परिशिष्ट-I	अनुसूची-I
तेंदुआ (पैंथेरा पार्डस)	वल्नरेबल	परिशिष्ट-I	अनुसूची-I
हिम तेंदुआ (पैंथेरा अन्सिया)	वल्नरेबल	परिशिष्ट-I	अनुसूची-I
चीता (एसिनोनिक्स जुबेटस)	वल्नरेबल	परिशिष्ट-I	अनुसूची-I
जगुआर (पैंथेरा ओंका)	नियर थ्रेटेन्ड	परिशिष्ट-I	भारत में नहीं पाई जाती
प्यूमा (प्यूमा कॉनकलर)	लीस्ट कंसर्न	परिशिष्ट-I	भारत में नहीं पाई जाती

5.6.14. राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा कार्यक्रम के तहत संशोधित दिशा-निर्देश (Revised Guidelines on National Bioenergy Programme)

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने **राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा कार्यक्रम के तहत 'वेस्ट टू एनर्जी' तथा 'बायोमास'** घटकों से जुड़े दिशा-निर्देशों को अपडेट किया है।

- **जैव-ऊर्जा क्या है:** बायोएनर्जी एक तरह की **नवीकरणीय ऊर्जा है, जो बायोमास ईंधन को जलाकर** प्राप्त की जाती है। यह बायोमास ईंधन **खेतों से निकलने वाले अवशेषों, फसलों, घरों से निकलने वाले जैविक कचरे जैसे जैविक पदार्थों** से बनता है।

राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा कार्यक्रम क्या है?

- **शुरुआत:** 2022
- **क्रियान्वयन:** इस योजना को **दो चरणों** में लागू किया जा रहा है, जिसके लिए कुल **₹1715 करोड़** का बजट तय किया गया है।
  - **पहला चरण:** वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक चलेगा।
- **उद्देश्य:** इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध **अतिरिक्त बायोमास (जैविक अपशिष्ट)** का बिजली बनाने के लिए उपयोग करना है। इससे **ग्रामीण लोगों को अतिरिक्त आय** भी मिल सकेगी।
- **केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA):** सरकार परियोजना विकासकर्ताओं को आर्थिक सहायता (CFA) प्रदान करेगी, जो प्रोजेक्ट की विशेषताओं पर आधारित होगी।
  - विशेष वर्गों जैसे कि **पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी राज्यों, SC/ ST लाभार्थियों** आदि को **20% अधिक CFA** दी जाएगी।
- **इस कार्यक्रम के निम्नलिखित तीन प्रमुख घटक हैं:**
  - **वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम:** यह कार्यक्रम **शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट/ अवशेषों से बायोगैस, बायो-CNG, बिजली या सिनगैस** बनाने वाली परियोजनाओं को समर्थन देता है।
  - **बायोमास कार्यक्रम:** यह योजना **बायोमास ब्रिकेट/ पैलेट बनाने वाले संयंत्रों और बायोमास (गैर-खोई) आधारित सह-उत्पादन परियोजनाओं** को सहयोग देती है।
  - **बायोगैस कार्यक्रम:** इस घटक के तहत **स्वच्छ ईंधन (कुकिंग गैस), छोटे बिजली उपकरणों को ऊर्जा, स्वच्छता में सुधार और महिला सशक्तीकरण** के लिए बायोगैस संयंत्रों को बढ़ावा दिया जाता है।
    - बायोगैस में लगभग **95% मीथेन (CH_4) और कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2)** होती है। इसके अलावा, इसमें **थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन (N_2), हाइड्रोजन (H_2), हाइड्रोजन सल्फाइड (H_2S), और ऑक्सीजन (O_2)** भी पाई जाती है।

संशोधित दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताएं

वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम

- **सरलीकृत प्रक्रियाएं:** जैसे कि MSMEs और उद्योगों को आसानी से अनुमोदन देना।
- **CFA (आर्थिक सहायता) वितरण में सुधार:** अब दो चरणों में आर्थिक सहायता दी जाएगी –
  - **पहला चरण 50%** – राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति और बैंक गारंटी के साथ, कुल CFA का 50% जारी किया जाएगा।
  - **शेष राशि** – जब **80% क्षमता** पूरी हो जाए या **निश्चित अधिकतम सीमा** तक पहुंच जाए (जो भी कम हो)।
- **अन्य सुधार:** निरीक्षण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, **लोचशील और प्रदर्शन आधारित फंडिंग** दी जाएगी आदि।

बायोमास प्रोग्राम

- **सरलीकृत प्रक्रियाएं:** जैसे कि ब्रिकेट/ पैलेट बनाने वाले संयंत्रों के लिए अब क्लीयरेंस दस्तावेजों की जरूरत नहीं है।
- **तकनीकी एकीकरण:** उदाहरण के लिए- **इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (IoT) आधारित निगरानी प्रणाली** के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है।
- **पराली जलाने से संबंधित सहायता:** NCR और आस-पास के राज्यों में पैलेट बनाने वाले उत्पादक अब MNRE या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की योजनाओं में से किसी एक को चुन सकते हैं।
- **अन्य प्रावधान:** लचीली बाजार पहुंच, प्रदर्शन-आधारित सब्सिडी आदि की सुविधा दी गई है।

नोट: *जैव ईंधन के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, मार्च 2025 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 5.1. देखें।*

5.6.15. एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स (ETI), 2025 {Energy Transition Index (ETI), 2025}

विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने हाल ही में एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 जारी किया।

मुख्य तथ्य

- इस इंडेक्स में स्वीडन पहले स्थान पर रहा, उसके बाद फिनलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे का स्थान रहा।
- **भारत की रैंक 2024 में 63 थी, जो 2025 में गिरकर 71** हो गई है।

ETI के बारे में

- यह इंडेक्स दिखाता है कि कोई देश पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों से स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने की दिशा में कितनी प्रगति कर रहा है।
- इस इंडेक्स में **दो मुख्य बातें देखी जाती** हैं:
  - सिस्टम प्रदर्शन (जैसे- ऊर्जा सुरक्षा, समानता और पर्यावरणीय स्थिरता)
  - ट्रांजिशन के लिए तैयारी (जैसे- नियम, आधारभूत ढांचा, निवेश आदि)
- यह **सूचकांक कुल 43 संकेतकों** के आधार पर तैयार किया जाता है। साथ ही, **विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग** करके **देशों को 0 से 100 अंकों के बीच स्कोर** दिया जाता है।

5.6.16. थर्स्टवेव (Thirstwave)

शोधकर्ताओं ने **एटमोस्फियरिक थर्स्ट की दीर्घावधि का वर्णन** करने के लिए एक नया शब्द **"थर्स्टवेव्स"** गढ़ा है।

थर्स्टवेव क्या है?

- थर्स्टवेव वह स्थिति होती है जब कम-से-कम **लगातार तीन दिनों तक वाष्पीकरण की मांग** उस अवधि के लिए **अपने 90वें प्रतिशत मान से अधिक** हो जाती है।
  - वाष्पीकरणीय मांग इस बात की माप है कि **वायुमंडल में जलवाष्प ग्रहण करने की कितनी क्षमता** मौजूद है।
- **तापमान, पवन की गति, आर्द्रता और धूप सहित कई कारकों का संयोजन वाष्पीकरणीय मांग** को बढ़ाता है।
- इन 'थर्स्टवेव्स' का अध्ययन **किसानों को अपने जल संसाधनों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने और फसल की पैदावार में सुधार करने में मदद** कर सकता है।

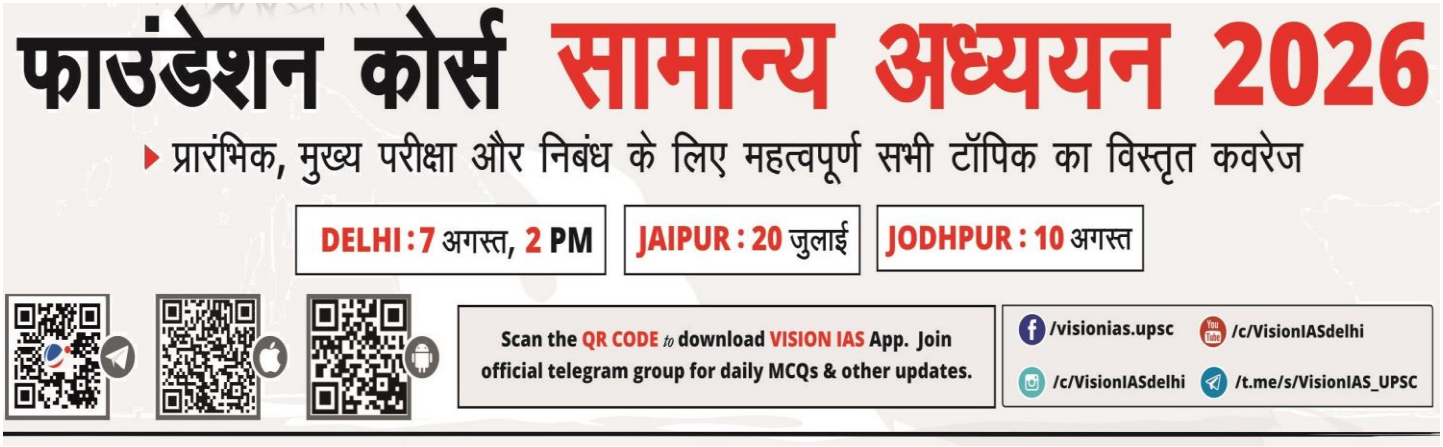

5.6.17. सलखान फॉसिल पार्क को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया (Salkhan Fossil Park Added To Unesco Tentative List For World Heritage Sites)

इसका आधिकारिक नाम **सोनभद्र फॉसिल्स पार्क** है और यह **उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले** में स्थित है।

- IUCN के 2020 के **"जीवन के विकास (Evolution of Life)" से जुड़े दिशा-निर्देशों के अनुसार यह पार्क जियो-हेरिटेज साइट** की श्रेणी में आता है। साथ ही, यह पार्क **यूनेस्को के '2021 के पृथ्वी के इतिहास और जीवन के विकास से जुड़े मानकों' पर भी खरा उतरता** है।

सलखान फॉसिल पार्क के बारे में

- यह **कैमूर पहाड़ियों** (जो विन्ध्य पर्वतमाला का हिस्सा हैं) में स्थित है और **कैमूर वन्यजीव अभयारण्य** के पास है।
- यह दुनिया के **सबसे पुराने और अच्छी तरह से संरक्षित जीवाश्म स्थलों** में से एक है। यहां के जीवाश्म करीब **1.4 बिलियन (140 करोड़) साल पुराने** हैं।
    - इस स्थल पर पाए जाने वाले जीवाश्मों में **स्ट्रोमैटोलाइट्स** शामिल हैं, जो **सायनोबैक्टीरिया (या नीले-हरे शैवाल)** के समूहों द्वारा बनाए जाते हैं।
        - ये जीवाश्मी सूक्ष्म संरचनाएं उस **महान ऑक्सीकरण घटना**[50] का रिकॉर्ड रखती हैं, जब पहली बार पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन संचित होना शुरू हुई थी।
- **सलखान फॉसिल पार्क का महत्त्व**
    - **प्राचीन वातावरण को समझने में सहायक:** इस पार्क में विभिन्न प्रकार के स्ट्रोमैटोलाइट्स पाए जाते हैं- जैसे गुंबदाकार (domal), स्तंभाकार (columnar), और परतदार (stratiform)। ये पुराने समय में जल की गहराई, तलछट (sedimentation) और लहरों की गतिविधियों में हुए बदलावों को दर्शाते हैं।
    - **प्री-कैम्ब्रियन काल की जानकारी देना:** यह स्थल वर्ल्ड हेरिटेज फॉसिल्स रिकॉर्ड में एक महत्वपूर्ण रिक्त स्थान को भरता है, क्योंकि यह **प्री-कैम्ब्रियन युग** को प्रदर्शित करता है।
        - यह पृथ्वी के इतिहास के **85% हिस्से** को कवर करता है, जो अब तक दुनिया भर में बहुत कम वर्णित किया गया है।

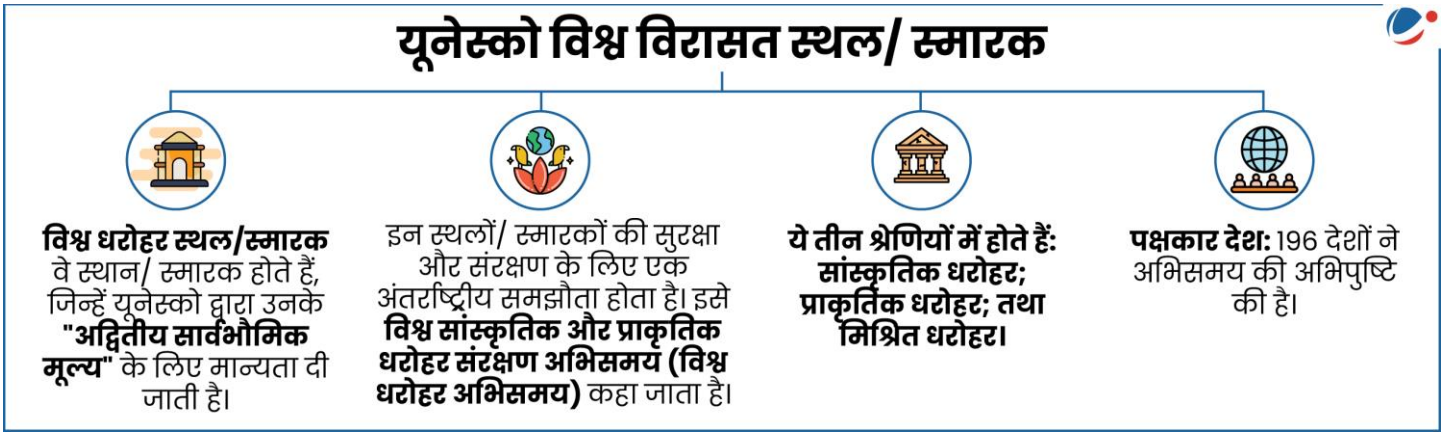

5.6.18. हाल के ज्वालामुखी विस्फोट (Recent Volcanic Eruptions)

ज्वालामुखी	विशेषताएं
माउंट एटना	• **अवस्थिति:** सिसिली द्वीप, इटली • यह **भूमध्य सागर के द्वीपों में सबसे ऊँचा पर्वत** है। • यह दुनिया का **सबसे सक्रिय स्ट्रैटोवोल्केनो** है। • **यूरोप का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी** भी है। • यह **यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल** है।

[50] Great Oxidation Event

माउंट लेवोटोबी लाकी-लाकी	• **स्थान:** यह इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप पर अवस्थित है। • **भौगोलिक अवस्थिति:** यह ज्वालामुखी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है।
किलाउआ ज्वालामुखी	• **अवस्थिति:** यह अमेरिका स्थित **हवाई द्वीप के दक्षिण-पूर्वी भाग में** अवस्थित है। • ये दोनों **शील्ड** ज्वालामुखी हैं।

QUIZ
SMART QUIZ

विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **पर्यावरण** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

6.1. सांस्कृतिक विनियोग (Cultural Appropriation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **इतालवी लक्जरी ब्रांड प्राडा** पर भारत की पारंपरिक भौगोलिक संकेतक (GI) टैग वाली **कोल्हापुरी चप्पलों** से मिलती-जुलती फ्लैट लेदर सैंडल बेचने के लिए सांस्कृतिक विनियोग का आरोप लगाया गया।

कोल्हापुरी चप्पल के बारे में

- **उत्पत्ति:** इसकी उत्पत्ति **12वीं शताब्दी में बीदर के राजा बिज्जल (कलचुरि राजवंश) और उनके प्रधान मंत्री विश्वगुरु बसवन्ना (बसवेश्वर)** के शासनकाल से मानी जाती है।
- ये **महाराष्ट्र और कर्नाटक** के स्थानीय समुदाय द्वारा **हस्तनिर्मित चमड़े की सैंडल** हैं।
- ये सैंडल अपनी **विशिष्ट गुंथी हुई चमड़े की पट्टियों, जटिल कटवर्क, टिकाऊ बनावट और पारंपरिक शिल्प कौशल** के लिए जानी जाती हैं।
- **उत्पादन की विधि:** इन्हें पूरी तरह से और विशेष रूप से बैग-टैन्ड वेजिटेबल लैदर से निर्मित किया जाता है। साथ ही, केवल वनस्पति डाई का उपयोग किया जाता है।
- इसे भारत के भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 के तहत **2019 में भौगोलिक संकेतक (GI) टैग** प्रदान किया गया था।

सांस्कृतिक विनियोग क्या है?

- सांस्कृतिक विनियोग का आशय एक संस्कृति के तत्वों को दूसरी संस्कृति के लोगों द्वारा अपनाने से है। विशेष रूप से यह तब कहा जाता है, जब कोई **प्रभावशाली समूह किसी हाशिए पर मौजूद संस्कृति के पहलुओं** को ऐसे तरीके से अपनाता है, जिसे **अनादरपूर्ण या शोषणकारी** माना जाता है अर्थात् उनका मूल अर्थ नष्ट हो जाता है या उनके महत्व का अनादर होता है।
  - **बहुसंख्यक समूह** के सदस्यों का **अल्पसंख्यक समूह की संस्कृति से आर्थिक या सामाजिक रूप से लाभ कमाना** सांस्कृतिक विनियोग कहलाता है।
- **अन्य उदाहरण:**
  - **अमेरिकी ब्रांड स्टारबक्स का "गोल्डन लाटे" या गोल्डन मिल्क भारतीय आयुर्वेद में इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक हल्दी दूध (टरमरिक मिल्क)** के समान है।
  - **इतालवी ब्रांड गुच्ची** द्वारा फूलों की कढ़ाई वाला जैविक लिनन **कफ्तान** बेचना, जो **भारतीय कुर्ते** जैसा दिखाई देता है।

सांस्कृतिक विनियोग के लिए जिम्मेदार कारक

- **संरक्षण तंत्र का अभाव:** वर्तमान में मौजूद बौद्धिक संपदा (IP) प्रणालियां (जैसे- पेटेंट, ट्रेडमार्क या कॉपीराइट) व्यक्तिगत नवाचार के लिए डिज़ाइन की गई हैं, न कि सामूहिक विरासत के संरक्षण के लिए।
- **GI टैग से संबंधित मुद्दे:** GI अधिकार मुख्य रूप से **'क्षेत्रीय प्रकृति'** के होते हैं। इसके परिणामस्वरूप, ये उस देश (या क्षेत्र) तक सीमित हो जाते हैं, जहां उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। वर्तमान में, कोई स्वचालित 'वैश्विक' या 'अंतर्राष्ट्रीय' GI अधिकार मौजूद नहीं है।
  - किसी अन्य देश में **GI के उल्लंघन के मामले में,** प्रभावित पक्ष उस देश के **बौद्धिक संपदा (IP) कानूनों पर निर्भर** करते हैं, यदि उन देशों के मध्य द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए जाते हैं।
  - हालिया मामले में, **कोल्हापुरी चप्पल GI** टैग अधिकार धारकों को इतालवी कानून के अनुसार, कानूनी कार्रवाई करने में कठिनाई हो रही है।
- **डिजिटल मार्केटप्लेस की खामियां:** ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सांस्कृतिक विनियोग के आरोप लगाए जाने के बाद ही कोई कदम उठाते हैं, जबकि पुनर्विक्रय बाजार और डिजिटल पुनरुत्पादन बड़े पैमाने पर अनियंत्रित बने हुए हैं।
- **प्रवर्तन और जागरूकता का अभाव:** महाराष्ट्र में 10,000 से अधिक परिवार पारंपरिक कोल्हापुरी चप्पल बनाते हैं, लेकिन **GI फ्रेमवर्क** के तहत केवल **95 व्यक्ति ही आधिकारिक तौर पर अधिकृत GI उपयोगकर्ता** के रूप में पंजीकृत हैं।

सांस्कृतिक विनियोग में शामिल नैतिक आयाम

- **कांट के नैतिकता के सिद्धांत (कैटेगोरिकल इंपेरेटिव) का उल्लंघन: सहमति के बिना** सांस्कृतिक तत्वों का विनियोग समुदायों को **केवल साध्य (लाभ) के एक साधन के रूप में** मानता है, न कि अपने आप में **एक साध्य के रूप में।**

- **उपयोगितावाद:** कंपनियों के लिए अल्पकालिक लाभ, हाशिए पर मौजूद समुदायों की **सांस्कृतिक गरिमा, आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को दीर्घकालिक नुकसान** पहुंचाते हैं।
- **कारीगरों की आजीविका का क्षरण:** सांस्कृतिक विनियोग **अमर्त्य सेन के 'क्षमता दृष्टिकोण'** (Capability Approach) का उल्लंघन करता है। इससे कारीगरों और सांस्कृतिक समुदायों को स्वतंत्रता, गरिमा एवं आर्थिक अवसरों से वंचित किया जाता है।

वैश्वीकरण ने भारत की सांस्कृतिक विरासत को कैसे प्रभावित किया है?

सकारात्मक प्रभाव:

- **सांस्कृतिक आदान-प्रदान:** भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्ययंत्र जैसे **सितार और तबले** का **पश्चिमी पॉप व फ्यूजन संगीत** में उपयोग किया जाता है।
- **वैश्विक पहचान: योग, आयुर्वेद, बॉलीवुड और शास्त्रीय संगीत** जैसी भारतीय कला शैलियों ने दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल की है।

नकारात्मक प्रभाव:

- **संस्कृति का समांगीकरण (Homogenisation): नेटफ्लिक्स और इंस्टाग्राम** जैसे वैश्विक मनोरंजन प्लेटफॉर्म युवा संस्कृति को आकार दे रहे हैं। अक्सर इनसे **स्थानीय कलाओं और लोक कथाओं को नुकसान** होता है।
- **सांस्कृतिक क्षरण:** पश्चिमी परिधान तेजी से **साड़ी** और **धोती-कुर्ता** जैसे पारंपरिक भारतीय परिधानों की जगह ले रहे हैं।

निष्कर्ष

प्राडा के कोल्हापुरी चप्पल विवाद में देखा गया सांस्कृतिक विनियोग, हाशिए पर मौजूद समुदायों की सांस्कृतिक विरासत और कारीगरों की आजीविका को संरक्षित करने के लिए मजबूत वैश्विक बौद्धिक संपदा सुरक्षा एवं नैतिक प्रथाओं की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

6.2. टियर-2 इन्फ्लुएंसर्स डिजिटल इंडिया में सांस्कृतिक पूंजी को पुनर्परिभाषित कर रहे हैं (Tier-2 Influencers redefining Cultural Capital in Digital India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, टियर-2 और टियर-3 शहरों के **डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स** यानी छोटे कस्बों और क्षेत्रीय शहरों से आने वाले कंटेंट क्रिएटर्स का उदय हुआ है। इनका भारत में **डिजिटल प्रभाव और सांस्कृतिक पूंजी की गतिशीलता पर गहरा प्रभाव** पड़ा है।

सांस्कृतिक पूंजी क्या है?

- **पियरे बोरदियू** के अनुसार सांस्कृतिक पूंजी गैर-आर्थिक संपत्तियों को संदर्भित करती है, जैसे- **शिक्षा, भाषा और सांस्कृतिक ज्ञान,** जो सामाजिक गतिशीलता प्रदान करते हैं।
- **भारत में पारंपरिक सांस्कृतिक पूंजी:**
  - **महानगरों का प्रभुत्व:** दिल्ली और मुंबई जैसे शहर मीडिया, फैशन व मनोरंजन में सांस्कृतिक प्रवृत्तियों को आकार देते हैं।
  - **भाषा पदानुक्रम:** अंग्रेजी और उच्च-जाति की बोलियां बौद्धिक व सौंदर्य संबंधी क्षेत्रों पर हावी हैं।
  - **कुलीन संस्थान:** सांस्कृतिक मान्यता FTII, NSD, दूरदर्शन और देश के अग्रणी विश्वविद्यालयों जैसी संस्थाओं के साथ जुड़ाव से प्राप्त होती है।

टियर-2 इन्फ्लुएंसर्स का उदय

- इसमें **जयपुर, पटना, सूरत, गुवाहाटी** जैसे शहरों के क्रिएटर्स शामिल हैं, जिनके सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं। हालांकि, इनकी **पहचान मूल रूप से क्षेत्रीय** है।
- **प्लेटफॉर्म तक पहुंच:** सोशल मीडिया (यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि) ने कंटेंट निर्माण को लोकतांत्रिक बनाया है।

टियर-2 इन्फ्लुएंसर्स कैसे सांस्कृतिक पूंजी को फिर से परिभाषित कर रहे हैं?

- **रुचि और प्रभाव का विकेंद्रीकरण**
  - जो प्रतीक पहले केवल शहरी जीवनशैली की परिष्कृत पहचान माने जाते थे, अब उन्हें ग्रामीण और क्षेत्रीय संस्कृतियों से जुड़ी नई पहचान और मान्यता मिल रही है।
  - **उदाहरण के लिए-** किरण डेम्बला जैसे गाँव-आधारित क्रिएटर्स बड़े पैमाने पर ट्रेंड बनाते हैं।

- **सांस्कृतिक शक्ति के रूप में स्थानीय भाषा**
  - IAMAI के आंकड़ों के अनुसार, **50% से अधिक शहरी इंटरनेट उपयोगकर्ता क्षेत्रीय भाषा में कंटेंट का उपयोग** करना पसंद करते हैं।
  - **शेयरचैट (भारत-फर्स्ट ऐप)** जैसे प्लेटफॉर्म्स 15 भाषाओं में 180 मिलियन से अधिक मासिक उपयोगकर्ताओं का दावा करते हैं।
  - **भोजपुरी, हरियाणवी और मराठी** में कंटेंट को लाखों व्यूज मिलते हैं।
- **लोक और स्थानीय परंपराओं का पुनरुद्धार**
  - टियर-2 इन्फ्लुएंसर्स **लोक संगीत, पारंपरिक व्यंजनों और क्षेत्रीय अनुष्ठानों** को डिजिटल कंटेंट में एकीकृत करते हैं।
    - **उदाहरण के लिए-** राजस्थान के **मांगणियार संगीत** को इंस्टाग्राम रील्स के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है।
  - **विलेज कुकिंग चैनल (तमिलनाडु)** जैसे यूट्यूब चैनलों के 20 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं।
- **आकांक्षा का लोकतंत्रीकरण**
  - **सौरव जोशी** जैसे इन्फ्लुएंसर्स अपने सरल जीवन, परिवार और संबंधित गतिविधियों को प्रदर्शित करते हुए, सफलता को परिष्करण की बजाय **प्रामाणिकता** के रूप में परिभाषित करते हैं।
  - **स्थानीय नायक → राष्ट्रीय प्रतीक:** कई टियर-2 इन्फ्लुएंसर्स युवाओं को अपनी मूल बोली में कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करते हैं।
- **निम्न-वर्गीय अभिव्यक्तियों के लिए मंच**
  - हाशिए पर रहे समुदायों (दलित, आदिवासी, OBC आदि) के क्रिएटर्स अपनी पहचान और जीवन के अनुभवों को व्यक्त करने के लिए मंच प्राप्त करते हैं।
  - **उदाहरण के लिए-** खबर लहरिया, एक **जमीनी ग्रामीण डिजिटल न्यूज रूम** है। यह पूरी तरह से **दलित महिलाओं** द्वारा चलाया जाता है।

भारतीय समाज के लिए निहितार्थ

- **सांस्कृतिक लोकतंत्रीकरण:** ये उन विविध प्रकार के सौंदर्यशास्त्र, रीति-रिवाजों और प्रथाओं को वैधता प्रदान करते हैं, जिन्हें कभी मुख्यधारा का हिस्सा नहीं माना जाता था।
- **आर्थिक सशक्तीकरण: ShareChat और Moj** पर लगभग 80% क्रिएटर्स टियर-2 व टियर-3 शहरों से हैं। ये **माइक्रो-ट्रांजेक्शन** जैसे नए मुद्रीकरण मॉडल का उपयोग करके अपनी अधिकांश कमाई कर रहे हैं।
- **बदलता राजनीतिक परिदृश्य:** टियर-2 इन्फ्लुएंसर्स चुनावों और नीतिगत चर्चाओं में **डिजिटल ओपिनियन-मेकर्स** बन रहे हैं। राजनीतिक दल उनका नौकरी, जाति और स्थानीय गौरव जैसे मुद्दों पर क्षेत्रीय युवाओं को संगठित करने के लिए उपयोग कर रहे हैं।
- **शहरी-ग्रामीण विभाजन को खत्म करना:** ये एक साझा राष्ट्रीय पहचान की भावना पैदा करते हैं, जो स्थानीय गौरव को समायोजित करती है। साथ ही, ये ग्रामीण भारत को लेकर प्रतिगामी या सांस्कृतिक रूप से हीन के रूप में रूढ़िवादी सोच को चुनौती देते हैं।

चुनौतियां और नैतिक चिंताएं

- **डिजिटल डिवाइड:** ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट पैठ अभी भी शहरी भारत से कम है; उपकरणों और प्रशिक्षण तक पहुंच की कमी के कारण कम आय वाले क्रिएटर्स अधिक गुणवत्तापूर्ण कंटेंट सृजित नहीं कर पाते हैं।
- **एल्गोरिदम पूर्वाग्रह:** सोशल मीडिया एल्गोरिदम क्लिकबेट या सनसनीखेज कंटेंट को प्राथमिकता देते हैं। बड़े व्यवसाय अभी भी ब्रांड साझेदारी के लिए बड़े शहरों के विख्यात क्रिएटर्स को पसंद करते हैं।
- **रूढ़िवादिता और टोकनिज़्म:** ग्रामीण संस्कृति को कई बार असली रूप में पेश करने की बजाय "अनोखी" या "विशेष" रूप में दिखाया जाता है। ब्रांड्स प्रायः क्षेत्रीय पहचान को सिर्फ दिखावे के लिए अपना लेते हैं, वे उसके साथ सच्चे रूप से जुड़ाव नहीं बनाते हैं।
- **संस्कृति का वस्तुकरण:** स्थानीय अनुष्ठानों या प्रथाओं को अक्सर वायरल होने के लिए अत्यधिक सरल बना दिया जाता है, जिससे सांस्कृतिक विकृति का जोखिम उत्पन्न होता है।

निष्कर्ष

जैसे-जैसे डिजिटल इंडिया आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे टियर-2 इन्फ्लुएंसर्स स्थानीय भाषाओं को दृश्यमान बनाकर, क्षेत्रों को प्रासंगिक बनाकर, और निम्न-वर्ग को शक्तिशाली बनाकर, एक अधिक समावेशी एवं लोकतांत्रिक सांस्कृतिक अंतर्क्रिया का सूत्रपात कर रहे हैं, जो अभिजात्यवाद पर प्रामाणिकता और एकरूपता पर विविधता को महत्व देती है।

टियर-2 एवं टियर-3 शहरों की आर्थिक क्षमता के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए।
वीकली फोकस #120
महानगरों से परे: भारत के टियर-2 और टियर-3 शहरों का विकास

6.3. QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सुधार (Improvement in QS World University Rankings)

सुर्ख़ियों में क्यों?

QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारतीय शिक्षण संस्थानों की संख्या और रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है।

QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में

- **जारीकर्ता:** इसे **लंदन** स्थित वैश्विक उच्चतर शिक्षा विश्लेषण संस्था **क्वाक्वारेल्ली साइमंड्स (QS)** प्रतिवर्ष जारी करता है।
- **पांच मूल्यांकन मापदंड (अलग-अलग भारांश):** शोध एवं नवाचार, रोजगारपरकता व आउटकम, वैश्विक सहभागिता, लर्निंग अनुभव और सततता।
- **संकेतक (Indicators):** इन मापदंडों को आगे **10 संकेतकों** में बांटा गया है, जैसे **अकादमिक प्रतिष्ठा** आदि।
    - इस वर्ष **वैश्विक सहभागिता** के तहत **'अंतर्राष्ट्रीय छात्र विविधता'** नामक **एक नया संकेतक** भी इसमें शामिल किया गया है।

रैंकिंग के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **पांच गुना वृद्धि: QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग** में भारत की संस्थाओं की संख्या 2015 की रैंकिंग 11 से बढ़कर 2026 की रैंकिंग में **54** हो गई। इस रैंकिंग में अब **संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और चीन के बाद चौथे स्थान पर सर्वाधिक संस्थान भारत** के हैं।
    - यह **G-20 देशों में** भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
- **प्रमुख नए जुड़ाव:** इस साल **8 भारतीय विश्वविद्यालय** इस सूची में शामिल किए गए हैं, जो किसी भी अन्य देश से अधिक हैं।
- **शीर्ष-स्तरीय प्रदर्शन: 6 भारतीय संस्थान** वैश्विक स्तर पर **शीर्ष 250 संस्थानों** में शामिल हैं।
- **संस्थागत विविधता:** इसमें सार्वजनिक और निजी संस्थान दोनों शामिल हैं। इनमें **केंद्रीय विश्वविद्यालय, डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थान** शामिल हैं।
- **IIT का दबदबा:** इसमें **12 IITs** शामिल हुए हैं, जिनमें **IIT दिल्ली** वैश्विक स्तर पर **123वें** स्थान पर भारतीय संस्थानों में **सबसे ऊपर** है।

भारतीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में सुधार क्यों हुआ है?

- **शैक्षणिक प्रदर्शन प्रतिष्ठा में सतत प्रगति: प्रति फैकल्टी साइटेशन** मानदंड में 8 भारतीय विश्वविद्यालय विश्व के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं, जो **जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका** से भी बेहतर है।
- **इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट प्रदर्शन:** टॉप 100 संस्थानों में कई भारतीय संस्थान, विशेषकर इंजीनियरिंग व प्रौद्योगिकी क्षेत्र के संस्थान शामिल हैं।
- **अवसंरचना का विकास:** हाल ही में, अवसंरचना के विकास के लिए **प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA)** जैसी कई पहलें की गई हैं।

- **रोजगार क्षमता में सुधार: पीएम इंटर्नशिप योजना, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम (NATS), NATS 2.0 पोर्टल** जैसी पहलों से सुधार दर्ज किया गया है।
- **सततता में भारतीय उच्चतर शिक्षण संस्थानों की प्रभावी भूमिका:** ज्ञान के आदान-प्रदान तथा पर्यावरणीय शोध में भारतीय संस्थानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
- **नीतिगत सुधार: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020** उच्च गुणवत्ता युक्त और समानता एवं समावेशन वाली उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देती है।

भारत में उच्चतर शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग की व्यवस्था:

- **राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF):** इसे **2015** में लॉन्च किया गया था। यह देश भर के संस्थानों को **रैंक प्रदान करने की एक पद्धति की रूपरेखा** प्रस्तुत करता है।
  - **संचालन:** शिक्षा मंत्रालय के **उच्चतर शिक्षा विभाग** द्वारा।
  - **मापदंड:** शिक्षण, अधिगम व संसाधन, अनुसंधान और व्यावसायिक प्रथाएं, स्नातक परिणाम, पहुंच व समावेशिता तथा धारणा।
- **उच्चतर शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (AISHE): 2010-11** से जारी इस सर्वेक्षण में **शिक्षक, छात्र नामांकन, पाठ्यक्रम, परीक्षा परिणाम, शिक्षा वित्त, अवसंरचना** आदि को कवर किया जाता है।
  - **संचालन:** भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा।

उच्चतर शिक्षा में विद्यमान चुनौतियां

- **कम प्रत्यायन दर (Accreditation Rate):** देश भर के 39% से भी कम विश्वविद्यालयों को प्रत्यायन प्राप्त है। इसका मुख्य कारण प्रत्यायन प्रक्रिया में शामिल उच्च लागत है।
- **लक्ष्य से कम सकल नामांकन अनुपात (GER):** वर्तमान GER 28.4% (2021-22) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 50% के लक्ष्य (2035 तक) से काफी कम है।
- **अपर्याप्त अनुसंधान वित्त-पोषण:** अनुसंधान और विकास (R&D) पर सरकारी खर्च कम (GDP का लगभग 0.7%) है। इससे उच्चतर शिक्षा संस्थानों (HEIs) में कमजोर नवाचार परिणाम मिलते हैं।
- **उद्यमिता और नवाचार कौशल में कमी:** शिक्षा जगत एवं उद्योग के बीच संबंध न होने तथा सॉफ्ट स्किल्स प्रशिक्षण पर जोर न देने के कारण कार्यबल कौशल में एक महत्वपूर्ण अंतराल मौजूद है।
- **अप्रचलित पाठ्यक्रम:** विशेष रूप से AI और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए व्यावहारिक अनुप्रयोगों के मामले में पाठ्यक्रम में अक्सर संशोधन एवं अपडेशन कम होता है।
- **खंडित विनियामक फ्रेमवर्क:** बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालयों (MERUs) के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क की अनुपस्थिति का मुख्य कारण विविध विनियामक निकायों (जैसे- UGC, AICTE) का मौजूद होना है।

भारत में उच्चतर शिक्षा में सुधार के लिए आगे की राह

- **उद्योग-अकादमिक सहयोग:** तेलंगाना एकेडमी फॉर स्किल एंड नॉलेज (TASK) जैसी साझेदारियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ ही, संयुक्त परियोजनाओं और उद्योग संबंध प्रकोष्ठों (IRCs) के माध्यम से विश्वविद्यालय-उद्योग सहयोग को मजबूत करना चाहिए।
  - ऑक्सफोर्ड उच्च मांग वाली विशिष्टताओं में प्रवेश बढ़ाने के लिए श्रम बाजार पूर्वानुमान का उपयोग करता है।
- **आवश्यकता-आधारित शिक्षा:** आंध्र प्रदेश ने जनवरी 2025 में भारत की पहली कौशल आधारित जनगणना आयोजित की थी, जिसमें कमियों की पहचान की गई थी और लक्षित तकनीकी शिक्षा प्रस्तुत की गई थी।
- **विविध अकादमिक ब्रांड:** अकादमिक संस्थानों को उन विषयों में भी निवेश बढ़ाना चाहिए जिनमें नामांकन कम है। साथ ही अंतर्विषयक डिग्रियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) को सामाजिक विज्ञान और कला के साथ एकीकृत करके शिक्षा को अधिक संतुलित व समग्र बनाया जाना चाहिए।
- **विनियामक समेकन:** राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उल्लेखित एकल विनियामक (भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग) के माध्यम से **"सरल लेकिन कठोर"** विनियमन को लागू करना चाहिए।

- **संकाय की स्वायत्तता: गुजरात के स्किल्स4फ्यूचर कार्यक्रम** की तरह उद्योग-प्रासंगिक पाठ्यक्रम डिजाइन करने के लिए संकाय को स्वायत्तता प्रदान करनी चाहिए। इससे महत्वपूर्ण कमियों को दूर किया जा सकेगा।
- **वित्त-पोषण में वृद्धि:** केरल के मॉडल का पालन करते हुए, सकल नामांकन अनुपात को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करनी चाहिए।

6.4. मैनोस्फीयर (Manosphere)

सुर्ख़ियों में क्यों?

यू.एन. वीमेन ने चेतावनी दी है कि **'मैनोस्फीयर'** के नाम से ज्ञात ऑनलाइन समुदायों का एक बढ़ता हुआ नेटवर्क लैंगिक समानता के समक्ष एक गंभीर खतरा बनकर उभर रहा है।

मैनोस्फीयर क्या है?

- **'मैनोस्फीयर'** एक व्यापक शब्दावली है, जिसका अर्थ है- **"ऑनलाइन समुदाय का एक ऐसा नेटवर्क, जो पुरुषत्व (Masculinity) की संकीर्ण और आक्रामक परिभाषा को बढ़ावा"** देता है। यह समुदाय यह झूठा दावा करता है कि **नारीवाद (Feminism) और लैंगिक समानता ने पुरुषों के अधिकारों को नुकसान** पहुंचाया है।
  - इनकी सोच में पुरुष का मूल्य उसके भावनात्मक नियंत्रण, आर्थिक सामर्थ्य, शारीरिक आकृति और महिलाओं पर नियंत्रण की क्षमता से आंका जाता है।
- यह सोच **महिलाओं के प्रति घृणा (misogyny) और नारीवाद विरोधी विचारों** पर आधारित है। 'मैनोस्फीयर' डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नफरत फैलाने, महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण सोच फैलाने और लैंगिक पूर्वाग्रह को बढ़ावा देने के लिए करता है।

'मैनोस्फीयर' के बढ़ने के लिए जिम्मेदार कारक

- **इंटरनेट तक बढ़ती पहुंच:** इसने सोशल मीडिया और विविध मैनोस्फीयर इन्फ्लुएंसर्स तक ऑनलाइन पहुंच को सक्षम बनाया है।
  - कुल इंटरनेट सब्सक्राइबर्स की संख्या 2014 के 251 मिलियन से बढ़कर मार्च 2024 में 954 मिलियन हो गई है।
- **मैनोस्फीयर इन्फ्लुएंसर्स:** स्वयं-घोषित लाइफस्टाइल कोच युवा पुरुषों को व्यक्तिगत जिम्मेदारी सिखाकर आकर्षित करते हैं। हालांकि, ऐसे कोच यह दावा करते हैं कि पुरुष **समाज के पुरुष-द्वेष (Misandry)** (पुरुषों के प्रति पूर्वाग्रह) के पीड़ित हैं।
- **एल्गोरिदम का प्रभाव:** "आगे क्या देखें" (Watch next) एल्गोरिदम तेजी से अधिक **सेक्सिस्ट और नारी-विरोधी कंटेंट** जैसे कि "AWALT: ऑल वीमेन आर लाइक दैट" विचारधारा की सिफारिश करता है।
- **असुरक्षाएं और सत्यापन की आवश्यकताएं:** आजकल कई युवा पुरुष सामाजिक रूप से अकेलापन महसूस करते हैं और उन्हें किसी समूह से जुड़ाव चाहिए होता है। इसी कारण वे 'मैनोस्फीयर' जैसे समूहों की ओर आकर्षित होते हैं, जहां उन्हें समर्थन व अभिपुष्टि मिलती है।
- **बढ़ता रूढ़िवाद:** यू.एन. वीमेन के अध्ययनों से पता चलता है कि युवा पुरुषों में वृद्ध पुरुषों की तुलना में अधिक **रूढ़िवादी लैंगिक विचार** होते हैं।
- **डिजिटल पहचान छुपी रहती है:** इंटरनेट पर गुमनाम रहने से सामाजिक या कानूनी सजा का डर कम हो जाता है। इससे महिलाओं के खिलाफ नफरत एवं भेदभाव फैलाना आसान हो जाता है।

मैनोस्फीयर के नकारात्मक प्रभाव

- **बढ़ता हुआ स्त्री द्वेष (Misogyny):** यह लैंगिक समानता को कमजोर करता है। पुरुषों के अधिकारों के लिए काम करने वाले समूह 'मोवेंबर फाउंडेशन' के अनुसार, दो-तिहाई युवा पुरुष नियमित रूप से ऑनलाइन पुरुषत्व से संबंधित प्रभावशाली लोगों से जुड़े रहते हैं।
  - उदाहरण के लिए- ***गेमरगेट*** एक ऑनलाइन उत्पीड़न अभियान था, जिसमें महिला गेमर्स को पुरुष प्रधान सोच रखने वालों ने निशाना बनाया था।
- **हिंसा का सामान्यीकरण:** मैनोस्फीयर की अत्यधिक अभिव्यक्ति महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को सामान्य बनाती है। इसका कट्टरता और अतिवादी विचारधाराओं से भी संबंध बढ़ रहा है।
- **सामाजिक नुकसान:** लैंगिक असमानता पुरुषों और महिलाओं दोनों को नुकसान पहुँचाती है। प्रतिबंधात्मक लैंगिक दृष्टिकोण रखने वाले पुरुषों में जोखिम भरे व्यवहार, मादक द्रव्यों का सेवन, अवसाद और आत्महत्या के विचार ज़्यादा होने की संभावना होती है।

- **पुरुषों के स्वास्थ्य पर प्रभाव:** मोवेंबर के सर्वेक्षण से पता चलता है कि मैनोस्फीयर के संपर्क में आने से पुरुषों में आत्मविश्वास कम होता है, जिससे उन्हें स्वयं को लेकर हीन भावना महसूस होती है और घबराहट होती है। साथ ही, वे जोखिम भरे सप्लीमेंट्स का उपयोग करते हैं, चोट लगने के बावजूद व्यायाम करते हैं और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना कम कर देते हैं।
- **लैंगिक समानता को उलटना:** मैनोस्फीयर की रूढ़िवादिता ऐसे मिथकों को बढ़ावा देती है, जो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकते हैं।
- **ऑनलाइन हिंसा का जोखिम:** अध्ययनों से पता चलता है कि 16-58% महिलाओं और लड़कियों को ऑनलाइन हिंसा का सामना करना पड़ता है। साइबर हिंसा डिजिटल प्लेटफॉर्म की अनामिता और पहुंच का फायदा उठाती है।

'मैनोस्फीयर' से निपटने के लिए शुरू की गई पहलें

- **वैश्विक स्तर पर शुरू की गई पहलें**
  - **बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन (1995):** यह मीडिया, विशेष रूप से **डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर महिलाओं की संतुलित और गैर-रूढ़िवादी छवि दिखाने** का समर्थन करता है।
  - **यू.एन. वीमेन** ने एक **बहु-आयामी दृष्टिकोण** अपनाया है। इसमें ऑनलाइन घृणा के प्रसार एवं प्रभाव पर **अनुसंधान और डेटा संग्रह** शामिल है।
  - **'मेकिंग ऑल स्पेसेस सेफ' पहल (UNFPA):** यह पहल तकनीक के माध्यम से होने वाली लैंगिक हिंसा से निपटने के लिए शुरू की गई है।
  - **EU का डिजिटल सर्विसेज एक्ट:** यह कानून डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर महिलाओं के खिलाफ नफरत फैलाने वाले और लैंगिक भेदभाव वाले कंटेंट पर रोक लगाता है।
- **भारत में आरंभ की गई पहलें**
  - **स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986:** यह कानून डिजिटल मीडिया में महिलाओं की अशिष्ट या अपमानजनक प्रस्तुति को अपराध मानता है।
  - **आई.टी. नियम, 2021:** इन नियमों के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए किसी आपत्तिजनक कंटेंट की शिकायत मिलने पर 24 घंटे के भीतर उसे हटाना अनिवार्य है।
  - **डिजिटल शक्ति:** यह **राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW)** की एक पहल है, जिसका उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों को साइबर दुनिया में सक्षम बनाना तथा उनके लिए इंटरनेट को एक सुरक्षित स्थान बनाना है।
  - **सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008:** यह महिलाओं के खिलाफ उभरते साइबर अपराधों से निपटता है। जैसे कि **धारा 67A-** जो डिजिटल दुर्व्यवहार से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण है।
  - **भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75, 78 और 79:** भारतीय न्याय संहिता के तहत महिलाओं का ऑनलाइन उत्पीड़न और उनके साथ साइबरबुलिंग एक अपराध है।

आगे की राह

- **कानूनी उपाय:** जैसे यूनाइटेड किंगडम का **ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम।** इस कानून के तहत साइट्स और ऐप्स को बच्चों एवं महिलाओं को उनके प्रति घृणा फैलाने वाले व अपमानजनक स्त्री-द्वेष कंटेंट सहित हानिकारक कंटेंट से भी बचाना होगा।
- **रोकथाम के रूप में शिक्षा:** मीडिया **साक्षरता को बढ़ावा देना** और उस पर शोध करना चाहिए। इसमें यह समझना शामिल है कि लोग अपनी ऑनलाइन दुनिया में कैसे नेविगेट करते हैं और संभावित हानिकारक कंटेंट के साथ उनकी अंतर्क्रिया कैसी होती है।
- **यूएन वीमेन द्वारा सुझाई गई अधिकार-आधारित प्रतिक्रिया:** इसमें ऑनलाइन दुर्व्यवहार के **पीड़ित लोगों के लिए समर्थन जुटाने** तथा डिजिटल लचीलापन बनाने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से **युवा-केंद्रित कार्यक्रम** जैसे कदम शामिल हैं।
- **मैनोस्फीयर-विरोधी कंटेंट निर्माताओं को बढ़ावा देना:** Reddit फ़ोरम और 'HeForShe' जैसे क्रिएटर्स मैनोस्फीयर छोड़ने वाले पुरुषों का समर्थन करते हैं।

6.5. सशस्त्र बलों में महिलाएं (Women in Armed Force)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA)[51] से महिला कैडेट्स का **पहला बैच** सफलतापूर्वक पास आउट हुआ। इनमें **17 महिला कैडेट्स** शामिल थीं।

सशस्त्र बलों में महिलाओं के शामिल होने का महत्व

- **समानता के संवैधानिक उद्देश्यों की पूर्ति:** यह कदम **अनुच्छेद 14** (समानता का अधिकार), **अनुच्छेद 15** (भेदभाव का प्रतिषेध) और **अनुच्छेद 16** (लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता) के क्रियान्वयन में योगदान देता है। साथ ही, यह अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण रक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है।
- **सैन्य अभियानों को बल प्रदान करना:** यह कदम सेना में प्रतिभा पूल को बढ़ाता है तथा योजना बनाने और क्रियान्वयन में **अलग-अलग विचारों को सामने** लाता है। यह **टीम के प्रदर्शन** और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार करता है।
- **सामाजिक प्रभाव:** महिलाओं ने **युद्ध और सहायक, दोनों ही भूमिकाओं** में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जिसमें उन्होंने मजबूत पेशेवर सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया है। यह पारंपरिक रूप से पुरुष-प्रधान सेवा-क्षेत्र में **लैंगिक रूढ़ियों को तोड़ने** में मदद करता है।
  - **उदाहरण: ऑपरेशन सिंदूर** के दौरान, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस ब्रीफिंग का नेतृत्व किया।
- **मानवीय भूमिका:** महिलाएं **सैन्य-नागरिक सौहार्द स्थापना** में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, विशेषकर उन स्थानीय समुदायों के साथ विश्वास बहाली में जहाँ सांस्कृतिक मानदंडों के कारण पुरुष सैन्य कर्मी सफल नहीं हो पाते हैं। यह **संघर्ष समाधान** और **लोगों का विश्वास जीतने** के लिए आवश्यक है।

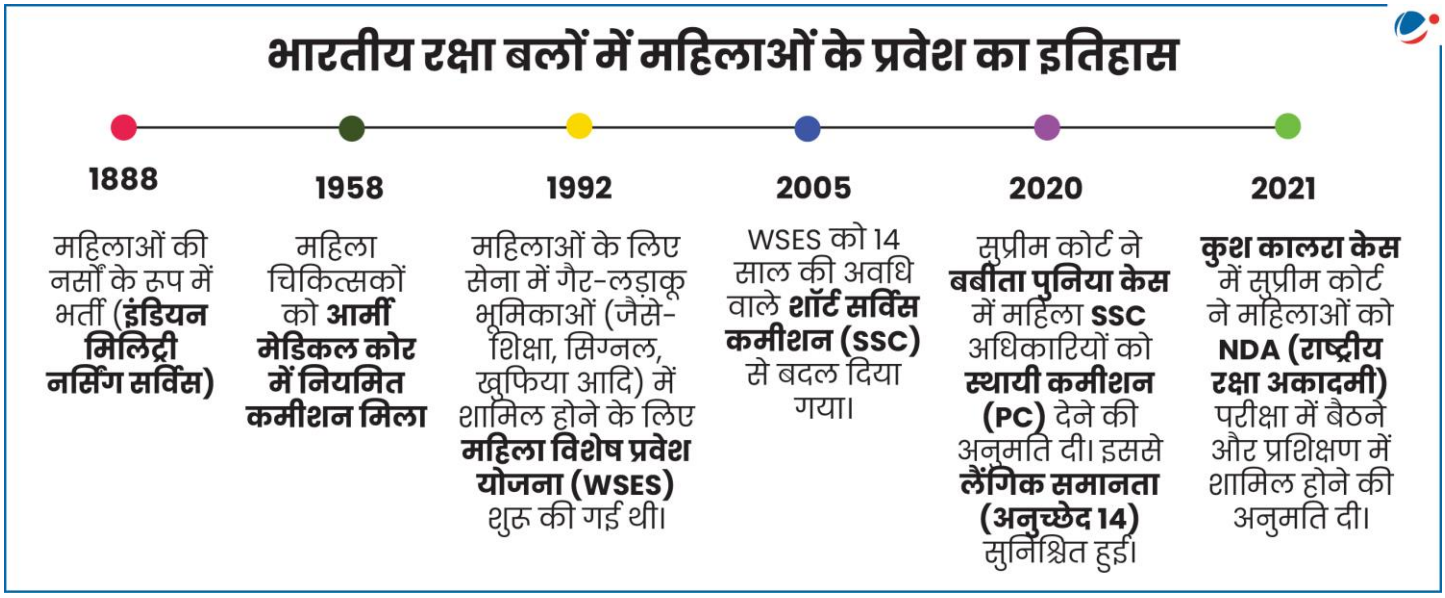

सशस्त्र बलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम

- **नीतिगत उपाय**
  - **स्थायी कमीशन (PC):** महिला अधिकारियों (WOs) को 11 सैन्य-कार्यों और सर्विसेज में (सैन्य चिकित्सा कोर, सैन्य दंत चिकित्सा कोर और सैन्य नर्सिंग सेवा के अतिरिक्त) स्थायी कमीशन प्रदान किया गया।
  - **अग्निवीर के रूप में महिलाएं:** महिलाओं को पुरुषों के समान प्रशिक्षण और चयन मानकों से गुजरना पड़ता है।
- **संरचनात्मक सुधार**
  - **आर्मी एविएशन कोर:** 2021 से महिलाओं को पायलट के रूप में नियुक्त होने की अनुमति दी गई।
  - **युद्धपोतों पर महिलाओं की तैनाती:** अब महिलाओं को नौसेना के जहाजों पर भी तैनात किया जाता है, जिसमें नेविगेशन अधिकारी जैसी भूमिकाएं भी शामिल हैं।

[51] National Defence Academy

- **आउटरीच और सहायता पहल: IAF का 'दिशा'** सेल युवा महिलाओं को वायु सेना में शामिल होने के लिए **राष्ट्रव्यापी अभियान और प्रेरक वार्ता** आयोजित करता है।

सशस्त्र बलों में महिलाओं के लिए चुनौतियां

- **लैंगिक पूर्वाग्रह और सामाजिक सोच:** कुछ नेता अभी भी **रूढ़िवादी सोच वाले** हैं तथा नेतृत्व या युद्ध में महिलाओं की क्षमता पर सवाल उठाते हैं। इससे महिलाओं की **भूमिका की उपेक्षा की जाती है** और **सैन्य संगठनों में उनका प्रतिनिधित्व** कम रह जाता है।
- **अवसंरचना की कमी:** दुर्गम या युद्धक क्षेत्रों (जैसे- **सियाचिन में, पनडुब्बियों पर**) में **महिलाओं के लिए अवसंरचना सुविधाओं** की कमी है।
- **अधिक शारीरिक श्रम की जरूरत और प्रशिक्षण की कमी: युद्धक अभियानों** में अक्सर उच्च शारीरिक मानकों की आवश्यकता होती है। **गर्भावस्था के दौरान यूनिट की एकता या युद्धक तैयारियों को लेकर चिंताएं** और **अनुकूलित प्रशिक्षण की कमी** को लेकर भी चिंताएं मौजूद हैं।
- **सैन्य दायित्व और दैनिक घरेलू कार्यों के बीच संतुलन: समय-समय पर ट्रांसफर,** लंबी पोस्टिंग अवधि **व्यक्तिगत जीवन में चुनौतियां** पैदा कर सकती हैं। यह समस्या संतान वाली महिला सैनिकों के लिए विशेष रूप से है।

निष्कर्ष

जैसे-जैसे युद्ध का स्वरूप बदल रहा है तथा शारीरिक बल की तुलना में प्रौद्योगिकी, इंटेलिजेंस और स्थिति के अनुसार ढलने की महत्ता बढ़ रही है, वैसे-वैसे भारत की सशस्त्र सेनाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई स्तरों पर व्यापक सुधारों की आवश्यकता है। इसमें सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि **कार्य-विशेष फिटनेस** मानकों को कैसे लागू किया जाता है, **सैन्य सेवा में महिलाओं के प्रति नजरिये में कैसे बदलाव** लाया जाता है, और **यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए मजबूत तंत्र** कैसे स्थापित किया जाता है।

6.6. वैश्विक तंबाकू महामारी 2025 (Global Tobacco Epidemic 2025)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने वैश्विक तंबाकू महामारी 2025** पर दसवीं रिपोर्ट जारी की।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **WHO MPOWER उपाय:** 2007 से अब तक 155 देशों ने **MPOWER** के घटकों में से कम से कम एक नीतिगत उपाय को लागू किया है, जिससे 6.1 बिलियन से अधिक लोगों को लाभ हुआ है।
  - **MPOWER पहल के छह घटक हैं- निगरानी (Monitor), सुरक्षा (Protect), चेतावनी (Warning), मदद प्रस्ताव (Offer help), लागू करना (Enforce) और टैक्स दर बढ़ाना (Raise taxes)।**
- **सर्वाधिक क्रियान्वित उपाय:** MPOWER के सभी घटकों में से, सिगरेट पैकेजों पर **बड़े आकार के ग्राफिक में स्वास्थ्य चेतावनी को दर्शाना** सबसे अधिक व्यापक रूप से अपनाया गया है।
- **जनसंचार माध्यमों से संचालित अभियानों की प्रभावशीलता:** भारत ने सभी प्रकार के मीडिया में तंबाकू विज्ञापन, प्रचार और स्पोंसरशिप (TAPS)[52] पर रोक लगाने के लिए कठोर उपाय किए हैं। साथ ही, डिजिटल स्ट्रीमिंग कंटेंट पर तंबाकू नियंत्रण नियम लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है।
- **कराधान: तंबाकू उत्पादों पर टैक्स** MPOWER उपायों में **सबसे कम अपनाया गया** घटक है। भारत में **प्रति व्यक्ति जीडीपी के अनुपात में सिगरेट खरीदने की लागत 2014 से घटती जा रही है,** यानी सिगरेट खरीदना सस्ता होता गया है।
- **धूम्रपान से होने वाली मौतें:** तंबाकू जनित बीमारियों के कारण प्रतिवर्ष 7 मिलियन से अधिक मौतें होती हैं।

तंबाकू के बारे में

- **प्रजातियाँ:** तंबाकू की **60 से अधिक प्रजातियां** पाई जाती हैं, जिनमें **एन. टैबेकम और एन. रस्टिका (एज़्टेक टोबैको)** बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं। यह **नाइटशेड फैमिली** से संबंधित है और **दक्षिण अमेरिका** मूल का पौधा है।
- **जलवायु:** रोपाई से कटाई तक **90-120 दिनों का पाला-रहित मौसम** आवश्यक होता है।
- **तापमान:** औसत दैनिक तापमान **20-30°C** के बीच होना चाहिए और कटाई के समय **शुष्क मौसम** उपयुक्त होता है।

[52] Tobacco Advertising, Promotion And Sponsorship

- **मृदा:** बलुई या बलुई-दोमट मृदा अनुकूल मानी जाती है, हालांकि तम्बाकू किस्म के अनुसार मृदा अलग-अलग हो सकती हैं। परंतु जलभराव इसकी खेती के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। तंबाकू की खेती के लिए अच्छी तरह से हवादार, अच्छी जल-निकासी वाली मृदा की आवश्यकता होती है।
- **वर्षा:** न्यूनतम 500 मिमी वर्षा आवश्यक है; 1200 मिमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र इसकी खेती के लिए उपयुक्त नहीं होते।
- **उत्पादन:** भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक (चीन के बाद) देश है, तथा मात्रा के आधार पर **दूसरा सबसे बड़ा** गैर-निर्मित तम्बाकू निर्यातक (ब्राजील के बाद) देश है।
    - **प्रमुख उत्पादक राज्य:** गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और बिहार।
        - भारत में **गुजरात** सबसे बड़ा **तंबाकू उत्पादक राज्य (45%)** है और इसकी **उत्पादकता** भी सबसे अधिक है। दूसरे स्थान पर **आंध्र प्रदेश** है।
        - **भारतीय तंबाकू बोर्ड (गुंटूर, आंध्र प्रदेश) तंबाकू** कृषि प्रणाली के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करता है तथा **तंबाकू उत्पादकों के लिए उचित और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करता है और निर्यात को बढ़ावा देता है।**

तम्बाकू महामारी से निपटने के लिए उठाए गए विभिन्न कदम

- **वैश्विक स्तर पर (MPOWER के अलावा):**
    - **WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल (WHO FCTC):** 2003 में अपनाया गया, 180 से अधिक देशों ने अभिपुष्टि की है। **भारत 2005 में इस कन्वेंशन का पक्षकार बना।**
    - **3 बाय 35 पहल (WHO):** वर्ष 2035 तक तंबाकू, शराब और मीठे पेय पदार्थों में से किसी एक या सभी की कीमतों को कम से कम 50% तक बढ़ाना।
- **भारत में कदम**
    - **सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA)[53], 2003:** सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध; नाबालिगों द्वारा तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध, आदि।
    - **सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन नियम, 2022:** पैकेट पर स्वास्थ्य चेतावनी से युक्त चित्रों को प्रदर्शित करने का प्रावधान।
    - **राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP)[54]:** जागरूकता पैदा करना तथा तंबाकू उत्पादों के विनिर्माण और आपूर्ति को कम करना।
    - **इलेक्ट्रॉनिक-सिगरेट प्रतिषेध अधिनियम, 2019 कानून** लागू किया गया।

निष्कर्ष

मजबूत निगरानी प्रणाली लागू करना, **तंबाकू पर कर** और कीमतों में वृद्धि करना, कड़े कानून बनाना और उनका सख्ती से पालन कराना, जागरूकता बढ़ाने के प्रयास करना तथा तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप का समाधान करना **तंबाकू महामारी से निपटने में प्रभावी सिद्ध हो सकते हैं।**

[53] Cigarettes and Other Tobacco Products Act

[54] National Tobacco Control Programme

6.7. ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 (Global Gender Gap 2025)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, ग्लोबल **जेंडर गैप रिपोर्ट 2025** जारी की गई।

ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में

- **इंडेक्स के बारे में:** विश्व आर्थिक मंच[55] द्वारा 2006 में शुरू किया गया यह सूचकांक अग्रलिखित चार प्रमुख क्षेत्रों में लैंगिक समानता की प्रगति को मापता है; **आर्थिक अवसर**, **शिक्षा**, **स्वास्थ्य देखभाल**, और **राजनीतिक नेतृत्व**।
- **जेंडर गैप:** यह सूचकांक पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर को मापता है जो सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक या आर्थिक उपलब्धियों और सोच में परिलक्षित होता है।
  - इस सूचकांक में **1 का स्कोर पूर्ण समानता (Parity) की स्थिति को दर्शाता है जबकि 0 का स्कोर पूर्ण असमानता (Inequality) की स्थिति को दर्शाता है।**

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **भारत:** भारत 148 देशों में से **131वें स्थान** पर रहा, जबकि 2024 में यह 129वें स्थान पर था। हालांकि, भारत का **स्कोर 0.641 (2024) से सुधरकर 0.644 (2025) हो गया।**
  - **दक्षिण एशिया में सबसे बेहतर प्रदर्शन** बांग्लादेश ने किया, जो **75 स्थान ऊपर चढ़कर वैश्विक स्तर पर 24वें स्थान** पर पहुंच गया। नेपाल 125वें, श्रीलंका 130वें और भूटान 119वें स्थान पर हैं, जो भारत से बेहतर हैं।
- **वैश्विक:**
  - **रैंकिंग: आइसलैंड लगातार 16वें वर्ष भी शीर्ष स्थान पर है,** उसके बाद फिनलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड का स्थान है।
  - **जेंडर गैप:** वैश्विक स्तर पर अभी भी औसत **30% से अधिक का** संयुक्त जेंडर गैप मौजूद है।
    - कुल मिलाकर, **अभी तक किसी भी अर्थव्यवस्था ने पूर्ण लैंगिक समानता हासिल नहीं की है।**
    - वर्तमान प्रगति को देखते हुए **पूर्ण लैंगिक समानता प्राप्त करने में 123 वर्ष** लगेंगे।

मुख्य आयाम	भारत का समग्र प्रदर्शन (2025)
आर्थिक भागीदारी और अवसर	भारत की अर्थव्यवस्था के **समग्र प्रदर्शन में निरपेक्ष रूप से सुधार हुआ है।** ◆ आर्थिक भागीदारी में मामूली सुधार हुआ है, जो **0.9% बढ़कर 40.7%** हो गई है। ◇ **अनुमानित अर्जित आय में समानता के साथ वृद्धि** हुई है। ◆ **श्रम-बल भागीदारी दर वही (45.9%)** बनी हुई है, जो भारत में अब तक का उच्चतम स्तर है।
शैक्षिक उपलब्धि	इस आयाम में भारत का स्कोर 97.1% है, जो साक्षरता और उच्चतर शिक्षा नामांकन में महिलाओं की हिस्सेदारी में सकारात्मक बदलाव को दर्शाता है।
स्वास्थ्य और उत्तरजीविता	भारत में स्वास्थ्य और उत्तरजीविता में भी **उच्च समानता** दर्ज की गई है। यह **जन्म के समय लिंगानुपात और स्वस्थ जीवन प्रत्याशा** में सुधार के कारण संभव हुआ है। ◆ हालांकि, पुरुषों और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा में समग्र कमी के बावजूद **स्वस्थ जीवन प्रत्याशा में समानता** प्राप्त की गई है।
राजनीतिक सशक्तीकरण	भारत में राजनीतिक सशक्तीकरण में समानता में मामूली गिरावट (-0.6 अंक) दर्ज की गई है। ◆ **संसद में महिला प्रतिनिधित्व 2025 में 14.7% से घटकर 13.8%** हो गया, जिससे लगातार दूसरे वर्ष संकेतक स्कोर में गिरावट आई है। ◆ **मंत्रिस्तरीय** भूमिकाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी **6.5% से घट कर 5.6%** हो गई है।

[55] World Economic Forum

लैंगिक समानता प्राप्त करने में भारत के लिए प्रमुख चुनौतियाँ

- **सामाजिक:**
  - **शिक्षा:** भारत में **महिलाओं की साक्षरता दर 65.46%** है, जो **पुरुषों की 82.14%** और **राष्ट्रीय औसत 74.04%** से कम है।
  - **बाल विवाह:** राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के अनुसार, **2019-21 के दौरान 23.3% बाल विवाह** के मामले सामने आए।
  - **महिला सुरक्षा:** NCRB के अनुसार, 2019 से 2021 के बीच तीन वर्षों में देश में 13.13 लाख से अधिक **लड़कियां और महिलाएं लापता हुईं।**
  - **मनोवैज्ञानिक:** NCRB की रिपोर्ट के अनुसार, **महिलाओं की आत्महत्या से होने वाली मौतों की संख्या** 2014 की 42521 से 2020 में 4.6% बढ़कर 44498 हो गई।
  - **अन्य चुनौतियां:** पितृसत्तात्मक मानदंड, जातिगत असमानताएं, अल्पसंख्यक महिलाओं की स्थिति, क्षेत्रीय असमानताएं, जनजातीय असमानता आदि।
  - **डिजिटल डिवाइड:** उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-2021) के अनुसार, **भारत में केवल 33% महिलाएं इंटरनेट का उपयोग करती हैं**, जबकि **पुरुषों में यह औसत 57%** है।
- **आर्थिक:**
  - **दोहरा बोझ:** आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार, महिलाओं द्वारा किया गया **अवैतनिक देखभाल-कार्य GDP का 3.1%** है, जबकि **पुरुषों का योगदान मात्र 0.4%** है।
  - **असंगठित क्षेत्र:** लगभग **97% महिला कार्यबल असंगठित क्षेत्रों** में कार्यरत हैं, जिनमें अधिकांश कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं।
- **स्वास्थ्य-देखभाल:**
  - **एनीमिया की व्यापकता:** राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS)-5 के अनुसार, 15 से 49 आयु वर्ग की लगभग 57% भारतीय महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं, जिससे उनकी सीखने, कार्य करने या सुरक्षित रूप से गर्भधारण करने की क्षमता कम हो जाती है।
  - **मातृ मृत्यु अनुपात (MMR): 2018-20 में यह 97** था, जबकि WHO द्वारा निर्धारित लक्ष्य **2030 तक 70 से कम** करने का है।
  - **प्रजनन स्वास्थ्य:** भारत में लगभग 50 मिलियन महिलाएं प्रजनन स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं।
- **राजनीतिक भागीदारी:** रिपोर्ट के अनुसार, **महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में गिरावट** दर्ज की गई है (इन्फोग्राफिक देखिए)।

महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **नारी शक्ति वंदन अधिनियम:** यह अधिनियम के द्वारा लोकसभा, राज्य विधानसभाओं तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में **महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया** है।
- **पोषण अभियान:** इसका उद्देश्य **बच्चों और किशोरी लड़कियों के पोषण स्तर में सुधार** करना है।
- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) योजना:** यह एक सामाजिक अभियान है जिसका उद्देश्य घटते बाल लिंगानुपात को सुधारना और लड़कियों एवं महिलाओं को सशक्त बनाना है।
- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY):** यह गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को मातृत्व लाभ प्रदान करने वाली एक सशर्त नकद हस्तांतरण योजना है।
- **वन स्टॉप सेंटर (OSC):** यह हिंसा से प्रभावित और संकट में पड़ी महिलाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत सहायता और समर्थन प्रदान करता है।
- **महिला हेल्पलाइन का सार्वभौमिकरण:** यह महिलाओं को 24x7 आपातकालीन और गैर-आपातकालीन सहायता प्रदान करता है, जिसे शॉर्ट कोड 181 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है।

निष्कर्ष

हालांकि लैंगिक भेदभाव समाप्त करने की दिशा में दशकों से सुधार जारी हैं, फिर भी महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ाना, नेतृत्व के अवसरों को मजबूत करना, कौशल प्रशिक्षण से रोजगार प्राप्ति में रूपांतरण को बेहतर बनाना, नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना और वैश्विक व्यापार में समावेशी परिणाम सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि लैंगिक समानता में वास्तविक प्रगति सुनिश्चित की जा सके।

6.8. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

6.8.1. WHO की सामाजिक जुड़ाव पर रिपोर्ट (WHO Report on Social Connection)

'अकेलेपन से सामाजिक जुड़ाव तक: स्वस्थ समाज के लिए मार्ग तैयार करना[56]' रिपोर्ट जारी की गई।

- यह रिपोर्ट **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के कमीशन ऑन सोशल कनेक्शन** ने जारी की है। यह रिपोर्ट **स्वास्थ्य, कल्याण और समाज पर सामाजिक अलगाव एवं अकेलेपन के प्रभाव** पर प्रकाश डालती है।

सामाजिक जुड़ाव और सामाजिक विलगाव[57] क्या है?

- **सामाजिक जुड़ाव:** इसका अर्थ है कि **परिवार, मित्र, सहकर्मी, पड़ोसी, सहपाठी आदि से जुड़ना और आपस में बातचीत** करना।
- **सामाजिक विलगाव:** यह तब होता है, जब किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त सामाजिक संपर्क नहीं होता, या उसे अपने रिश्तों से सहयोग और समर्थन नहीं मिलता, या उसके रिश्ते तनावपूर्ण या नकारात्मक होते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं:
  - **अकेलापन (Loneliness):** यह तब महसूस होता है, जब किसी व्यक्ति की अपेक्षित और वास्तविक जुड़ाव की स्थिति में अंतर होता है।
  - **सामाजिक अलगाव (Social Isolation):** जब किसी व्यक्ति के बहुत कम मित्र, रिश्तेदार या जान-पहचान के लोग होते हैं, या वह दूसरों से बहुत कम मिलता-जुलता है, तो इसे सामाजिक अलगाव कहा जाता है।

इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **सामाजिक विलगाव की व्यापकता:** 2014-2023 तक के आंकड़ों के अनुसार लगभग **प्रत्येक 6 में से 1 व्यक्ति अकेलापन** महसूस करता है। इनमें **युवा (13-29 वर्ष)** सबसे अधिक अकेलापन महसूस करते हैं।
  - 1990-2022 तक के आंकड़ों के अनुसार **प्रत्येक 3 में से 1 वृद्ध वयस्क** तथा 2003-2018 तक के आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक **4 में से 1 किशोर** सामाजिक रूप से अलगाव की स्थिति में है।
- **असमानताएं: निम्न आय वाले देशों** में लगभग **24% लोग अकेलापन** महसूस करते हैं, जबकि **अमीर देशों** में यह आंकड़ा **11%** है।
- **सामाजिक विलगाव के प्रभाव:**
  - **शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव:** वैश्विक स्तर पर 2014-2019 के दौरान लगभग **871,000 मौतें** अकेलेपन से संबंधित थी।
  - **मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव:** इसमें अवसाद, एंजायटी, डिमेंशिया आदि शामिल हैं।
  - **सामाजिक-आर्थिक प्रभाव:** इसमें खराब शैक्षणिक प्रदर्शन और उत्पादकता की हानि शामिल हैं।

[56] From Loneliness to Social Connection: Charting a Path to Healthier Societies

[57] Social Connection and Disconnection

6.8.2. परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स (PGI) 2.0 {Performance Grade Index (PGI) 2.0}

PGI के बारे में

- **उत्पत्ति:** PGI की **शुरुआत 2017** में की गई थी, और बाद में इसे **2021 में PGI 2.0 के रूप में नया स्वरूप** दिया गया।
- **जारीकर्ता:** शिक्षा मंत्रालय
- **डेटा के स्रोत:** यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (UDISE+), नेशनल अचीवमेंट सर्वे (NAS), पी.एम.-पोषण पोर्टल, प्रबंध /PRABAND पोर्टल और विद्यांजली पोर्टल।
- **उद्देश्य:** PGI राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूल शिक्षा व्यवस्था के प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन करता है।
- **संरचना:** PGI की संरचना में **कुल 1000 अंकों का भारांक** होता है, जिन्हें **73 संकेतकों (indicators)** में बाँटा गया है। इन संकेतकों को **दो मुख्य श्रेणियों** में रखा गया है:
  - **परिणाम (Outcome); तथा**
  - **अभिशासन और प्रबंधन (Governance & Management)।**
- **इन श्रेणियों को आगे 6 क्षेत्रों (डोमेन) में बाँटा गया है:**
  - लर्निंग आउटकम्स (LO) – अधिगम परिणाम;
  - एक्सेस (A) – पहुंच;
  - इन्फ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं (IF);
  - इक्विटी (E) – समानता;
  - गवर्नेंस प्रोसेसेस (GP) – अभिशासन प्रक्रियाएं; तथा
  - टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (TET) – शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण।
- **मूल्यांकन:** PGI में प्रदर्शन का मूल्यांकन **1000 अंकों** के आधार पर किया जाता है, और इसके अनुसार राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को **10 ग्रेड्स** में रखा जाता है।

इंडेक्स के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष चार ग्रेड (दक्ष, उत्कर्ष, अति-उत्तम व उत्तम) प्राप्त नहीं** कर सका।
- **शीर्ष प्रदर्शन:** केवल **चंडीगढ़ ने प्रचेस्टा-1 (Prachesta-1)** ग्रेड हासिल किया।
- **सबसे कमजोर प्रदर्शन: मेघालय** एकमात्र राज्य है, जो **दसवें ग्रेड (आकांक्षी-3/ Akanshi-3)** में रहा।
- **समग्र रुझान:**
  - 2023-24 में **24 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों** के स्कोर **2022-23 की तुलना में बेहतर** रहे हैं।
  - जबकि **12 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों जैसे कि बिहार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक** आदि में स्कोर में **गिरावट** दर्ज की गई है।

6.8.3. UNFPA स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, 2025 (State of World Population Report 2025)

हाल ही में, **संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA)** ने अपनी **विश्व जनसंख्या की स्थिति (SWP), 2025** रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है **'द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस: द पुसुईट ऑफ रिप्रोडक्टिव एजेंसी इन ए चेंजिंग वर्ल्ड।'**

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **रिप्रोडक्टिव एजेंसी संकट:** रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि वास्तविक मुद्दा अधिक जनसंख्या नहीं है, बल्कि विकल्प की कमी के कारण वांछित परिवार आकार प्राप्त करने में असमर्थता है।
  - रिप्रोडक्टिव एजेंसी का अर्थ है **अपनी प्रजनन क्षमता पर सूचित और सशक्त निर्णय लेने की क्षमता।** इसके लिए एक ऐसे सहायक परिवेश की आवश्यकता होती है, जहां व्यक्ति और युगल कानूनी, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक (मानदंडों से संबंधित) बाधाओं से मुक्त होकर चुनाव कर सकें।
- यह रिपोर्ट कई **अधूरी प्रजनन इच्छाओं** को भी उजागर करती है, जैसे कि **अनचाहा गर्भधारण, अपेक्षा से कम संतान** होना आदि।
- यह रिपोर्ट **लोगों के अधिकारों और विकल्पों को प्राथमिकता** देने के लिए जनसंख्या से संबंधित नीतियों में बदलाव का समर्थन करती है। यह सुझाव देती है कि जनसंख्या के आकार को नियंत्रित करने की कोशिश करने की बजाय, लोगों को वैसा परिवार बनाने के लिए सक्षम किया जाए जैसा वे चाहते हैं। इसके लिए **अधिकार-आधारित, स्थिर और विश्वासपूर्ण परिस्थितियां तैयार** की जानी चाहिए।

6.8.4. ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग (GEM) रिपोर्ट, 2024 (Global Education Monitoring 2024 Report)

यूनेस्को के **'एजुकेशन 2030 इंचियोन डिक्लेरेशन एंड फ्रेमवर्क फॉर एक्शन'** के तहत यह रिपोर्ट प्रकाशित करनी होती है। यह रिपोर्ट **SDG-4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा) और अन्य SDGs की दिशा में प्रगति की निगरानी एवं रिपोर्टिंग** के लिए जारी की जाती है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **शिक्षा प्रणालियों में व्यवधान:** पिछले 20 वर्षों में, **कम और मध्य-आय वाले देशों में कम से कम 75% चरम मौसमी घटनाओं के दौरान स्कूल बंद रहे थे।** इससे 5 मिलियन या उससे अधिक लोग प्रभावित हुए थे।
- **भारत से संबंधित रिपोर्ट:** भारत में किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि वर्षा के बदलते पैटर्न के कारण **5 वर्ष की आयु में नए शब्द सीखने तथा 15 वर्ष की आयु में गणित एवं गैर-संज्ञानात्मक कौशल पर नकारात्मक प्रभाव** पड़ा है।
  - **तीव्र प्रगति:** प्राथमिक स्तर के बच्चों की स्कूल न जाने की दर में सुधार।
  - **धीमी प्रगति:** स्कूल न जाने की दर (निम्न माध्यमिक स्तर) और शिक्षा पूरी करने की दर में लैंगिक अंतर (उच्च माध्यमिक स्तर)।
- **शिक्षा की भूमिका:** जलवायु परिवर्तन से निपटने में शिक्षा की भूमिका को अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे में वह महत्त्व नहीं दिया गया है, जिसकी वह हकदार है।
  - **SDG-4** को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की 72 जलवायु पहलों में से **केवल 2 में ही शामिल** किया गया है।

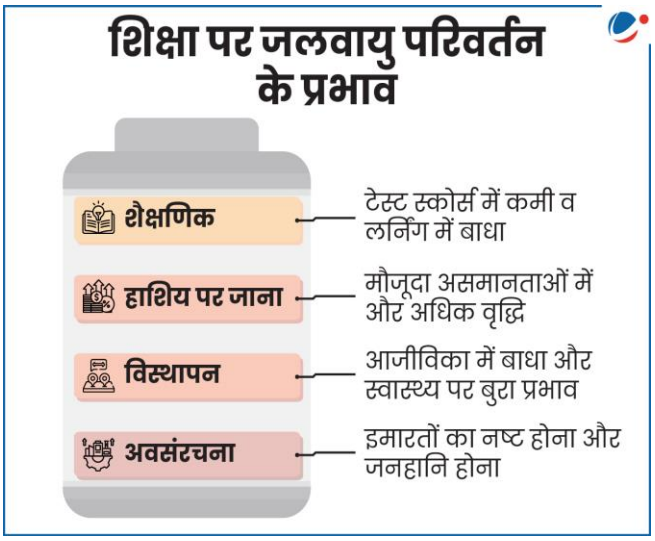

रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें

- **जलवायु परिवर्तन संबंधी शिक्षा को सभी विषयों के सिलेबस में अधिक महत्त्व देते हुए शामिल करने की आवश्यकता है।** साथ ही, इस संबंध में शिक्षकों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण सहायता भी प्रदान करने की जरूरत है।
- **शिक्षा संबंधी अवसंरचना को जलवायु-अनुकूल बनाना** चाहिए।
- जलवायु परिवर्तन संबंधी चुनौतियों के **शमन और अनुकूलन से जुड़े समाधान विकसित करने में शिक्षा की भूमिका को महत्त्व** दिया जाना चाहिए।
- **क्लाइमेट फाइनेंस प्रोग्राम के अंतर्गत शिक्षा में निवेश** करना शामिल किया जाना चाहिए।
- जलवायु संबंधी योजनाओं और वित्त-पोषण में शिक्षा विषय को शामिल करने के लिए **शिक्षा जगत के अलावा अन्य हितधारकों के साथ भी संपर्क** स्थापित करना चाहिए।

6.8.5. जेंडर बजटिंग नॉलेज हब' पोर्टल (Gender Budgeting Knowledge Hub Portal)

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जेंडर बजटिंग पर राष्ट्रीय परामर्श के दौरान **'जेंडर बजटिंग नॉलेज हब' पोर्टल** लॉन्च किया।

जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल के बारे में

- यह एक **केंद्रीकृत पोर्टल** है। इस पर कई तरह की उपयोगी सामग्री जैसे **पॉलिसी ब्रीफिंग, सर्वश्रेष्ठ प्रथाएं, जेंडर-आधारित आंकड़े** आदि उपलब्ध हैं।
- इसका उपयोग **केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रालयों/ विभागों** और अन्य हितधारकों द्वारा किया जा सकता है।
- इसमें एक **ऑनलाइन एप्लिकेशन पोर्टल** भी है, जिसके माध्यम से जेंडर बजटिंग से जुड़े **प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों** के लिए प्रस्ताव भेजे जा सकते हैं।

जेंडर बजटिंग (GB) क्या है?

- यह एक ऐसा दृष्टिकोण है, जो **सरकारी योजनाओं और बजटों में लैंगिक समानता** को एकीकृत करता है। यह विश्लेषण करता है कि बजट किस प्रकार **लैंगिक समानता को बढ़ावा देने** में सहायक साबित हो सकता है।
- **जेंडर बजटिंग में सरकारी बजट का गहन विश्लेषण शामिल है जैसे-**
  - बजट का विश्लेषण करना कि वह महिलाओं/ पुरुषों पर क्या प्रभाव डालता है।
  - प्रतिबद्धताओं और संबंधित कार्यों को प्राथमिकता देना तथा उनके अनुसार कार्य योजना बनाना।
  - लैंगिक समानता से संबंधित प्रतिबद्धताओं के लिए बजट आवंटन सुनिश्चित करना।

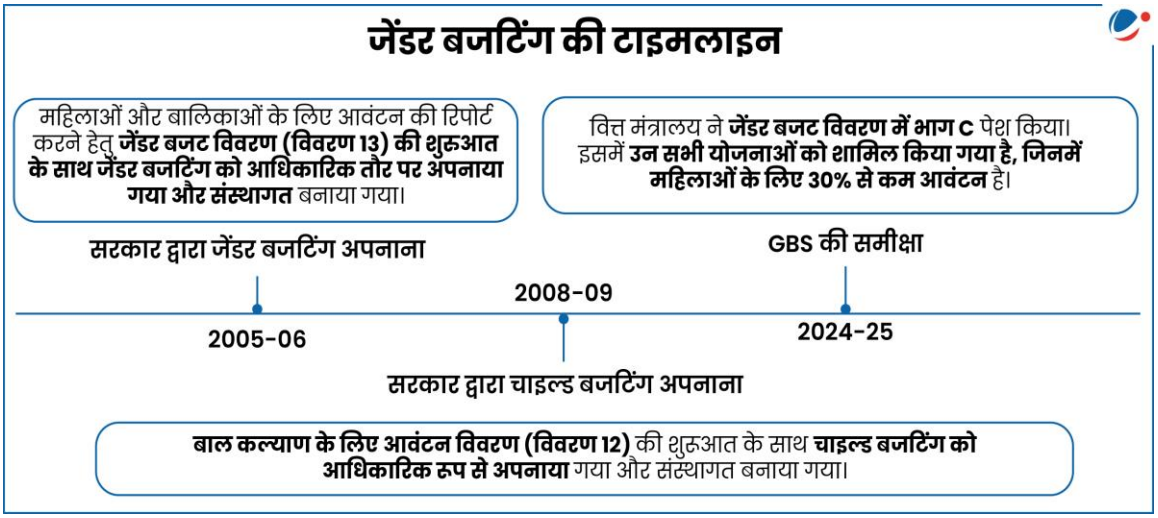

भारत में जेंडर बजटिंग की आवश्यकता

- **जेंडर-संवेदनशील नीतियां:** बजटीय आवंटन का संसाधनों के वितरण के पैटर्न के माध्यम से महिलाओं और पुरुषों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है। इसलिए नीति निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन में लगातार **लैंगिक दृष्टिकोण** को शामिल करना आवश्यक है।
- **उत्तरदायी शासन व्यवस्था और सहभागी बजटिंग:** यह सभी स्तरों पर जैसे- पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों आदि में निर्णय लेने में महिलाओं की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।
- **कानूनी ढांचे को मजबूत करना:** यह महिलाओं से संबंधित कानूनों जैसे- आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम, 2013 आदि को मजबूत करता है

QUIZ
SMART QUIZ
विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **सामाजिक मुद्दे** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

7.1. एक्सिओम-4 मिशन (AXIOM-4 Mission)

सुर्ख़ियों में क्यों?

एक्सिओम-4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजे गए भारतीय अंतरिक्ष यात्री **ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री 15 जुलाई 2025** को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आए।

क्या आप जानते हैं?

> ग्रुप कैप्टन **शुभांशु शुक्ला ISS पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री** हैं। साथ ही, **1984 में राकेश शर्मा** के बाद वे **अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री** हैं।

एक्सिओम-4 (एक्स-4) मिशन के बारे में

- यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) के लिए नासा का **चौथा पूर्ण निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन** है। यह **टेक्सास** स्थित स्टार्ट-अप कंपनी **एक्सिओम स्पेस (Axiom Space) द्वारा स्पेसएक्स (SpaceX)** के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया था।
- यह **14-दिवसीय मिशन** था। इसके तहत **फ्लोरिडा स्थित नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कन 9 प्रक्षेपण यान द्वारा स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान** को प्रक्षेपित किया गया था।
  - **फाल्कन 9 दो-चरणीय पुन: उपयोग** किया जाने वाला यानी रीयूजेबल प्रक्षेपण यान है। साथ ही, **ड्रैगन अंतरिक्ष यान** अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए एक **रीयूजेबल क्रू मॉड्यूल** है।
- **अंतरिक्ष यात्री:** शुभांशु शुक्ला (भारत), पैगी व्हिटसन (संयुक्त राज्य अमेरिका), स्लावोज़ उज़्नान्स्की (पोलैंड), और टिबोर कापू (हंगरी)।
- **मिशन की प्रमुख विशेषताएं:**
  - **उद्देश्य: भारत, पोलैंड और हंगरी** के लिए मानव अंतरिक्ष उड़ान की "वापसी" को साकार करना।
  - एक्स-4 चालक दल में **भारत, पोलैंड और हंगरी** के सदस्य शामिल हैं। यह इन देशों का अंतरिक्ष स्टेशन के लिए **पहला** मिशन है और 40 वर्षों में **दूसरा** सरकार प्रायोजित मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है।
  - **अनुसंधान:** इसमें **31 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 60 से अधिक वैज्ञानिक** अध्ययन शामिल हैं। इनमें **सूक्ष्म गुरुत्व संबंधी प्रयोग, मानव शरीर क्रिया विज्ञान संबंधी अनुसंधान, अर्थ ऑब्जर्वेशन इमेजिंग** आदि शामिल हैं।
- **इसरो द्वारा निम्नलिखित अनुसंधान कार्य जाएंगे:**
  - **फसल वृद्धि:** भविष्य में अंतरिक्ष में खेती के लिए फसली बीजों की 6 किस्मों पर सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा।
  - **सायनोबैक्टीरिया:** अंतरिक्ष-यान की जीवन समर्थन प्रणालियों (life support systems) में उपयोग के लिए इसकी वृद्धि और गतिविधियों का निरीक्षण किया जाएगा।
    - सायनोबैक्टीरिया जलीय बैक्टीरिया हैं, जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं।
  - **स्पेस माइक्रोएल्गी:** अंतरिक्ष और पृथ्वी पर इनकी चयापचय एवं आनुवंशिक गतिविधि की तुलना की जाएगी। साथ ही भोजन, ईंधन या जीवन समर्थन प्रणाली के रूप में इनके संभावित उपयोग की खोज की जाएगी।
  - **मायोजेनेसिस:** इसमें अंतरिक्ष की सूक्ष्म गुरुत्वीय दशाओं में मांसपेशी के कमजोर होने का अध्ययन किया जाएगा; कंकालीय मांसपेशी में गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार कारकों की पहचान की जाएगी तथा इलाज के तरीके का पता लगाया जाएगा।
  - **टार्डिग्रेड्स:** प्रत्येक परिस्थिति के प्रति मजबूत अनुकूलन के पीछे के आणविक तंत्र की पहचान करने के लिए सूक्ष्म गुरुत्व में टार्डिग्रेड्स के जिंदा रहने, दोबारा सक्रिय होने और जनन की जांच की जाएगी।
  - **अन्य:** सूक्ष्म गुरुत्व में कंप्यूटर स्क्रीन के उपयोग के भौतिक और संज्ञानात्मक प्रभाव की जांच करना; भारतीय छात्रों के लिए STEM आउटरीच गतिविधियां आदि।

भारत के लिए महत्व

- **गगनयान मिशन का विकास:** एक्स-4 चिकित्सा संबंधी प्रशिक्षण, मनोवैज्ञानिक तैयारी और चालक दल-ग्राउंड स्टेशन के मध्य समन्वय के लिए बहुमूल्य जानकारी प्रदान करेगा।
  - ग्रुप कैप्टन **शुभांशु शुक्ला गगनयान मिशन** के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक हैं।

- **अंतरिक्ष कूटनीति:** यह नासा, ESA और निजी कंपनियों के साथ इसरो के वैश्विक सहयोग को दर्शाता है।
- **भारत के अंतरिक्ष पारितंत्र का विकास:** यह भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की योजनाओं के अनुरूप भारत के अंतरिक्ष उद्योग के विकास को प्रोत्साहित करेगा।
- **राष्ट्रीय गौरव और प्रेरणा:** अंतरिक्ष में भारतीय अंतरिक्ष यात्री भारतीय युवाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित (STEM) में करियर बनाने के लिए प्रेरित करेंगे।

मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने में भारत के समक्ष गंभीर बाधाएं

- **प्रौद्योगिकीय:**
  - **जीवन समर्थन प्रणाली:** इसके लिए एयर रिजनरेशन, तापमान नियंत्रण, अपशिष्ट पुनर्चक्रण और खाद्य भंडारण सुनिश्चित करना होगा।
  - **विकिरण से सुरक्षा:** पृथ्वी की निचली कक्षा से परे, ब्रह्मांडीय विकिरण और सौर कण संबंधी घटनाएं स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जोखिम उत्पन्न करते हैं।
  - **अंतरिक्ष यान का पुनः प्रवेश और तापीय संरक्षण:** पृथ्वी के वायुमंडल में वापस प्रवेश करने के दौरान, अंतरिक्ष यान को लगभग **7,000 डिग्री फारेनहाइट** तक के तापमान का सामना करना पड़ता है। यह तापमान गैस और हवा में मौजूद कणों के अंतरिक्ष यान की सतह से टकराने के कारण उत्पन्न होता है।
  - **प्रक्षेपण वाहन की विश्वसनीयता:** मानव को ले जाने वाले रॉकेट्स के नियंत्रित आरोहण, अबोर्ट सिस्टम्स और पुन: प्रयोज्यता सहित कई जटिलताओं से निपटने के लिए सख्त सुरक्षा मानकों को पूरा करना होगा।
- **लॉजिस्टिकल:**
  - **उच्च लागत:** इसके लिए **लॉन्च पैड, परीक्षण सुविधाएं, ट्रैकिंग स्टेशन** आदि सहित मजबूत संस्थागत और अवसंरचनात्मक क्षमता की आवश्यकता होती है।
  - **अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण और चयन:** अंतरिक्ष यात्रियों को कठोर शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।
    - इसके अतिरिक्त, दीर्घकालिक मिशनों के दौरान **अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने से मनोवैज्ञानिक समस्या** भी उत्पन्न हो सकती है।

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के बारे में

- यह एक रहने योग्य कृत्रिम उपग्रह है, जो निम्न भू-कक्षा (LEO) (370-460 कि.मी. की ऊंचाई पर) में स्थित है।
- **ISS के प्रमुख साझेदार:** यूरोप (ESA), अमेरिका (NASA), जापान (JAXA), कनाडा (CSA) और रूस (Roscosmos)।
- यह लगभग **28,000 किलोमीटर प्रति घंटे** की गति से पृथ्वी की परिक्रमा करता है और **हर 90 मिनट में पृथ्वी की एक परिक्रमा** पूरी कर लेता है।
- यह पृथ्वी की कक्षा में मौजूद सबसे बड़ा कृत्रिम पिंड है। यह अंतरिक्ष में एक प्रयोगशाला के समान है। इसका कक्षीय पथ ऐसा है कि यह पृथ्वी के **90% से अधिक अधिक बसे हुए क्षेत्रों के ऊपर से गुजरता** है।
- इसका पहला घटक या भाग **1998** में कक्षा में प्रक्षेपित किया गया था। यह कम-से-कम **2030** तक कक्षा में एक कार्यरत प्रयोगशाला एवं एक पोस्ट के रूप में काम करता रहेगा।

गगनयान प्रोग्राम के बारे में

- गगनयान प्रोग्राम **'भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान'** मिशन है।
- **उद्देश्य: अंतरिक्ष यात्रियों की एक टीम को तीन दिन के मिशन के लिए पृथ्वी से 400 कि.मी. ऊपर की कक्षा में भेजना और उन्हें सुरक्षित वापस** लाना। दीर्घकालिक रूप से भारतीय मानव अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम की आधारशिला स्थापित करना।
- **गगनयान के घटक:**
  - **प्रक्षेपण यान मार्क-3 (LVM-3):** पूर्व में GSLV MK-III के नाम से ज्ञात यह 3-चरण वाला रॉकेट है:
    - **प्रथम चरण:** रॉकेट कोर से बंधे दो ठोस ईंधन बूस्टर।
    - **दूसरा चरण:** दो तरल-ईंधन वाले, क्लस्टर्ड विकास 2 इंजन।
    - **तीसरा चरण: CE-20 स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन,** जिसमें क्रमशः ईंधन और ऑक्सीकारक के रूप में **तरल हाइड्रोजन एवं तरल ऑक्सीजन** का उपयोग किया जाता है।
  - **कक्षीय मॉड्यूल:** इसमें क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल शामिल हैं।
- इस प्रोग्राम का दायरा बढ़ाकर इसमें **भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की पहली इकाई का निर्माण** भी शामिल कर लिया गया है।

भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) के बारे में

- यह वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भारत द्वारा **पृथ्वी की सतह से लगभग 400-450 कि.मी. ऊपर** स्थापित अंतरिक्ष स्टेशन होगा। **इसमें पांच मॉड्यूल होंगे।**
- **लक्ष्य:** पहला मॉड्यूल (बेस मॉड्यूल) **2028** में प्रक्षेपित किया जाएगा। BAS को **2035** तक संचालन में लाने का लक्ष्य है।

निष्कर्ष

भारत के लिए, एक्सिओम-4 मिशन के अंतर्गत सहयोग न केवल उसके प्रस्तावित गगनयान मिशन से पहले **तकनीकी समझ को गति देगा,** बल्कि भविष्य में लंबी अवधि की अंतरिक्ष यात्राओं के लिए **महत्वपूर्ण मानव संसाधन और अवसंरचना का निर्माण भी करेगा।**

नोट: *भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, सितंबर 2025 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 7.1. देखें।*

7.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

7.2.1. विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर पहल {Science and Technology (S&T) Clusters Initiatives}

"विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर वार्षिक रिपोर्ट 2024-2025" में "विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर पहल" के तहत शुरू की गई विभिन्न पहलों को रेखांकित किया गया। इन पहलों में **Kalaanubhav.in** भी शामिल है जो कारीगरों के लिए **ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) और वर्चुअल रियलिटी (VR) आधारित मार्केटप्लेस** है।

'विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर पहल' के बारे में

- **शुरुआत:** यह पहल 2020 में **"प्रधानमंत्री की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद (PM-STIAC)"** की सिफारिशों के आधार पर लॉन्च की गई थी।
- **उद्देश्य:** शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान एवं विकास संगठनों, उद्योगों और स्थानीय सरकारों जैसे हितधारकों को एक साथ लाना, ताकि **इनोवेटिव विचारों के माध्यम से मांग-आधारित समाधान** प्रदान किए जा सकें।
- **कार्यप्रणाली:**
  - यह **कंसोर्टियम-आधारित अप्रोच** के माध्यम से संचालित होता है।
  - यह **विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों की समस्या के समाधान** पर केंद्रित है।
- **नोडल कार्यान्वयन एजेंसी:** प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) का कार्यालय।
  - PSA **कैबिनेट सचिव के तहत** कार्य करता है।

7.2.2. क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इंडेक्स (Critical and Emerging Technologies Index)

क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इंडेक्स का अनावरण किया गया है। यह सूचकांक **25 देशों** के **पांच प्रौद्योगिकी क्षेत्रों** यथा- **AI, जैव प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर्स, अंतरिक्ष और क्वांटम** में प्रदर्शन का आकलन करता है।

- इसे **हार्वर्ड कैनेडी स्कूल** ने प्रकाशित किया है।
- इसमें **6 मापदंडों** के आधार पर प्रत्येक प्रौद्योगिकी क्षेत्र की पहचान की गई है:
  - **भू-राजनीतिक महत्त्व,**
  - **प्रणालीगत प्रभाव,**
  - **GDP में योगदान,**
  - **दोहरे उपयोग की क्षमता,**
  - **आपूर्ति श्रृंखला जोखिम, और**
  - **परिपक्व होने में लगने वाला समय।**

प्रमुख निष्कर्ष

- **भारत** इन तकनीकी क्षेत्रों में **शीर्ष तीन (अमेरिका, चीन और यूरोप)** की तुलना में **काफी पीछे** है।
- भारत महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, विशेष रूप से **सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी** में पिछड़ा हुआ है।

7.2.3. क्वांटम एंटेंगलमेंट आधारित कम्युनिकेशन में सफलता प्राप्त हुई (Quantum Entanglement-Based Communication Achieved)

DRDO और IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने क्वांटम एंटेंगलमेंट आधारित फ्री-स्पेस कम्युनिकेशन में सफलता पाई।

- शोधकर्ताओं ने **करीब 1 किलोमीटर की दूरी तक फ्री-स्पेस ऑप्टिकल लिंक के जरिए क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन** का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया।
- इससे पहले **इसरो ने 2021 में 300 मीटर से अधिक दूरी तक पहला फ्री-स्पेस QKD** का प्रदर्शन किया था।

प्रयोग के बारे में

- यह प्रयोग DRDO के **'फ्री-स्पेस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन (QKD) के लिए फोटॉनिक तकनीकों के डिजाइन और विकास'** प्रोजेक्ट का हिस्सा था।
- इस प्रयोग में **क्वांटम बिट त्रुटि दर (QBER) 7% से भी कम** रही।
  - QBER यह दर्शाता है कि भेजी गई और प्राप्त जानकारी में कितना अंतर है यानी जानकारी को कोई तीसरा व्यक्ति गोपनीय रूप से तो प्राप्त नहीं कर रहा है।
- यह **क्वांटम साइबर सुरक्षा, लंबी दूरी की QKD और भविष्य के क्वांटम इंटरनेट में रियल टाइम अनुप्रयोगों** के लिए मार्ग प्रशस्त करता है।

क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन (QKD) क्या है?

- **संचार प्रौद्योगिकी:** यह एक **क्वांटम संचार तकनीक** है, जो क्वांटम मैकेनिक्स अर्थात् **क्वांटम एंटेंगलमेंट और क्रिप्टोग्राफी** पर आधारित है।
  - **क्वांटम मैकेनिक्स** विज्ञान की एक नई शाखा है जो यह बताती है कि अत्यंत **सूक्ष्म कण एक ही समय में कण और तरंग (एक हलचल या भिन्नता जो ऊर्जा स्थानांतरित करती है) दोनों जैसा व्यवहार** करते हैं।
    - भौतिक विज्ञानी इसे **"वेव-पार्टिकल डुअलिटी यानी तरंग-कण द्वैत"** कहते हैं।
- **मुख्य सिद्धांत:**
  - **क्वांटम एंटेंगलमेंट:** इस प्रक्रिया में, कई क्वांटम कण एक-दूसरे से इस तरह जुड़े होते हैं कि एक कण की स्थिति तुरंत दूसरे कण की स्थिति को प्रभावित कर सकती है, चाहे वे कितनी भी दूरी पर हों।
  - **क्वांटम क्रिप्टोग्राफी:** एक ऐसी एन्क्रिप्शन तकनीक है, जो डेटा को इतनी सुरक्षा देती है कि उसे कोई हैक नहीं कर सकता।

क्वांटम प्रौद्योगिकी के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए।

वीकली फोकस #69

भारत में क्वांटम प्रौद्योगिकी: भावी संभावनाओं की खोज

7.2.4. फाइबर ऑप्टिक ड्रोन (Fiber Optic Drones)

फाइबर ऑप्टिक्स फर्स्ट-पर्सन-व्यू (FPV) ड्रोन का उपयोग रूस-यूक्रेन युद्ध में किया जा रहा है।

फाइबर ऑप्टिक्स फर्स्ट-पर्सन-व्यू (FPV) ड्रोन्स के बारे में

- **ये वायर्ड कामिकाज़े ड्रोन** होते हैं, जो **नेविगेशन** के लिए **रेडियो वेव्स** की बजाय **फाइबर ऑप्टिक तकनीक (20 कि.मी. तक)** का उपयोग करते हैं।
  - **फाइबर ऑप्टिक्स में** बहुत **पतले कांच या प्लास्टिक के** तार का उपयोग होता है।
  - वे **तेज गति, लंबी दूरी और समकालिक संचार** को सक्षम कर सकते हैं।
  - वायर्ड केबल के विपरीत, **फाइबर केबल एक समय में एक ही आवृत्ति पर केवल एक ही संचार** को सक्षम करती है।
  - **रेडियो लिंक न होने** का अर्थ है कि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर (EW) प्रणालियों द्वारा **जाम या इंटरसेप्ट नहीं** किया जा सकता।

7.2.5. डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस (Digital Hub for Reference and Unique Virtual Address: DHRUVA)

डाक विभाग (DoP) ने DHRUVA का **सम्पूर्ण फ्रेमवर्क बताने वाला एक व्यापक नीतिगत दस्तावेज** जारी किया है। **DHRUVA** वास्तव में राष्ट्रीय स्तर की **डिजिटल एड्रेस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर** (DPI) है।

DHRUVA के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- DHRUVA एक प्रकार का **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर** (DPI) है। इसे **भारत के प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट डिजिटल एड्रेस** प्रदान करने के लिए **डाक विभाग द्वारा विकसित** किया जा रहा है।
  - यह अधिक सुरक्षित **डिजिटल कार्यप्रणाली** सुनिश्चित करेगा, जिसमें यूजर्स **जियो-कोडेड फ्रेमवर्क** का उपयोग करते हुए **एड्रेस की सटीक जानकारी** साझा कर सकते हैं।
- **उद्देश्य:** इस पहल का उद्देश्य एड्रेस की जानकारी के प्रबंधन को **मूलभूत पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर** का दर्जा देना है। इससे प्रभावी शासन, समावेशी तरीके से सेवा वितरण और यूजर्स को बेहतर सेवा अनुभव सुनिश्चित होगा।
- **DHRUVA के दो प्रमुख लेयर्स हैं:**
  - **डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर (DIGIPIN):** यह **10-अंकीय अल्फ़ा-न्यूमेरिक कोड** है। यह कोड भारत की भौगोलिक सीमाओं में लगभग 4x4 मीटर के समान ग्रिड बनाकर **भू-स्थान अवस्थिति (अक्षांश-देशांतर/ latitude-longitude) को दर्शाएगा।**
    - DIGIPIN **भू-स्थानिक (Geospatial) डेटा** के आधार पर स्थानों की सटीक तरीके से पहचान करता है।
  - **डिजिटल एड्रेस लेयर:** यह यूजर्स-केंद्रित व सहमति-आधारित प्रणाली है। यह **DIGIPIN** पर आधारित है। यह प्रणाली यूजर्स को अपने **DIGIPIN और पते का विवरण दर्शाने के लिए कस्टम लेबल बनाने** की अनुमति देती है।
- **मुख्य विशेषताएं:**
  - यह प्राइवेसी और सिक्योरिटी सुनिश्चित करेगा;
  - यह पारस्परिक संचालन और खुलापन सुनिश्चित करेगा;
  - इसमें मांग के अनुसार विस्तार करने की क्षमता है;
  - यह पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा;
  - यह नवाचार को बढ़ावा देगा, आदि।

DHRUVA पहल के मुख्य लाभ		
नागरिकों के लिए लाभ	**निजी क्षेत्र के लिए लाभ**	**गवर्नेंस के लिए लाभ**
• सरकारी योजनाओं, राशन वितरण और आपात सेवाओं के लिए लाभार्थी तक पहुंचने में मददगार। • ई-कॉमर्स, डाक एवं कूरियर सेवाओं के सही व्यक्ति तक वितरण में सुधार करेगा।	• लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी में सुधार करेगा। • बैंकों, NBFCs, टेलीकॉम और फिनटेक कंपनियों द्वारा एड्रेस वेरिफिकेशन को आसान बनाएगा। • सुदूर क्षेत्रों में व्यावसायिक सेवाएं सटीकता से पहुंचाना आसान हो जाएगा।	• गवर्नेंस को वंचित क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सकेगा। • कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। • बेहतर योजना निर्माण एवं शहरों में सेवाओं के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी।

7.2.6. तियानवेन-2 प्रोब (Tianwen-2 Probe)

चीन ने मंगल ग्रह के निकट स्थित क्षुद्रग्रह से सैंपल को पृथ्वी पर लाने के लिए **तियानवेन-2 अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया।**

- इससे पहले, एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक **रोवर (ज़ूरोंग) से युक्त तियानवेन-1 प्रोब 2021** में मंगल ग्रह की सतह पर उतरा था।
- **तियानवेन-3 का** प्रक्षेपण 2028 के आस-पास होना है, जिसका उद्देश्य मंगल ग्रह से सैंपल एकत्र करना और उसे पृथ्वी पर लाना है।
- **तियानवेन-4 का लक्ष्य** 2030 के आस-पास **बृहस्पति ग्रह का** अन्वेषण करना है।

तियानवेन-2 प्रोब के बारे में

- **प्रक्षेपण यान:** लॉन्ग मार्च 3-B रॉकेट।
- **उद्देश्य: क्षुद्रग्रह 2016HO3** से सैंपल एकत्र करना तथा **मेन बेल्ट में मौजूद धूमकेतु 311P का अन्वेषण करना,** जो मंगल ग्रह की तुलना में पृथ्वी से और अधिक दूर स्थित है।

7.2.7. भारत की पहली जीन-एडिटेड भेड़ तैयार की गई (India's First Gene-Edited Sheep Produced)

CRISPR-Cas9 तकनीक का उपयोग करके **कश्मीर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के सहयोग से भारत की पहली जीन-एडिटेड भेड़ तैयार की।**

जीन एडिटिंग क्या है?

जीन एडिटिंग — किसी जीव के DNA में सटीक संशोधन करना।
- **उद्देश्य:** जीन को जोड़ना/ हटाना/ बदलना।
- आनुवंशिक संरचना में वांछित परिवर्तन करना।

प्रयुक्त तकनीकें: CRISPR-Cas9, TALENs, जिंक फिंगर न्यूक्लिएज आदि।

A. सोमैटिक सेल एडिटिंग (गैर-वंशानुगत)

लक्षित: शरीर की कोशिकाएं (जैसे त्वचा, लिवर आदि)

प्रभाव: केवल उपचारित व्यक्ति में बदलाव, उसकी संतानों में बदलाव नहीं होता।

उपयोग: कैंसर या सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारियों के उपचार हेतु।

B. जर्मलाइन सेल एडिटिंग (वंशानुगत प्रभाव)

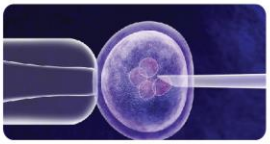

प्रभाव: उपचारित व्यक्ति की प्रत्येक कोशिका परिवर्तन भावी पीढ़ियों को भी प्राप्त होते हैं।

उपयोग: वंशानुगत बीमारियों की रोकथाम (अभी प्रयोग के चरण में है)

	सोमैटिक एडिटिंग	जर्मलाइन एडिटिंग
कोशिका प्रकार	शरीर (गैर-प्रजनन) कोशिकाएं	प्रजनन कोशिकाएं
वंशानुगत प्रभाव	वंशानुगत-नहीं	वंशानुगत
प्रभाव का क्षेत्र	स्थानिक (विशिष्ट अंग)	संपूर्ण जीव व उसके वंशज
नैतिक चिंताएं	कम	अधिक (खतरे की आशंका)
चिकित्सीय उपयोग	परीक्षण चरण में	अधिकतर प्रतिबंधात्मक/ प्रयोगात्मक चरण में

महत्त्व क्यों है: जीन एडिटिंग में कैंसर और वंशानुगत बीमारियों के इलाज व कृषि में सुधार की अपार संभावनाएं हैं – लेकिन इससे जुड़े नैतिक एवं सुरक्षा संबंधी सवालों का समाधान भी ज़रूरी है।

- गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही **चावल (धान) की पहली जीन-एडिटेड किस्म** जारी की गई थी।

CRISPR-Cas9 तकनीक के बारे में

- CRISPR-Cas9 तकनीक वास्तव में **DNA स्ट्रैंड्स के लिए कट-एंड-पेस्ट विधि** पर कार्य करती है।
- **2020 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार** इसी खोज के लिए प्रदान किया गया था।

शोध के बारे में

- एक **मेमने में मायोस्टेटिन जीन को एडिट** किया गया, जिससे **मांसपेशियों की वृद्धि में 30% की बढ़ोतरी** हुई। यह गुण कुछ **यूरोपीय नस्ल की भेड़ों (जैसे कि टेक्सेल)** में पाया जाता है, लेकिन **भारतीय नस्ल के भेड़ों में नहीं** पाया जाता है।
- इस प्रक्रिया में **किसी बाहरी DNA को प्रवेश नहीं** कराया गया। इस तरह यह कोई **ट्रांसजेनिक जानवर नहीं** है।
  - इस प्रकार, यह तकनीक **पूरी प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और सुरक्षित** बनाती है। साथ ही, इससे **नियम का उल्लंघन भी नहीं** होता है तथा यह **उपभोक्ताओं के लिए भी लाभकारी** साबित होती है।
- इससे पहले, **राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (NDRI) ने एक जीन-एडिटेड भैंस का भ्रूण विकसित** किया था।

जानवरों में जीन एडिटिंग से संबंधित नैतिक चिंताएं

- **बुद्धिमत्ता, लिंग या रूप जैसे लक्षणों को एडिट** करने से **"डिजाइनर बेबी"** के निर्माण का खतरा उत्पन्न हो सकता है। इससे **अमीर एवं अन्य लोगों के बीच असमानता और बढ़** सकती है।
- यह **यूजीनिक्स यानी वांछित गुणों वाली संतान को जन्म देने को प्राथमिकता** देने का खतरा उत्पन्न कर सकता है। जाहिर है इससे **भेदभाव को और बढ़ावा** मिलेगा।
- जीन एडिटिंग से **"ऑफ-टारगेट" प्रभाव और "मोज़ेइकिज़्म"** (Mosaicism) को बढ़ावा मिल सकता है।
  - **ऑफ-टारगेट" प्रभाव** से आशय है अवांछित आनुवंशिक संशोधन।
  - **मोज़ेइकिज़्म** ऐसी स्थिति है, जिसमें एक ही व्यक्ति की कोशिकाओं में **अलग-अलग यानी मिश्रित आनुवंशिक संरचना** होती है।
- इसमें **नए रोगों या पारिस्थितिकी-तंत्र को नुकसान पहुंचाने जैसे अज्ञात खतरे** उत्पन्न हो सकते हैं।
- **जानवरों के कल्याण** से जुड़ी चिंताएं भी उतपन्न होती है, क्योंकि जीन-एडिटेड जानवरों को तैयार करने में अक्सर कुछ जानवरों की सर्जरी की जाती है और कुछ जानवरों का बलिदान भी देना पड़ता है।

गौरतलब है कि **यूनेस्को की अंतरराष्ट्रीय बायो-एथिक्स समिति** जीनोम एडिटिंग के नैतिक प्रभावों की पड़ताल कर रही है।

नोट: *जीन एडिटिंग के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, मई 2025 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 7.3. देखें।*

7.2.8. HIV की रोकथाम के लिए नई दवा को मंजूरी (HIV Prevention Drug Approved)

यू. एस. फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने HIV की रोकथाम के लिए एक नई दवा लेनाकैपाविर को मंजूरी प्रदान की।

- FDA की मंजूरी से अब यह दवा **WHO प्रीक्वालिफिकेशन के लिए पात्र** हो गई है। इससे **अलग-अलग देशों में इसे जल्दी स्वीकृति** मिल सकती है।
- **WHO प्रीक्वालिफिकेशन ऑफ़ मेडिसिन्स प्रोग्राम (PQP)** यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि दवा खरीद एजेंसियां जो दवाएं सप्लाई करती हैं, वे **गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता के स्वीकार्य मानकों** को पूरा करती हैं।

लेनाकैपाविर के बारे में

- लेनाकैपाविर एक **एंटीरेट्रोवायरल दवा** है। इसका उपयोग HIV की रोकथाम के लिए **प्री-एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस (PrEP)** के रूप में किया जाता है।
  - **PrEP** एक ऐसी दवा है, जो उन **HIV नेगेटिव व्यक्तियों में HIV संक्रमण के जोखिम को कम** कर सकती है, जिन्हें वायरस से संक्रमित होने का खतरा है।
  - WHO वर्तमान में HIV PrEP के विकल्पों के रूप में **ओरल PrEP, डैपिविरिन वैजाइनल रिंग, और लॉन्ग-एक्टिंग इंजेक्टेबल कैबोटिग्रैविर (CAB-LA)** की सिफारिश करता है।

HIV के बारे में

- **ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस (HIV)** एक वायरस है, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है।
- **कार्य-प्रणाली:** HIV शरीर की **श्वेत रक्त कोशिकाओं (CD4 कोशिकाओं/ CD4 टी लिम्फोसाइट्स)** को संक्रमित कर उन्हें नष्ट कर देता है, जिससे **प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर** हो जाती है।
- **प्रसार:** HIV वायरस **संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थों** जैसे- रक्त, स्तन का दूध, सीमन और योनि स्राव से फैलता है।
  - यह माता से बच्चे में भी फैल सकता है।
- **उपचार:** HIV को **एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (ART) से रोका और नियंत्रित** किया जा सकता है।
  - बिना इलाज के HIV आगे चलकर **AIDS (एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम)** में बदल सकता है।
- HIV अनुमान 2023 रिपोर्ट के अनुसार, भारत में **2.5 मिलियन से अधिक लोग** HIV संक्रमण से पीड़ित हैं।

7.2.9. वजन कम करने वाली दवाएं (Weight Loss Drug)

डेनमार्क की दवा कंपनी **नोवो नोर्डिस्क** ने भारत में अपनी वजन कम करने वाली दवा **वेगोवी** लॉन्च की।

- इस दवा का सक्रिय घटक **सेमाग्लूटाइड** है और इसे **वेगोवी** ब्रांड नाम से बेचा जा रहा है। यह इंजेक्शन के रूप में उपलब्ध होगी और इसे सप्ताह में एक बार लेना होगा।
    - **सेमाग्लूटाइड** भूख को कम करने का काम करता है। यह शरीर में मौजूद **GLP-1 (ग्लूकागन-लाइक पेप्टाइड-1)** नामक हार्मोन की कॉपी करता है।
        - **GLP-1** आंतों में पाया जाने वाला एक हार्मोन है, जो खाना खाने के बाद शरीर में रिलीज़ होता है और व्यक्ति को अधिक देर तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है।
- वजन घटाने की अन्य दवाओं में **माउंजारो** भी शामिल है, जो **टिर्जेपटाइड** से बनी है। यह GLP-1 और GIP दोनों हार्मोन की तरह काम करता है।

SMART QUIZ

विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

8. संस्कृति (Culture)

8.1. आईएनएस कौंडिन्य और टंकाई विधि (INS Kaundinya and Tankai)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय नौसेना द्वारा औपचारिक रूप से **प्राचीन टंकाई वाले जहाज** को नौसेना में शामिल किया गया। इसका नाम **INSV कौंडिन्य** रखा गया है, जिसे **टंकाई पद्धति** का उपयोग करके बनाया गया था।

INS कौंडिन्य के बारे में

- यह **अजंता की गुफाओं के चित्रों** में दर्शाए गए **5वीं शताब्दी** के जहाज पर आधारित है।
- यह परियोजना **संस्कृति मंत्रालय, भारतीय नौसेना और मेसर्स होदी इनोवेशन्स** के बीच **त्रिपक्षीय समझौते** के जरिए शुरू की गई थी।

टंकाई विधि के बारे में

- यह जहाज निर्माण की **2000 वर्ष पुरानी** तकनीक है, जिसे **'टंकाई जहाज निर्माण विधि'** के नाम से जाना जाता है।
- इसमें **कीलों का उपयोग करने की बजाय लकड़ी के तख्तों को जोड़ने** के लिए सिलाई विधि का प्रयोग किया जाता है, जिससे अधिक लचीलापन एवं स्थायित्व मिलता है।

भारत की गौरवशाली समुद्री विरासत

व्यापार और वाणिज्य	• **मेसोपोटामिया** में हड़प्पाकालीन मुहरों की खोज तथा **लोथल (2400 ई.पू.)** में जहाजों की **ड्राई डॉक्** और टेराकोटा की आकृतियों की खोज, सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया के बीच समुद्री व्यापार संबंधों को दर्शाती हैं। • **ऋग्वेद** में व्यापारियों द्वारा व्यापार और धन की तलाश में समुद्र पार कर विदेशों में जहाज ले जाने का उल्लेख मिलता है। • **चोल, चेर व पांड्य शासकों ने रोमन साम्राज्य** के साथ समृद्ध समुद्री व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। • **विजयनगर और बहमनी साम्राज्य** गोवा बंदरगाह का उपयोग करके **ईरान एवं इराक से घोड़ों का आयात** करते थे।
सांस्कृतिक प्रसार	• अशोक के पुत्र **महेंद्र और पुत्री संघमित्रा बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए पश्चिम बंगाल के ताम्रलिप्ति बंदरगाह से सीलोन तक समुद्री यात्रा** पर गए थे। • दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों पर समुद्री विजय और उनके साथ व्यापारिक संबंधों के कारण वहां तक **भारतीय धर्म, स्थापत्य कला एवं भाषाओं का प्रसार** हुआ था। उदाहरण के लिए- **जावा में बोरोबुदुर मंदिर, कंबोडिया में अंगकोर वाट मंदिर आदि।**
नौसैन्य कौशल और समुद्री ज्ञान	• **मगध साम्राज्य की नौसेना** को पांडुलिपियों में दर्ज विश्व की पहली नौसेना माना जाता है और **चाणक्य के अर्थशास्त्र में नौसैनिक युद्ध विभाग** का उल्लेख भी मिलता है। • **राजेंद्र चोल-I (1014-1044) ने श्रीलंका पर विजय** प्राप्त की थी। इसके अलावा, **श्री विजय साम्राज्य (शैलेंद्र राजवंश द्वारा शासित)** के खिलाफ सफल नौसैनिक अभियानों का नेतृत्व किया था। • **छत्रपति शिवाजी महाराज ने विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग** जैसे तटीय किलों का निर्माण कराया था और नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए **500 से अधिक जहाजों** के बड़े का गठन किया था। • **चोल और चेर** शासकों को समुद्री यात्राओं के लिए मानसूनी पवनों का ज्ञान था।
समुद्री कूटनीति	• **श्रीलंका** के शासक **मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर** बनाने की अनुमति के लिए **समुद्रगुप्त** के पास एक दूत मंडल भेजा था। • **शैलेन्द्र शासक ने पाल शासकों के दरबार** में दूतमंडल भेजा था और **नालंदा में एक मठ** बनाने की अनुमति मांगी थी।

समुद्री विरासत को पुनः प्राप्त करने के लिए सरकारी पहलें

लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर: यह पहल देश की ऐतिहासिक समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के लिए है।

प्रोजेक्ट मौसम: इसका उद्देश्य समुद्री अंतर्क्रियाओं के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का पता लगाना है।

सागरमाला कार्यक्रम की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना: इस कार्यक्रम का लक्ष्य वैश्विक समुद्री क्षेत्रक में भारत की उत्कृष्ट स्थिति को पुनर्जीवित करना और बहाल करना है।

निष्कर्ष

भारत की समुद्री विरासत को पुनर्जीवित करने का अर्थ केवल अतीत का पुनर्निर्माण करना ही नहीं है, बल्कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत को एक अग्रणी समुद्री शक्ति के रूप में पुनः स्थापित करना भी है। रणनीतिक पहलों और सांस्कृतिक पहुंच के माध्यम से, भारत अपनी प्राचीन समुद्री पहचान से पुनः जुड़ रहा है।

अजंता की अन्य प्रसिद्ध चित्रकारियां

- अलग-अलग **बोधिसत्वों** के चित्र, जैसे- **वज्रपाणि (बुद्ध की शक्ति का प्रतीक), मंजुश्री (बुद्ध की बुद्धिमत्ता का प्रतीक) और पद्मपाणि (बुद्ध की करुणा का प्रतीक)।**
- एक **मरणासन्न राजकुमारी का चित्र।**
- **चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय द्वारा फ़ारसी राजदूत का स्वागत करने का चित्र।**
- **शिबी जातक** (राजा शिबी ने कबूतर को बचाने के लिए अपने शरीर से मांस का टुकड़ा अर्पित किया था), **मातृपोषक जातक** (हाथी द्वारा बचाया गया एक कृतघ्न व्यक्ति उसके रहने के स्थान का खुलासा करता है) का चित्रण आदि।

Lakshya

लक्ष्य प्रीलिम्स और मेन्स इंटीग्रेटेड मेंटरिंग प्रोग्राम 2026

प्रारंभः 31 जुलाई

- जीएस प्रीलिम्स और मेन्स के लिए रिवीजन और प्रैक्टिस हेतु 13 महीने की रणनीतिक योजना।
- यूपीएससी प्रीलिम्स और मेन्स के सिलेबस का संपूर्ण कवरेज।
- सीनियर मेंटर्स की अत्यधिक अनुभवी और योग्य टीम द्वारा मार्गदर्शन।
- प्रीलिम्स और मेन्स के लिए अधिक स्कोरिंग क्षमता वाले विषयों पर बल।
- ठोस प्रैक्टिस के माध्यम से करेंट अफेयर्स और सीसैट की तैयारी पर ध्यान।
- लक्ष्य प्रीलिम्स प्रैक्टिस टेस्ट (LPPT) और लक्ष्य मेन्स प्रैक्टिस टेस्ट (LMPT) की उपलब्धता।
- 25,000+ प्रश्नों के व्यापक संग्रह के साथ संधान पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज।

UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा 2026 के लिए रणनीतिक रिवीजन, प्रैक्टिस और परामर्श हेतु 13 माह का कार्यक्रम)

- बेहतर उत्तर लेखन कौशल का विकास।
- प्रीलिम्स और मेन्स दोनों के लिए विषय–वार रणनीतिक डॉक्यूमेंट और स्मार्ट कंटेंट।
- निबंध और नीतिशास्त्र के प्रश्नपत्र पर विशेष बल।
- ग्रुप और व्यक्तिगत परामर्श सत्र।
- लाइव प्रैक्टिस, साथी अभ्यर्थियों के साथ डिस्कशन और स्ट्रेटजी पर चर्चा।
- नियमित मूल्यांकन, निगरानी और प्रदर्शन में सुधार।
- आत्मविश्वास निर्माण और मनोवैज्ञानिक रूप से तैयारी पर बल।
- टॉपर्स, नौकरशाहों और शिक्षाविदों के साथ इंटरैक्टिव सत्र।

WWW.VISIONIAS.IN 8468022022

ENQUIRY@VISIONIAS.IN /VISION_IAS WWW.VISIONIAS.IN /C/VISIIONIASDELHI VISION_IAS /VISIONIAS_UPSC

8.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

8.2.1. प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 {Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950}

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने 'प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950' के तहत **एक स्वतंत्रता सेनानी की विरासत का सम्मान करने के संबंध में दायर एक याचिका खारिज** कर दी।

प्रतीक अधिनियम (Emblems Act) के बारे में:

- इस अधिनियम का उद्देश्य **भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, राजकीय प्रतीक, राष्ट्रपति या राज्यपाल की मुहर, राष्ट्रीय व्यक्तित्वों (जैसे- महात्मा गांधी) के नाम या सचित्र प्रस्तुति के अनुचित या व्यावसायिक उपयोग को रोकना** है।
- **प्रतीक की परिभाषा**: "प्रतीक" का अर्थ है ऐसा कोई भी **प्रतीक, मुहर, ध्वज, चिन्ह, कोट-ऑफ-आर्म्स (राज्य चिह्न) या चित्रात्मक प्रस्तुति, जो इस अधिनियम में उल्लेखित** हो।
- **लागू होना**: यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है। साथ ही, यह **भारत के बाहर रहने वाले भारत के नागरिकों पर भी लागू** होता है।

संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 के तहत संरक्षण

राष्ट्रीय प्रतीक	महत्वपूर्ण व्यक्तित्व	महत्वपूर्ण संस्थान एवं इमारतें	संगठन व मिशन	अंतर्राष्ट्रीय संगठन
• भारत का राष्ट्रीय ध्वज • भारत सरकार और राज्यों के नाम, प्रतीक या मुहर • अशोक चक्र/ धर्म चक्र (नाम व छवि) • पदक, बैज, सरकार द्वारा अलंकरण	• महात्मा गांधी • इंदिरा गांधी • छत्रपति शिवाजी महाराजा • भारत का प्रधान मंत्री • शब्द: "गांधी", "नेहरू" व "शिवाजी"	• राष्ट्रपति और राज्यपालों के नाम, प्रतीक या मुहर • संसद व राज्य विधान-मंडल • सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट्स • केंद्रीय/ राज्य सचिवालय कार्यालय • इन भवनों की चित्रमय प्रस्तुति	• रामकृष्ण मठ और मिशन • भारत स्काउट्स एंड गाइड्स • राष्ट्रीय युवा प्रतीक • ऑरोविले • श्री सत्य साईं • राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)	• संयुक्त राष्ट्र (UN), WHO, UNESCO • अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (ICAO) • इंटरपोल • FIFA, FIFA U-17 विश्व कप • अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC)

8.2.2. कुंभकोणम वेत्रिलाई और थोवलाई माणिक्का मालाई (Kumbakonam Vetrilai and Thovalai Maanikka Maalai)

कुंभकोणम वेत्रिलाई को हाल ही में भारत सरकार द्वारा **भौगोलिक संकेत (GI) टैग** दिया गया है, जो इसकी क्षेत्रीय विशेषता और सांस्कृतिक महत्व को मान्यता देता है।

कुंभकोणम वेत्रिलाई के बारे में

- यह एक **पान (pan) का पत्ता** होता है।
- यह मुख्य रूप से तंजावुर के उपजाऊ **कावेरी नदी बेसिन** के **कुंभकोणम क्षेत्र में उगाया जाता है**।
- इनमें **चेविकोल** नामक एक **एंटी-इंफ्लेमेटरी (सूजन रोधी)** तत्व पाया जाता है, जो **ऑक्सीडेटिव तनाव** को कम करता है। यह **डायबिटीज जैसी बीमारियों** में आम होता है।

थोवलई माणिक्का मालाई के बारे में

- यह एक खास तरह की माला है, जो केवल **थोवलई** में बनाई जाती है।
- इसमें **फूलों को सावधानी से मोड़ा** जाता है और उन्हें सटीक **ज्यामितीय** (geometrical) पैटर्न में इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि वे **रत्नों (खासकर माणिक/रूबी)** जैसे दिखें।

भौगोलिक संकेतक (GI) टैग के बारे में

- GI एक ऐसा चिह्न है, जिसका उपयोग उन उत्पादों के लिए किया जाता है, जिनकी एक **विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति** होती है। साथ ही, इन उत्पादों की अपनी उत्पत्ति के कारण **गुण या प्रतिष्ठा** भी होती है।
- यह **वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999** के तहत विनियमित है।
  - **भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री** की स्थापना **चेन्नई** में इस अधिनियम के प्रबंधन के लिए की गई है।
- इसे औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए **पेरिस कन्वेंशन** के तहत **बौद्धिक संपदा अधिकार (IPRs)** के रूप में मान्यता दी गई है।
  - यह **ट्रिप्स/ TRIPS (बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू) समझौते** के अंतर्गत भी शामिल है।
- **नोडल विभाग/ मंत्रालय:** वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग।
- **अवधि: 10 वर्ष और इसे नवीनीकृत** भी किया जा सकता है।
- सबसे अधिक GI टैग **उत्तर प्रदेश** के पास हैं।

8.2.3. विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (World Test Championship: WTC)

दक्षिण अफ्रीका ने लॉर्ड्स (इंग्लैंड) में आयोजित **विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (2023-25)** में मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर खिताब जीत लिया है।

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के बारे में

- **शुरुआत:** WTC की शुरुआत अगस्त 2019 में हुई थी।
- **पात्रता:** ICC टेस्ट टीम रैंकिंग में **शीर्ष नौ रैंक वाली टीमें** WTC के लिए क्वालीफाई करती हैं।
- **फॉर्मेट:**
  - प्रत्येक टीम **तीन घरेलू और तीन बाहरी श्रृंखलाएं** खेलती है।
    - **द्विपक्षीय टेस्ट श्रृंखला** का प्रत्येक **मैच दो साल के चक्र** में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की तालिका में अंकों का **योगदान** करता है।
    - प्रत्येक टीम **कम-से-कम 2 टेस्ट** और **अधिकतम 5 टेस्ट** की 6 श्रृंखलाएँ खेलती है।
  - शीर्ष दो टीमें (**पॉइंट प्रतिशत प्रणाली के अनुसार, न कि जीते गए मैचों के आधार पर**) विजेता बनने के लिए एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करती हैं।

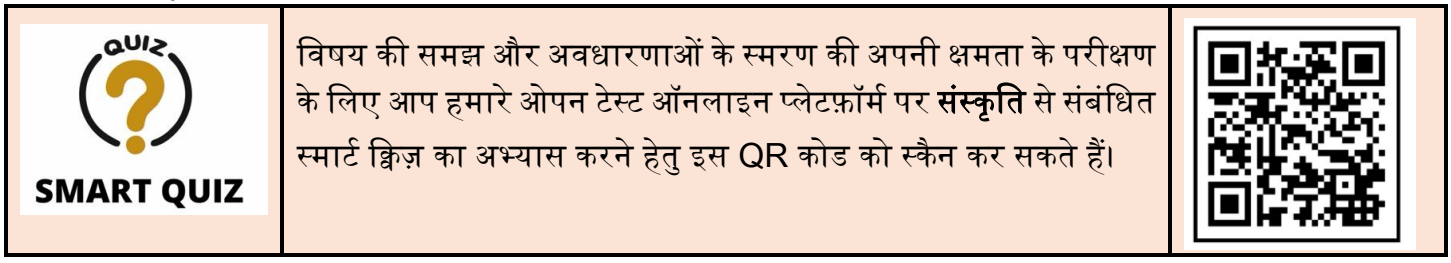

9. नीतिशास्त्र (Ethics)

9.1. महात्मा गांधी और श्री नारायण गुरु के जीवन मूल्य (Values of Mahatma Gandhi and Sree Narayana Guru)

परिचय

श्री नारायण धर्म संगम ट्रस्ट द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में **श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी** के बीच ऐतिहासिक संवाद की शताब्दी मनाई गई। यह संवाद **12 मार्च, 1925** को महात्मा गांधी की केरल यात्रा के दौरान **केरल के शिवगिरी मठ** में आयोजित हुआ था। यह संवाद **वायकोम सत्याग्रह**, धर्मांतरण, अहिंसा, अस्पृश्यता उन्मूलन, मोक्ष प्राप्ति, दमितों के उत्थान आदि विषयों पर केंद्रित था।

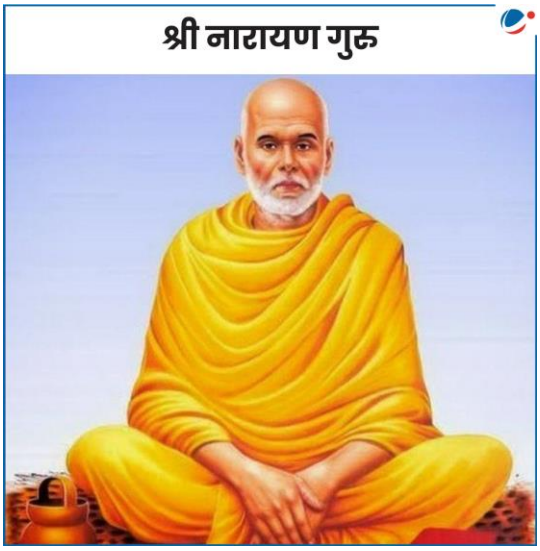

श्री नारायण गुरु के बारे में (1856-1928)

- उनका जन्म **केरल के तिरुवनंतपुरम के निकट चेंबाज़ंती गाँव में** हुआ था।
- उन्होंने समाज सुधार को आगे बढ़ाने के लिए 1903 में **श्री नारायण धर्म परिपालन योगम (SNDP)** की स्थापना की।
  - उन्होंने एझावा और हाशिए पर पड़े अन्य समुदायों के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया।
- उन्होंने **निवृत्ति पंचकाम और आत्मोपदेश शतकाम** जैसी कृतियों की रचना की, जो अद्वैत वेदांत दर्शन के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं।
- वर्ष 1888 में, श्री नारायण गुरु ने **अरुविप्पुरम में एक शिवलिंग की प्रतिस्थापना** की थी।

विभिन्न पहलुओं पर श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के विचार

पहलू	श्री नारायण गुरु	महात्मा गांधी
सामाजिक सुधार	• नारायण गुरु का मानना था कि **जाति अप्राकृतिक, मनुष्यों द्वारा बनाई गई** है। इसलिए, वे इसे **अवास्तविक** मानते थे। इस प्रकार, उन्होंने **"एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर"** का उद्घोष किया। • उनका मानना था कि यद्यपि **सकारात्मक कार्रवाई आर्थिक असमानताओं को दूर करती है,** किंतु यह जातिवाद को समाप्त नहीं करती है। • उन्होंने धीमी, शिक्षाप्रद प्रक्रिया को अपनाने की वकालत की, जैसे- **"जाति के बारे में न पूछो, न बताओ और न सोचो"।** साथ ही, उन्होंने सरकारी अभिलेखों से जातिगत उल्लेख हटाने का सुझाव दिया।	• **गांधीजी अस्पृश्यता के विरोधी थे।** फिर भी, वे **वर्णाश्रम व्यवस्था** में विश्वास करते थे। • उन्होंने कहा कि **विभिन्न वर्ण** (लोगों के वर्ग) स्वाभाविक रूप से अस्तित्व में आते हैं। • गांधीजी का विचार था कि समाज के सभी लोगों को चार मुख्य व्यवसायों में रखा जा सकता है: **शिक्षण, रक्षा, संपदा सृजन और शारीरिक श्रम।**
धार्मिक विचार	• उनका मानना था कि **आध्यात्मिक विकास के लिए हिंदू धर्म पर्याप्त** है, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि अन्य धर्म भी मोक्ष की ओर ले जा सकते हैं।	• गांधीजी ने **सभी धर्मों को सत्य तक पहुंचने के समान मार्ग** माना। उनके लिए **धर्म का अर्थ नैतिकता और मानवता की निःस्वार्थ सेवा** से था। • उन्होंने ऐसे **राजनीति का विरोध किया जो धर्म से अलग हो,** क्योंकि उनके अनुसार इससे मनुष्य **भ्रष्ट, स्वार्थी, अविश्वसनीय, भौतिकवादी और अवसरवादी** बनता है।

मंदिरों में प्रवेश एवं सामाजिक समानता	• उन्होंने सभी जातियों के लिए **मंदिरों के द्वार खोलने** (उदाहरण- अरुविप्पुरम आंदोलन); धार्मिक स्थलों में जातिगत विशिष्टता को तोड़ने का कार्य किया।	• **उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलनों (जैसे- वायकॉम सत्याग्रह)** का समर्थन किया और दमितों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी।
शिक्षा	• उन्होंने शिक्षा को **मानवीय प्रगति और समृद्धि का एकमात्र साधन** माना। साथ ही, उन्होंने कहा कि शिक्षा **अंधविश्वासों और अस्वस्थ परंपराओं** जैसी सभी सामाजिक बुराइयों के लिए सर्वोच्च रामबाण है। • उन्होंने **महिलाओं** को समान अवसर देने की वकालत की और पूरे केरल में **कई विद्यालयों की स्थापना** की।	• उन्होंने **बुनियादी शिक्षा (नई तालीम या वर्धा बेसिक शिक्षा योजना) की वकालत** की, जिसमें **शारीरिक श्रम और कारीगरी को बौद्धिक विकास** के साथ जोड़कर **आत्मनिर्भरता और गरिमा** का विकास किया जाता है। • उन्होंने **व्यावसायिक और साहित्यिक दोनों तरह के प्रशिक्षण पर जोर** दिया और **अंग्रेजी के बजाय मातृभाषा में शिक्षा** को अधिक उपयुक्त माना।

निष्कर्ष

श्री नारायण गुरु की सामाजिक समानता और आध्यात्मिक मानवतावाद की दृष्टि आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। उनके उपदेश महिला सशक्तीकरण के लिए समावेशी नीतियों, जातीय समावेशन की पहलों और पर्यावरण संरक्षण को प्रेरणा प्रदान करते हैं। ये भारत को गरिमा और सम्मान पर आधारित न्यायपूर्ण, सद्भाव और सतत समाज की ओर ले जाते हैं।

9.2. एकात्म मानववाद (Integral Humanism)

परिचय

1960 के दशक के मध्य में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारत की स्वतंत्रता के बाद के विकास के लिए एक स्वदेशी वैचारिक ढांचा प्रस्तुत किया, जिसे **एकात्म मानववाद** (एकात्म मानव दर्शन) कहा गया। जैसे-जैसे हम आधुनिक विश्व की जटिलताओं से गुजरते हैं, **एकात्म मानववाद का दर्शन** एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में कार्य करता है, जो हमें एक न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज के निर्माण में मानवीय गरिमा, सद्भाव और एकजुटता के आंतरिक मूल्य की याद दिलाता है।

एकात्म मानववाद दर्शन के बारे में

- **एकात्म मानववाद का लक्ष्य** व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं को संतुलित करते हुए **प्रत्येक मनुष्य के लिए गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना** है।
  - यह **मानव जीवन के आध्यात्मिक, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं के एकीकरण** पर जोर देता है, जिसका उद्देश्य एक सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण करना है।
- **एकात्म मानववाद के केंद्र में पुरुषार्थ की अवधारणा** निहित है। इसमें **मानव अस्तित्व के उद्देश्य और कार्यक्षेत्र को निर्धारित करने वाले चार मूलभूत उद्देश्य हैं।**
  - **धर्म** (धार्मिकता), **अर्थ** (धन/ समृद्धि), **काम** (सुख/ इच्छा) और **मोक्ष** (मुक्ति)।
- 'एकात्म मानववाद' का सिद्धांत इस सोच से उत्पन्न हुआ कि स्वतंत्र भारत को **पश्चिमी विचारधाराओं** की बजाय **भारत की अपनी परंपराओं और मूल्यों** पर आधारित विचारों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए।
  - प. दीनदयाल उपाध्याय ने अत्यधिक **पूंजीवादी व्यक्तिवाद** और कठोर **मार्क्सवादी समाजवाद** के दृष्टिकोण को अस्वीकार कर दिया।
- **एकात्म मानववाद का दर्शन** निम्नलिखित **तीन सिद्धांतों पर आधारित** है:
  - समष्टि की प्रधानता, न कि उसके किसी भाग की;
  - धर्म की सर्वोच्चता; और
  - समाज की स्वायत्तता।

समकालीन समय में एकात्म मानववाद के मूल सिद्धांत

- **सांस्कृतिक राष्ट्रवाद (भारतीयता):** एकात्म मानववाद विकास का एक ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो स्वदेशी ज्ञान, परंपराओं और जीवनशैली का सम्मान करता है और साथ ही आधुनिक प्रगति को भी आत्मसात करता है।

- **सामाजिक एकीकरण और सद्भाव:** यह सामाजिक सद्भाव और जातिगत भेदभाव के उन्मूलन का आह्वान करता है, ताकि समानता और न्याय पर आधारित समाज की स्थापना की जा सके।
- **अंत्योदय (अंतिम व्यक्ति का उत्थान):** इसका तर्क है कि आर्थिक नीतियों का लक्ष्य केवल औद्योगिक या शहरी विकास नहीं, बल्कि समाज के सबसे गरीब वर्गों का पहले उत्थान होना चाहिए।
  - **'सभी के लिए शिक्षा'** और **'हर हाथ को काम, हर खेत को पानी'** जैसे विचार उनके आर्थिक लोकतंत्र की अवधारणा में समाहित थे।
- **नैतिक शासन:** आदर्श राज्य (धर्म राज्य) की अवधारणा केवल धार्मिक अनुष्ठानों की स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह धार्मिकता, नैतिक मूल्यों और पारदर्शी शासन को भी दर्शाती है।
- **विकेंद्रीकरण:** इस दर्शन में एक आत्मनिर्भर ग्राम-आधारित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया गया है। यह समुदायों को अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं और संसाधनों के आधार पर अपने स्वयं के विकास का प्रबंधन करने की अनुमति देता है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में (1916-1968)

- वे एक भारतीय दार्शनिक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, इतिहासकार और राजनीतिक कार्यकर्ता थे।
- उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में हुआ था।
- वे 1967 में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने।
- **पुस्तकें:** सम्राट चंद्रगुप्त, जगद्गुरु शंकराचार्य, पॉलिटिकल डायरी, आदि।
  - वे साप्ताहिक **पांचजन्य** और दैनिक पत्रिका **स्वदेश** के संपादक भी थे।
- **गांधीजी से समानताएं:** पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन गांधीजी के सर्वोदय (सभी का कल्याण), ग्राम स्वराज, अस्पृश्यता और सामाजिक अन्याय के विरोध जैसे विचारों से मेल खाते हैं।

10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

10.1 भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (Scheme To Promote Manufacturing of Electric Passenger Cars In India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **भारी उद्योग मंत्रालय** द्वारा 'इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना' के लिए **दिशा-निर्देश अधिसूचित** किए गए।

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं

• **वैश्विक EV विनिर्माताओं से निवेश** आकर्षित करना और भारत को **ई-वाहनों के विनिर्माण गंतव्य** के रूप में प्रस्तुत करना।
• यह योजना भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों के **विनिर्माण के लिए वैश्विक पटल पर लाने, रोजगार सृजन करने और "मेक इन इंडिया" के लक्ष्य को प्राप्त** करने में भी मदद करेगी।
	• **मंत्रालय:** भारी उद्योग मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries: MHI)।
	• **कार्यान्वयन: परियोजना प्रबंधन एजेंसी (PMA)[58]।**
	  ○ PMA से तात्पर्य भारत सरकार द्वारा उसकी ओर से कार्य करने के लिए नियुक्त **कोई अन्य प्राधिकरण/ प्राधिकरणों या वित्तीय संस्थान/ संस्थाओं)** से है।
	• **कार्यकाल:** 5 वर्ष या अधिसूचित अवधि अनुसार।
	• **पात्र निवेश:** पूरे भारत में **नए संयंत्रों, मशीनरी, चार्जिंग अवसंरचना, उपकरण और संबंधित यूटिलिटीज** पर किया गया व्यय।
	  ○ **सेकेंड हैंड/ नवीनीकृत संयंत्र, मशीनरी** आदि पर किया गया व्यय **पात्र नहीं** होगा।
	• **पात्रता:** आवेदक या उसकी समूह कंपनियों को योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए **निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:**
	  ○ नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार, ऑटोमोटिव विनिर्माण से **वैश्विक राजस्व अनिवार्य रूप से कम-से-कम 10,000 करोड़ रुपये** होना चाहिए।
	  ○ कंपनी या उसके समूह के पास **कम-से-कम 3,000 करोड़ रुपये का वैश्विक अचल परिसंपत्ति निवेश (ग्रोस ब्लॉक)** अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
	  ○ **भारत में 3 वर्षों में कम-से-कम निवेश प्रतिबद्धता 4,150 करोड़ रुपये (लगभग 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर)** अनिवार्य है।
	  ▪ भारत में निवेश प्रतिबद्धता की कोई **ऊपरी सीमा नहीं** है।
	  ○ कंपनी को **3 वर्षों के भीतर कम-से-कम 25% घरेलू मूल्य वर्धन हासिल** करना होगा।
	  ▪ अनुमोदन की तिथि से **5 वर्ष के भीतर 50% घरेलू मूल्य वर्धन** हासिल करना होगा।
	  ○ आवेदक द्वारा विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने और घरेलू मूल्य वर्धन (DVA) को पूरा करने की प्रतिबद्धता **भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से बैंक गारंटी द्वारा समर्थित** होगी।
	• **प्रदर्शन मानदंड:** सभी इलेक्ट्रिक यात्री वाहन **उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) ऑटो योजना** के प्रदर्शन मानदंडों को पूरा करेंगे।
	• **लाभ:**
	  ○ आवेदक को इस योजना के अनुसार शर्तों के अधीन **15% की कम सीमा शुल्क दर पर इलेक्ट्रिक 4-व्हीलर्स (e-4W) की पूर्णतः विनिर्मित इकाई या पूरी तरह से असेंबल्ड यूनिट्स (CUBs) को आयात करने की अनुमति** होगी।

[58] Project Management Agency

	▪ CBU एक ऐसा वाहन है, जो पूरी तरह से असेंबल्ड रूप में होता है। ▪ उपर्युक्त कम शुल्क दर पर आयात की जाने वाली इलेक्ट्रिक 4-व्हीलर्स (e-4W) की अधिकतम संख्या प्रति वर्ष 8,000 तक सीमित होगी। ○ 15% की कम सीमा शुल्क दर कुल 5 वर्षों के लिए लागू होगी।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2024 में चयनित सभी उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई

10 in Top 10 Selections in CSE 2024 (from various programs of VISIONIAS)

हिन्दी माध्यम में 30+ चयन

11. सुर्ख़ियों में रहे स्थल (Places in News)

भारत

जम्मू और कश्मीर
- **गंदेरबल** में **खीर भवानी उत्सव** मनाया गया।
- चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया गया।

हिमाचल प्रदेश
- सरकार ने शिपकी–ला में बॉर्डर टूरिज्म गतिविधियां शुरू की।

राजस्थान
- **खीचन और मेनार आर्द्रभूमियों को** रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया।

महाराष्ट्र
- एक वैश्विक फैशन ब्रांड प्रादा ने विवाद के बाद, 'कोल्हापुरी चप्पल' की डिजाइन की कॉपी करने की बात स्वीकारी है।

तेलंगाना
- ICRISAT और 'विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (RIS)' ने **"ICRISAT–साउथ–साउथ सहयोग के लिए उत्कृष्टता केंद्र"** का शुभारंभ किया।

गोवा
- गोवा, ULLAS/ उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला दूसरा राज्य (मिजोरम के बाद) बन गया।

केरल
- कोचीन बैकवाटर में जेलीफिश का मौसमी आक्रमण, पारिस्थितिकी तंत्र पर बढ़ते दबाव का संकेत है।

उत्तर प्रदेश
- कतरनियाघाट वन्यजीव अभयारण्य में **गिरवा नदी** में घड़ियालों को छोड़ा गया है।

असम
- दाओजली हेडिंग में प्रारंभिक धातुकर्म के साक्ष्य मिले।
- **ढोल (एशियाई जंगली कुत्ता) अब काजीरंगा–कार्बी आंगलोंग क्षेत्र (KKAL)** में फिर से दिखाई दिया है।
- कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले का आयोजन किया गया।

त्रिपुरा
- त्रिपुरा ULLAS/ उल्लास कार्यक्रम के तहत तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है।

मध्य प्रदेश
- हाई कोर्ट ने **ग्वालियर में हजरत शेख मुहम्मद गौस के मकबरे पर धार्मिक गतिविधियों के आयोजन की अनुमति देने से इनकार** कर दिया। इस **स्मारक परिसर में तानसेन की समाधि** भी मौजूद है।

आंध्र प्रदेश
- **श्रीशैलम मल्लिकार्जुनस्वामी मंदिर** में संरक्षित एक ताम्रपत्र में **हेली धूमकेतु का पहला अभिलेखीय साक्ष्य** मिला है।

तमिलनाडु
- धनुषकोडी में **ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य** को अधिसूचित किया है।
- मेलूर में **800 साल प्राचीन शिव मंदिर और दो शिलालेख** मिले हैं।

विश्व

स्विट्जरलैंड
स्विट्जरलैंड में बिर्च ग्लेशियर के टूटने से भारी भूस्खलन हुआ, जिससे ब्लैटन नामक गांव का कुछ हिस्सा दब गया है।

किर्गिस्तान
भारत–किर्गिस्तान द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) आधिकारिक तौर पर लागू हुई।

चीन
चीन ने हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन (IOMed) की स्थापना की। छह साल के अंतराल के बाद कैलाश **मानसरोवर यात्रा** फिर से शुरू हुई।

फिनलैंड
फिनलैंड की संसद ने **ओटावा कन्वेंशन** से हटने की मंजूरी दे दी है।

क्रोएशिया
भारत के प्रधान मंत्री ने हाल ही में क्रोएशिया की यात्रा की।

केर्च स्ट्रेट
यूक्रेन ने हाल ही में **केर्च पुल को क्षतिग्रस्त करने की जिम्मेदारी** ली है। इस पुल को **जल के भीतर विस्फोट करके नुकसान** पहुंचाया गया है।

ताइवान जलडमरूमध्य
हाल ही में ताइवान ने अपने क्षेत्र के निकट **चीनी सैन्य विमान** का पता लगाया था। इसके कुछ ही दिन बाद एक **ब्रिटिश नौसैनिक जहाज** संवेदनशील **ताइवान जलडमरूमध्य** से होकर गुजरा था।

साइप्रस
भारत के प्रधान मंत्री ने हाल ही में साइप्रस की यात्रा की।

वियतनाम
वियतनाम ने दो बच्चा नीति को समाप्त किया, क्योंकि इस देश में ऐतिहासिक रूप से **जन्म दर बहुत कम** हो गई है।

ब्राजील
ब्रासीलिया में 11वां ब्रिक्स संसदीय फोरम आयोजित किया गया।

ताजिकिस्तान
'ग्लेशियर संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन' ताजिकिस्तान में आयोजित किया गया। भारत ने ग्लेशियरों के संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

इंडोनेशिया
इंडोनेशिया के **माउंट लेवोटोबी लाकीलाकी** ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ।

रवांडा
रवांडा ने सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट्स आर्थिक समुदाय (ECCAS) से स्वयं को अलग कर लिया है।

मेडागास्कर
रक्षा राज्य मंत्री ने मेडागास्कर के **65वें स्वतंत्रता दिवस समारोह** में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

होर्मुज जलडमरूमध्य
इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों से **रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य** के माध्यम से होने वाले **समुद्री व्यापार** के समक्ष खतरा पैदा हो गया था।

श्रीलंका
श्रीलंका में पवित्र **पोसोन पोया पर्व** मनाया गया। इसे **बौद्ध धर्म के ऐतिहासिक आगमन के उपलक्ष्य** में मनाया जाता है।

12. सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व (Personalities in News)

व्यक्तित्व	परिचय	नैतिक मूल्य
 संत कबीरदास (लगभग 14वीं–15वीं शताब्दी)	**11 जून को देशभर में संत कबीरदास जी की जयंती** मनाई गई। **संत कबीरदास के बारे में** • **जन्म स्थानः वाराणसी, उत्तर प्रदेश।** **प्रमुख योगदान** • **मूल विश्वासः** उन्होंने **कर्मकांड, जातिवाद और मूर्ति पूजा का विरोध** किया। उन्होंने **एक ईश्वर** की भक्ति **(निर्गुण भक्ति)** पर जोर दिया। • **संकलित पदः** कबीर के पदों को तीन अलग–अलग लेकिन एक–दूसरे से जुड़ी परंपराओं में संकलित किया गया हैः ▸ **कबीर बीजक** को वाराणसी और उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर **कबीर पंथ** (कबीर का पंथ या उप–संप्रदाय) द्वारा संरक्षित किया गया है। ▸ **कबीर ग्रंथावली** राजस्थान के **दादूपंथ** से जुड़ी है। ▸ **उनकी कई रचनाएं** गुरु अर्जुन देव द्वारा संकलित आदि ग्रंथ साहिब **में भी मिलती हैं।** • **भाषा और बोलियाँः** कबीर की कविताएं कई भाषाओं और बोलियों में संरक्षित हैं: ▸ कुछ **निर्गुण कवियों की रचनाएं** विशेष भाषा **'संत भाषा' ('सधुक्कड़ी)** में रचित है। ▸ अन्य कविताएं **उलटबांसी** में मिलती हैं। उलटबांसी रचनाओं में कबीर ने अपनी बात को घुमा–फिरा कर और प्रचलित अर्थ से एकदम विपरीत अर्थ में अभिव्यक्ति की है।	**सामाजिक आलोचना और असहमति** • उनकी रचनाओं में ऐसे पद शामिल हैं जो सामाजिक रीति–रिवाजों और तत्कालीन मूल्यों, विशेष रूप से जाति और धार्मिक कट्टरता की आलोचना करते हैं। • उनकी कविताओं ने असहमति के महत्व को उजागर किया, जिसका न केवल राजनीतिक और नैतिक पक्ष है, बल्कि जो सामाजिक जीवन में मूल्यों को परिष्कृत करने का कारण बन सकता है।
 श्रीमंत शंकरदेव (1449 – 1568)	प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह को श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार (असम के सर्वोच्च सांस्कृतिक सम्मानों में से एक) से सम्मानित किया गया है। **श्रीमंत शंकरदेव के बारे में:** • वे 15वीं शताब्दी के **महान संत और समाज सुधारक थे,** जिनका जन्म **आली–पुखुरी (नगांव जिला, असम)** में हुआ था। • उन्होंने **एकसरना धर्म (एकेश्वर भक्ति पर आधारित एक नव वैष्णव आंदोलन)** की शुरुआत की। यह धर्म भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति पर आधारित था। **योगदानः** • **कीर्तन घोषः यह असमिया भाषा** में रचित एक भक्ति ग्रंथ है। इसमें भगवान कृष्ण की महिमा का उल्लेख मिलता है। • **गुणमालाः** यह भागवत पुराण का एक संक्षिप्त संस्करण है। • **अंकिया नाटः** यह एकांकी नाटक का एक रूप है। इसमें **नृत्य, संगीत और कथा का मिश्रण** देखने को मिलता है।	**सामाजिक चेतना और मानवतावाद** • उन्होंने भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसने पूर्वोत्तर भारत के लोगों के आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित किया। • उनकी शिक्षाओं से उनके अनुयायियों ने समानता, सहिष्णुता, सच्चाई और मानवता के प्रति प्रेम के गुणों को आत्मसात किया।

	• **भाओनाः** यह अंकिया नाट पर आधारित एक **पारंपरिक नाट्य प्रस्तुति** है। इसका प्रदर्शन आमतौर पर **सत्रों** (वैष्णव मठों) में किया जाता है। • **सत्रिया नृत्यः** यह सत्रों के भीतर विकसित एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। यह **भारत के आठ शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है।** • **साहित्यिक कृतियांः** भक्ति प्रदीप, भक्ति रत्नाकर, कीर्तन–घोष, आदि।	
 तानसेन	मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने **ग्वालियर में हजरत शेख मुहम्मद गौस के मकबरे पर धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन की अनुमति देने से इनकार** कर दिया। • इस **स्मारक परिसर में तानसेन की समाधि** भी मौजूद हैं। **तानसेन के बारे में** • तानसेन **हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महत्वपूर्ण ज्ञाता थे,** उनका **जन्म ग्वालियर** में हुआ था। • उन्हें **"तानसेन"** की उपाधि **ग्वालियर के राजा विक्रमजीत** ने दी थी। • उन्होंने संगीत की शिक्षा **स्वामी हरिदास** से प्राप्त की।। • तानसेन ने **हिंदू देवी–देवताओं** और अपने आश्रयदाताओं–**रामचंद्र बघेल** और **अकबर**–के लिए **ध्रुपद गायन** की रचनाएं कीं। • वे मुगल बादशाह अकबर के दरबार के **नवरत्नों** में से एक थे। • उन्होंने कई प्रसिद्ध रागों की रचना की, जैसेकृमियां की मल्हार, **मियां की तोड़ी और दरबारी।** • उनके वंशज और शिष्य **"सेनिया" (Seniyas)** कहलाते हैं।	**कलात्मक उत्कृष्टता और सांस्कृतिक सद्भाव** • तानसेन ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में महारत और नवाचार का उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने ऐसे कालातीत रागों की रचना की जिन्होंने भक्ति और शाही परंपराओं को आपस में जोड़ा। • उनके संगीत ने विभिन्न आध्यात्मिक और कलात्मक प्रभावों को एकीकृत करके सांस्कृतिक सद्भाव को बढ़ावा दिया।
 लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर (1725 – 1795)	लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर को उनकी 300वीं जयंती पर देशवासियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। **अहिल्याबाई होल्कर के बारे में** • वे **मालवा राज्य के होल्कर वंश की रानी** थीं। उन्हें **"दार्शनिक रानी"** के रूप में जाना जाता है। • **प्रारंभिक जीवनः** ▸ **जन्मः चोंडी गाँव,** अहमदनगर (महाराष्ट्र) में हुआ। ▸ **विवाहः मल्हार राव होल्कर** से हुआ, जो मालवा क्षेत्र के शासक थे। • **शाही उत्तराधिकारः** पेशवा ने अहिल्याबाई को मालवा का शासन सौंपा। 1767 में वे **इंदौर की शासिका** बनी। **मुख्य योगदान** • उन्होंने **महेश्वर में एक कपड़ा उद्योग की स्थापना** की, जो आज महेश्वरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। • **मंदिर निर्माण और जीर्णोद्धारः** ▸ **रानी ने 12 ज्योतिर्लिंगों में से दो** का निर्माण कराया था। ▸ **काशी विश्वनाथ मंदिर** का जीर्णोद्धार करवाया।	**वीरता और प्रशासक** • मालवा की रानी अहिल्याबाई होल्कर एक बहादुर रानी और कुशल शासक होने के अलावा, एक निपुण राजनीतिज्ञ भी थीं। जब मराठा पेशवा अंग्रेजों के एजेंडे को समझ नहीं पा रहे थे तब उन्होंने एक विस्तृत नजरिया पेश किया।

	▸ **गुजरात में पुराने (जूना) सोमनाथ मंदिर** का निर्माण कराया, जो **अहिल्याबाई मंदिर** नाम से प्रसिद्ध है। ▸ **हरिद्वार, काशी, सोमनाथ और रामेश्वरम** जैसे तीर्थस्थलों पर भी मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। • **स्थापत्य कला:** नर्मदा नदी के किनारे **महेश्वर किला (अहिल्या किला)** का निर्माण करवाया। • उन्होंने एक **महिला सेना** का भी गठन किया, जो राज्य की रक्षा, कानून व्यवस्था और **महिला सशक्तिकरण** का प्रतीक बनी।	
 भगवान बिरसा मुंडा (1875–1900)	प्रधानमंत्री ने **भगवान बिरसा मुंडा** को उनके **शहीद दिवस** के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। **बिरसा मुंडा के बारे में** • उनका जन्म झारखंड के **छोटानागपुर पठार में स्थित उलीहातु गांव** में हुआ था। • उनका संबंध मुंडा जनजाति से था। उन्हें **'धरती आबा' (धरती का पिता) के नाम** से भी जाना जाता है। **योगदान** • **मुंडा विद्रोह / उलगुलान (महाविप्लव), 1899 और 1900 के बीच:** यह ब्रिटिश शासन और उनकी जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जनजातीय विद्रोह था। • उन्होंने **बिरसाइत** के नाम से एक नए संप्रदाय की स्थापना की। • **शराबखोरी, जादू–टोना और अंधविश्वास** के खिलाफ अभियान चलाया। लोगों में **स्वच्छता के बारे में जागरूकता** का प्रसार किया।	**दृढ़ता और दूरदर्शिता** • वह एक दूरदर्शी नेतृत्वकर्ता थे जिन्होंने अपने समुदाय की मुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। • वह एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अंग्रेजों और शक्तिशाली जमींदारों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व करके असाधारण साहस दिखाया।
 राम प्रसाद बिस्मिल (1897 – 1927)	प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी नेता राम प्रसाद बिस्मिल को उनकी **जयंती (11 जून)** पर देशवासियों ने याद किया। **राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में** • उनका जन्म **शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश)** में हुआ था। वे बचपन से ही **आर्य समाज के विचारों से गहरे रूप से प्रभावित** थे। **मुख्य योगदान** • **क्रांतिकारी गतिविधियां: 1918 में मैनपुरी षड्यंत्र** के माध्यम से लोगों की नजर में आए। इसमें उन्होंने **राष्ट्रवादी विचारों के प्रसार के लिए प्रतिबंधित किताबों का वितरण** किया था। • **HRA की स्थापना: 1924** में, उन्होंने **सचिन्द्रनाथ सान्याल और अन्य के साथ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA)** की सह–स्थापना की थी। बाद में इसे **हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA)** नाम दिया गया था।	**नेतृत्व और दृढ़ विश्वास** • उन्होंने विदेशी शासन के खिलाफ आवाज को मजबूत करने के लिए युवाओं को संगठित किया और उनके संघर्षों को आकार देने के लिए संगठन की स्थापना की। • उन्होंने न केवल अंग्रेजों से हथियार लूटने की एक अत्यधिक खतरनाक साजिश में भाग लिया, बल्कि अत्यधिक यातना और जान से मारने की धमकियों के आगे न झुककर अपने जीवन का बलिदान भी दिया।

- **काकोरी षड्यंत्र (1925):** राम प्रसाद बिस्मिल **काकोरी ट्रेन डकैती** के सूत्रधार थे।
- **जेल विरोध:** जेल में रहते हुए, बिस्मिल और उनके साथियों ने उन्हें राजनीतिक कैदियों के रूप में मानने तथा जेल की कठोर परिस्थितियों का विरोध करने के लिए भूख हड़ताल की थी।
- **साहित्यिक कार्य:** उन्होंने **बिस्मिल, राम और अज्ञात उपनामों** से हिंदी एवं उर्दू में देशभक्ति कविताओं की रचना की थी।
- **शहादत:** काकोरी मामले में एक विवादास्पद मुकदमे के बाद उन्हें **19 दिसंबर, 1927** को फांसी दे दी गई थी।

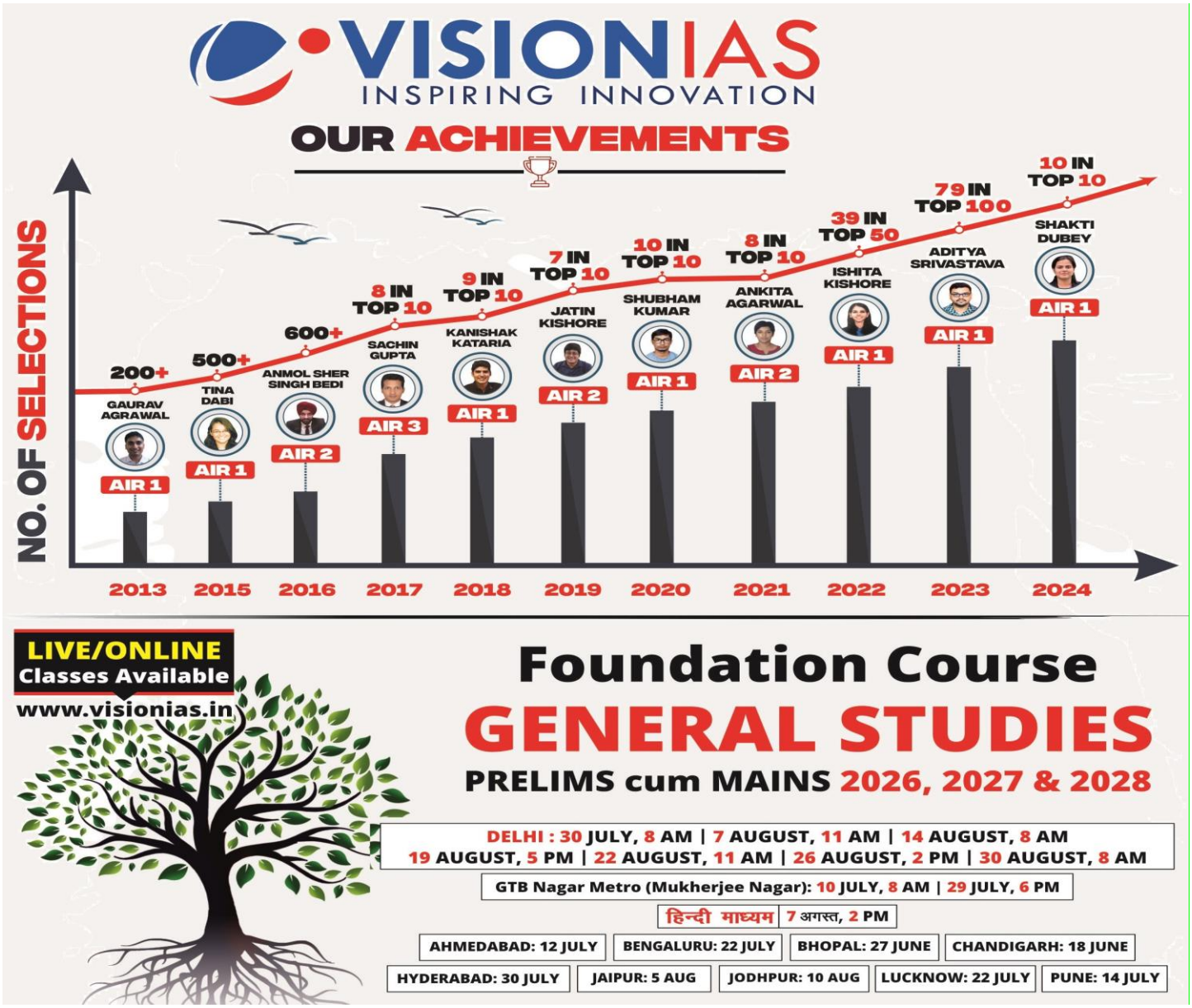

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

लाइव / ऑनलाइन
कक्षाएं भी उपलब्ध

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स 2026

प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों

दिल्ली

7 अगस्त, 2 PM

अवधि – 12 महीने

VisionIAS ऐप को डाउनलोड करने के लिए दिए गए **QR कोड** को स्कैन कीजिए

निःशुल्क काउंसिलिंग के लिए **QR** कोड को स्कैन कीजिए

डेली MCQs और अन्य अपडेट्स के लिए हमारे ऑफिशियल **टेलीग्राम ग्रुप** को ज्वाइन कीजिए

- सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स में GS मेन्स के सभी चारों पेपर, GS प्रीलिम्स, CSAT और निबंध के सिलेबस को विस्तार से कवर किया जाता है।
- अभ्यर्थियों के ऑनलाइन स्टूडेंट पोर्टल पर लाइव एवं ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाओं की सुविधा भी उपलब्ध है, ताकि वे किसी भी समय, कहीं से भी लेक्चर और स्टडी मटेरियल तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकें।
- इस कोर्स में पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शामिल है।
- 2025 के प्रोग्राम की अवधि: 12 महीने
- प्रत्येक कक्षा की अवधि: 3–4 घंटे, सप्ताह में 5–6 दिन (आवश्यकता पड़ने पर रविवार को भी कक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं)

नोट: अभ्यर्थी फाउंडेशन कोर्स की लाइव वीडियो कक्षाएं घर बैठे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। साथ ही, अभ्यर्थी लाइव चैट के जरिए कक्षा के दौरान अपने डाउट्स और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा, वे अपने डाउट्स और प्रश्न को नोट कर दिल्ली सेंटर पर हमारे क्लासरूम मेंटर को बता सकते हैं, जिसके बाद फोन/ मेल के जरिए अभ्यर्थियों के प्रश्नों का समाधान किया जाता है।

GS फाउंडेशन कोर्स की अन्य मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मूल्यांकन

अभ्यर्थियों को नियमित ट्यूटोरियल, मिनी टेस्ट एवं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के माध्यम से व्यक्तिगत व अभ्यर्थी के अनुरूप और ठोस फीडबैक दिया जाता है

सभी द्वारा पढ़ी जाने वाली एवं सभी द्वारा अनुशंसित

विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम द्वारा तैयार की गई मासिक समसामयिकी मैगजीन, PT 365 और Mains 365 डॉक्यूमेंट्स तथा न्यूज़ टुडे जैसी प्रासंगिक एवं अपडेटेड अध्ययन सामग्री

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन

इस कोर्स के तहत अभ्यर्थियों के डाउट्स दूर करने और उन्हें प्रेरित रखने के लिए नियमित रूप से फोन/ ईमेल/ लाइव चैट के माध्यम से "वन–टू–वन" मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़

प्रत्येक 3 सफल उम्मीदवारों में से 2 Vision IAS की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज को चुनते हैं। Vision IAS के पोस्ट टेस्ट एनालिसिस के तहत टेस्ट पेपर में स्टूडेंट्स के प्रदर्शन का विस्तार से विश्लेषण एवं समीक्षा की जाती है। यह अपनी गलतियों को जानने एवं उसमें सुधार करने हेतु काफी महत्वपूर्ण है।

कोई क्लास मिस ना करें

प्रत्येक अभ्यर्थी को एक व्यक्तिगत "स्टूडेंट पोर्टल" उपलब्ध कराया जाता है। इस पोर्टल के जरिए अभ्यर्थी किसी भी पुराने क्लास या छूटे हुए सेशन और विभिन्न रिसोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं एवं अपने प्रदर्शन का सापेक्ष एवं निरपेक्ष मूल्यांकन कर सकते हैं।

बाधा रहित तैयारी

अभ्यर्थी VisionIAS के क्लासरूम लेक्चर्स एवं विभिन्न रिसोर्सेज़ को कहीं से भी तथा कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और वे इन्हें अपनी जरुरत के अनुसार ऑर्गनाईज कर सकते हैं।

Heartiest
Congratulations
to all Successful Candidates
10
in TOP 10 Selections in CSE 2024
from various programs of Vision IAS
1 AIR
Shakti Dubey
2 AIR
Harshita Goyal
GS Foundation Classroom Student
3 AIR
Dongre Archit Parag
GS Foundation Classroom Student
4 AIR
Shah Margi Chirag
5 AIR
Aakash Garg
6 AIR
Komal Punia
7 AIR
Aayushi Bansal
8 AIR
Raj Krishna Jha
9 AIR
Aditya Vikram Agarwal
10 AIR
Mayank Tripathi
हिंदी माध्यम में 30+ चयन CSE 2024 में
137 AIR
Ankita Kanti
182 AIR
Ravi Raaz
438 AIR
Mamata
448 AIR
Sukh Ram
509 AIR
Amit Kumar Yadav
DELHI
HEAD OFFICE
33, Pusa Road, Near Karol Bagh Metro Station, Opposite Pillar No. 113, Delhi - 110005
MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar
GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office, above Gate No. 2, GTB Nagar Metro Building, Delhi - 110009
FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call: +91 8468022022, +91 9019066066
enquiry@visionias.in
/@visioniashindi
/visionias.upsc
/vision_ias_hindi/
/hindi_visionias
अहमदाबाद
बेंगलूरु
भोपाल
चंडीगढ
दिल्ली
गुवाहाटी
हैदराबाद
जयपुर
जोधपुर
लखनऊ
प्रयागराज
पुणे
रांची